बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2023–24

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011

वेबसाइट : **www.msme.gov.in**

विषय–सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ
1.	**भूमिका**	**1-22**
	1.1 पृष्ठभूमि	1
	1.2 एमएसएमई उद्यम मंत्रालय का अधिदेश	2
	1.3 संगठनात्मक संरचना	4
	1.4 हाल के घटनाक्रम	17
2.	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का विकास और कार्य–निष्पादन**	**23-34**
	2.1 एमएसएमई की भूमिका	23
	2.2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एनएसएस के 73वें दौर के सर्वेक्षण (2015–16) के मुख्य परिणाम	23
	2.3. नए एमएसएमई का पंजीकरण	30
3.	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत संबद्ध कार्यालय, सांविधिक निकाय तथा अन्य संगठन**	**35-98**
	3.1 विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय	35
	3.1.2 टूल रूम और प्रौद्योगिकी संस्थान (टीआर और टीआई) (प्रौ़द्योगिकी केन्द्र के रूप में भी विदित)	36
	3.1.3 एमएसएमई विकास एवं सुविधा कार्यालय (एमएसएमई–डीएफओ)	45
	3.1.4 एमएसएमई परीक्षण केंद्र एवं परीक्षण स्टेशन	48
	3.2 खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	50
	3.3. कयर बोर्ड (सीबी)	66
	3.4 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	77

	3.5 राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे)	86
	3.6 महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी)	89
4.	**एमएसएमई मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों की प्रमुख स्कीमें**	**99-118**
5.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिलाओं, दिव्यांगजनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए लक्षित गतिविधियां**	**119-133**
	5.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए कार्यकलाप	119
	5.2 महिलाओं के कल्याण के लिए लक्षित गतिविधियां	127
	5.3 दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) का कल्याण	130
	5.4 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम	131
6	**सामान्य सांविधिक दायित्व**	**134-144**
	6.1 राजभाषा (ओएल)	134
	6.2 सतर्कता	141
	6.3 नागरिक चार्टर	143
	6.4 सूचना का अधिकार (आरटीआई)	144
	6.5 यौन उत्पीड़न का निवारण	144
अनुबंध		**145-174**
1.	वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 और 2023–24 (31.03. 2024 तक) के दौरान योजना आबंटन एवं व्यय	145
2.	नोडल केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों की सूची (सीपीआईओ)	146
3.	एमएसएमई मंत्रालय एवं इसके सांविधिक निकायों के अधिकारियों के संपर्क पते	148
4.	एमएसएमई–डीएफओ, एमएसएमई–डीएफओ की शाखा, एमएसएमई परीक्षण केन्द्रों/ स्टेशनों और प्रौद्योगिकी केंद्रों की राज्य–वार सूची	149
5.	संकेताक्षर	171

अध्याय **1**

भूमिका

1.1 पृष्ठभूमि

1.1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। यह क्षेत्र कृषि के पश्चात तुलनात्मक रूप से कम पूंजीगत लागत पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करके तथा बड़े रोजगार के अवसर सृजित करके देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के अनुपूरक हैं और यह क्षेत्र देश के समग्र औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एमएसएमई अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रसार कर रहे हैं तथा घरेलू और वैश्विक बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। देश के एमएसएमई क्षेत्र के विकास और कार्य–निष्पादन का दृश्यावलोकन अध्याय 2 में दिया गया है।

1.1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) मौजूदा उद्यमों को सहायता प्रदान करने, अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने और नए उद्यमों के निर्माण को प्रोत्साहित करके मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से खादी, ग्राम और कयर उद्योगों सहित क्षेत्र के विकास को संवर्धित कर प्रगामी एमएसएमई क्षेत्र की परिकल्पना करता है।

1.1.3 एमएसएमई मंत्रालय के तत्वावधान में अनेक सांविधिक और गैर–सांविधिक निकाय कार्य करते हैं। इनमें राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) एवं महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) के अलावा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा कयर बोर्ड शामिल हैं। इन निकायों के अधिदेश और कार्य–निष्पादन का ब्यौरा अध्याय 3 में दिया गया है।

1.1.4 एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी सहायता और उन्नयन, अवसंरचना विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता तथा विपणन सहायता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न स्कीमें चलाता है। स्कीमों की विस्तृत सूची अध्याय 4 में दी गई है।

1.1.5 मंत्रालय समावेशी विकास की कार्ययोजना के लिए प्रतिबद्ध है तथा भौगोलिक और जनसांख्यिकीय रूप से कमजोर वर्गों को उनके कार्यों से लाभ प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलें और उपाय किए हैं।

1.1.6 एमएसएमई मंत्रालय अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों में हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त सतर्कता, आरटीआई, यौन उत्पीड़न निवारण से संबंधित सतत् उपाय अध्याय 6 में देखे जा सकते हैं।

1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का अधिदेश

1.2.1 दिनांक 9 मई, 2007 को पूर्ववर्ती लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को मिलाकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) बनाया गया था। मंत्रालय एमएसएमई की सहायता करने के लिए नीतियां तैयार करता है और कार्यक्रमों, परियोजनाओं और स्कीमों का संवर्धन और सुविधा प्रदान करता है तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करता है और उन्हें बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है।

1.2.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम वर्ष 2006 में अधिसूचित किया गया था ताकि एमएसएमई उद्यमों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों के साथ–साथ इस क्षेत्र के लिए कवरेज और निवेश के सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम इन उद्यमों के विकास को सुविधाजनक बनाता है और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में भी वृद्धि करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:–

– सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड की भूमिका सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करना, केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा संवर्धन और विकास को सुसाध्य करने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के संबंध में सिफारिश करना है।

– यह उद्यम की संकल्पना, जिसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों शामिल हैं, को मान्यता प्रदान करने के लिए विधिक अवसंरचना उपलब्ध कराता है।

– यह केंद्र सरकार को एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित करने के लिए कार्यक्रम बनाने तथा दिशानिर्देश व अनुदेश जारी करने के लिए सशक्त बनाता है।

1.2.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषाएं:

एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार एमएसएमई को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

(i) ऐसा सूक्ष्म उद्यम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश एक करोड़ रु. से अधिक न हो और कारोबार पांच करोड रु. से अधिक न हो;

(ii) ऐसा लघु उद्यम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश दस करोड़ रु. से अधिक का न हो और कारोबार पचास करोड़ से अधिक न हो; और

(iii) ऐसा मध्यम उद्यम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश पचास करोड़ रु. से अधिक न हो और कारोबार दो सौ पचास करोड़ रु. से अधिक न हो।

1.2.3.1. दिनांक 26 जून, 2020 को यथा अधिसूचित एमएसएमई के नए वर्गीकरण को प्रभावी बनाने के लिए, दिनांक 1 जुलाई, 2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया गया। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत एमएसमई का पूर्व मानदंड संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में निवेश पर आधारित था और यह विनिर्माण और सेवा इकाइयों के लिए भिन्न–भिन्न था। दिनांक 13 मई, 2020 को की गई घोषणा में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई के वर्गीकरण के मानदंड में संशोधन किया गया।

1.2.3.2. इसके परिणामस्वरूप मौजूदा और भावी उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिनांक 26 जून, 2020 को विनिर्माण और सेवा इकाइयों के लिए नए कंपोज़िट वर्गीकरण को अधिसूचित किया गया था। अब विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बीच कोई अंतर नहीं है। साथ ही, कारोबार का नया मानदंड वर्गीकरण के पुराने मानदंड में जोड़ा गया है जो केवल संयंत्र और मशीनरी में निवेश पर आधारित है। इस नए मानदंड से उम्मीद की जाती है कि इनसे एमएसएमई को अपने आकार में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि निर्यात के संबंध में कारोबार को एमएसएमई इकाइयों की किसी श्रेणी अर्थात् सूक्ष्म, लघु और मध्यम के लिए कारोबार की सीमाओं में जोड़ कर नहीं देखा जाएगा। व्यवसाय करने में सुगमता की दिशा में यह अभी एक और कदम है। इससे एमएसएमई क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और ज्यादा रोज़गारों का सृजन करने में सहायता मिलेगी। एमएसएमई के वर्गीकरण के मानदंड में बदलाव से निर्यातकों को बड़ी राहत मिलना सुनिश्चित है।

1.2.4 एमएसएमई के संवर्धन और विकास का प्रारंभिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। भारत सरकार, उद्यमिता, रोजगार और आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने और बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

1.3 संगठनात्मक अवसंरचना

1.3.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विकास आयुक्त (डीसीएमएसएमई) का कार्यालय तथा अन्य अधीनस्थ संगठनों के अलावा, लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) प्रभाग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग (एआरआई) प्रभाग, प्रशासनिक एवं वित्तीय संस्थान (एएफआई), एकीकृत वित्त स्कन्ध (आईएफडब्ल्यू) और डाटा एनालिटिक्स एंड टेकनिकल कोऑर्डिनेशन (डीएटीसी) स्कन्ध तथा प्रशासन और वित्तीय संस्थान (एएफआई) शामिल हैं। मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना को निम्नलिखित संगठनात्मक चार्ट में प्रदर्शित किया गया है:

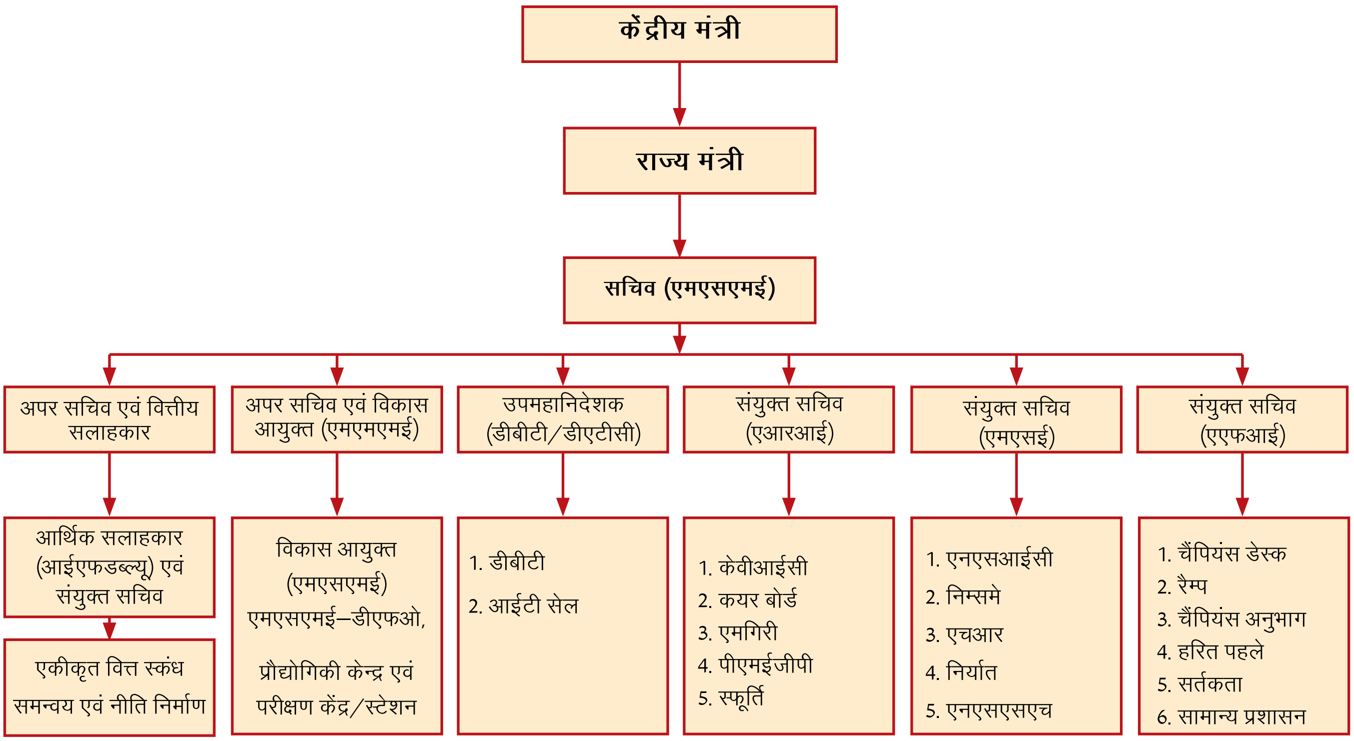

1.3.2 **एसएमई प्रभाग** – एसएमई प्रभाग राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड– जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है तथा राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे)–जो एक राष्ट्रीय स्तर का स्वायत्तशासी उद्यमिता विकास और प्रशिक्षण संगठन है, का प्रशासनिक पर्यवेक्षण का कार्य देखता है। यह प्रभाग अन्य कार्यों के बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब स्कीम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम तथा प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, एसएमई प्रभाग स्कीमों के संवर्धन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से इसके कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के मीडिया अभियान की तैयारी संबंधी कार्य भी देखता है।

1.3.3 **एआरआई प्रभाग**: एआरआई प्रभाग दो सांविधिक निकायों–खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कयर बोर्ड तथा महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) का प्रशासन कार्य देखता है। यह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), परम्परागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) तथा नवपरिवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर) के कार्यान्वयन का भी पर्यवेक्षण करता है।

1.3.4 **एएफआई प्रभाग**– एएफआई प्रभाग को अन्य बातों के साथ–साथ मंत्रालय के सामान्य प्रशासन एवं सर्तकता संबंधी कार्य दिए गए हैं। यह प्रभाग चैंपियनस डेस्क का प्रशासनिक पर्यवेक्षण और बैंकों, वित्तीय संस्थानों और

सीएलसीएस–टीयू स्कीम सहित एमएसएमई की शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई का कार्य देखता है। एएफआई प्रभाग में रैम्प अनुभाग नई शुरू की गई विश्व बैंक समर्थित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम "एमएसएमई कार्य निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन" (रैम्प) का कार्यान्वयन करता है, जिसका उद्देश्य मौजूदा स्कीमों की बढ़ती पहुंच और केंद्र–राज्य सहयोग में वृद्धि करके एमएसएमई क्षेत्र में दृढ़ क्षमताओं में सुधार करना है।

1.3.5 **आईएफ विंग** – आईएफडब्ल्यू मंत्रालय और विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के कार्यक्रम प्रभागों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों की जांच करता है: जिनमें (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निधियों को जारी करने के लिए सहमति, (ii) स्कीमों को जारी रखने और ईएफसी/एसएफसी बैठकों के आयोजन हेतु ईएफसी/ एसएफसी पर टिप्पणियां प्रस्तुत करना है। यह कार्यक्रम स्कन्धों द्वारा मांगी गई वित्तीय दायित्वों वाले विभिन्न मुद्दों पर अपेक्षित परामर्श देता है। यह स्कन्ध समझौता ज्ञापन, अन्य समझौतों, संविदा आदि हस्ताक्षर से संबंधित अन्य विविध मामलों की भी जांच करता है।

1.3.5.1 **बजट प्रभाग** – मंत्रालय का बजट प्रभाग निम्नलिखित कार्यकलाप करता है: (i) अनुदानों की विस्तृत माँगें (डीडीजी) तैयार करना; (ii) विनियोग खाता, मासिक और तिमाही आधार पर बजट के प्रति व्यय की निगरानी; (iii) बजट अनुमान का विवरण (एसबीई); (iv) स्कीमों के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निधि जारी करना; (v) संपत्ति रजिस्टर से संबंधित जानकारी का संकलन; (vi) डीडीजी की तैयारी के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विषय शीर्षों को खोलना अथवा हटाना; (vii) अनुदान में बचत को वापस सौंपना; (viii) संशोधित अनुमान (आरई) तैयार करना; (ix) बजट अनुमान (बीई) और अनुदान की अनुपूरक मांगें; (x) केंद्रीय बजट सूचना प्रणाली (यूबीआईएस) पोर्टल में डेटा अपलोड करना अर्थात बजट अनुमान (एसबीई), बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक का विवरण; (xi) अव्ययित शेष की निगरानी; (xii) खातों के विभिन्न शीर्षों में निधियों का पुनर्विनियोजन; (xiii) स्कीमों के "100 करोड़ रुपये के बचत नोट" से संबंधित जानकारी का संकलन; (xiv) वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, डीएपीएससी, डीएपीएसटी, बजट पूर्व चर्चा बैठक, विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति (डीआरपीएससी) जैसी विभिन्न बैठकों की तैयारी; (xv) पृष्ठभूमि टिप्पणी (xvi); मासिक और तिमाही आधार पर एससीएसपी, टीएसपी और एनईआर के संदर्भ में स्कीम–वार और विषय शीर्ष–वार व्यय की निगरानी; (xvii) सरकारी गारंटी आदि की निगरानी और अग्रेषण रिपोर्ट।

1.3.6 **डीएटीसी एवं डीबीटी प्रभाग** – यह स्कन्ध एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित आंकड़ें और सांख्यिकी का विश्लेषण करता है और यह एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित साक्ष्य आधारित निर्णय के लिए तकनीकी सूचनाएं (इनपुट) प्रदान करता है। एमएसएमई डाटाबेस के विकास और रख–रखाव के लिए सभी हितधारकों के साथ तकनीकी समन्वय, मंत्रालय की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) स्कीमों के लिए निदेशों के पूर्ण अनुपालन का समन्वय; मंत्रालय में डिजिटल भुगतान के संवर्धन हेतु कार्यान्वयन और मंत्रालय की आईटी सेल का प्रबंध इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में हैं।

1.3.7 बजटीय परिव्यय

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
2019-20	7,011.29	7,011.29	6,717.53
2020-21	7,572.20	5,664.22	5,647.50
2021-22	15,699.65	15,699.65	15,160.47
2022-23	21,422.00	23,628.73	23,583.90
2023-24	22,137.95	22,138.01	22,094.25

कोविड–19 महामारी के दौरान, एमएसएमई क्षेत्र को सहायता, राहत और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए **सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021–22 में मंत्रालय के लिए बजट आबंटन को दोगुना करने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।**

1.3.8 विकास आयुक्त कार्यालय

1.3.8.1 विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अवसंरचना एवं सहायता सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियों और विभिन्न कार्यक्रम और स्कीम को कार्यान्वित करता है। विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है जिसकी अध्यक्षता अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एएस एंड डीसी) एमएसएमई द्वारा की जाती है। यह 33 एमएसएमई–विकास और सुविधा कार्यालयों (विकास कार्यालय), एमएसएमई–विकास और सुविधा कार्यालयों (विकास कार्यालय) की 28 शाखाओं, 4 एमएसएमई–परीक्षण केंद्रों (एमएसएमई–टीसी), 7 एमएसएमई–परीक्षण स्टेशन (एमएसएमई–टीएस), 2 एमएसएमई–प्रशिक्षण संस्थान (एमएसएमई–टीआई) के नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय 18 प्रौद्योगिकी केंद्रों के एक नेटवर्क को भी संचालित करता है जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत सोसायटी के रूप में पंजीकृत स्वायत्त निकाय हैं।

1.3.8.2 विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय औपचारिक प्रयासों, ज्ञान सेवाओं तक पहुंच, प्रतिस्पर्धा में सुधार, आयात को कम करने, कुशल जनशक्ति की उपलब्धता, नवीनतम तकनीक और विपणन तक पहुंच के प्रयासों में एमएसएमई क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है।

विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय द्वारा निम्नलिखित मुख्य सेवाएं प्रदान की जाती हैः–

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए नीति निर्माण में सरकार को परामर्श देना।
- क्षेत्रीय कार्यालयों के अपने नेटवर्क के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय की स्कीमों का प्रसार।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को तकनीकी–आर्थिक एवं प्रबंधकीय परामर्श, सामान्य सुविधाएं तथा विस्तार सेवाएं प्रदान करना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार और अवसंरचना के लिए सुविधाएं प्रदान करना।
- प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से मानव संसाधन का विकास करना ।
- एमएसएमई परितंत्र के विकास के लिए एक साधन के रूप में क्लस्टर विकास को सुगम बनाना।
- आर्थिक सूचना सेवाएं प्रदान करना।
- एमएसएमई के विकास से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और अन्य संगठनों के साथ निकट संपर्क बनाए रखना।
- सीपीएसयू सहित बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में एमएसएमई के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का विकास और समन्वय करना।
- निर्यात बास्केट के हिस्से में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
- ऋण उपलब्धता और वित्त के अन्य माध्यमों को बढ़ाना।

1.3.8.3 उद्यम पंजीकरणः इस मंत्रालय ने दिनांक 26.06.2020 की अधिसूचना सं. सा.आ. 2119 (अ) के माध्यम से संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में निवेश और एमएसएमई के कारोबार के आधार पर एमएसएमई के वर्गीकरण का एक समग्र मानदंड अधिसूचित किया है। एमएसएमई के वर्गीकरण के समग्र मानदंड से संबंधित दिशानिर्देश लिंकः https://msme.gov.in/sites/default/files/IndianGazzate.pdf पर उपलब्ध हैं।

एमएसएमई के वर्गीकरण के समग्र मानदंड के आधार पर, इस मंत्रालय द्वारा विकसित पोर्टल पर 'उद्यम' पंजीकरण के माध्यम से उद्योग आधार ज्ञापन की पूर्ववर्ती प्रक्रिया को प्रतिस्थापित किया है। अब मौजूदा और भावी उद्यम पोर्टलः https://udyamregistration.gov.in पर 'उद्यम' पंजीकरण ऑनलाइन कर सकते हैं।

एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 18.10.2022 की अधिसूचना संख्या सा.आ. 4926 (अ) के अन्तर्गत, एमएसएमई को गैर–कर लाभों का विस्तार करने के लिए दिनांक 26.06.2020 की अधिसूचना संख्या सा.आ.सं. 2119 (अ) में संशोधन किया है। उस संशोधन में प्रावधान है कि "संयंत्र और मशीनरी या उपकरण या कारोबार या दोनों में निवेश के मामले में उन्मुखी परिवर्तन और परिणामी पुनः वर्गीकरण के मामले में, एक उद्यम श्रेणी (सूक्ष्म या लघु या मध्यम) के सभी गैर–कर लाभों का लाभ उठाना जारी रखेगा यह पुनर्वर्गीकरण से पहले इस तरह के उन्मुखी परिवर्तन की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए था।"

उद्यम पंजीकरण पर एमएसएमई का विश्लेषण अध्याय 2 के पैरा 2.4 के अंतर्गत दिया है।

1.3.8.4 उद्यम सहायक मंचः एमएसएमई मंत्रालय ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ मिलकर दिनांक 11.01.2023 को अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम सहायक मंच (यूएपी) पोर्टल का शुभारंभ किया। सरकार ने अधिसूचित किया है कि अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को यूएपी पर जारी किए गए प्रमाणपत्र को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र के बराबर माना जाएगा। इससे पंजीकृत आईएमई को पीएसएल का लाभ उठाने में सहायता मिली है।

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, यूएपी पर आईएमई सहित कुल 4,15,04,899 एमएसएमई पंजीकृत हैं, जिनमें विनिर्माण श्रेणी में 80,12,542 उद्यम, सेवा क्षेत्र में 1,48,84,175 उद्यम और व्यापार श्रेणी में 1,86,08,182 उद्यम पंजीकृत हैं।

1.3.9 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

भारत सरकार की सभी कल्याणकारी और सब्सिडीयुक्त स्कीमों को वितरण प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार लाकर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है। इसका उद्देश्य निधियों का सरल और सुगम प्रवाह सुनिश्चित करना, लाभार्थियों के सही लक्ष्य सुनिश्चित करना, पुनरावृत्ति को दूर करना और जालसाजी को समाप्त करना है। डीबीटी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय में डीबीटी मिशन नोडल बिन्दु के रूप में डीबीटी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

लाभार्थियों के भिन्न–भिन्न प्रकार के लाभों अर्थात् नकद, अन्य रूप में, अथवा मिश्रित (अर्थात् नकद एवं अन्य रूप में) के आधार पर स्कीमों को श्रेणीबद्ध किया गया है। नीचे दी गई तालिका में लाभ के प्रकार, लाभार्थियों की संख्या और कुल अंतरित निधियाँ या कुल व्यय के साथ मंत्रालय की मुख्य डीबीटी स्कीम दर्शाई गई है।

क्र. सं.	स्कीम का नाम	लाभ के प्रकार	लाभार्थियों की कुल सं. (2023–24)	कुल व्यय (रु. करोड़ में) (2023–24)
1	एटीआई स्कीम (प्रशिक्षण घटक)	अन्य रूप में	7,290	9.89
2	खादी कारीगरों को एमएमडीए अनुदान	नकद	1,49,045	113.16
3	कयर विकास स्कीम	नकद	4,057	2.52
4	स्फूर्ति–एसआई	अन्य रूप में	0	0
5	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	नकद	89,118	3093.88
6	उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)	अन्य रूप में	3,47,041	62.84
7	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम	नकद	567	19.17
8	पीएम विश्वकर्मा स्कीम	नकद एवं अन्य रूप दोनों में	8,47,256	55.66

1.3.10 डिजिटल भुगतान

1.3.10.1 भारत सरकार नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और सुविधाजनक रूप से भारत के सभी नागरिकों को निर्बाध डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है। ''भारत सरकार द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग को डिजिटल भुगतान सेवाओं के औपचारिक तौर पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसका विजन, भारत के सभी नागरिकों को सहज, आसान, सस्ती, त्वरित और सुरक्षित रूप से निर्बाध डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करना है।

1.3.10.2 पहल में भागीदार के रूप में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने संपूर्ण एमएसएमई पारिस्थितिकी को पूरी तरह डिजिटल रूप में करने के लिए कई पहलें की हैं। सचिवों की समिति (सीओएस) की सिफारिशों और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों को 'डिजिधन मिशन' के सफल कार्यान्वयन को पूरा कराने के लिए सचिव (एमएसएमई) की अध्यक्षता में इस मंत्रालय में डिजिटल भुगतान से संबंधित एक समिति गठित की गई है।

- अपने सभी संबद्ध कार्यालयों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सभी कार्यालय डिजिटल रूप से सक्षम किए गए हैं।
- उद्योग आधार ज्ञापन के अंतर्गत पंजीकृत एमएसएमई के लिए भुगतान के विभिन्न तरीकों जैसे भीम, यूपीआई और भारत क्यूआर कोड की सरलता और लाभों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं।
- मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों (केवीआईसी, कयर बोर्ड, एनएसआईसी, एमगिरी, निम्समे और विकास आयुक्त (एमएसएमई कार्यालय) के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं इसके सभी संबद्ध कार्यालयों द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान डिजिटल लेनदेनों के मूल्य के संदर्भ में 85.42 प्रतिशत तक और डिजिटल लेनदेनों की संख्या 87.16 प्रतिशत है।

वर्ष 2023–24 के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं इसके संबद्ध कार्यालयों के लिए डिजिटल लेनदेन							
क्र. सं.	संगठन का नाम	लेन–देन की संख्या					
		कुल		डिजिटल संसाधनों से		प्रतिशत	
		लेन देन की संख्या	मूल्य रुपयों में (करोड़ में)	लेन देन की संख्या	मूल्य रुपयों में (करोड़ में)	डिजिटल लेन–देन की संख्या (प्रतिशत में)	डिजिटल लेन–देन का मूल्य (प्रतिशत में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	केवीआईसी	8061470	8,449.23	7072898	8,310.55	87.74	98.36
2	एनएसआईसी	144353	31,223	140502	30,602	97.33	98.01
3	विकास आयुक्त का कार्यालय (टूल रूम + विकास कार्यालय + मुख्यालय)	8381139	45,890.12	7380637	44,766.06	88.06	97.55
4	कयर बोर्ड	23467	299.769	23264	298.195	99.13	99.47
5	निम्समे	7832	58.33	7732	58.27	98.72	99.78
6	एमगिरी	1857	12.449	1560	11.909	84.01	95.66
	कुल	**16620118**	**98,396.449**	**14486733**	**84046.984**	**87.16**	**85.42**

1.3.11 शिकायत निगरानी

मंत्रालय केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्रामस) की सभी शिकायतों को देखता है दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार सीपीग्रामस पर लंबित शिकायतों की संख्या 148 थी।

1.3.12 एमएसएमई समाधानः एमएसई को विलंबित भुगतान का समाधान करना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 15–24 एमएसई को क्रेताओं द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के विलंबित भुगतान से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं। यदि भुगतान में 45 दिनों से अधिक का विलम्ब होता है तो एमएसई आपूर्तिकर्ता सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अधिनियम के अंतर्गत गठित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) से संपर्क कर सकते हैं।

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 30.10.2017 को एक पोर्टल (http://samadhaan.msme.gov.in/) का शुभारंभ किया। यह पोर्टल सीपीएसई, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, आदि तथा अन्य क्रेताओं के पास एमएसई के लंबित भुगतान की जानकारी देता है। केंद्रीय मंत्रालय/राज्य सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संगठनों के संबंध में विलंबित भुगतान के मामलों की निगरानी करते हैं। उक्त पोर्टल एमएसई को विलंबित भुगतान से संबंधित अपनी शिकायतों को ऑनलाइन फाइल करने में भी सहायता करता है। किसी भी मामले के ऑनलाइन फाइल होने के 15 दिनों के पश्चात यह स्वतः संबंधित एमएसईएफसी में पंजीकृत हो जाता है। पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हैदराबाद, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के पास एक से अधिक एमएसईएफसी हैं।

एमएसएमई समाधान पोर्टल के शुभारंभ की तारीख से अर्थात् दिनांक 30.10.2017 और 31.03.2024 तक एमएसई ने 1,82,331 आवेदन दर्ज किए हैं जिसमें 42,130.89 करोड़ रूपए की राशि शामिल है। 2,205.29 करोड़ रूपए की राशि के 16,968 मामलों में परस्पर समाधान किए गए हैं। एमएसईएफसी द्वारा 7,873.59 करोड़ रूपए की राशि सहित

44,950 आवेदनों पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त 37,708 आवेदनों को 12532.56 करोड़ रूपए की राशि के मामलों में परिवर्तित किया गया है और एमएसईएफसी द्वारा 10171.49 करोड़ रूपए की राशि वाले 35,398 मामलों का निपटान किया गया है।

समाधान पोर्टल (https://samadhaan.msme.gov.in/) में एक विशेष उप–पोर्टल, भारत सरकार के मंत्रालयों और सीपीएसई द्वारा एमएसएमई के बकाया और मासिक भुगतान की रिपोर्टिंग के लिए दिनांक 14 जून, 2020 को विकसित एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली का शुभारंभ किया गया। मई 2020 से दिनांक 31.03.2024 तक सरकारी मंत्रालयों, विभागों और सीपीएसयू द्वारा एमएसएमई विक्रेताओं को कुल 3,30,996.82 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

1.3.13 लोक प्रापण नीति और एमएसएमई संबंध पोर्टल

1.3.13.1 लोक प्रापण नीति

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को सुनिश्चित बाजार प्रदान करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए लोक प्रापण नीति को अधिसूचित किया है जो दिनांक 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी है और दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से अनिवार्य है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2 नवंबर, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एमएसएमई क्षेत्र के लिए "सपोर्ट एंड आउटरीच प्रोग्राम" का शुभारंभ किया गया और 12 प्रमुख पहलों की घोषणा की गई, जो पूरे देश में एमएसएमई के विकास और विस्तार में सहायता प्रदान करेगी।

उपरोक्त उल्लिखित घोषणाओं में से एक लोक प्रापण नीति में अन्य बातों के साथ–साथ में एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% खरीद के विशेष प्रावधान सहित एमएसई से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए उनकी कुल खरीद का 20% खरीद करना अनिवार्य है।

एमएसई आदेश, 2012 के लिए लोक प्रापण नीति को दिनांक 9 नवंबर, 2018 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा. आ.5670(अ) द्वारा संशोधित किया गया था। संशोधित नीति केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा एमएसई से 20% के स्थान पर 25% वार्षिक खरीद को अनिवार्य करती है, जिसमें एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% खरीद और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 3% खरीद भी शामिल है।

इस मंत्रालय ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा चिह्नित दिनांक 11 अगस्त, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.आ. 3237(अ) के माध्यम से एमएसई आदेश, 2012 के लिए लोक प्रापण नीति से संबंधित व्यवसाय के साथ–साथ नागरिकों पर अनुपालन के बोझ को कम करने का प्रयास किया है। अनुपालन की संख्या घटाकर 4 कर दी गई है जो एमएसएमई मंत्रालय की स्कीमों का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं और बोझिल नहीं हैं।

"मामले दर मामले के आधार पर, खुली निविदा के माध्यम से एमएसई के लिए आरक्षित सूची से कुछ मदों की खरीद से छूट के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और पीएसयू के अनुरोधों पर विचार" करने के लिए दिनांक 08.12.2022 की राजपत्र अधिसूचना संख्या सा.आ. 5745 (अ) के माध्यम से 'एमएसई आदेश, 2012 के लिए लोक प्रापण नीति' में एक संशोधन अधिसूचित किया गया था।

1.3.13.2 एमएसएमई संबंध पोर्टल

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 08 दिसंबर, 2017 को "एमएसएमई–संबंध पोर्टल" का शुभारंभ किया था। यह पोर्टल केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा की गई खरीद की निगरानी में मदद करता है तथा एमएमई से अपेक्षित उत्पादों और सेवाओं की सूची को साझा करने के लिए सभी को सक्षम भी करता है। इस पोर्टल में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित विशेषताएं हैं: –

- मंत्रालयों, विभागों और सीपीएसई की कुल खरीद।
- एमएसई से मंत्रालयों, विभागों और सीपीएसई द्वारा खरीद का मासिक अद्यतन।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के स्वामित्व वाली एमएसई से मंत्रालयों, विभागों और सीपीएसई द्वारा खरीद का मासिक अद्यतन।
- सीपीएसई द्वारा वस्तुओं की खरीद।

133 सीपीएसई और 01 विभाग ने वर्ष 2023–24 के लिए विवरण अपलोड किया। इन्होंने 2,13,685 करोड़ रूपए की खरीद की सूचना दी है। सभी एमएसई से खरीद का हिस्सा 75,742.05 करोड़ रूपए (2,20,758 एमएसई लाभान्वित) है, जो कुल खरीद का 35.45% प्रतिशत है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली एमएसई की खरीद का मूल्य 1,419.50 करोड़ रू. (9,917 एमएसई लाभान्वित) हैं और महिला स्वामित्व वाली एमएसई से खरीद का मूल्य 2,640.79 करोड़ रू. (18,547 एमएसई लाभान्वित) है।

1.3.14 एमएसएमई संपर्क

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने दिनांक 27.06.2018 को एक रोज़गार पोर्टल ''एमएसएमई संपर्क'' का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल एक ऐसा डिजिटल प्लेटफार्म है जिसमें रोज़गार प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति (अर्थात एमएसएमई टूलरूम और प्रौद्योगिकी केंद्रों के उत्तीर्ण प्रशिक्षु/छात्र) और नियोक्ता अपना पंजीकरण कराकर आपसी लाभ के लिए संवाद कर सकते हैं। दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, पोर्टल पर कुल 7636 रोजगार इच्छुक (उत्तीर्ण प्रशिक्षु) पंजीकृत, 145 रोजगार प्रदाता (नियोक्ता) पंजीकृत है, मार्च, 2024 में 3058 रोजगारों का प्रस्ताव किया गया है और उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं के लिए 5902 रिक्तियां पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

1.3.15 चैंपियंस पोर्टल

चैंपियंस का अर्थ है उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग।

1.3.15.1 भूमिका

माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 1 जून, 2020 को चैंपियंस पोर्टल का शुभारंभ किया, जो सहायता और पथ प्रदर्शन करने के माध्यम से लघु इकाइयों के आकार में वृद्धि करने हेतु आईसीटी आधारित प्रौद्योगिकीय प्रणाली है।

1.3.15.2 चैंपियंस डेस्क की संरचना

हब और स्पोक मॉडल में नियंत्रण कक्षों का नेटवर्क सृजित किया है। यह हब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय,

नई दिल्ली के कार्यालय में स्थित है जबकि स्पोक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों और संस्थानों में स्थित है। नई दिल्ली में केंद्रीय नियंत्रण कक्ष और 68 राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्षों का सृजन किया गया है जिन्हें वित्त, बाज़ार पहुंच, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, कौशल विकास आदि सहित क्षेत्रों में एमएसएमई को स्थानीय स्तर पर हर संभव सहायता प्रदान की गई है।

1.3.15.3 चैंपियंस प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताएं

- सूचना प्रसारः एमएसएमई क्षेत्र में हाल के विकास का नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है।
- फास्ट ट्रैक आधार पर अन्य सरकारी विभागों/मंत्रालयों से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के दृष्टिगत, मंत्रालय में दूसरे सरकारी निकायों को ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया ज़ारी है। इस प्लेटफॉर्म पर पहले से ही 21 मंत्रालयों/विभागों और 31 राज्य सरकारों को ऑनबोर्ड किया गया है।
- 58 बैंकों /एफआई /आरआरबी / एसएफसी को निजी क्षेत्र से संबंधित 19 बैंकों के साथ इस पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया गया है ताकि फास्ट ट्रैक रूप में ऋण से संबंधित मामलों का समाधान किया जा सके।
- फास्ट ट्रैक मोड पर मामलों के समाधान के लिए चैंपियंस पोर्टल हेतु 53 सीपीएसई को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- एमएसएमई से संबंधित स्कीमों को बेहतर समझने के लिए एमएसएमई इकाइयों की सहायता हेतु पोर्टल पर 750 से अधिक एफएक्यू पहले ही अपलोड किए गए हैं। स्टार्टरों/ एमएसएमई को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एमएसएमई/एमएसएमई स्कीमों से संबंधित प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को नियमित आधार पर पोर्टल पर जोड़ा जा रहा है।
- शिकायतों के फास्ट ट्रैक समाधान के लिए मंत्रालय के अधिकारियों की स्कीम—वार मैपिंग की जा रही है।
- एमएसएमई समाधान और उद्यम पंजीकरण आदि जैसे विभिन्न पोर्टलों के साथ एकीकरण।

1.3.15.4 शिकायतों की स्थिति (दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार)

- पोर्टल पर प्राप्त कुल प्रश्न/शिकायतें: 90,279
- 89,627 प्रश्नों अर्थात 99.27% का जवाब दिया गया।
- उक्त शिकायतों को विभिन्न श्रेणियों में पृथक किया गया है अर्थात आसान चिह्निनकरण और बेहतर समाधान हेतु स्टार्टर एमएसएमई स्कीमों, यूएएम, उद्यम पंजीकरण, एमएसएमई की परिभाषा एमएसएमई—डीआई और विकास आयुक्त—(एमएसएमई) कार्यालयों, आत्म—निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घोषित नई स्कीमों, लोक प्रापण नीति, परीक्षण और गुणवत्ता केंद्र, आदि।

1.3.16 आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत विशेष उपाय

कोविड—19 महामारी के पश्चात, राष्ट्र निर्माण में एमएसएमई की भूमिका को देखते हुए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत की गई घोषणाओं में एमएसएमई को बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया। इस पैकेज के अंतर्गत, एमएसएमई क्षेत्र को न केवल महत्वपूर्ण आबंटन किया गया है बल्कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपायों के कार्यान्वयन में

प्राथमिकता प्रदान की गई है। एमएसएमई क्षेत्र को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए, इस पैकेज के अंतर्गत विभिन्न घोषणाएं की गई हैं। मौजूदा ऋण संबंधी स्कीमों के अलावा, एमएसएमई के वित्त पोषण के लिए बेहतर पंहुच हेतु आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत निम्नलिखित दो घोषणाएं की गई।

आत्मनिर्भर भारत कोष (निधियों का कोष) के माध्यम से एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रूपए का इक्विटी इंफ्यूजन (निधियों का कोष)

- आत्मनिर्भर भारत कोष (एसआरआई फंड) का उद्देश्य इक्विटी निवेश के माध्यम से एमएसएमई को वित्त उपलब्ध कराने की चुनौती का समाधान करना है। पूंजी के पूल को चिह्नित करना आवश्यक है जिसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव के निर्माण के लिए और अधिक लाभ उठाया जा सकता है और इसलिए एमएसएमई को विकास पूंजी उपलब्ध कराना जिससे वे वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।

- आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत, भारत सरकार ने एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रूपए का निधियों का कोष स्थापित करने की घोषणा की है। आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष नामक कोष का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में निवेश करने वाली उद्यम पूँजी (वीसी)/निजी पूंजी (पीई) उद्यमों को एमएसएमई क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह कोष एमएसएमई क्षेत्र की इक्विटी पूंजी वित्तपोषण चुनौतियों का समाधान करेगा और उन्हें अपनी बाधाओं का समाधान करने, निगमीकरण को प्रोत्साहित करने पर बल देगा और उन्हें वैश्विक चैंपियन बनने के लिए अपनी पूर्ण अंतर्निहित क्षमता तक बढ़ने की अनुमति देगा। सरकारी क्रियाकलाप के साथ, कोष विभिन्न प्रकार के कोषों को कम सेवा वाले एमएसएमई में चैनलाइज करने और व्यवहार्य एवं उच्च विकास एमएसएमई की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगा।

- एसआरआई कोष को क्रियान्वित करने के लिए, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में निर्मित एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीबी) को दिनांक 1 सितम्बर, 2021 को श्रेणी–II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसके बाद, (i) एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार (ii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (iii) एनएसआईसी उद्यम पूंजी कोष लिमिटेड और (iv) एसबीआई उद्यम बेंचर्स लिमिटेड के बीच दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 को योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

- अनुषंगी कोष (डॉटर फंड) द्वारा एकत्रित किए जाने वाले कोष और एसआरआई कोष द्वारा प्रतिबद्ध कोष 4:1 के अनुपात में होंगे और यह आशा की जाती है कि एसआरआई कोष की पहल गुणनात्मक प्रभाव उत्पन्न करेगी जिससे एमएसएमई क्षेत्र को लगभग 50,000 करोड़ रूपए की महत्वपूर्ण नगदी प्राप्त होगी, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को सक्षम बनाया जा सकेगा।

स्थिति: दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार, कुल 53 अनुषंगी कोष (डॉटर फंड) को एनवीसीएफएल (मुख्य कोष) के साथ सूचीबद्ध किया गया है और 7,649 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से 432 भावी एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में, एमएसएमई मंत्रालय ने एसआरआई–फंड के संचालन के लिए एनवीसीएफएल को 579.45 करोड़ रुपये अनुमोदित और जारी किए हैं।

1.3.17 एमएसएमई मंत्रालय का कौशल प्रशिक्षण परितंत्र (इकोसिस्टम)

1.3.17.1 देश में उद्योग के विकास हेतु सही प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अपने प्रयास में विभिन्न उभरते हुए तथा परंपरागत क्षेत्रों में

उद्यमों के विभिन्न खंडों में कुशल कार्यबल की मांग को पूरा करने के लिए एक सशक्त कौशल परितंत्र (इकोसिस्टम) विकसित किया है।

मंत्रालय मौजूदा एवं भावी उद्यमों, साथ ही मजदूरी रोजगार को उनकी क्षमता निर्माण और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कई कौशल विकास कार्यक्रम और पाठ्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। ये पाठ्यक्रम उद्यम की मांग के अनुसार एमएसएमई परितंत्र (इकोसिस्टम) के बदलते परिदृश्य तथा भारत में वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप एमएसएमई क्षेत्र में कुशल कार्यबल के अपेक्षित अंतराल को भरने के अनुरूप हैं।

मंत्रालय के अधीन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कयर बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एनएसआईसी), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) तथा एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केन्द्र (टीसी) संस्थानों को एक नेटवर्क द्वारा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की पात्रता विद्यालय छोड़ने से लेकर एम. टेक स्तर की श्रेणी में है। इन संस्थानों द्वारा विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम अर्थात् प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग तथा कयर क्षेत्र के परंपरागत क्षेत्र में कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता अवसंरचना (एनएसक्यूएफ), कौशल विकास एवं उद्यमिता (एमएसडी) मंत्रालय के साथ उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अनुरूप बनाने की पहल की है। मंत्रालय के कौशल प्रशिक्षणों की कौशल इण्डिया मिशन कन्वर्जेन्स के अंतर्गत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) को अवगत कराया जाता है।

1.3.17.2 कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रगति

मंत्रालय के अधीन संगठन युवाओं को मजदूरी, रोजगार और स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वे मौजूदा उद्यमियों और कार्यबल को उनका कार्यनिष्पादन बढ़ाने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। यह प्रशिक्षण विभिन्न स्कीमों जैसे एमएसएमई टीसी, प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई), राष्ट्रीय एससी/एसटी हब, क्षमता–निर्माण, कयर विकास स्कीम–कौशल उन्नयन एवं महिला कयर स्कीम, इत्यादि के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय के अधीन संगठनों द्वारा उद्योग अपेक्षाओं के अनुसार ग्राहक अनुकूल मांग आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं।

वर्ष 2019—20 से लेकर 2023—24 में एमएसएमई मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रगति नीचे चार्ट में निम्नानुसार है।

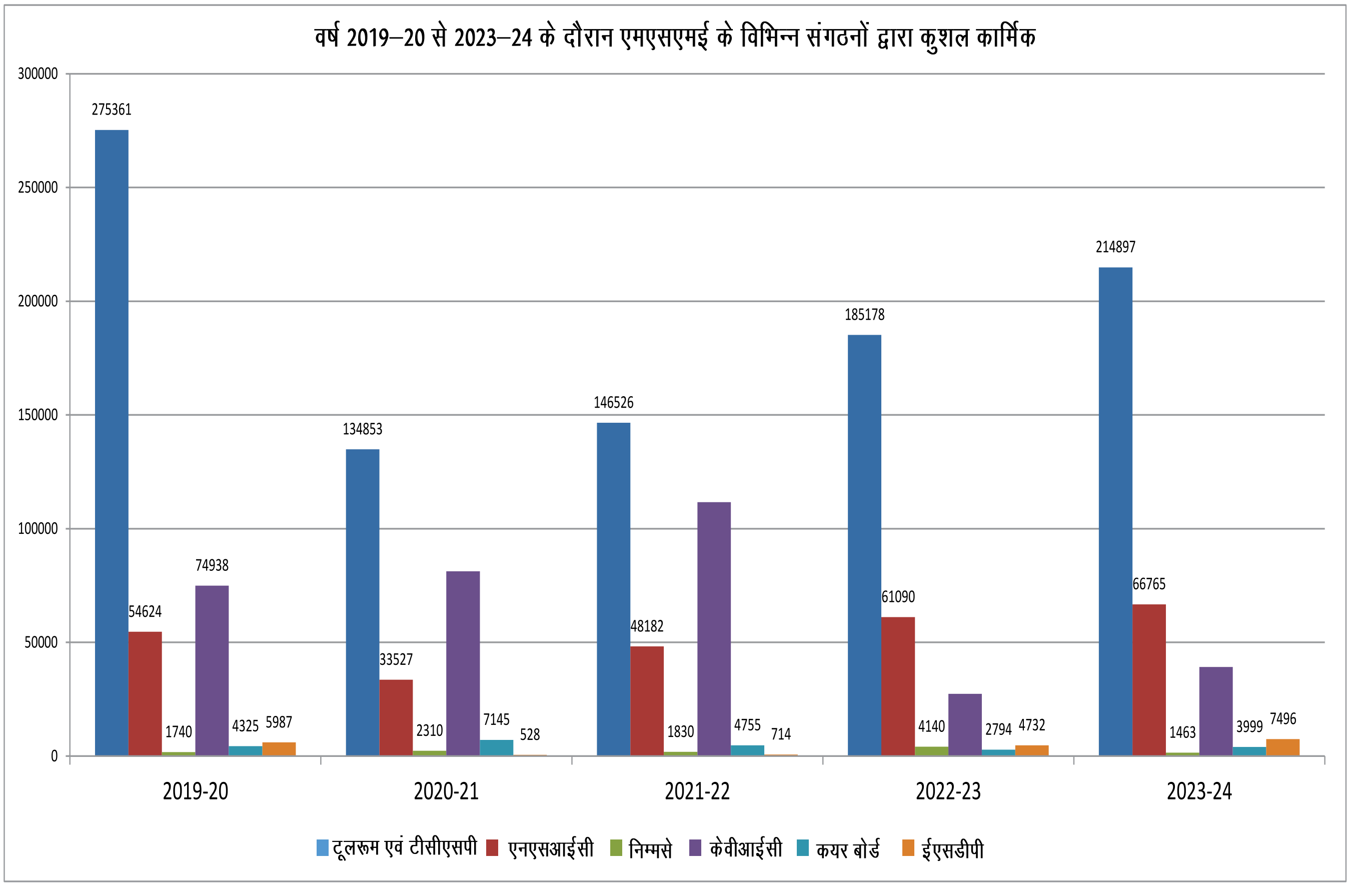

1.3.18 विशेष अभियान 3.0: स्वच्छता अभियान

13.18.1 स्वच्छता का संस्थानीकरण करने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर, 2023 को विशेष अभियान 3.0 का शुभारंभ किया गया, जिसमें पूरे देश में स्थित अपने कार्यालयों की समग्र स्वच्छता में सुधार लाने, अनावश्यक और अप्रचलित स्क्रैप सामग्री को हटाने और पीएमओ, वीआईपी संदर्भों, लोक शिकायतों, लोक शिकायत अपील, संसदीय आश्वासन आदि में लंबित मामलों को निपटाने पर विशेष जोर दिया गया था। प्रारंभिक चरण (दिनांक 15.09.2023 से दिनांक 30.09.2023 तक) के दौरान, एमएसएमई मंत्रालय ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों/संगठनों से परामर्श करने के बाद विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किए और विशेष अभियान 3.0 में पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया। मंत्रालय द्वारा विशेष अभियान 3.0 के लिए निर्धारित 11 मापदंडों में से 08 में 100% लक्ष्य प्राप्त करके मंत्रालय में विशेष अभियान 3.0 को 31 अक्टूबर, 2023 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

1.3.18.2. एमएसएमई मंत्रालय ने वीआईपी संदर्भों, पीएमओ संदर्भों, एमपी संदर्भों, राज्य सरकार संदर्भों, कैबिनेट संदर्भों, लोक शिकायत और अपील से संबंधित सभी लंबित मामलों की भी उनके उचित निपटान के लिए चिह्नित किया है। लंबित मामलों के निपटान के मामले में, सभी राज्य सरकार संदर्भ, पीएमओ संदर्भ, संसदीय आश्वासन, कैबिनेट संदर्भ, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति के लिए अभियान के अंतर्गत प्रयास किए गए तथा लक्षित सांसदों के 95% से अधिक

संदर्भों का भी निपटान किया गया। इसके अलावा, मंत्रालय और उसके संगठनों द्वारा 548 स्वच्छता अभियानों का आयोजन किया गया है।

1.3.18.3 अभियान के दौरान, कार्यालयों में कार्य वातावरण के समग्र सुधार तथा अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिए बेहतर कार्य अनुभव सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया। दिनांक 31.10.2023 की स्थिति के अनुसार, अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों अर्थात विकास आयुक्त कार्यालय, केवीआईसी, एनएसआईसी, कयर बोर्ड, निम्समे और एमगिरी द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान से, एमएसएमई मंत्रालय ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। 23911 वास्तविक फाइलों की समीक्षा की गई और 4998 फाइलों को हटा दिया गया है। फाइलों और स्क्रैप निपटान से 49,93,689/– रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। आधिकारिक उपयोग के लिए कुल 17,164 वर्ग फीट जगह खाली हुई है।

1.3.18.4. विशेष अभियान 3.0 (दिनांक 31.10.2023 की स्थिति के अनुसार) के दौरान एमएसएमई मंत्रालय और इसके संगठनों ने निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(I) पीएमओ/एमपी संदर्भ आदि

क्र.सं.	संदर्भ	लक्ष्य	प्राप्त	अंतर	निपटान का प्रतिशत
1	संसद आश्वासन	11	11	00	100%
2	आईएमसी संदर्भ	01	01	00	100%
3	राज्य सरकार संदर्भ	03	03	00	100%
4	लोक शिकायत	153	153	00	100%
5	पीएमओ संदर्भ	07	07	00	100%
6	लोक शिकायत अपील	65	63	02	96.92%
7	एमपी संदर्भ	157	147	10	93.63%

(II) रिकॉर्ड प्रबंधन

क्र.सं.	विषय	लक्ष्य	प्राप्त	अंतर	निपटान का प्रतिशत
1	स्वच्छता	11	11	00	100%
2	स्वच्छता शिविर स्थल	548	548	00	100%
3	समीक्षा हेतु वास्तविक फ़ाइलें	23,911	23,911	00	100%
4	वास्तविक फ़ाइलें हटाई जाएंगी	4,998	4,998	00	100%

(III) विविध

क्र.सं.	विषय	लक्ष्य
1	खाली जगह	17,164 वर्ग फीट
2	राजस्व	49,93,689 रु.

1.3.19 आपातकालीन ऋण गारंटी स्कीम (जीईसीएल)

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, आपातकालीन ऋण गारंटी स्कीम (जीईसीएल) स्कीम के अंतर्गत, 14,000 करोड़ रूपए के कुल बजटीय आबंटन में से, 14,000 करोड़ रूपए की राशि कार्यान्वयन एजेंसी, अर्थान राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्ट कंपनी (एनसीजीटीसी) को जारी की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त एजेंसी को दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कुल 34,500 करोड़ रू की राशि जारी की गई।

1.3.20 गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जेम के लिए इच्छा व्यक्त करने वालों को सक्षम बनाने हेतु उद्यम पंजीकरण ऑनलाईन फॉर्म में एमएसएमई के लिए बटन प्रदान करके पहले से ही प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रहा है।

दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार जेम पोर्टल पर 49.22% का ऑर्डर मूल्य एमएसई से है।

1.3.21 प्रापण और बाजार सहायता (पीएमएस) स्कीम

एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादों और सेवाओं की विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रापण और विपणन स्कीम का शुभारंभ किया गया है। यह स्कीम देश भर में आयोजित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, एमएसएमई एक्सपो, राष्ट्रीय कार्यशाला, सेमिनार आदि में आयोजन/भागीदारी जैसी बाजार पहुंच पहल प्रदान करती है। इसके अलावा, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए लोक प्रापण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बाजार संपर्क को सुविधाजनक बनाने हेतु विक्रेता विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित नई पहलें शामिल हैं:

- सूक्ष्म उद्यमों द्वारा बार कोड को अपनाना।
- सूक्ष्म उद्यमों द्वारा ई–कॉमर्स को अपनाना।
- आधुनिक पैकेजिंग तकनीकों को अपनाना।

1.4. हाल के घटनाक्रम

1.4.1 राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्सव

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिनांक 07.08.2023 को दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह की अध्यक्षता की तथा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित ई–पोर्टल 'भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष – वस्त्र एवं शिल्प का भण्डार' का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम वस्त्र मंत्रालय तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री और केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, केन्द्रीय वस्त्र राज्य मंत्री तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के केन्द्रीय राज्य मंत्री भी उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम में देश भर से 3,000 से अधिक हथकरघा और खादी बुनकर, कारीगर और वस्त्र तथा एमएसएमई क्षेत्र के हितधारकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को देश भर के 75 क्लस्टरों के 7,500 से अधिक हथकरघा बुनकरों ने दूरदर्शन पर लाइव देखा।

"संगठन से सफलता" – बुनकरों के सशक्तिकरण पर एक फिल्म ने बेरोजगारी और गरीबी को समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में हथकरघा के महत्व को रेखांकित किया। फिल्म ने वस्त्र मंत्रालय द्वारा बनाए गए कौशल, विपणन और वितरण के अधिक संगठित और जुड़े परितंत्र के परिणामस्वरूप भारतीय बुनकरों के जीवन और आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित किया। "फैशन के लिए खादी" नामक एक विशेष फिल्म ने भी रोजगार और आर्थिक दृष्टिकोण से खादी की प्रासंगिकता और महत्व को प्रदर्शित किया।

माननीय प्रधानमंत्री ने देश भर के पुरस्कृत बुनकरों, सहकारी समितियों, उत्पादक कंपनियों और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा विशिष्ट हथकरघा, हस्तशिल्प और खादी उत्पादों की विशेष तीन दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के अंतर्गत देश भर में विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया गया है। देश भर से हथकरघा बुनकर, उद्यमी और हथकरघा संगठन (प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां, शीर्ष समितियां आदि) अपने देशी हथकरघा और शिल्प को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हथकरघा हाट में एकत्रित हुए हैं। इन स्टॉलों पर हथकरघा, हस्तशिल्प, जूट की वस्तुएं और लाइव प्रदर्शन प्रदर्शित किए गए हैं। दिल्ली हाट में हथकरघा और हस्तशिल्प की एक और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए 160 बुनकर और कारीगर ग्राहकों तक सीधे पहुंच बना रहे हैं। भारत के विशाल हथकरघा क्षेत्र के बारे में युवा दर्शकों के बीच अधिक जागरूकता सृजित करने के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में दो सप्ताह की आकर्षक शैक्षिक पहल का आयोजन किया गया था। इस पहल का उद्देश्य 75 स्कूलों के 10,000 छात्रों को भारतीय हथकरघा की विस्तृत जानकारी प्रदान करना होगा।

1.4.2 पीएम विश्वकर्मा स्कीम का शुभारंभ

माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 17 सिंतबर, 2023 को पीएम विश्वकर्मा स्कीम का शुभारंभ किया ताकि अपने हाथों और औज़ारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को समग्र सहायता प्रदान की जा सके। इन परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को ''विश्वकर्मा'' कहा जाता है और ये लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि व्यवसायों में लगे हुए हैं।

- माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय वर्ष 2027–28) की अवधि के लिए 13,000 करोड़ रु. के वित्तीय परिव्यय के साथ दिनांक 16.08.2023 को एक नई केंद्रीय क्षेत्र स्कीम "पीएम विश्वकर्मा" का अनुमोदन किया है। इस स्कीम का उद्देश्य गुरू–शिष्य परंपरा या कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा अपने हाथों और औज़ारों के माध्यम से परंपरागत कौशल की परिवार आधारित प्रथाओं को सुदृढ़ और पोषित करना है। इस स्कीम का उद्देश्य गुणवत्ता के साथ–साथ कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाना है ताकि विश्वकर्माओं को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत किया जा सके।

- माननीय प्रधानमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से दिनांक 17.09.2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 'पीएम विश्वकर्मा स्कीम' का शुभारंभ किया। माननीय प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा लोगो, टैगलाइन और पोर्टल का शुभारंभ भी किया। उन्होंने इस अवसर पर एक विशेष स्टैंप शीट, एक टूल किट ई–पुस्तिका और विडियो भी ज़ारी किया। माननीय प्रधानमंत्री ने 18 क्षेत्रों में 18 लाभार्थियों को विश्वकर्मा प्रमाण–पत्र वितरित किए। यह कार्यक्रम लाभार्थियों की जागरुकता में वृद्धि के लिए समग्र सरकारी कार्यनीति के हिस्से के रूप में देश भर के लगभग 70 स्थानों में आयोजित किया गया।

- माननीय प्रधानमंत्री ने दैनिक जीवन विशेष रूप से अर्थिक अर्थव्यवस्था में विश्वकर्माओं के योगदान और महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विश्वकर्माओं को मान्यता और सहायता देना समय की आवश्यकता है।

- पीएम विश्वकर्मा स्कीम अठारह चिह्नित परंपरागत व्यवसायों से जुड़े भारतीय कारीगरों को लाभान्वित करने के लिए परिकल्पित की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत, पात्र लाभार्थियों (विश्वकर्मा) को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण–पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी और इनको बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण से कौशल उन्नयन

और टूलकिट प्रोत्साहन के रूप में 15,000 रु. प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, इनको डिजिटल लेन–देन और विपणन सहायता के लिए प्रोत्साहन के अलावा, 1 लाख रु. (पहली किश्त) तक की संपार्श्विक–मुक्त ऋण सहायता और 5% की रियायती ब्याज दर पर 2 लाख रु. (द्वितीय किश्त) तक उपलब्ध कराए जाएंगे।

- इस स्कीम में 18 व्यवसायों अर्थात (i) बढ़ई (सुथार/बढ़ई); (ii) नाव निर्माता; (iii) कवच निर्माता; (iv) लोहार; (v) हथौड़ा और टूल किट निर्माता; (vi) ताला निर्माता; (vii) सुनार; (viii) कुम्हार; (ix) मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले; (x) मोची (चर्मकार)/ जूता कारीगर/फुटवियर कारीगर; (xi) राजमिस्त्री; (xii) टोकरी/चटाई/झाडू निर्माता /कयर बुनकर; (xiii) गुड़िया और खिलौना निर्माता (परंपरागत); (xiv) नाई; (xv) माला निर्माता (मालाकार); (xvi) धोबी; (xvii) दर्जी; और (xviii) मछली पकड़ने का जाल निर्माता से जुड़े कारीगर और शिल्पकारों को शामिल किया गया है।
- स्कीम के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. **मान्यता:** पीएम विश्वकर्मा प्रमाण–पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता।
2. **कौशल उन्नयन:**

   क) 5–7 दिनों के आरंभिक प्रशिक्षण के बाद कौशल सत्यापन।

   ख) 15 दिनों अथवा अधिक दिनों का उन्नत प्रशिक्षण।

   ग) प्रशिक्षण वृत्तिका: 500 रु. प्रति दिन।

   घ) परिवहन भत्ता : 1,000 रु.
3. **टूलकिट प्रोत्साहन:** ई–वाऊचर के माध्यम से 15,000 रु.।
4. **ऋण सहायता:**

   क. संपार्श्विक मुक्त 'उद्यम विकास ऋण':

   - o 1 लाख रु. तक (18 माह के पुनर्भुगतान के लिए पहली किश्त)
   - o 2 लाख रु. तक (30 माह के पुनर्भुगतान के लिए दूसरी किश्त)

   ख. 5% की रियायती ब्याज दर

   - o भारत सरकार द्वारा 8% तक की ब्याज रियायत सीमा के अध्यधीन
   - o (ऋण दूरदर्शिता समिति मौजूदा ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए रियायत सीमा में संशोधन कर सकती है)

   ग. भारत सरकार द्वारा ऋण गारंटी शुल्क वहन किया जाएगा।
5. **डिजिटल लेन–देन के लिए प्रोत्साहन:** प्रति माह अधिकतम 100 लेन–देन के लिए 1 रु. प्रति लेन–देन।
6. **विपणन सहायता:** गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, ई–कॉमर्स, विज्ञापन, प्रचार, व्यापार मेलों में सहभागिता और अन्य विपणन गतिविधियों के लिए कोष।

दिनांक 07.06.2024 की स्थिति के अनुसार प्रगतिः

i. कुल आवेदनों की संख्या – 2,17,09,646

ii. पंजीकरण की कुल संख्या – 12,33,400

iii. जारी किए गए पीएमवी प्रमाणन/पहचान पत्र – 6,21,313

iv. पूर्ण किया गया कौशल मूल्यांकन – 3,98,583

v. पूर्ण किया गया आरंभिक प्रशिक्षण – 3,82,326

vi. ज़ारी किए गए ई–वाउचर –3,03,806

vii. संस्वीकृत ऋण आवेदन – 30,185

viii. संवितरित ऋण आवेदन – 1,196

- **3 दिवसीय प्रदर्शनी**

➢ यशोभूमि, द्वारका, नई दिल्ली में दिनांक 17 से 19 सितंबर, 2023 तक पीएम विश्वकर्मा पर एक '3–दिवसीय प्रदर्शनी' का आयोजन किया गया, जिसमें विरासत और आधुनिक प्रौद्योगिकी के संयोजन से 18 व्यवसायों (विश्वकर्माओं) से परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों की प्रगति की गाथा दर्शायी गई। गुरु–शिष्य परंपरा का अनुसरण करने वाले भारत के विभिन्न भागों के 54 कारीगरों और शिल्पकारों ने इस प्रदर्शनी में सहभागिता की है। पीएम विश्वकर्मा के विभिन्न व्यवसायों के कारीगरों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन करते हुए अपने शिल्प–कौशल का परिचय दिया। 'पीएम विश्वकर्मा स्कीम' की शुरुआत के दौरान दिनांक 17.09.2023 को प्रदर्शनी का दौरा करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री

ने प्रदर्शनी में सहभागी कारीगरों और शिल्पकारों के साथ बातचीत की और उन्होंने नागरिकों से प्रदर्शनी देखने का आह्वान भी किया।

- इस प्रदर्शनी में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीय तत्वों के साथ–साथ इंटरएक्टिव प्रौद्योगिकी के माध्यम से पीएम विश्वकर्मा के विभिन्न घटकों का वर्णन करते हुए एक केंद्रीय स्थान को भी प्रदर्शित किया गया है।
- सदियों पुरानी परंपराओं को प्रदर्शित करते हुए, प्रदर्शनी में पीएम विश्वकर्मा से संबंधित व्यवसायों के औज़ारों और शिल्पों के लिए समर्पित प्राचीन संग्रहालय का निर्माण किया गया है, जिसमें विश्वकर्माओं द्वारा सृजित परंपरागत उपकरणों को प्रदर्शित किया गया है और उनकी विकास यात्रा दर्शायी गई है।
- कर्तव्य पथ, नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड, 2024 के अवसर पर, रक्षा मंत्रालय द्वारा पीएम विश्वकर्मा के 256 लाभार्थियों को ''विशेष अतिथि'' के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये लाभार्थी पूर्वोत्तर राज्य और 04 संघ राज्य क्षेत्रों सहित 20 राज्यों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे।

1.4.3 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ), 2023 में ''एमएसएमई पेवेलियन''

माननीय एमएसएमई मंत्री ने "पीएम विश्वकर्मा" विषय के अंतर्गत दिनांक 14 से 27 नवंबर, 2023 के दौरान भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा आयोजित 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ), 2023 में ''एमएसएमई पेवेलियन'' का उद्घाटन किया। 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सहभागियों के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को 195 स्टॉल आबंटित किए गए। प्रथम बार के सहभागियों को 85% से अधिक स्टॉल आबंटित किए गए। महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, आकांक्षी जिलों के लाभार्थियों को निःशुल्क स्टॉल आबंटित किए गए। एमएसएमई उद्यमियों ने विभिन्न क्षेत्रों मे अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया जिनमें वस्त्र, हथकरघा, कढ़ाई कार्य, कस्टम टेलरिंग, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण, चमड़े के फुटवियर, खेल और खिलौने, बांस शिल्प, केन से निर्मित वस्तुएं, फर्नीचर, सिरामिक और पॉटरी, खाद्य उत्पाद, कॉस्मेटिक्स, रसायन उत्पाद, यांत्रिक वस्तुएं शामिल हैं। इस कार्यक्रम में महिला स्वामित्व वाले उद्यम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यम और आकांक्षी जिलों के उद्यमों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है: –

श्रेणी	संख्या के संदर्भ में प्रतिनिधित्व	प्रतिशत के संदर्भ में प्रतिनिधित्व
महिला स्वामित्व वाले उद्यम	132	67
एससी/एसटी श्रेणी से उद्यम	110	56
आकांक्षी जिलों से उद्यम	64	33

अध्याय **2**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का विकास और कार्य–निष्पादन

2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका

2.1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) व्यवसाय नवपरिवर्तनों के माध्यम से उद्यमशीलता के प्रयासों के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एमएसएमई घरेलू और साथ ही वैश्विक बाजारों की मांगों को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करते हुए अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं। भारत में एमएसएमई अन्य बातों के साथ–साथ क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने, राष्ट्रीय आय और सम्पत्ति के अधिक से अधिक समान वितरण का आश्वासन देकर बड़े उद्योगों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ–साथ ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

2.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एनएसएस के 73वें दौर के सर्वेक्षण (2015–16) के प्रमुख परिणाम

2.2.1 देश में एमएसएमई की अनुमानित संख्या

2.2.1.1 वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73वें दौर के अनुसार, (क) कारखाना अधिनियम, 1948 की (क) धारा 2 एम (i) और 2 एम (ii) (ख) कंपनी अधिनियम, 1956 और (ग) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) 2008 की धारा च के अंतर्गत आने वाली निर्माण गतिविधियों के अंतर्गत पंजीकृत एमएसएमई को छोड़कर देश में 633.88 लाख अनिगमित गैर–कृषि एमएसएमई हैं जो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों (विनिर्माण में 196.65 लाख, गैर–कैप्टिव विद्युत उत्पादन और ट्रांसमिशन में 0.03 लाख, व्यापार में 230.35 लाख और अन्य सेवाओं में 206.85 लाख में कार्यरत हैं।) विवरण संख्या 2.1 और चित्र 2.1 एमएसएमई के कार्यकलाप–वार वितरण को दर्शाता है।

विवरण सं. 2.1: एमएसएमई की अनुमानित संख्या (गतिविधि–वार)

कार्यकलाप की श्रेणी	उद्यमों की अनुमानित संख्या (लाख में)			हिस्सा (%) ग्रामीण
	ग्रामीण	शहरी	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
विनिर्माण	114.14	82.50	196.65	31
विद्युत*	0.03	0.01	0.03	0
व्यवसाय	108.71	121.64	230.35	36
अन्य सेवाएं	102.00	104.85	206.85	33
कुल	324.88	309.00	633.88	100

** गैर–कैप्टिव विद्युत उत्पादन और ट्रांसमिशन*

चित्र 2.1 अनुमानित एमएसएमई का वितरण (गतिविधि–वार की प्रकृति)

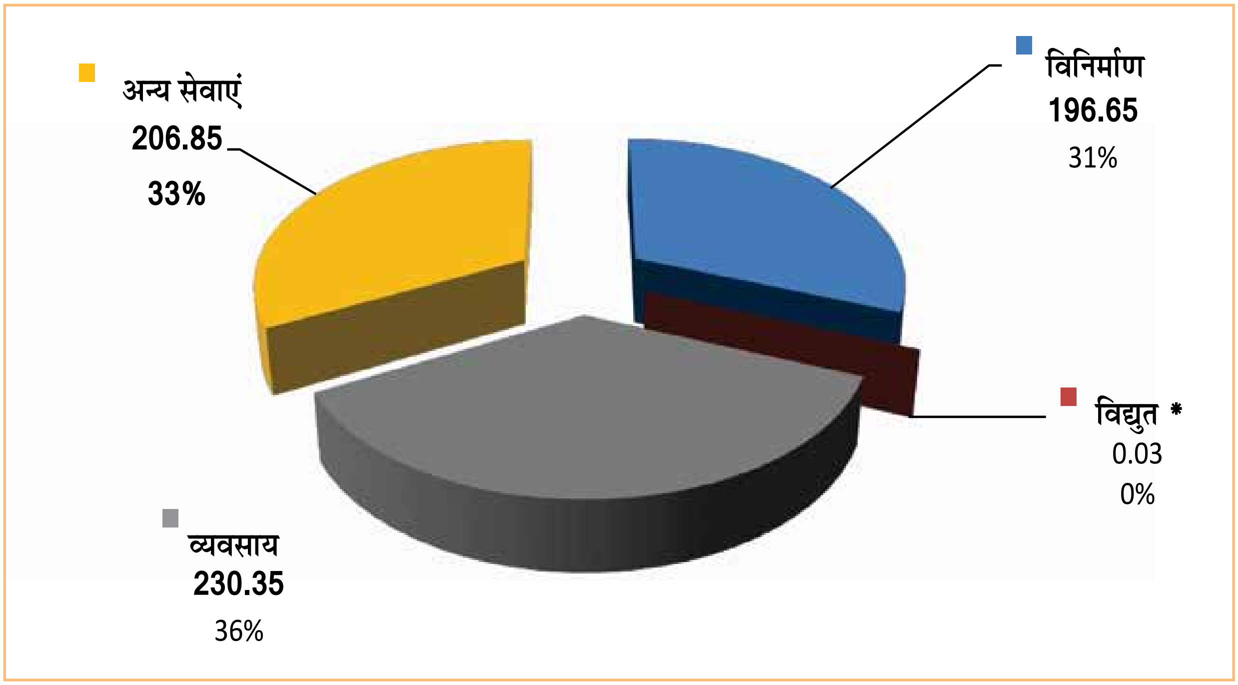

** गैर–कैप्टिव विद्युत उत्पादन और ट्रांसमिशन*

2.1.1.2 630.52 लाख अनुमानित उद्यमों के साथ सूक्ष्म क्षेत्र एमएसएमई की कुल अनुमानित संख्या का 99% से अधिक है। 3.31 लाख के साथ लघु क्षेत्र और 0.05 लाख अनुमानित एमएसएमई के साथ मध्यम क्षेत्र, कुल अनुमानित एमएसएमई का क्रमशः 0.52% और 0.01% है। 633.88 अनुमानित एमएसएमई में से, 324.88 लाख एमएसएमई (51.25%) ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 309 लाख एमएसएमई (48.75%) शहरी क्षेत्रों में हैं। विवरण संख्या 2.2 और चित्र 2.2 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमों के वितरण को दर्शाता है। एमएसएमई की राज्य–वार अनुमानित संख्या **अनुबंध –1** के रूप में भी संलग्न है।

विवरण सं. 2.2: उद्यमों का श्रेणी–वार वितरण

(अंक लाख में)

श्रेणी	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	हिस्सा (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्रामीण	324.09	0.78	0.01	324.88	51
शहरी	306.43	2.53	0.04	309.00	49
कुल	**630.52**	**3.31**	**0.05**	**633.88**	**100**

चित्र 2.2 : देश में ग्रामीण और शहरी एमएसएमई का प्रतिशत हिस्सा

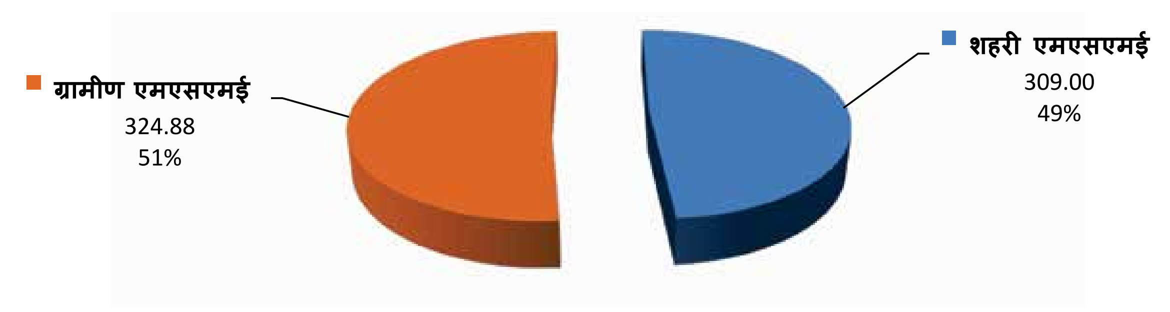

2.2.2 उद्यमों के स्वामित्व का प्रकार

2.2.2.1 पुरुष/महिला स्वामित्व

633.88 एमएसएमई में से, 608.41 लाख (95.98%) एमएसएमई मालिकाना संस्थाएं थी। मालिकाना एमएसएमई के स्वामित्व में पुरुषों का वर्चस्व था। इस प्रकार, मालिकाना एमएसएमई के लिए कुल रूप से, पुरुषों के पास महिलाओं के स्वामित्व वाले 20.37% की तुलना में 79.63% उद्यम थे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस स्वरूप में कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं था, हालांकि पुरुष स्वामित्व वाले उद्यमों का प्रभुत्व ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में (77.76% की तुलना में 81.58%) थोड़ा अधिक था।

विवरण सं. 2.3: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमों का वितरण प्रतिशत (पुरुष/महिला स्वामित्व) श्रेणी वार)

क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल
ग्रामीण	77.76	22.24	100
शहरी	81.58	18.42	100
कुल	**79.63**	**20.37**	**100**

विवरण सं. 2.4: पुरुष/महिला उद्यमी–वार स्वामित्व वाले उद्यमों का वितरण प्रतिशत

श्रेणी	पुरुष	महिला	कुल
सूक्ष्म	79.56	20.44	100
लघु	94.74	5.26	100
मध्यम	97.33	2.67	100
कुल	**79.63**	**20.37**	**100**

2.2.3 सामाजिक श्रेणी–वार उद्यमों का स्वामित्व

2.2.3.1 सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के पास एमएसएमई का लगभग 66.27% स्वामित्व था। इसका बड़ा हिस्सा अन्य पिछड़ा वर्ग (49.72%) के पास था। एमएसएमई क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मालिकों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 12.45% और 4.10% था। ग्रामीण क्षेत्रों में, लगभग 73.67% एमएसएमई सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के स्वामित्व में थे, जिनमें से 51.59% अन्य पिछडा वर्ग से संबंधित थे। शहरी क्षेत्रों में, लगभग 58.68% सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों से संबंधित थे, जिनमें से 47.80% अन्य पिछडा वर्ग से संबंधित थे।

विवरण सं. 2.5: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वामित्व के सामाजिक समूह द्वारा उद्यमों के वितरण का प्रतिशत

क्षेत्र	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	ज्ञात नहीं	कुल
ग्रामीण	15.37	6.70	51.59	25.62	0.72	100.00
शहरी	9.45	1.43	47.80	40.46	0.86	100.00
कुल	12.45	4.10	49.72	32.95	0.79	100.00

चित्र 2.3: ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में उद्यमों के वितरण का प्रतिशत (सामाजिक श्रेणी–वार)

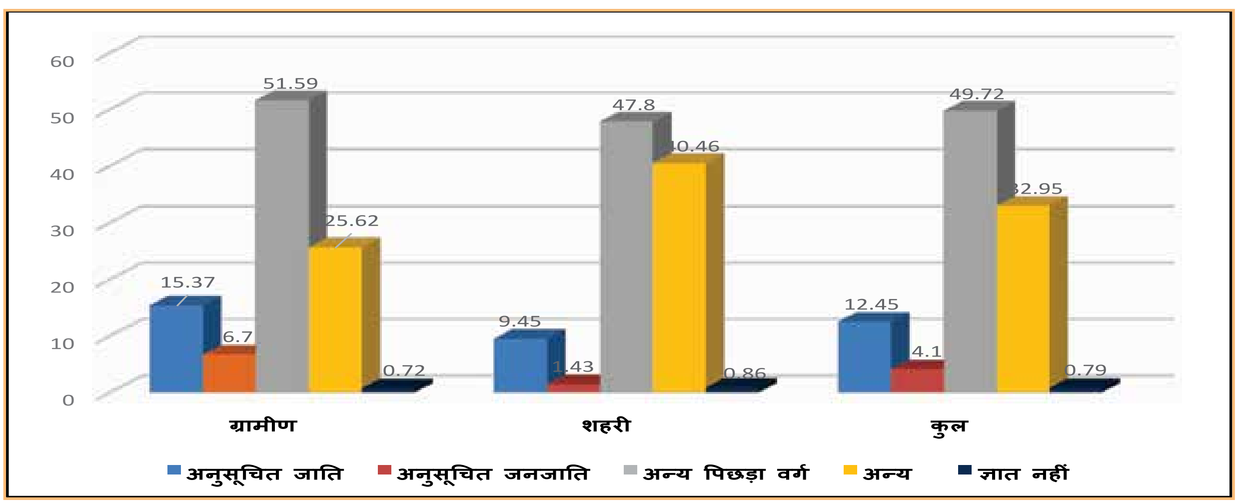

2.2.3.2 एमएसएमई क्षेत्र के तीन खंडों में से प्रत्येक में सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के स्वामित्व वाले उद्यमों के विश्लेषण से पता चलता है कि सूक्ष्म क्षेत्र में 66.42% उद्यम सामाजिक रूप से पिछड़े समूह के स्वामित्व में थे, जबकि लघु और मध्यम क्षेत्रों में क्रमशः 36.80% और 24.94% उद्यम सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग समूहों के थे।

विवरण सं. 2.6 सामाजिक श्रेणी–वार उद्यमों का वितरण प्रतिशत

क्षेत्र	एससी	एसटी	ओबीसी	अन्य	ज्ञात नहीं	
सूक्ष्म	12.48	4.11	49.83	32.79	0.79	100
लघु	5.50	1.65	29.64	62.82	0.39	100
मध्यम	0.00	1.09	23.85	70.80	4.27	100
कुल	**12.45**	**4.10**	**49.72**	**32.95**	**0.79**	**100**

चित्र 2.4 स्वामित्व और श्रेणी के सामाजिक समूह द्वारा उद्यमों के प्रकार का वितरण प्रतिशत

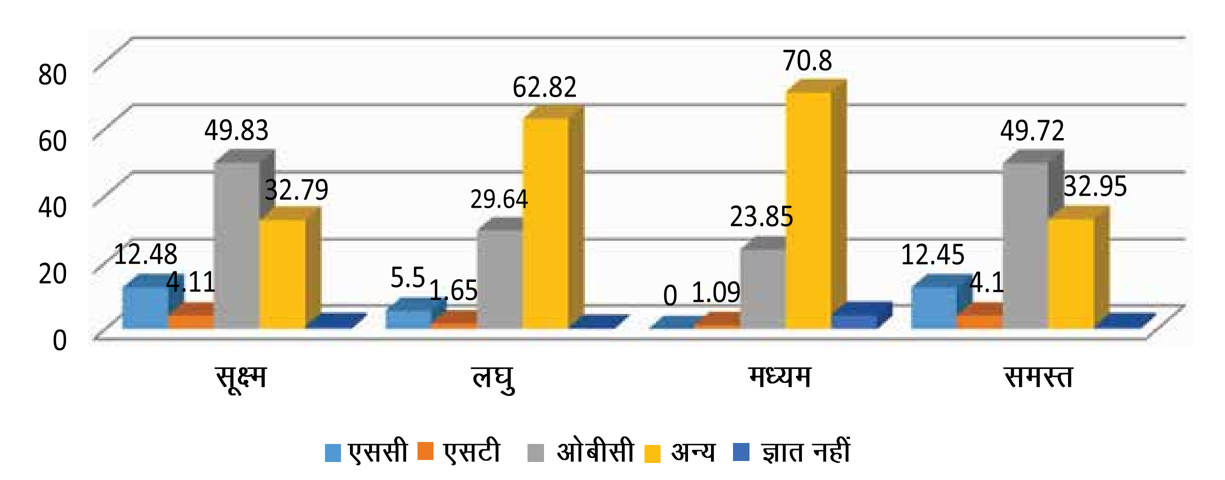

2.2.4 रोज़गार

2.2.4.1 वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान संचालित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73वें दौर के अनुसार, एमएसएमई क्षेत्र देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 11.10 करोड़ नौकरियों (विनिर्माण में 360.41 लाख, गैर–कैप्टिव बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन में 0.07 लाख, व्यापार में 387.18 लाख और अन्य सेवाओं में 362.82 लाख) का सृजन किया गया है। तालिका संख्या 2.7 और चित्र 2.5 एमएसएमई के गतिविधि–वार वितरण को दर्शाता है।

विवरण सं. 2.7: एमएसएमई क्षेत्र में अनुमानित रोज़गार (गतविधि–वार)

विस्तृत कार्यकलाप श्रेणी	रोज़गार (लाख में)			हिस्सा (%)
	ग्रामीण	शहरी	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
विनिर्माण	186.56	173.86	360.41	32
विद्युत*	0.06	0.02	0.07	0
व्यवसाय	160.64	226.54	387.18	35
अन्य सेवाएं	150.53	211.69	362.22	33
कुल	497.78	612.10	1109.89	100

** गैर–कैप्टिव विद्युत उत्पादन और ट्रांसमिशन*

चित्र 2.5: एमएसएमई क्षेत्र में श्रेणी–वार रोज़गार वितरण

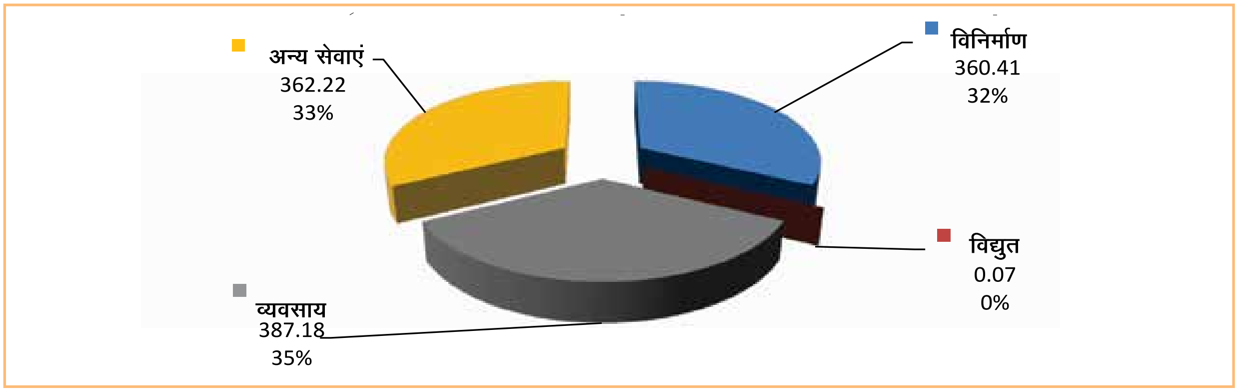

गैर–कैप्टिव विद्युत उत्पादन और ट्रांसमिशन

2.2.4.2 630.52 लाख अनुमानित उद्यमों के साथ सूक्ष्म क्षेत्र ने 1076.19 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया है, जो इस क्षेत्र में कुल रोजगार का लगभग 97% है। 3.31 लाख अनुमानित एमएसएमई के साथ लघु क्षेत्र और 0.05 लाख के साथ मध्यम क्षेत्र ने एमएसएमई क्षेत्र में कुल रोजगार के क्रमशः 31.95 लाख (2.88%) और 1.75 लाख (0.16%) व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है। तालिका संख्या 2.8 और चित्र 2.6 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्षेत्रवार रोजगार के वितरण को दर्शाता है। रोजगार का राज्य–वार वितरण **अनुबंध–II** में दिया गया है।

विवरण सं. 2.8: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमों के प्रकार द्वारा रोज़गार वितरण

(संख्या लाख में)

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	हिस्सा (%)
ग्रामीण	489.30	7.88	0.60	**497.78**	**45**
शहरी	586.88	24.06	1.16	**612.10**	**55**
कुल	**1076.19**	**31.95**	**1.75**	**1109.89**	**100**

चित्र 2.6: देश में ग्रामीण और शहरी एमएसएमई का प्रतिशत हिस्सा (लाख में)

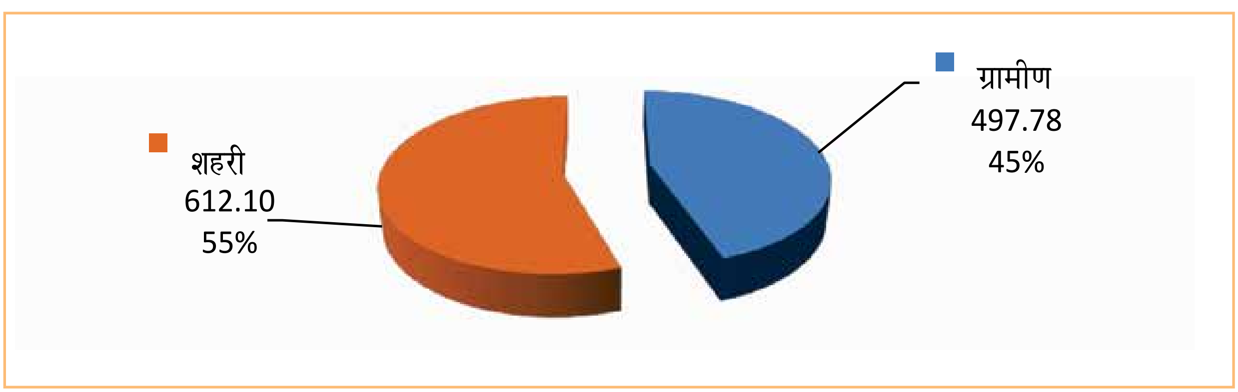

2.2.4.3 एमएसएमई क्षेत्र में 1109.89 लाख कर्मचारियों में से, 844.68 लाख (76%) पुरुष कर्मचारी हैं और शेष 264.92 लाख (24%) महिलाएं हैं। तालिका संख्या 2.9 और चित्र 2.7 पुरुष और महिला श्रेणी में कामगारों के क्षेत्रीय वितरण को दर्शाता है।

विवरण सं. 2.9: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लिंग के आधार पर कामगारों का वितरण

(अंक लाख में)

क्षेत्र	महिला	पुरुष	कुल	हिस्सा (%)
ग्रामीण	137.50	360.15	497.78	45
शहरी	127.42	484.54	612.10	55
कुल	264.92	844.68	1109.89	100
हिस्सा (%)	24	76	100	

चित्र 2.7: पुरुष और महिला श्रेणी में कामगारों का वितरण

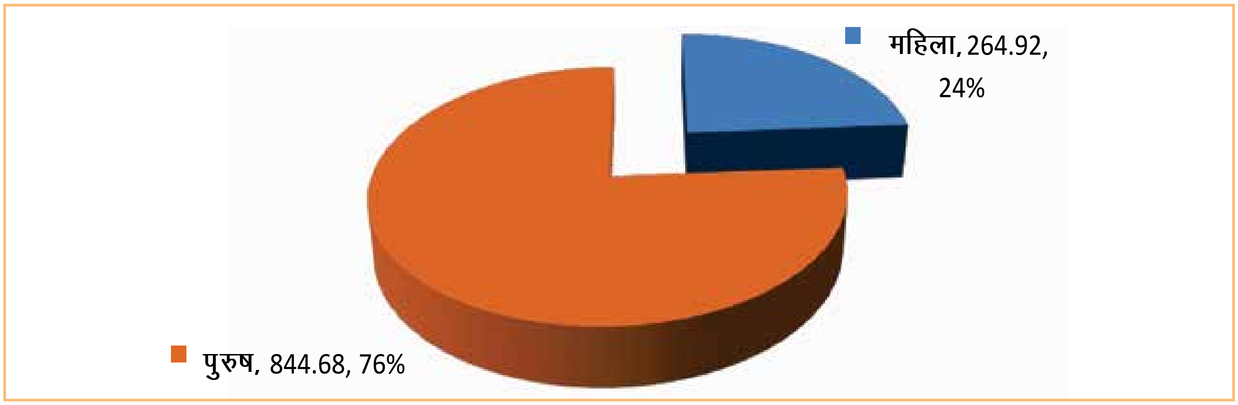

2.2.5 अनुमानित एमएसएमई का राज्य–वार वितरण

2.2.5.1 उत्तर प्रदेश राज्य में देश के 14.20% एमएसएमई की हिस्सेदारी के साथ अनुमानित एमएसएमई की सबसे बड़ी संख्या थी। देश में एमएसएमई की कुल अनुमानित संख्या में शीर्ष 10 राज्यों की हिस्सेदारी 74.05% है। विवरण संख्या 2.10 और चित्र 2.8 शीर्ष दस राज्यों में अनुमानित उद्यमों के वितरण को दर्शाता है।

विवरण सं. 2.10: उद्यमों का राज्य–वार वितरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एमएसएमई की अनुमानित संख्या	
		संख्या (लाख में)	हिस्सा (%) में
1	उत्तर प्रदेश	89.99	14
2	पश्चिम बंगाल	88.67	14
3	तमिलनाडु	49.48	8
4	महाराष्ट्र	47.78	8
5	कर्नाटक	38.34	6
6	बिहार	34.46	5
7	आंध्र प्रदेश	33.87	5
8	गुजरात	33.16	5
9	राजस्थान	26.87	4
10	मध्य प्रदेश	26.74	4
11	उपर्युक्त दस राज्यों का योग	469.36	74
12	अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	164.52	26
13	**कुल**	633.88	100

चित्र 2.8: शीर्ष दस राज्यों में एमएसएमई का वितरण

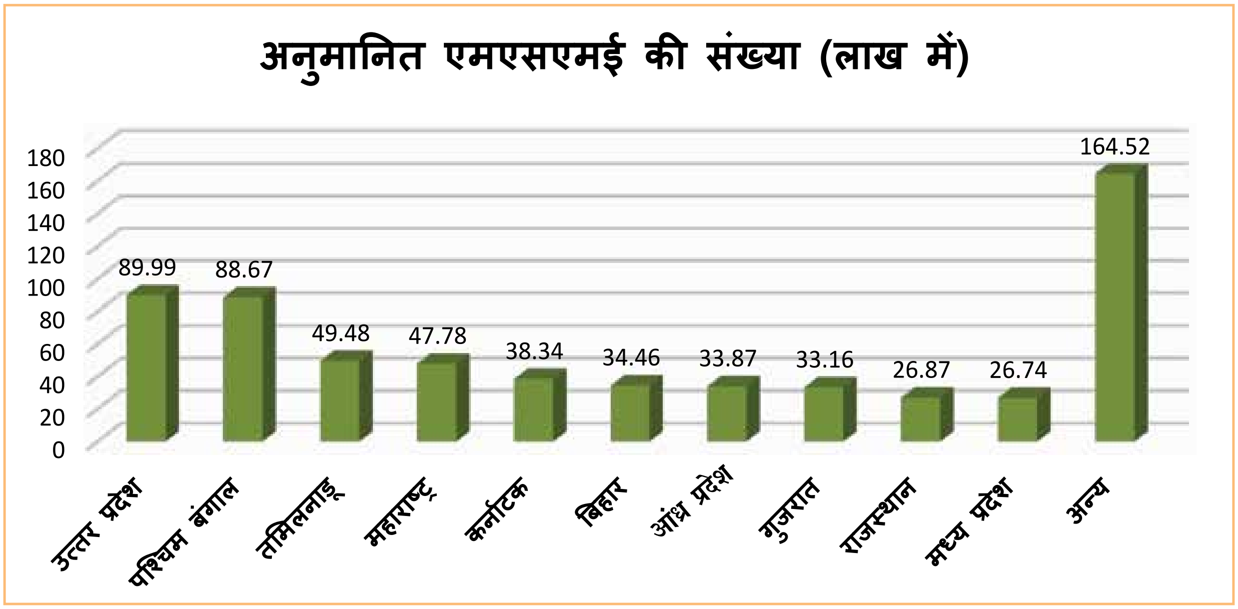

2.3 नए एमएसएमई का पंजीकरण

2.3.1 एक अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के सफल विकास का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक नए एमएसएमई को शुरू किए जाने वाले आंकड़े हैं; यह एक अर्थव्यवस्था में ऐसी इकाइयों को शुरू करने और विकास के लिए अनुकूल वातावरण को दर्शाता है और साथ ही देश के समष्टि अर्थशास्त्र में उद्यमियों के आत्मविश्वास को दर्शाता है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 से पूर्व, लघु उद्योग इकाइयों द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों में पंजीकरण की व्यवस्था थी। इसके बाद, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, एमएसएमई, उद्यम शुरू करने से पहले जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) में उद्यमी ज्ञापन (भाग– I) दर्ज करते थे। उत्पादन शुरू होने के बाद, संबंधित उद्यमी, उद्यमी ज्ञापन (भाग–II)/[ईएम–II] दर्ज करते थे।

2.3.2 मंत्रालय ने दिनांक 26.06.2020 को अधिसूचित की गई अधिसूचना के माध्यम से, एमएसएमई के वर्गीकरण के समग्र मानदंड के आधार पर एक पोर्टल पर 'उद्यम' पंजीकरण द्वारा, उद्योग आधार ज्ञापन जमा कराने की पूर्ववर्ती प्रक्रिया को प्रतिस्थापित कर दिया है। अब मौजूदा और भावी उद्यम पोर्टल: https://udyamregistration.gov.in पर ऑनलाइन 'उद्यम' पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 11.01.2023 को सिडबी के सहयोग से अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) के लिए औपचारीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की है। इस पहल के अंतर्गत, आईएमई पैन कार्ड धारित नहीं करने वाले उद्यमों को औपचारिक बनाने के लिए उद्यम सहायता मंच (यूएपी) पर ऑन–बोर्ड किया जा रहा है।

2.3.3 उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकृत आईएमई सहित उद्यम पंजीकरण के विश्लेषण में विनिर्माण, सेवाएं और व्यवसाय करने वाले एमएसएमई की श्रेणी–वार वास्तविक संख्या की जानकारी होती है। यह उल्लेखनीय है कि व्यापार और सेवा क्षेत्र का उद्यम पंजीकरण अनुपात विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत एमएसएमई की तुलना में अधिक है। चित्र 2.10 में श्रेणी–वार विवरण उपलब्ध है।

चित्र 2.10: यूएपी पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित उद्यम पंजीकरण का अंश: दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार विनिर्माण, सेवाएं और व्यापार

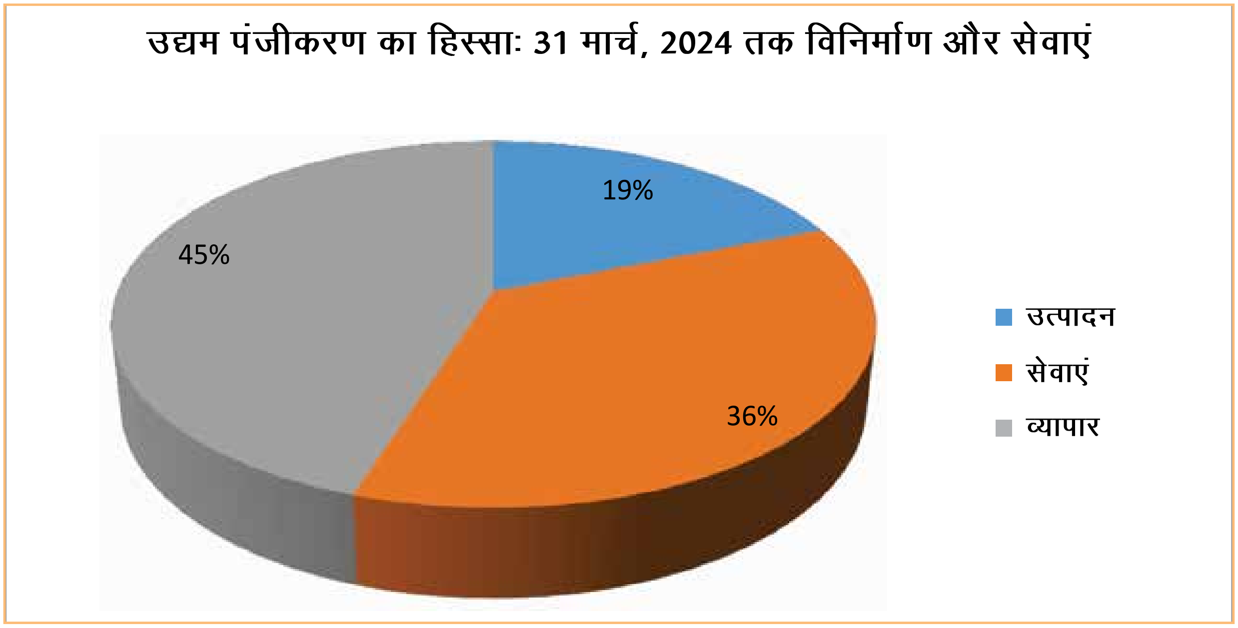

2.3.4 चित्र 2.11 में दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, यूएपी पर आईएमई सहित उद्यम पंजीकरण का वितरण प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि उद्यमों में अधिकांश सूक्ष्म उद्यम हैं और कुल उद्यम पंजीकरण में लघु और मध्यम उद्यमों का स्थान इसके बाद है।

चित्र 2.11: दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार उद्यम पंजीकरण (उद्यम सहायता पोर्टल पर अनौचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित) के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वितरण

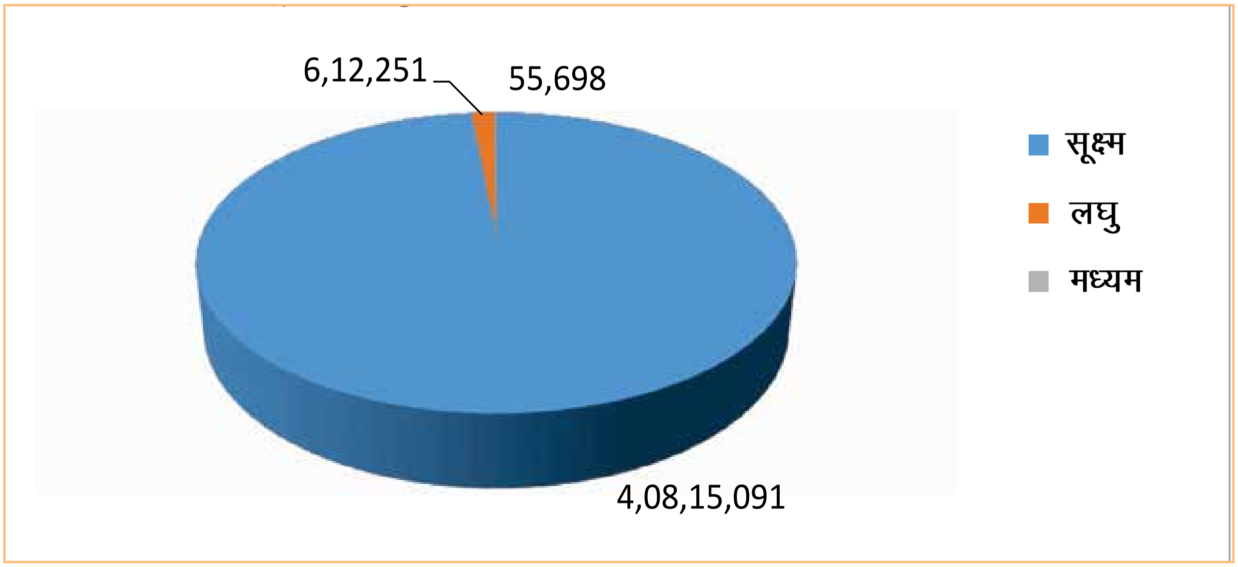

2.3.5 उद्यम पंजीकरण द्वारा उद्यम के स्वामित्व की सामाजिक श्रेणी के संबंध में सूचानाओं का संग्रहण भी किया जाता है। चित्र 2.12 में दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार उद्यम पंजीकरण के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग का वितरण प्रदर्शित किया गया है।

चित्र 2.12: दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार उद्यम पंजीकरण (उद्यम सहायता पोर्टल पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित) के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग का वितरण

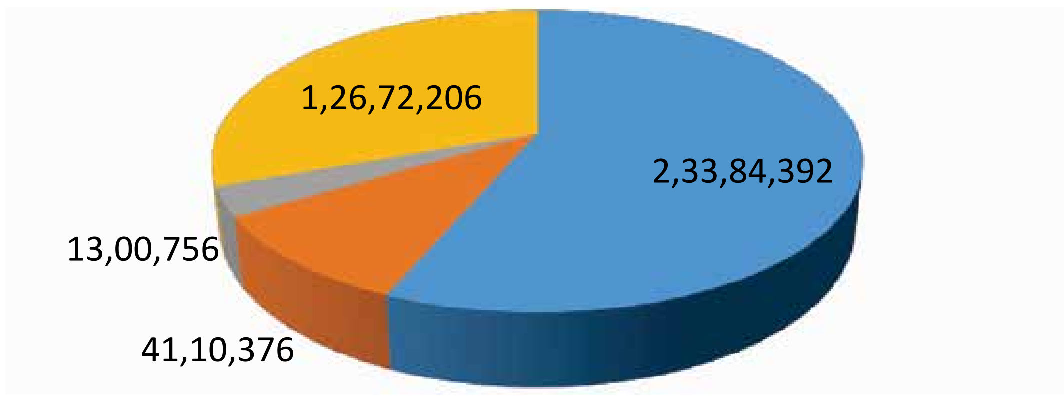

2.3.6 एमएसएमई पंजीकरण का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि अधिकाश पंजीकरण कुछ ही राज्यों तक संघनित हैं। चित्र 2.13 में दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार सभी प्रमुख राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उद्यम पंजीकरण वितरण प्रदर्शित किया गया है।

चित्र 2.13: दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित उद्यम पंजीकरण का राज्य–वार वितरण

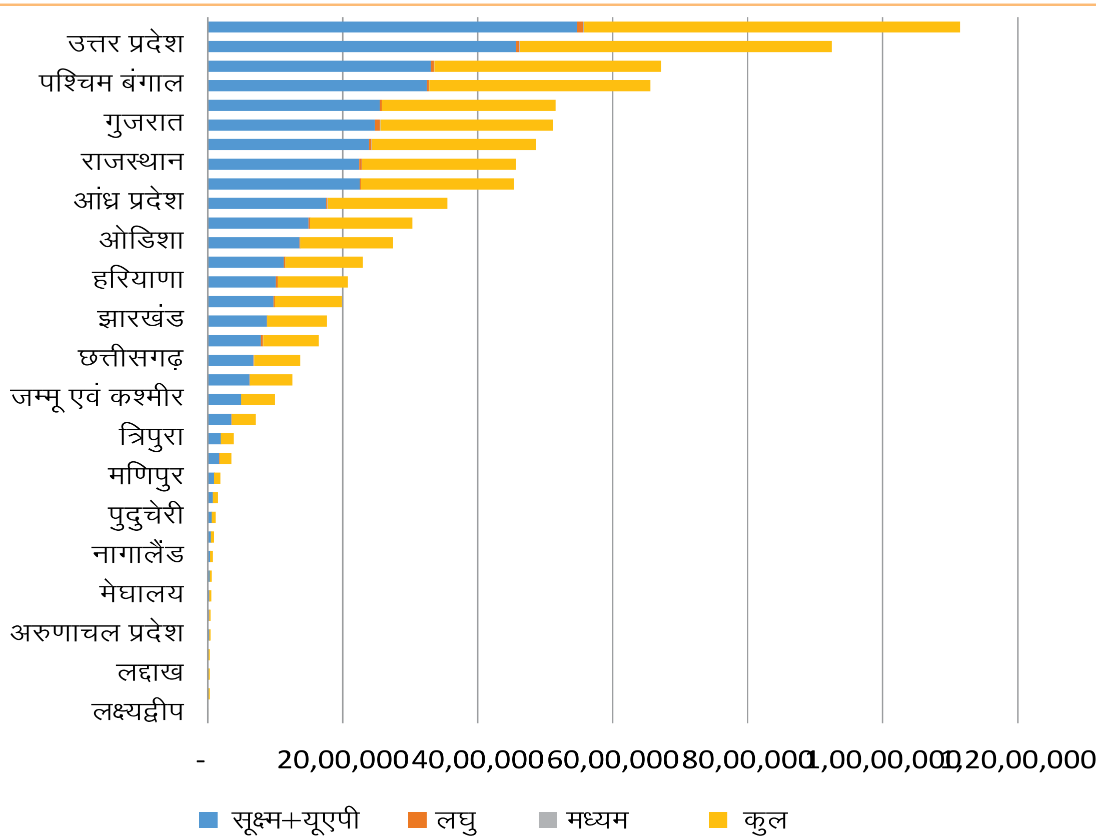

2.3.7 उद्यम सहायता पोर्टल के माध्यम से अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित उद्यम पंजीकरण द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रोज़गार आंकड़ों का भी संग्रहण किया जाता है। चित्र 2.14 में दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा रोज़गार वितरण प्रदर्शित है।

चित्र 2.14: दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा प्रदत्त रोज़गार का वितरण

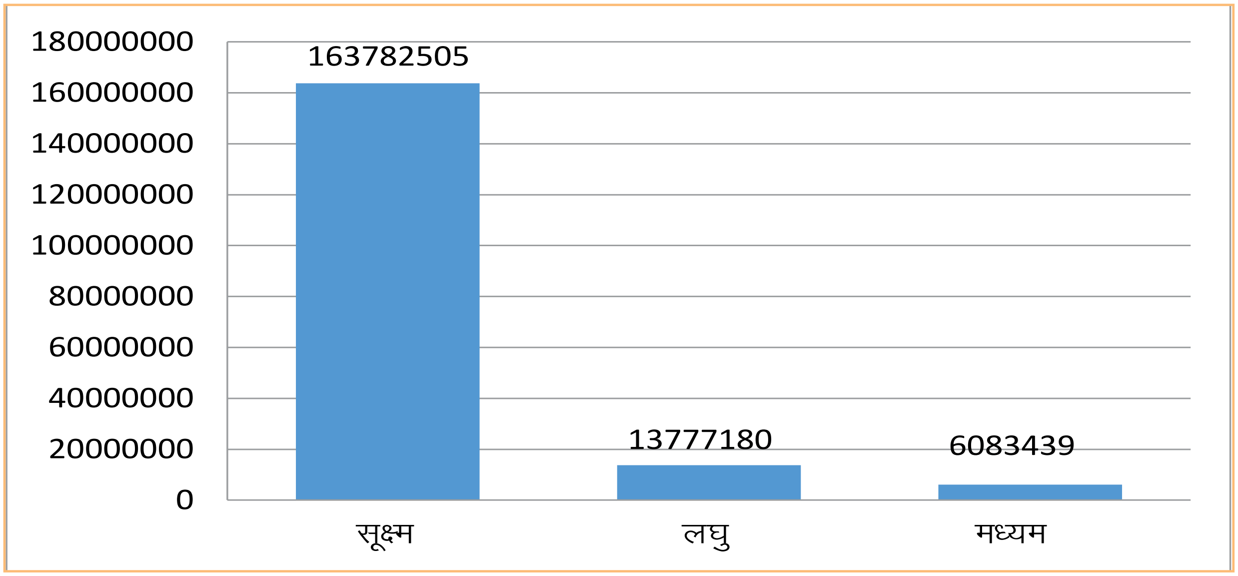

2.3.8 उद्यम सहायता पोर्टल (यूएपी) पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित उद्यम पंजीकरण द्वारा उद्यमों का लिंग–वार वितरण भी उपलब्ध कराया जाता है; चित्र 2.15 में दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार उद्यम पंजीकरण का लिंग–वार वितरण दर्शाया गया है।

चित्र 2.15: दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार उद्यम पंजीकरण (उद्यम सहायता पोर्टल पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित) का लिंग–वार वितरण

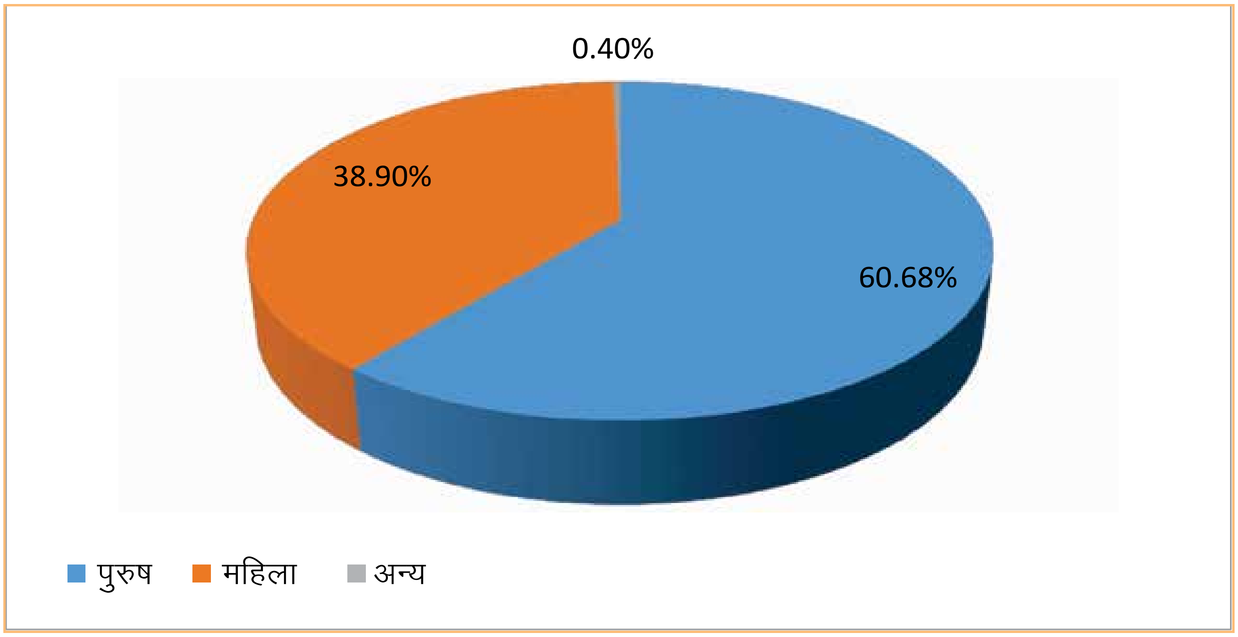

2.3.9 उद्यम पंजीकरण द्वारा एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार निवेश की सीमा पर जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है।

चित्र 2.16: दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार एमएसएमई की निवेश सीमा

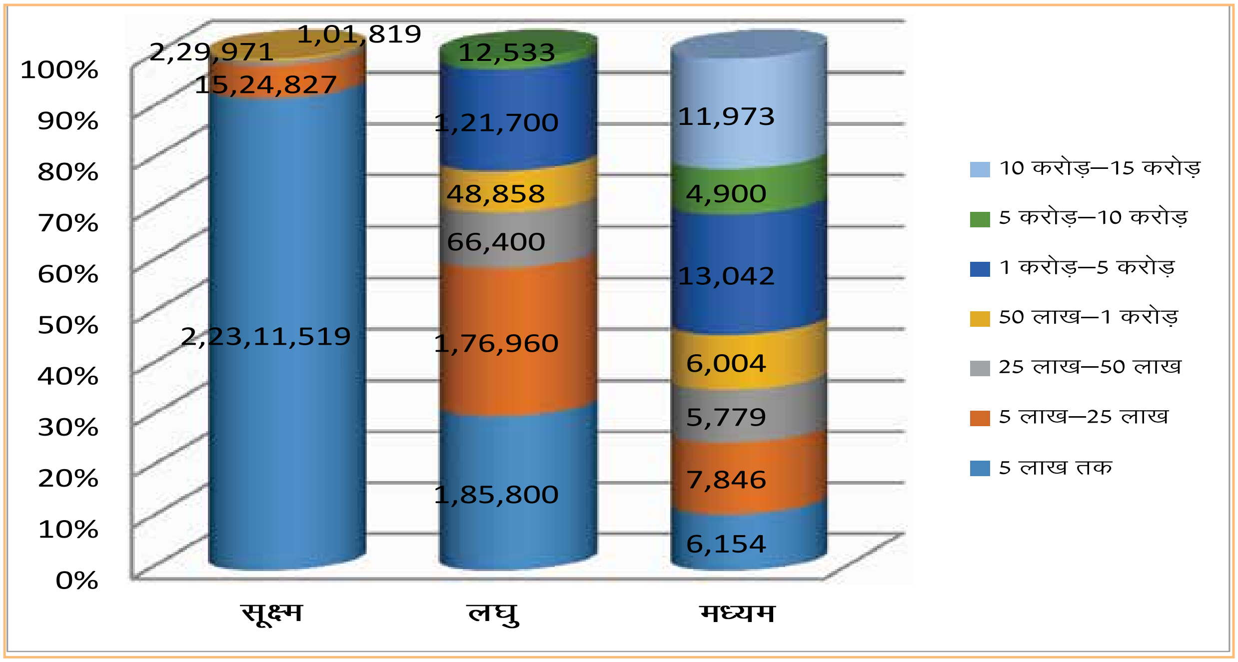

2.3.10 एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार उद्यम पंजीकरण कारोबार क्षेत्र की जानकारी भी प्रदान की जाती है।

चित्र 2.17: दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार उद्यम के अनुसार एमएसएमई की करोबार सीमा

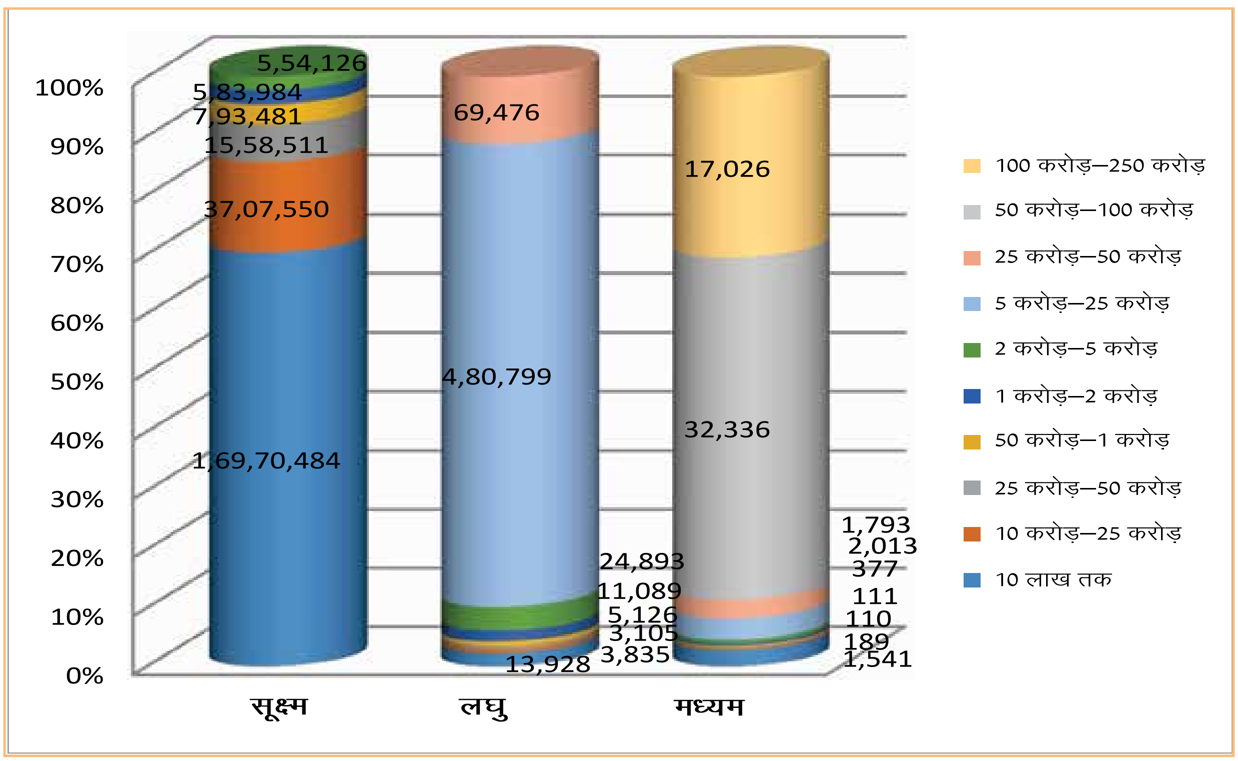

अध्याय **3**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत संबद्ध कार्यालय, सांविधिक निकाय तथा अन्य संगठन

3.1 विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय

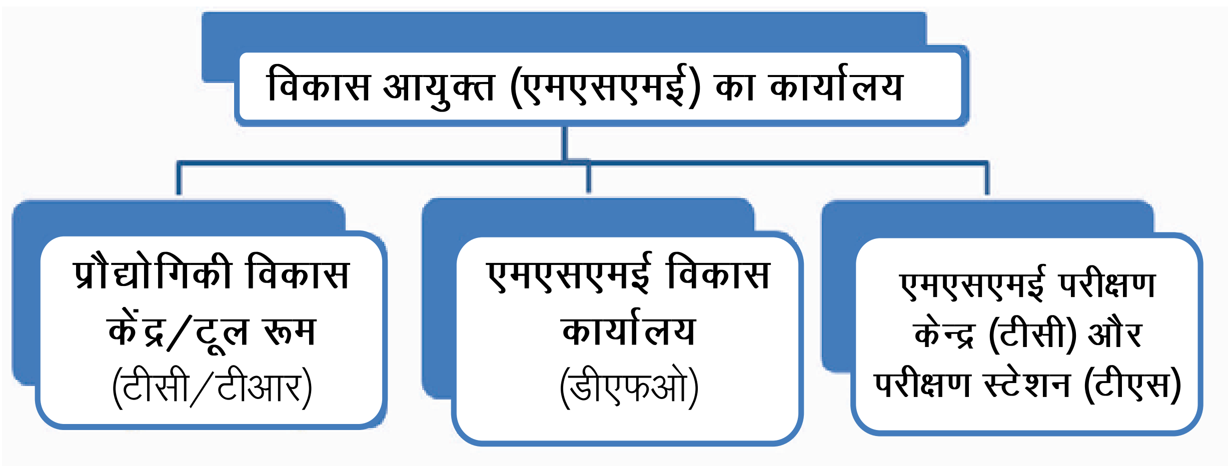

विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय एमएसएमई मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है जिसकी अध्यक्षता अपर सचिव और विकास आयुक्त (एमएसएमई) करते हैं तथा यह देश में एमएसएमई क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में सलाह देने, समन्वय करने तथा उन नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने वाला शीर्षस्थ निकाय है।

विकास आयुक्त (एमएसएमई) का क्षेत्रीय संगठनों और संस्थानों वाला एक व्यापक नेटवर्क है जिसमें 33 एमएसएमई–विकास कार्यालय, 28 शाखा एमएसएमई–विकास कार्यालय, 7 एमएसएमई–परीक्षण केन्द्र (एमएसएमई–टीसी), 7 एमएसएमई–परीक्षण स्टेशन (एमएसएमई–टीएस), सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत सोसाइटीज के रूप में पंजीकृत 30 स्वायत्तशासी निकाय, जो सामान्य अभियांत्रिकी, ऑटो पाट्र्स, लेदर और फुटवियर, फोर्जिंग एंड फाउंड्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मापन उपकरण आदि जैसे क्षेत्रों में एमएसएमई और उद्योगों को प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करते हैं तथा साथ ही उद्योगों में रोज़गार आंकांक्षी मानव संसाधन हेतु युवाओं को प्रशिक्षण भी प्रदान करते है, शामिल है।

3.1.1 कार्य

विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रमुख सेवाएं निम्नानुसार हैं:

- सरकार को एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए नीति निरूपण में सलाह देना।

- एमएसएमई को तकनीकी–आर्थिक और प्रबंधकीय परामर्श, सामान्य सुविधाएं और विस्तार सेवाएं प्रदान करना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार और अवसंरचना के लिए सुविधाएं प्रदान करना।
- प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से मानव संसाधन का विकास करना।
- एमएसएमई परितंत्र विकास के लिए एक माध्यम के रूप में क्लस्टर विकास को सुविधाजनक बनाना।
- आर्थिक सूचना सेवाएं प्रदान करना।
- केन्द्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और एमएसएमई के विकास से संबंधित अन्य संगठनों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना।
- सीपीएसयू सहित बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में एमएसएमई के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का विकास करना एवं उनका समन्वय करना।
- निर्यात में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
- ऋण तक पहुंच और वित्त के अन्य माध्यमों को बढ़ाना।

3.1.2 टूल रूम और तकनीकी संस्थान (टीआर और टीआई) (प्रौद्योगिकी केन्द्र के रूप में भी विदित)

3.2.2.1 एमएसएमई मंत्रालय द्वारा स्थापित टूल रूम और तकनीकी संस्थान प्रति वर्ष बेरोजगार युवाओं और औद्योगिक कार्यबल को व्यावहारिक कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2022–23 में देशभर में स्थापित 18 टूल रूम और तकनीकी संस्थानों ने 1,76,378 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है, 33501 इकाइयों को सहायता प्रदान की गई है और 254.15 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। इन टीआर (टूल रूमों) और टीआई (तकनीकी संस्थानों) की स्थापना मंत्रालय के स्वायत्तशासी निकायों के रूप में की गई है और ये अपने प्रचालन व्यय को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर आधार पर कार्य करते हैं।

1. केन्द्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र (सीटीटीसी), कोलकाता
2. केन्द्रीय टूल रूम (सीटीआर), लुधियाना
3. इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), इंदौर
4. इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), अहमदाबाद
5. इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), औरंगाबाद
6. इंडो डेनिश टूल रूम (आईडीटीआर), जमशेदपुर (यह सभी हाइलाइट्स अद्यतित किए गए)
7. केन्द्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र (सीटीटीसी), भुवनेश्वर
8. टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र (टीआरटीसी), गुवाहाटी
9. केन्द्रीय हैंड टूल्स संस्थान (सीआईएचटी), जालंधर
10. केन्द्रीय टूल डिजाइन संस्थान (सीआईटीडी), हैदराबाद
11. इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा और प्रशिक्षण संस्थान (ईएसटीसी), रामनगर
12. विद्युत मापन उपकरण अभिकल्प संस्थान (आईडीईएमआई), मुंबई
13. सुगंध और सुरस विकास केन्द्र (एफएफडीसी), कन्नौज

14. कांच उद्योग विकास केन्द्र (सीडीजीआई), फिरोजाबाद

15. प्रक्रिया और उत्पाद विकास केन्द्र (पीपीडीसी), आगरा

16. प्रक्रिया सह उत्पाद विकास केन्द्र (पीपीडीसी), मेरठ

17. केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), आगरा

18. केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), चेन्नै

3.1.2.2 इन 18 टूल रूम और तकनीकी संस्थानों (टीआर और टीआई) में से, 10 टीआर और टीआई उपकरणों सटीकता घटकों, मोल्ड्स, डाइज आदि के डिजाइन और विनिर्माण के जरिए उद्योगों को प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करते हैं। ये टीआर और टीआई उपकरण अभियांत्रिकी और विनिर्माण के क्षेत्रों आदि में कौशलयुक्त श्रमशक्ति प्रदान करके उद्योगों को अपना योगदान भी प्रदान करते हैं। ये टीआर और टीआई अपने संबंधित क्षेत्रों में अत्यधिक दक्ष होते हैं।

3.1.2.3 फोर्जिंग और फाउंड्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मापन उपकरण, सुगन्ध और सुरस, कांच, फुटवेयर और खेलकूद का सामान जैसे विशिष्ट उत्पाद समूहों में प्रशिक्षण के अलावा प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और उत्पादों को विकसित और उन्नत करने के लिए तकनीकी सेवाएं प्रदान करके संबंधित क्षेत्रों में एमएसएमई को उत्पाद विशिष्ट सहायता प्रदान करने के लिए आठ टीआर और टीआई विद्यमान हैं। कुछ टीसी ने जटिल उपकरणों, भागों और घटकों के लिए एमएसएमई को डिजाइन, विकास और विनिर्माण सहायता प्रदान करने के अलावा रक्षा, एयरोस्पेस आदि जैसे सामरिक क्षेत्रों को भी उनके उत्पाद विकास के लिए सहायता प्रदान की है।

3.1.2.4 मंत्रालय ने इन केंद्रों को उनके संबंधित क्षेत्रों में प्रासंगिक और अद्यतन प्रगति से अवगत कराते हुए अपनी सहायता प्रदान की है और समय–समय पर कैड/कैम, सीएनसी मशीनिंग, वैक्यूम हिट ट्रीटमेंट, थ्रीडी प्रिंटिंग रोबॉटिक्स आदि जैसी नई प्रौद्योगिकी को इसके साथ जोड़ा है। ये टीसी टूलिंग तथा संबंधित क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त उपकरण, प्रशिक्षित कार्मिकों और परामर्श प्रदान करके उद्योगों के संबंधित क्षेत्रों के एकीकृत विकास पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कई उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं ने अपने स्वयं के उद्यम भी स्थापित किए हैं जिसके द्वारा देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में उन्होंने अपना योगदान दिया है।

उद्योगों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण

3.1.2.5 राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुपालन में विभिन्न एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। 18 टीआर और टीआई के छात्र इन टीआर और टीआई के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कौशल प्रतियोगिता कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग ले रहे हैं। कोविड 19 महामारी के पश्चात् टीआर और टीआई ने ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं।

3.1.2.6 सभी टूल रूम और तकनीकी संस्थान संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम) के सिद्धांतों का पालन करते हैं। वे आईएसओ 9001–2000 प्रमाणित संस्थान है और उनमें से कुछ आईएसओ–14001, ओएचएसएएस–18001 आईएसओ–29990, आईएसओ/आईईसी 17025:2005 और आईएसओ–50001 प्रमाणित है। केंदीय टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र, भुवनेश्वर भी एरोस्पेस घटक की आपूर्ति के लिए एएस–9100 प्रमाणित है।

3.1.2.7 टूल रूम और तकनीकी संस्थान का वर्ष 2023–24 का वास्तविक कार्य–निष्पादन निम्नानुसार है:

प्रशिक्षित प्रशिक्षु

वर्ष	प्रशिक्षित प्रशिक्षु (अंको में)	सहायता प्राप्त इकाइयां (अंकों में)	नियुक्ति हेतु चयनित	कुल नियुक्त (वेतन एवं स्व–रोजगार)
2023-24	2,03,569	41,446	17,173	11,705

3.1.2.8 मूल्य वर्धित सेवाएं और उच्च गुणवत्ता युक्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा ये टूल रूम और तकनीकी संस्थान चुनौतीपूर्ण कार्य भी संपन्न कर रहे हैं। जटिल पुर्जों का घरेलू उत्पादन इन के प्रशिक्षुओं को सर्वाधिक उन्नत मशीनों पर रोज़गार के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करता है। संबंधित अवधि में सम्पन्न किये गए ऐसे कुछ कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:

(क) आयात प्रतिस्थानी और आत्मनिर्भर भारत पहलों के लिए डिजाइन और विकसित सटीकता के साथ उद्योग, सामरिक क्षेत्र आदि के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्य:–

(i) टूल रूम और तकनीकी संस्थान (टीआर और टीआई) का चन्द्रयान 3 के सफल मिशन में योगदान:

➢ केंद्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र (सीटीटीसी) भुवनेश्वर ने 437 प्रकार के सटीक पुर्जों का विकास किया और ऐसे लगभग 54,000 पुर्जों का विनिर्माण किया।

केंद्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र (सीटीटीसी) भुवनेश्वर ने 437 प्रकार के सटीक पुर्जों का विकास किया और ऐसे लगभग 54,000 पुर्जों का विनिर्माण किया।

ii) आईडीटीआर जमशेदपुरः

क) आईडीटीआर जमशेदपुर ने मैसर्स टीआरएल क्रोसाकी, ओडिशा के लिए दो हॉट सब एंट्री नोजल (एचएसईएन) ट्रॉली (जापान से आयात की जा रही) का विनिर्माण किया। स्टील प्लांट में इस ट्रॉली का प्रयोग हीटिंग स्टेशन से टुंडिश में 1000–1100 डिग्री सेल्सियस पर नोजल (एचएसईएन) को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

रिफैक्ट्री एसईएन हैंडलिंग ट्रॉली

ख) जटिल आकार और उच्च परिशुद्धता असेंबली वाले ब्लैक रिफ्रेक्ट्री (पारंपरिक रिफ्रैक्टरी की तुलना में अधिक लाभ के साथ नई अवधारणा) के लिए एक नया मोल्ड (जापान से आयात किया जा रहा) डिजाइन किया गया। इससे लागत में लगभग 25% की कमी आएगी और मोल्ड की सोर्सिंग के लिए लीड टाइम में भी 50% की कमी आएगी। इस मोल्ड का प्रयोग करके तैयार किए गए पाइप का उपयोग पिघली हुई सामग्री को टुं डिश से कास्टिंग मोल्ड में स्थानांतरित करने में किया जाता है।

ब्लैक रिफ्रैक्टरी के लिए मोल्ड

ग) ऑर्ड्नन्स फैक्टरी दमदम के लिए गुणवत्ता में सुधार के साथ वेन घटकों (जर्मनी से आयात किए जा रहे) के उत्पादन के लिए प्रेस उपकरणों को डिजाइन और उनका विनिर्माण किया गया। दागे जाने के बाद लक्षित मार्ग की स्थिरता हेतु बारूद के पिछले हिस्से में वेन घटकों का प्रयोग किया जा रहा है।

वेन घटकों के उत्पादन हेतु प्रेस टूल्स

(iii) इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर) औरंगाबादः

➢ मैसर्स एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के लिए थ्रीडी प्रिंटिंग डायरेक्ट मेटल लेज़र सिंटरिंग (डीएमएलएस) प्रौद्योगिकी द्वारा बाइक के लिए 40 बोर पिस्टन शॉक एब्जॉर्वर (मूल रूप से जर्मनी से आयात किया जा रहा) विकसित किया गया।

बोर पिस्टन शॉक एब्जॉर्वर

➢ मैसर्स एलरिंग क्लिंगर ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र से प्राप्त ऑर्डर के अनुसार फोल्ड ओवर लेयर गैसकेट विनिर्माण के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्रेसिव टूल (जर्मनी/चीन से आयात किए जा रहे) का डिजाइन तैयार किया गया और उसका विकास किया।

प्रोग्रेसिव टूल

(iv) सीटीटीसी कोलकाता ने जूट उद्योगों में प्रयोग किए जाने वाले गाइड ट्रैक (मूल रूप से यूनाइटेड किंगडम से आयात किए जा रहे) तथा स्पैडर असेंबल (मूल रूप से यूरोप और चीन से आयात किए जा रहे) को डिजाइन और उनका विनिर्माण किया है।

गाइड ट्रैक और स्पैडर असेंबल

3.1.2.9 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों / विस्तार केंद्रों की स्थापना

18 मौजूदा प्रौद्योगिकी केन्द्रों तथा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे 15 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों के नेटवर्क का संवर्धन करने के लिए भारत सरकार ''नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों/विस्तार केंद्रों की स्थापना'' नामक स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है ताकि देश भर में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के टीसी/ईसी की पहुँच को बढ़ाने के लिए 3500 करोड रुपए की लागत से 20 प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टीसी) और 100 विस्तार केंद्र (ईसी) की स्थापना की जा सके। ये प्रौद्योगिकी केंद्र/विस्तार केंद्र एमएसएमई और कौशल के इच्छुक लोगों को प्रौद्योगिकी सहायता, कौशल, इन्क्यूबेशन और परामर्श जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं जिससे कौशल के इच्छुक लोगों की रोजगार क्षमता, एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि और देश में नए एमएसएमई का निर्माण होता है।

यह आशा है कि इस प्रकार सृजित टीसी/ ईसी का नेटवर्क देश में उद्योग अकादमिक संबंधों को सुदृढ़ करने के साथ–साथ इन केंद्रों में प्रदान की जाने वाली आधुनिक सुविधाओं, उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे इन्क्यूबेशन/एआर/वीआर/एआइ आदि के ज़रिए इनोवेशन में सहायता प्रदान करने में भी अपना योगदान देगा।

हब और स्पोक मॉडल के अंतर्गत 20 प्रौद्योगिकी केंद्रों और 100 विस्तार केंद्रों की स्थापना की जा रही है जिनमें से कुछ विस्तार केंद्रों (स्पोक के रूप में टीसी का एक छोटा रूप) को उनके मेंटरिंग, निगरानी, प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए एक सामान्य प्रौद्योगिकी केंद्र हब के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा ताकि कैचमेंट एरिया के कौशल इच्छुकों और एमएसएमई की आवश्यकता के आधार पर आकांक्षी जिलों पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित देश के अधिकतम भाग को शामिल किया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए लगभग 125.00 करोड़ रुपए और प्रत्येक विस्तार केंद्र के लिए लगभग 10.00 करोड़ रुपए का निवेश संबंधी व्यय किए जाने का प्रस्ताव है।

ये टीसी/ईसी उद्योग की आवश्यकता के अनुसार सामान्य अभियांत्रिकी, सुगंध और सुरस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिजाइन ऐंड मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम), खेलकूद और अन्य क्षेत्रों में भी स्थापित किए जाएंगे।

प्रमुख ध्यान इस बात पर है कि प्रमुख प्रोद्योगिकियों/क्षेत्रों में भविष्य के लिए तैयार प्रौद्योगिकी केन्द्रों और उनके विस्तार केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाए ताकि कौशल सहित विभिन्न मूल्यवर्धित सेवाओं के माध्यम से एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके ओर इनोवेशन को उनके कार्य/आउटपुट के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया जा सके।

3.1.2.10 प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना की स्थिति

- 20 प्रौद्योगिकी केन्द्रों के लिए स्थानों को अंतिम रूप प्रदान किया गया।
- 16 स्थानों के लिए भूमि संबंधी प्रक्रिया को अंतिम रूप प्रदान किया गया। 11 स्थानों पर भूमि कार्यालय के स्वामित्व में है। 2 स्थानों पर भूमि को किराए पर लिए जाने की कार्रवाई की जा रही है और 3 स्थानों पर भूमि स्थानांतरण प्रक्रियाधीन है। 4 स्थानों पर भूमि का चिह्नि/निर्णयन किया जा रहा है।

3.1.2.11 विस्तार केंद्रों की स्थापना की स्थिति

- विस्तार केंद्रों के लिए 40 अनुमोदित स्थानों में से 26 विस्तार केंद्रों का विनिर्माण उनके डीपीआर के अनुमोदन के बाद प्रक्रियाधीन है।

- इनमें से 21 विस्तार केंद्रों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम और साथ ही साथ एमएसएमई को सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया है।
- वर्ष 2023–24 के दौरान 22,242 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है और 339 एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कुल 56,670 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है तथा 2124 एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं।

3.1.2.12 प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी)

मौजूदा प्रौद्योगिकी केन्द्रों के सफलतापूर्ण कार्यप्रचालन को देखते हुए और देश में प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टूल रूम और प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों) के नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन करने के दृष्टिकोण से, एमएसएमई मंत्रालय ने 2200 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत पर प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) का शुभारंभ किया है ताकि देश भर में 15 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टीसी) की स्थापना की जा सके और मौजूदा टीसी का अद्यतन किया जा सके। इस कार्यक्रम की परिकल्पना प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टीसी) के नेटवर्क को उन्नत और विस्तारित करने के लिए की गई है जो संपूर्ण भारत में प्रमुख विनिर्माण उद्योगों में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है। टीसीएसपी की संकल्पना देश में एमएसएमई के लिए अभिनव परितंत्र तैयार करने के लिए की गई है। ये 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्र निम्नलिखित राज्यों/संघ–राज्य क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं:

क्र.सं.	नए टीसी का स्थान	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र
1	भिवाड़ी	राजस्थान	ऑटो और घटक
2	पुरी (विजाग)	आंध्र प्रदेश	सामान्य इंजीनियरिंग
3	भोपाल	मध्य प्रदेश	सामान्य इंजीनियरिंग
4	रोहतक	हरियाणा	सामान्य इंजीनियरिंग
5	पुदुचेरी	पुडुचेरी	इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम)
6	कानपुर	उत्तर प्रदेश	सामान्य इंजीनियरिंग
7	बद्दी	हिमाचल प्रदेश	सामान्य इंजीनियरिंग
8	सितारगंज	उत्तराखंड	ऑटो और घटक
9	ग्रेटर नोएडा	उत्तर प्रदेश	इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम)
10	इम्फाल	मणिपुर	सुगंध और सुरस
11	दुर्ग	छत्तीसगढ़	सामान्य इंजीनियरिंग
12	कोच्चि (एर्नाकुलम)	केरल	सामान्य इंजीनियरिंग
12	बेंगलुरु	कर्नाटक	इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम)
14	पटना	बिहार	सामान्य इंजीनियरिंग
15	श्रीपेरुम्बुदुर (चेन्नई)	तमिलनाडु	सामान्य इंजीनियरिंग

नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टीसी) द्वारा प्रशिक्षण

भिवाड़ी, भोपाल, दुर्ग, रोहतक, पुरी, बद्दी और कानपुर में स्थापित सात प्रौद्योगिकी केन्द्रों को दीर्घावधि पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए एआईसीटीई से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। नई प्रौद्योगिकी केन्द्रों द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख पाठ्यक्रमों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24
नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षु	9669	13071

विशेष उपलब्धि :

1. टीसी विजाग :–

- सीएसआर कार्यकलाप/गतिविधि के अंतर्गत विशाखापट्टनम के जलग्रहण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) प्रतिभागियों के लिए छः माह का एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विजाग स्टील प्लांट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
- सुखोई 31 एयरक्राफ्ट हीटएक्सचेंजर मशीनिंग पुर्जों के विनिर्माण के लिए भेल विशाखापट्टनम के साथ स्वदेशीकरण परियोजना में भाग लिया। स्थानीय एमएसएमई और टीसी विजाग संयुक्त रूप से इन पुर्जों को उन्नत बनायेंगे। यह प्रौद्योगिकी केंद्र इन पुर्जों का पूर्ण रूप से विनिर्माण करने में एमएसएमई की सहायता करेगा।
- मैसर्स योकोहामा टायर्स प्राइवेट लिमिटेड (एपीएसईजेड–पुरी, अच्युतापुरम में स्थापित जापान आधारित कंपनी) से 1000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है।
- 100 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करने और उन्हें मेसर्स योकोहामा टायर्स प्राइवेट लिमिटेड में तैनात करने के लिए सीएसआर कार्यकलाप के अंतर्गत एक प्रमाणन पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मैसर्स सुरूद फाउंडेशन (टीएसएल लैब) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

2. टीसी भिवाड़ी :–

- बड़े आकार के मोल्ड के लिए सीएमएम (कोऑर्डिनेट मेजरमेंट मशीन) द्वारा सटीक निरीक्षण के लिए स्थानीय एमएसएमई को सहायता प्रदान करने का कार्य शुरू किया गया, कई एमएसएमई जो अत्यधिक सटीक सीएमएम अधिप्राप्त करने की स्थिति में नहीं है वे टीसी पर उपलब्ध सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट मेजरमेंट मशीन (सीएमएम) द्वारा मैसर्स जिलेट इंडिया लिमिटेड के लिए मोल्ड निरीक्षण सम्पन्न किया जाता है।
- स्पेक फ्रेम के लिए मेसर्स लेंस्कार्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से मोल्ड विनिर्माण का ऑर्डर प्राप्त हुआ।
- मैसर्स जिलेट इंडिया लिमिटेड के लिए ऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन सीएमएम द्वारा क्रिटिकल मोल्ड निरीक्षण किया गया।
- सीएनसी 5 ऐक्सिस मिलिंग मशीन पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए क्रिटिकल प्रोफाइल मशीनिंग के साथ रिंग गियर व्हील के विकास में एमएसएमई की सहायता की।

3.1.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास एवं सुविधा कार्यालय (एमएसएमई–विकास कार्यालय)

3.1.3.1 एमएसएमई– विकास एवं सुविधा कार्यालय

एमएसएमई विकास एवं सुविधा कार्यालय, विकास आयुक्त (डीसी एमएसएमई) कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को व्यापक सेवाएं प्रदान करते हैं। वर्तमान में देश भर में 33 एमएसएमई – विकास कार्यालय और 28 शाखा एमएसएमई–विकास कार्यालय हैं।

एमएसएमई विकास एवं सुविधा कार्यालय द्वारा निष्पादित किए जाने वाले प्रमुख कार्यों में अन्य के साथ साथ बीमा सहित वित्त तक पहुँच, प्रौद्योगिकी तक पहुँच, सामान्य सुविधा अवसंरचना का सृजन, उद्यम पंजीकरण, जेम और जीएसटी के लिए पंजीकरण में एमएसएमई को पथ–प्रदर्शन सहायता प्रदान करना, एमएसएमई मंत्रालय की आईपीआर, डिजाइन, बिज़नेस इन्क्यूबेशन, लीन, एमएसई–क्लस्टर विकास कार्यक्रम, खरीद और विपणन सहायता, ईएसडीपी, लोक प्रापण नीति जैसी स्कीमों तथा डीआईसी, केवीआईसी, एनएसआईसी और राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय शामिल है।

3.1.3.2 परामर्श और तकनीकी सहायता

एमएसएमई–विकास एवं सुविधा कार्यालय निम्नलिखित क्षेत्र में तकनीकी सहायता सेवाएं प्रदान करने वाले प्रथम और अग्रणी परामर्श संगठनों में से एक हैं:

- उत्पादन की पहचान
- परियोजना निरूपण
- उपयुक्त मशीनरी का चयन
- औद्योगिक डिज़ाइनिंग आधुनिकीकरण
- परियोजना प्रोफाइल तैयार करना और परियोजना मूल्यांकन
- तकनीकी सहायता सेवाएँ
- पर्यावरणीय परियोजनाओं सहित लघु उद्यमों के लिए संवर्धनात्मक कार्यक्रम
- एमएसई इकाइयों का उन्नयन/आधुनिकीकरण
- केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी संपर्क
- बाजार और औद्योगिक संभावना संबंधी सेवाओं से जुड़े उत्पादों का विकास

3.1.3.3 बाजार अनुसंधान

एमएसएमई–विकास कार्यालय औद्योगिक विकास के लिए समग्र डेटाबेस और बाजार अनुसंधान सहायता को बरकरार रखने में भी सहायता करते हैं:

- नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना के लिए उत्पादों की पहचान
- औद्योगिक परिप्रेक्ष्य की तैयारी
- औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण
- परियोजनाओं का उनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता हेतु मूल्यांकन

- बाजार सर्वेक्षण और व्यवहार्यता रिपोर्ट
- नियमित विकास गतिविधियों के अलावा जागरूकता सृजित करना

3.1.3.4 समन्वय और कार्यान्वयन

एमएसएमई–विकास कार्यालय निम्नलिखित में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:

- भारत सरकार के एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित स्कीमों और सेवाओं का कार्यान्वयन।
- एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए नीति निरूपण में सरकार को परामर्श देना।
- केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और एमएसएमई के विकास से संबंधित अन्य संगठनों के साथ एक घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना।
- बड़े उद्योगों की सहायक इकाइयों के रूप में एमएसएमई के विकास के लिए नीति का निरूपण और उन नीतियों और कार्यक्रमों के बीच समन्वय।

3.1.3.5 क्लस्टर विकास गतिविधि

एमएसएमई–विकास कार्यालय, विकास आयुक्त–एमएसएमई का कार्यालय के क्लस्टर विकास कार्यक्रम संबंधी पहलों के अंतर्गत राज्य में क्लस्टरों के विकास के लिए तकनीकी प्रबंधकीय सहायता भी प्रदान करते हैं :

- सामान्य मुद्दों जैसे प्रौद्योगिकी, कौशल और गुणवत्ता, बाजार तक पहुँच आदि में सुधार पर ध्यान देते हुए एमएसई के स्थायित्व और उसके विकास के लिए सहायता प्रदान करना।
- स्व–सहायता समूहों के गठन, कंसोर्टिया, संघों के उन्नयन आदि के माध्यम से सामान्य कार्रवाई के लिए एमएसई का क्षमता निर्माण।
- एमएसई के नए/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों /क्लस्टरों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन/उनका उन्नयन करना।
- सामान्य सुविधा केंद्रों (परीक्षण, प्रशिक्षण, कच्चे माल के डिपो, एफ्लूएंट ट्रीटमेंट, उत्पादन प्रक्रियाओं को अनुपूरित करने आदि के लिए) की स्थापना करना।
- क्लस्टरों के लिए हरित और सतत विनिर्माण प्रौद्योगिकी का संवर्धन करना ताकि इकाइयों को सतत और हरित उत्पादन प्रक्रियाओं और उत्पादों की ओर उन्मुख किया जा सके।

3.1.3.6 परियोजना प्रोफाइल्स

विकास कार्यालयों को सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्र में चयनित व्यवहार्य परियोजनाओं पर परियोजना प्रोफाइल विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। इन प्रोफाइल में उत्पाद, आईएसआई विनिर्देशन, विनिर्माण प्रक्रिया, पूंजी की आवश्यकता, श्रमशक्ति और सामग्री कच्चे माल, बाजार और मशीनरी के आपूर्तिकर्ताओं के पते के बारे में संक्षिप्त जानकारी होती है। ये रिपोर्टें एमएसएमई–विकास कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

3.1.3.7 जिला औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण रिपोर्ट

एमएसएमई विकास कार्यालय देश भर में 50 आकांक्षी जिलों के लिए जिला औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण और जिला विकास स्कीम पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हैं।

3.1.3.8 वित्तीय सहयोग प्राप्त करने में एमएसएमई को सहायता

- एमएसएमई विकास कार्यालय राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के सदस्य हैं और वे नियमित रूप से उनकी बैठकों में भाग लेते हैं। एसएलबीसी सभी राष्ट्रीयकृत बैंको के अग्रणी जिला प्रबंधक (एलडीएम) को आमंत्रित करके एमएसएमई क्षेत्र तक ऋण के आवागमन की नियमित रूप से निगरानी करती है।

- एमएसएमई–विकास कार्यालय राज्य स्तरीय आरबीआई अधिकार प्राप्त समिति के जरिये एमएसएमई तक ऋण के आवागमन की समीक्षा करते है और बैंको को आगे दिए जाने वाले निर्देशों के लिए अधिकार प्राप्त समिति के जरिए एमएसएमई के ऋण संबंधी विभिन्न मुद्दों को उठाते हैं।

- एमएसएमई विकास कार्यालय जिला कलक्टर की अध्यक्षता में अग्रणी बैंको द्वारा आयोजित की जाने वाली जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं। इन डीएलआरसी बैठकों के दौरान एमएसएमई–विकास कार्यालयों के जिला स्तरीय समन्वय अधिकारी एमएसएमई से संबंधित विभिन्न ऋण संबंधी मुद्दों को उठाते हैं और साथ ही एमएसएमई के लिए ऋण संबंधी विभिन्न स्कीमों की नियमित रूप से समीक्षा भी करते हैं।

- एमएसएमई–विकास कार्यालय उद्यमियों को ऋण सलाहकार (उद्यमी मित्र पोर्टल के अंतर्गत अनुमोदित) की भी सुविधा प्रदान करते हैं। एमएसएमई–विकास कार्यालय उद्यमियों को ऋण संबंधी मार्गदर्शन के लिए एफएलसीसी (वित्तीय साक्षरता ऋण सलाहकार) के लिए भी निर्देशित करते हैं। एमएसएमई–विकास कार्यालय महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्टैंड–अप इंडिया स्कीम पर जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं।

- एमएसएमई–विकास कार्यालय उद्यमियों को संभावित सहायता पहुंचाने के लिए उनकी ऋण संबंधी शिकायतों को एलडीएम, एसएलबीसी, आरबीआई और बैंकों के नियंत्रण कार्यालयों तक पहुंचाते हैं। एमएसएमई–विकास कार्यालय चैंपियंस पोर्टल में ऋण संबंधी शिकायतों पर भी ध्यान देता है और शिकायतों को पोर्टल में नियंत्रण अधिकारियों को भेजता है। इन शिकायतों के संबंध में संभावित सहायता के लिए इन पर एलडीएम, एसएलबीसी, आरबीआई, बैंकों के नियंत्रण कार्यालयों के साथ अलग से भी कार्रवाई की जाती है।

- सभी एमएसएमई–विकास कार्यालय के पास उद्यमी विकास प्रकोष्ठ (ईडीसी) होता है जिसके माध्यम से एमएसएमई–विकास कार्यालय उद्यमियों को बैंकरों के साथ बातचीत करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए अपने कार्यालय परिसर में तिमाही ऋण सुविधा कार्यक्रम आयोजित करता है। ईडीसी विज़िटर के डेटाबेस के माध्यम से संभावित/मौजूदा उद्यमियों को उनके व्यावसायिक प्रस्तावों पर वित्तीय संस्थानों के साथ पारस्परिक चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाता है। बैंकों को प्रस्तुत करने से पहले ईडीसी अधिकारियों द्वारा व्यावसायिक प्रस्तावों की पूर्व–जांच की जाती है। सभी प्रमुख पीएसबी को ऋण सुविधा कार्यक्रम में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया जाता है।

- एमएसएमई–विकास कार्यालय संभावित उद्यमियों को बैंकों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए मॉडल परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध कराते हैं और उद्यमियों की आवश्यकताओं के अनुसार परियोजना रिपोर्ट को संशोधित करने में उद्यमियों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

3.1.4 एमएसएमई–परीक्षण केंद्र और परीक्षण स्टेशन

एमएसएमई मंत्रालय ने शुरू से वर्ष 1974 में नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में चार एमएसएमई–परीक्षण केंद्रों की स्थापना की। एमएसएमई–परीक्षण केंद्र सामान्य रूप से उद्योगों और विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उनके द्वारा निर्मित कच्चे माल, अर्ध–तैयार और परिसज्जित उत्पादों के लिए परीक्षण और केलिब्रेशन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

परीक्षण केंद्र (टीसी) अर्ध–तैयार, परिसज्जित उत्पादों आदि के कार्य–निष्पादन संबंधी परीक्षण, प्रकार संबंधी परीक्षण और स्वीकृति परीक्षण करने के लिए रासायनिक, यांत्रिकी, धातुकर्म और इलेक्ट्रिकल विषयों में स्वदेशी और आयातित अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं। ये केंद्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मापक उपकरणों और उपकरणों के लिए केलिब्रेशन का कार्य भी करते हैं।

3.1.4.1 एमएसएमई परीक्षण केंद्र–विशेषताएं

- सभी प्रयोगशालाओं के लिए आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार एनएबीएल मान्यता।
- उत्पादों के परीक्षण के लिए बीआईएस मान्यता प्राप्त हैं।
- एईआरबी (आणविक ऊर्जा विनियमन बोर्ड) ने अल्फा, बीटा और गामा उत्सर्जक जैसी रेडियोधर्मी सामग्री की उपस्थिति के लिए परीक्षण को मान्यता दी
- उन्नत परीक्षण/केलिब्रेशन सुविधाएं
- परीक्षण/केलिब्रेशन कौशल के साथ समर्पित टीम
- टीसी कार्यनीतिक रूप से औद्योगिक संपदाओं के निकट अवस्थित है और रेल और सड़कमार्ग से पूर्णतया जुड़े हुए हैं।
- परीक्षण की मानक पद्धतियों के माध्यम से भरोसेमंद परिणाम (मुख्यतः भारतीय मानकों के माध्यम से)
- आईजीसीएआर, राइट्स, एएआई, सीपीडब्ल्यूडी, रेलवे और रक्षा प्रतिस्थापनाओं आदि द्वारा मान्यता प्राप्त और प्रमाणित है।

प्रमुख परीक्षण केंद्र/परीक्षण स्टेशन

रासायनिक प्रयोगशाला एमएसएमई–टीसी चेन्नई

एमएसएमई–टीसी मुंबई में परीक्षण

एमएसएमई – कोलकाता में परीक्षण

एमएसएमई–टीएस हैदराबाद में यूनिवर्सल टेन्साइल टेस्टिंग 1000केएन

एमएसएमई–टीएस पुडुचेरी में परीक्षण

एमएसएमई–टीएस हैदराबाद में धातुकर्म सूक्ष्म संरचना परीक्षण

उद्योग क्लस्टर क्षेत्रों और कुछ रणनीतिक क्षेत्रों में परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 1982 में जयपुर, भोपाल, कोल्हापुर, हैदराबाद, बेंगलुरू, पुदुचेरी और एट्टुमन्नुर में सात एमएसएमई–परीक्षण स्टेशन (टीएस) स्थापित किए। ये परीक्षण स्टेशन वास्तव में एमएसएमई–टीसी के विस्तार केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जिससे दूर–दराज के क्षेत्रों में स्थित उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। एमएसएमई–परीक्षण स्टेशन अपने क्षेत्र में स्थित सामान्य और विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमित रूप से अपनी सुविधाओं का आधुनिकीकरण/उन्नयन कर रहे हैं।

3.1.4.2 प्रमुख कार्यकलाप

परीक्षण प्रभारों के ऑनलाइन संग्रहण के लिए भारतकोष पोर्टल का उपयोग।

- एमएसएमई–परीक्षण केंद्रों और परीक्षण स्टेशनों ने सभी परीक्षण केंद्रों/परीक्षण स्टेशनों में एक दर एक परीक्षण शुल्क की तर्ज पर पूरे देश में एक समान परीक्षण शुल्क लागू किया है। दरों को तर्कसंगत बनाया गया है और एमएसएमई को छूट दी गई है। एमएसएमई परीक्षण केंद्र और परीक्षण स्टेशन, परीक्षण शुल्क में सूक्ष्म इकाइयों को (25%) और लघु इकाइयों को (10%) की सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं।

- परीक्षण केंद्र, चेन्नई ने पूर्ण चमड़े और चमड़ा उत्पादों के परीक्षण के लिए नई परीक्षण सुविधाएं विकसित की हैं।
- वर्ष 2023–24 के लिए एमएसएमई–परीक्षण केंद्रों और परीक्षण स्टेशनों ने 13.05 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया और कुल 10,831 एमएसएमई इन सुविधाओं से लाभान्वित हुए।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए इन केंद्रों में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी के व्यापक प्रसार के लिए परीक्षण केंद्र के बारे में विवरण निम्नलिखित लिंक (http://cmsme.gov.in/MSME-TESTING-CENTRE.pdf) पर देखा जा सकता है।

3.1.4.3 प्रौद्योगिकी केंद्र का उदघाट्न और अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के लिए विशेष स्कीम की शुरूआत

माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री ने दिनांक 14.02.2024 को ग्रेटर नोएडा में (i) ग्रेटर नोएडा; (ii) कानपुर (उत्तर प्रदेश); (iii) बद्दी (हिमाचल प्रदेश) और (iv) इंफाल (मणिपुर) के साथ–साथ करीमनगर (तेलंगाना) और भवानीपटना (ओडिशा) में 2 विस्तार केंद्रों का उदघाटन किया। प्रौद्योगिकी केंद्र विनिर्माण और उत्पादन के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिसमें उच्च–स्तरीय मशीनरी, प्रौद्योगिकी और परामर्श के माध्यम से सहायता प्रदान करना शामिल है। इस अवसर पर देहरादून (उत्तराखंड) में विकास कार्यालय और लद्दाख में विकास कार्यालय (न्यूक्लियस सेंटर) का भी उद्घाटन किया गया।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) द्वारा अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों के लिए 20 लाख रुपए तक के ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष स्कीम की शुरूआत भी की गई थी। यह स्कीम सूक्ष्म उद्यमों के लिए सहायता और अवसर प्रदान करेगी और इसका उद्देश्य ऋण जोखिम धारणा को कम करना और ऋण देने वाली संस्थाओं को आईएमई को ऋण देने के लिए प्रेरित करेगी। जैसे–जैसे यह पहल सामने आएगी, इससे न केवल व्यक्तिगत उद्यमियों को सशक्त बनाने की उम्मीद है बल्कि एक समावेशी, गतिशील और लचीला आर्थिक परितंत्र भी तैयार होगा।

आयात–निर्यात में एमएसएमई को कार्रवाई योग्य बाजार जानकारी प्रदान करने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल के विकास के लिए मंत्रालय द्वारा भारत एक्जिम बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

3.2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 के 61वें) के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक संगठन है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) को बढ़ावा देने एवं विकसित करने में लगा हुआ है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। केवीआईसी कम प्रति व्यक्ति निवेश पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी गैर–कृषि रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विकेंद्रीकृत क्षेत्र में प्रमुख संगठनों में से एक के रूप में चिह्नित किया गया है। यह कौशल सुधार, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, अनुसंधान और विकास, विपणन आदि जैसी गतिविधियों का संचालन करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार/स्व–रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करता है।

3.2.1. मुख्य उद्देश्य

केवीआईसी के मुख्य उद्देश्य हैं:—

(i) सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और विशेष रूप से जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य;

(ii) बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करने का आर्थिक उद्देश्य; और

(iii) लोगों में आत्मनिर्भरता और एक सुदृढ़ ग्रामीण सामुदायिक भावना का निर्माण करने का व्यापक उद्देश्य।

3.2.2. कार्य

केवीआईसी अधिनियम, 1956 (1956 का 61) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्धारित केवीआईसी के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) खादी और ग्रामोद्योग में कार्यरत या रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों के प्रशिक्षण की स्कीम बनाना और उसका आयोजन करना;

(ii) प्रत्यक्ष या विनिर्दिष्ट एजेंसियों के माध्यम से कच्चे माल और उपकरणों का भंडार बनाना और उन्हें आपूर्ति करना या हाथ से काते गए सूत या खादी या ग्रामोद्योग के उत्पादन में कार्यरत अथवा भावी कारीगरों को कच्चे माल और उपकरणों की ऐसी दरों पर आपूर्ति की व्यवस्था करना, जैसा कि आयोग तय कर सकता है;

(iii) कच्चे माल या अर्ध—तैयार वस्तुओं के प्रसंस्करण के लिए सामान्य सेवा सुविधाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करना और सहायता करना और अन्यथा खादी या ग्रामोद्योगों के उत्पादों के उत्पादन और विपणन की सुविधा प्रदान करना;

(iv) खादी या ग्रामोद्योगों या हस्तशिल्प के उत्पादों की बिक्री और विपणन को बढ़ावा देना और इस उद्देश्य के लिए जहां भी आवश्यक और संभव हो, स्थापित विपणन एजेंसियों के साथ संबंध बनाना;

(v) खादी और ग्रामोद्योगों में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना, जिसमें उत्पादकता बढ़ाने, कठिन परिश्रम को समाप्त करने और अन्यथा उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाने के लिए गैर—पारंपरिक ऊर्जा और विद्युत शक्ति का उपयोग शामिल है और इस तरह के शोध से प्राप्त मुख्य परिणामों के प्रसार की व्यवस्था करना;

(vi) प्रत्यक्ष रूप से या अन्य एजेंसियों के माध्यम से खादी या ग्रामोद्योग की समस्याओं का अध्ययन करना;

(vii) खादी अथवा ग्रामोद्योग के विकास और संचालन हेतु कार्यरत संस्थानों या व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से या विनिर्दिष्ट एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के उद्देश्य से डिजाइन, नमूने और अन्य तकनीकी जानकारी की आपूर्ति के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करना, जिनके लिए आयोग की राय में प्रभावी मांग है;

(viii) प्रत्यक्ष रूप से अथवा विनिर्दिष्ट एजेंसियों, प्रयोगों या प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से जो आयोग की राय में खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए आवश्यक हैं;

(ix) उपर्युक्त किसी भी या सभी मामलों को पूरा करने के उद्देश्य से अलग—अलग संगठनों की स्थापना और रखरखाव करना;

(x) खादी के निर्माताओं या ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों के बीच सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना;

(xi) प्रामाणिकता सुनिश्चित करना और गुणवत्ता के मानक स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि खादी और ग्रामोद्योग के उत्पाद उक्त मानकों के अनुरूप हों, जिसमें संबंधित व्यक्तियों को प्रमाण पत्र या मान्यता पत्र जारी करना शामिल है; और

(xii) उपरोक्त से संबंधित कोई अन्य गतिविधि करना।

3.2.3. संगठन

3.2.3.1. आयोग मुंबई में स्थित अपने मुख्य कार्यालय और नई दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में स्थित छह क्षेत्रीय कार्यालयों और पूरे देश में फैले 40 राज्य/मंडल/उप कार्यालयों के साथ कार्य करता है।

3.2.3.2. केवीआईसी का संगठनात्मक स्वरूप नीचे दिया गया है:–

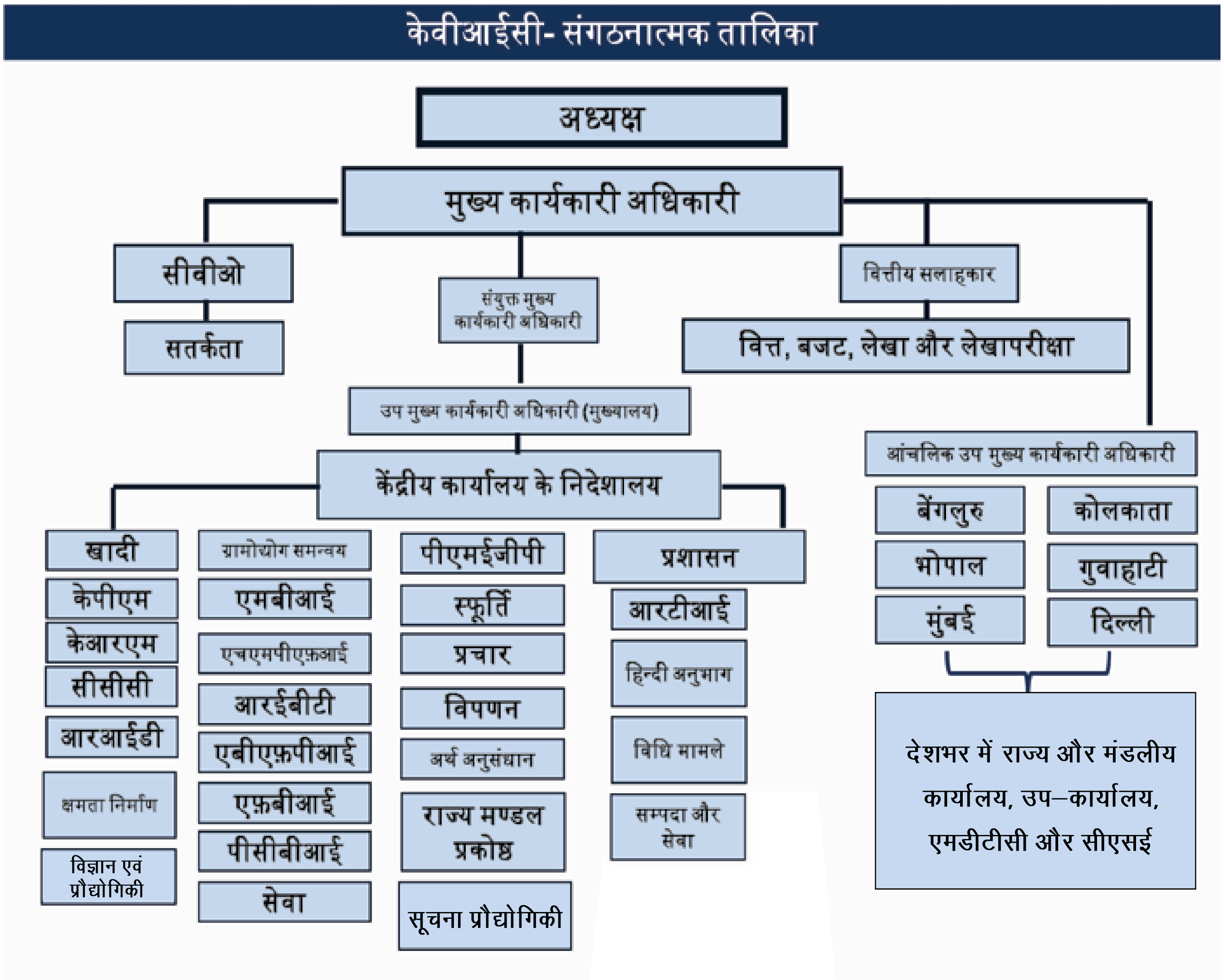

3.2.3.3. केवीआईसी अपने 35 विभागीय और गैर–विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण का संचालन करता है। खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों और इकाइयों, खादी ग्रामोद्योग भंडार और केवीआई संस्थानों द्वारा संचालित भवनों द्वारा उत्पादित केवीआई उत्पाद का विपणन 8 विभागीय बिक्री केंद्र (खादी इंडिया) और केवीआईसी की 18 शाखाओं और पूरे देश में खादी संस्थानों से संबंधित 8035 बिक्री केंद्र के विशाल नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। केवीआईसी

अपने पांच केंद्रीय पूनी संयंत्रों (सीएसपी) के माध्यम से खादी संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल भी उपलब्ध कराता है।

3.2.3.4. खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) कार्यक्रम केवीआईसी क्षेत्र कार्यालयों, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और पंजीकृत केवीआई संस्थानों के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाते हैं। खादी कार्यक्रम केवीआईसी या राज्य/संघ शासित प्रदेश केवीआईबी के साथ पंजीकृत संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते है।

3.2.4. भारत में खादी क्षेत्र

3.2.4.1. खादी गतिविधि को बहुत कम पूंजी निवेश पर ग्रामीण कारीगरों के दरवाजे पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए संभावित उपकरण के रूप में माना जाता है। आजादी के तुरंत बाद, खादी और ग्रामोद्योग की उत्पादकता राष्ट्रवाद का भव्य प्रतीक बन गई। इस प्रकार, खादी को न केवल कपड़े का एक टुकड़ा, बल्कि स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा।

3.2.4.2. केवीआईसी एक सांविधिक संगठन है जिसे खादी के उत्पादन और बिक्री को बढ़ावा देने की भूमिका सौंपी गई है। विशाल नेटवर्क के रूप में 2946 से अधिक खादी संस्थान भारत में केवीआईसी के कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं। इस गतिविधि में 4.98 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। इनमें से 80 प्रतिशत से अधिक महिला कारीगर हैं।

3.2.4.3. खादी केवीआईसी का अनूठा कार्यक्रम है और खादी संस्थानों द्वारा कारीगरों की दहलीज पर रोजगार के सृजन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) और ब्याज सब्सिडी पात्रता

प्रमाणपत्र (आईएसईसी) स्कीम के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सहायता खादी संस्थानों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सक्षम बना रही है। खादी संस्थानों की अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ कारीगरों को अनुकुल कार्यस्थान प्रदान करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

3.2.4.4. विगत वर्ष के दौरान खादी क्षेत्र के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। विगत 5 वर्षों और वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान खादी क्षेत्र का उत्पादन और बिक्री नीचे दी गई है:–

खादी क्षेत्र: उत्पादन और बिक्री

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	उत्पादन	बिक्री
2018 - 19 #	1963.30	3215.13
2019 - 20 #	2324.24	4211.26
2020 - 21#	1904.49	3527.71
2021 - 22#	2558.31	5051.72
2022 - 23 #	2915.83	5942.93
2023 - 24 #	3206.00	6496.00

 # पॉलीवस्त्र और सोलरवस्त्र सहित

3.2.4.5. विगत 5 वर्षों और वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान खादी क्षेत्र का रोजगार नीचे दिया गया है:–

खादी क्षेत्र: रोजगार

(कारीगर लाख में)

वित्तीय वर्ष	रोज़गार
2018 - 19 #	4.96
2019 - 20 #	4.97
2020 - 21 #	4.97
2021 - 22 #	4.97
2022 - 23#	4.98
2023 - 24 #	4.98

 # पॉलीवस्त्र और सोलरवस्त्र सहित

3.2.4.6 ग्रामोद्योग विकास स्कीम (जीवीवाई) में जिन ग्रामीण उद्योग क्षेत्रों पर विचार किया गया है, निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	उद्योग क्षेत्र	गतिविधियां
1	कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई)	• ग्रामीण तेल उद्योग • शहद और मधुमक्खी पालन • पाम गुड़ और अन्य पाम उत्पाद

क्र. सं.	उद्योग क्षेत्र	गतिविधियां
		• फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग • दाल और अनाज प्रसंस्करण उद्योग • मसाले और मसाला प्रसंस्करण उद्योग • बांस, बेंत और सरकंडा उद्योग • जैविक रंगाई उद्योग • औषधीय पादप संग्रह एवं प्रसंस्करण उद्योग
2	खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई)	• हस्तनिर्मित मिट्टी के बर्तन, चमकदार और सिरेमिक मिट्टी के बर्तन, घर की सजावट के लिए मिट्टी के बर्तन, खाद्य उद्योग के लिए मिट्टी के बर्तन
3	स्वस्थता एवं सौंदर्य प्रसाधन उद्योग (डब्ल्यूसीआई)	• साबुन और तेल उद्योग सहित कल्याण और सौंदर्य प्रसाधन • सुगंधित तेल एवं सुगंध उद्योग • कॉस्मेटिक और सौंदर्य उत्पाद उद्योग • बालों का तेल और शैंपू, प्रसाधन उद्योग • स्नान साबुन उद्योग • अगरबत्ती उद्योग
4	हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग (एचपीएल) और पीआई)	• हस्तनिर्मित कागज और कागज उत्पाद उद्योग • कागज़ रूपांतरण उद्योग • चमड़ा उद्योग • कयर उद्योग के अलावा प्राकृतिक रेशा
5	ग्रामीण अभियांत्रिकी और नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग (आरईएनटीआई)	• बायो–गैस, गैर–पारंपरिक ऊर्जा, जैव–खाद, उद्योग • बढ़ईगीरी उद्योग • इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उद्योग
6	सेवा उद्योग	• लघु व्यवसाय • प्लंबिंग • इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों का रखरखाव एवं मरम्मत • एसी मरम्मत और रखरखाव, मोबाइल मरम्मत और सिलाई मशीन संचालन जैसी नई सेवाएं

3.2.4.7. ग्रामोद्योग ने विगत वर्षों की तुलना में वृद्धि दर्शाई है। विगत 5 वर्षों और वर्तमान वर्ष 2023–24 के दौरान ग्रामोद्योग उत्पादों का उत्पादन और बिक्री का विवरण नीचे दिया गया हैः–

ग्रामोद्योगः उत्पादन और बिक्री

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	उत्पादन	बिक्री
2018 - 19	56167.04	71076.96
2019 - 20	65343.07	84664.28
2020 - 21	70330.66	92213.65
2021 - 22	81731.62	110363.51
2022 – 23	93040.84	128686.56
2023 - 24	105091.68	149177.12

3.2.4.8 विगत 5 वर्षों और वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत स्थापित सूक्ष्म इकाइयों सहित ग्रामोद्योग रोजगार की स्थिति निम्नानुसार हैः–

ग्रामोद्योगः रोजगार

(कारीगर लाख में)

वर्ष	रोज़गार
2018 - 19	142.03
2019 - 20	147.76
2020 - 21	154.09
2021 - 22	162.64
2022 – 23	172.14
2023 - 24	182.31

3.2.5. खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलें

देश में खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं। कुल पहलें निम्नानुसार हैं : –

- ➢ खादी संस्थाओं और कारीगरों को संशोधित विपणन विकास सहायता (एमएमडीए) और ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) स्कीम के अंतर्गत निधि वितरण करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल केआईएमआईएस शुरू किया गया है। संस्थाएं वित्तीय वर्ष 2016–17 से डेटा अपलोड कर रही हैं और अपने एमएमडीए एवं आईसेक का दावा कर रही हैं और लाभ डीबीटी मोड के माध्यम से हस्तांतरित किए जा रहे हैं।
- ➢ केवीआईसी ने नई संस्थाओं द्वारा खादी गतिविधियां शुरू करने के लिए खादी संस्था पंजीकरण और प्रमाणन सेवा (केआईआरसीएस) के माध्यम से नई संस्थाओं का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है।

- "पीएमईजीपी द्वितीय ऋण" हेतु अलग मॉड्यूल डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किया गया है।
- केंद्रीय पूनी संयंत्रों (सीएसपी) के लाभ हेतु खादी संस्थाओं (केआई) को कच्चे माल (स्लाईवर/ रोविंग) की आपूर्ति के रिकॉर्ड हेतु एक नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन और विकसित किया गया है।
- ऑनलाइन माध्यम से पूरी सरकारी आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन सरकारी आपूर्ति प्रणाली को डिजाइन, विकसित और लाइव किया गया है। इससे पंजीकृत खादी संस्थाओं द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त ऑर्डर को गतिशील रूप से वितरित करने और ऑर्डर की स्थिति की निगरानी करने में सुविधा होती है।
- केवीआईसी ने 2 अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक ''खादी फॉर नेशन और खादी फॉर फैशन'' की टैग लाइन के साथ ''खादी महोत्सव'' मनाया है। MyGov प्लेटफॉर्म पर विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगिता जैसे–क्विज़ प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, नारा प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता, जिंगल प्रतियोगिता और लघु फिल्म प्रतियोगिता आदि आयोजित की गई हैं, जिसमें देश भर से छात्रों, युवाओं और आम जनता ने भाग लिया।
- कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए, केवीआईसी ने कताई मजदूरी प्रति हैंक 7.50 रु. से बढ़ाकर प्रति हैंक 10.00 रु. कर दिया है तथा सूती खादी, ऊनी खादी और पॉलीवस्त्र की बुनाई मजदूरी में 10% की वृद्धि की है।
- केवीआईसी ने भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ब्रांड के रूप में खादी के संरक्षण हेतु विभिन्न पहल की है तथा केवीआईसी ने भारत, रूस, चीन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, खाड़ी देशों, भूटान, ब्रिटेन आदि देशों में सौ से अधिक ट्रेडमार्क पंजीकरण कराए हैं।
- पूरे भारत में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केवीआईसी की अधोसंरचना के सिविल निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण और रखरखाव कार्यों के निष्पादन हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) और एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
- केवीआईसी की धारणा का निर्माण तथा डीडी न्यूज एवं डीडी इंडिया चैनल के समग्र स्वरूप को उन्नत करने हेतु केवीआईसी और प्रसार भारती के बीच भारतीय लोक सेवा प्रसारक के साथ मिलकर ब्रांड "खादी इंडिया" को प्रदर्शित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है।
- खादी के लिए गुणवत्ता–केंद्रित परितंत्र स्थापित करने हेतु खादी उत्पादों के संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण गुणवत्तापूर्ण इंटरवेंशन लागू करने के उद्देश्य से, खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा भारतीय गुणवत्ता परिषद के बीच 3 जनवरी, 2024 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है।
- केवीआईसी ने सेवा उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत कुछ और गतिविधियों जैसे–एयर कंडीशनर (एसी) की मरम्मत और रखरखाव, मोबाइल की मरम्मत तथा सिलाई मशीन ऑपरेटर आदि को शामिल करने हेतु नई पहलें शुरू की हैं।

3.2.6. स्वच्छ भारत अभियान

- केवीआईसी ने कार्यालय परिसर की सफाई, झाड़ू लगाने और धूल हटाने, स्वच्छता, रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने, पुराने रिकॉर्ड/फाइलों आदि को हटाने जैसी गतिविधियों के माध्यम से केंद्र के प्रमुख कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

- केवीआईसी ने पूरे भारत में कार्यालय परिसरों और स्टाफ क्वार्टरों के नियमित स्वच्छता का कार्य भी शुरू किया है।
- विशेष अभियान 3.0 के अंतर्गत, पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 43 स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए है।

3.2.7. प्रमुख स्कीमों का कार्यान्वयन

केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख स्कीमें

क्रं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधि
1	**प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)**	पीएमईजीपी स्व–रोजगार के लिए गैर–कृषि आधारित सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए बैंक द्वारा मूल्यांकित और वित्तपोषित एक "ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम" है। केवीआईसी देश भर में इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र नोडल एजेंसी है, और राज्य स्तर पर, यह स्कीम केवीआईसी के राज्य कार्यालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईएलबी), जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी), कयर बोर्ड (कयर से संबंधित गतिविधियों के लिए) और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% तथा शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों तथा आकांक्षी जिलों जैसे विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। इस स्कीम के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत 50.00 लाख रु. तथा सेवा क्षेत्र में 20.00 लाख रु. है। विभिन्न श्रेणियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी 15% से 35% तक अलग–अलग है। इसके अलावा, महिलाओं सहित विशेष श्रेणी के लाभार्थियों का स्व–अंशदान 05% है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 10% है। वर्ष 2018–19 से, मौजूदा पीएमईजीपी, आरईजीपी और मुद्रा उद्यमों को विगत अच्छे कार्य–निष्पादन के आधार पर उन्नयन और विस्तार के लिए द्वितीय ऋण की सहायता प्रदान की जा रही है। द्वितीय ऋण के अंतर्गत, विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के लिए अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लागत 1.00 करोड़ रु. और सेवा क्षेत्र के लिए 25 लाख रु. है। सभी श्रेणियों के लिए द्वितीय ऋण पर योग्य सब्सिडी परियोजना लागत का 15% (पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों के लिए 20%) है।

क्रं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधि
		वर्ष 2008—09 में इसके प्रारंभ से लेकर दिनांक 31.03.2024 तक, कुल 9.58 लाख सूक्ष्म उद्यमों को 24,964 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान की गई है और लगभग 78.24 लाख लोगों को अनुमानित रोजगार प्रदान किया गया है। वर्ष 2023—24 के दौरान 80120 पीएमईजीपी इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में 2650 करोड़ रु. शामिल होंगे और 6.40 लाख लोगों के लिए अनुमानित रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वित्तीय वर्ष 2023—24 के दौरान, कुल 89,118 सूक्ष्म उद्यमों को 3093.88 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान की गई है और लगभग 7.13 लाख लोगों को अनुमानित रोजगार प्रदान किया गया है। कुल सहायता प्राप्त इकाइयों में से 38.12 करोड़ रु. की कुल मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ पीएमईजीपी के अंतर्गत द्वितीय ऋण द्वारा 531 इकाइयों को उन्नत किया गया है।
2	**संशोधित विपणन विकास सहायता (एमएमडीए)**	भारत सरकार ने वर्ष 2016—17 की तीसरी तिमाही से ''संशोधित विपणन विकास सहायता'' (एमएमडीए) स्कीम शुरू की है। संशोधित एमडीए स्कीम का उद्देश्य लागत चार्ट से बिक्री मूल्य को नियंत्रण मुक्त और अलग करना है, जिससे संस्थाओं को खादी में मूल्य वर्धन का अवसर मिलता है; ताकि उत्पादों को बाजार उन्मुख मूल्य पर बेचा जा सके। सूती/मसलिन, ऊनी और पॉलीवस्त्र के लिए संशोधित विपणन विकास सहायता (एमएमडीए) की गणना मूल लागत पर 35% और रेशमी खादी के लिए मूल लागत पर 20% की दर से की जाती है, जिसमें कच्चे माल की लागत के अलावा ग्रे क्लोथ तक रूपांतरण शुल्क और मार्जिन के बिना प्रसंस्करण शुल्क शामिल है। वर्ष 2023—24 के दौरान, खादी और पॉलीवस्त्र को एमएमडीए के अंतर्गत 1088 खादी संस्थाओं को 265.59 करोड़ रु. की राशि वितरित की गई है, जिससे 1,49,045 कारीगर लाभान्वित हुए है।
3	**ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईसेक) स्कीम**	भारत सरकार ने वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से अतिरिक्त निधि की आवश्यकता को पूरा करने हेतु खादी संस्थाओं के लिए मई, 1977 में ''ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र'' (आईएसईसी) स्कीम शुरू की थी। आईसेक स्कीम खादी कार्यक्रम और कुछ हद तक ग्रामोद्योग कार्यक्रम के लिए भी वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत है। ग्रामोद्योग के लिए आईसेक स्कीम वर्ष 2012—13 से बंद कर दी गई है।

क्रं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधि
		खादी और पॉलीवस्त्र कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले केवीआईसी / केवीआईबी के अंतर्गत पंजीकृत सभी खादी संस्थाओं के लिए आईसेक स्कीम लागू है। इस स्कीम के अंतर्गत, केवीआई संस्थाओं की आवश्यकता के अनुसार पूंजीगत व्यय (सीई) के साथ–साथ कार्यशील पूंजी (डब्ल्यूसी) के लिए प्रति वर्ष 4% की रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से ऋणदाता बैंकों को वास्तविक उधार दर और 4% के बीच का अंतर का भुगतान किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए केवीआईसी को खादी विकास स्कीम अनुदान शीर्ष के अंतर्गत निधि प्रदान की जाती है। वर्ष 2023–24 के दौरान, खादी और पॉलीवस्त्र को आईसेक के अंतर्गत 1097 खादी संस्थाओं को 38.43 करोड़ रु. की राशि वितरित की गई है।
4	**खादी कारीगर हेतु वर्कशेड स्कीम**	खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम वर्ष 2008–09 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खादी कारीगरों को सुचारू और थकान मुक्त कार्य के लिए पर्याप्त स्थान और अनुकूल वातावरण प्रदान करना है, जिससे उत्पादकता और आय में वृद्धि हो सके। जिस राज्य में बीपीएल कार्ड जारी किए जा रहे हैं, वहां खादी कारीगरों को इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया गया है। जहां अभी बीपीएल कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं, वहां पारदर्शी और खुली प्रक्रिया के अंतर्गत गरीब खादी कारीगरों की पहचान की जा रही है। इस स्कीम का लाभ केवल उन खादी कारीगरों को मिलेगा, जो वर्ष में कम से कम 100 दिन काम करते हैं और जिनके पास अपनी जमीन है। इस स्कीम के अंतर्गत व्यक्तिगत वर्कशेड के निर्माण के लिए 1,20,000 रु. और समूह वर्कशेड के लिए प्रति कारीगर 80,000 रु. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम की शुरुआत के बाद से, दिनांक 31–03–2024 तक, इस स्कीम के अंतर्गत कुल 47612 खादी कारीगर लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान, इस स्कीम के अंतर्गत 87 खादी कारीगर (अनंतिम) लाभान्वित हुए है।
5	**मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना हेतु सहायता**	यह स्कीम दो उप–स्कीमों अर्थात् ''मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और ''विपणन अवसंरचना हेतु सहायता'' का संयोजन है। स्कीम के अंतर्गत, मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना; कमजोर/समस्याग्रस्त खादी संस्थाओं को अपनी गतिविधियों को सामान्य स्थिति में वापस लाने के लिए 15 लाख रु. तक की सहायता प्रदान की जाती है।

क्रं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधि
		खादी संस्थाओं, केवीआईबी के बिक्री केन्द्रों और विभागीय बिक्री केन्द्रों को विपणन अवसंरचना अर्थात सामान्य लोगो, साइनेज, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, बिलिंग और बार–कोडिंग सहित कम्प्यूटरी–करण, बिक्री कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, नवीनीकरण से संबंधित सिविल कार्य सहित फर्नीचर और फिक्सचर आदि हेतु 25.00 लाख रु.तक की सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2023–24 के दौरान, मौजूदा कमज़ोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण करने अंतर्गत 40 खादी संस्थाओं (अनंतिम) को मज़बूत किया गया है। इसके अलावा, विपणन अवसंरचना हेतु सहायता के अंतर्गत खादी संस्थाओं के 148 बिक्री केंद्रों का नवीनीकरण किया गया है।
6	**परंपरागत उद्योगों के पुनर्सजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति)**	भारत सरकार ने परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) शुरू की है, जिसका उद्देश्य खाद्य उत्पादों से लेकर हस्तशिल्प, चमड़े के उत्पादों से लेकर आयुर्वेदिक दवाओं तक विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण कारीगरों की प्रतिभा, रचनात्मकता, कड़ी मेहनत के उद्यम को मान्यता देना और पारंपरिक उद्योगों को अधिक उत्पादक, लाभदायक और सक्षम बनाना है, ताकि पारंपरिक उद्योग कारीगरों के लिए निरंतर रोजगार सृजित किए जा सके और बाद में उन्हें सशक्त बना कर स्व–शासित उद्यमी के रूप में परिवर्तित किया जा सके। यह भारत सरकार की क्लस्टर आधारित स्कीम है। वर्ष 2023–24 के दौरान, खादी और ग्रामोद्योग के अंतर्गत कुल 12 क्लस्टर क्रियाशील हुए है।
7	**ग्रामोद्योग**	'ग्रामोद्योग' से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी ऐसे उद्योग से है, जो बिजली के उपयोग से या उसके बिना किसी वस्तु का उत्पादन या कोई सेवा प्रदान करना है, जिसमें प्रति कारीगर या श्रमिक का निर्धारित पूंजी विनिवेश मैदानी क्षेत्रों में 1.00 लाख रु. और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.50 लाख रु. से अधिक न हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य राशि। वर्ष 2023–24 के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित सूक्ष्म इकाइयों सहित ग्रामोद्योग का उत्पादन 105091.68 करोड़ रु. और बिक्री 149177.12 करोड़ रु. थी। इसके अलावा, ग्रामोद्योग के अंतर्गत 182.31 लाख लोगों को (संचयी) रोजगार प्रदान किया गया है।
8	**शहद मिशन**	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) आधुनिक मधुमक्खी पालन की शुरुआत और लोकप्रिय बनाकर तथा स्थायी रोजगार एवं आय का सृजन कर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उत्थान के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास कार्य से जुड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान "श्वेत क्रांति के साथ–साथ मीठी क्रांति की भी जरूरत है" मिशन से प्रेरित होकर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तत्वावधान में केवीआईसी वर्ष 2017–18 से हनी मिशन कार्यान्वित कर रहा है।

क्रं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधि
		इस स्कीम की शुरुआत के बाद से, दिनांक 31–03–2024 तक, शहद मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 20,518 मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी कॉलोनियों सहित कुल 2,03,989 मधुमक्खी बक्से वितरित किए गए हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान, शहद मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 1795 मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी कॉलोनियों सहित 17950 मधुमक्खी बक्से वितरित किए गए है।
9	**कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम**	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत पॉटरी कारीगरों की आय बढ़ाकर उनकी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए "कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम" शुरू किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील और 10 दिनों का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने पॉटरी गतिविधियों में शामिल कुम्हार परिवारों की आजीविका में वृद्धि हेतु पॉटरी कारीगरों को अन्य औज़ारों व उपकरणों के साथ–साथ इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील भी वितरित किए। शुरुआत से 31 मार्च 2024 तक, कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 30,917 पॉटरी कारीगरों को कुल 30,971 इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील और अन्य उपकरण वितरित किए गए। इससे 1,23,884 पॉटरी कारीगर लाभान्वित हुए। वर्ष 2023–24 के दौरान कुम्हार सशक्तीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 6,191 पॉटरी कारीगरों को 6,151 इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील वितरित किए गए। इससे 24,604 पॉटरी कारीगर लाभान्वित हुए।
10	**विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी)**	खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और बाजार मांग के अनुरूप ग्रामीण उद्योगों को सक्षम बनाने के लिए भी नवपरिवर्तन, गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ावा देने और समावेश के दृष्टिकोण से कार्य कर रहा है। केवीआईसी ने अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) परियोजनाओं और आईएसओ 9001–2015 प्रमाणन के माध्यम से केवीआई क्षेत्र के गुणवत्ता पहलुओं, अनुसंधान और विकास की आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए कड़े प्रयास किए हैं। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों के माध्यम से उत्पाद की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से जरूरतमंद संस्थाओं को वैज्ञानिक इनपुट प्रदान करके प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों का लगातार पता लगाया जा रहा है और कार्यान्वित किया जा रहा है।

क्रं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधि
		वर्ष 2023–24 के दौरान खादी के अंतर्गत परियोजनाएँ और ग्रामोद्योग के अंतर्गत 09 परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (खादी) के अंतर्गत विभिन्न अनुसंधान और विकास पहल

क्र.सं.	परियोजना	परियोजना का नाम
1	आईआईएम, मुंबई	खादी की व्यावसायिक उत्पादकता, विपणन और उपलब्धता का आकलन और संवर्धन
2	आईआईएम, मुंबई	केवीआईसी में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज उत्पादन के लिए लागत प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का अनुकूलन
3	आईआईएचटी, बारगढ़	उन्नत बुनाई प्रौद्योगिकी का परिचय – फ्लाई शटल और वार्ड डाई और टाई के साथ स्वचालित लेट ऑफ और टेक अप मोशन सहित बेहतर फ्रेम लूम का विकास
4	एमगिरी, वर्धा	चित्रकला के सम्मिश्रण के माध्यम से भारतीय जनजातीय और परंपरागत कलाओं का पुनरुद्धार

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (ग्रामोउद्योग) के अंतर्गत विभिन्न अनुसंधान एवं विकास पहल

क्र.सं.	परियोजना	परियोजना का नाम
1	केएनएचपीआई, जयपुर	हस्त निर्मित कागज बनाने की प्रक्रिया में कोटिंग मशीन का विकास शामिल किया जाएगा ताकि हस्त निर्मित कागज को कंप्यूटर अनुकूल कागज, पैकेजिंग पेपर और खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग के लिए उपयुक्त बनाया जा सके–केएनएचपीआई, जयपुर।
2	सीबीआरटीआई, पुणे	जनता प्रकार के मधुमक्खी छत्तों का बीआईएस मानकों के अनुरूप मानकीकरण–सीबीआरटीआई, पुणे
3	सीबीआरटीआई, पुणे	उच्च उत्पादन और गुणन के लिए एपिस प्रजातियों अर्थात एपिससेराना और एपिसकरिनजोडियन की ब्रीडिंग और स्टॉक सुधार – सीबीआरटीआई, पुणे
4	लखनऊ विश्वविद्यालय	हस्त निर्मित कागज उद्योग के अपशिष्टों के प्रदूषकों के बेहतर विघटन के लिए नोवल बायो–कंपोजिट के संश्लेषण को लक्षित करना – लखनऊ विश्वविद्यालय
5	एनआईटी, अगरतला	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में टिकाऊ अगरबत्ती उत्पादन के लिए पुनः डिजाइन की गई बांस स्लाइसिंग मशीन और होमस्टेड राउंड स्टिक बनाने की मशीन का परिचय – एनआईटी, अगरतला

क्रं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधि
		<table><tr><th>क्र.सं.</th><th>परियोजना</th><th>परियोजना का नाम</th></tr><tr><td>6</td><td>सीटीटीसी, भुवनेश्वर</td><td>उपकरण/कागज़ रूपांतरण मशीनरी को पुनः डिजाइन करना–सीटीटीसी, भुवनेश्वर</td></tr><tr><td>7</td><td>श्री गोविंद ग्रामीण व शहरी विकास संस्था, वर्धा</td><td>पॉटरी उत्पादों के गुणवत्तापूर्ण लागत प्रभावी उत्पादन के लिए पर्यावरण अनुकूल गैस से चलने वाले भट्टे का प्रसार और प्रदर्शन – श्री गोविंद ग्रामीण व शहरी विकास संस्था, वर्धा</td></tr><tr><td>8</td><td>पेट्रोलियम और ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय, देहरादून</td><td>ठंडे क्षेत्र के लिए वहनीय केवीआईसी प्रकार के बायोगैस का डिजाइन और विकास – पेट्रोलियम और ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय, देहरादून</td></tr><tr><td>9</td><td>एफएफडीसी, कन्नौज</td><td>अगरबत्ती के मानकों और परीक्षण पद्धति का विकास–एफएफडीसी, कन्नौज</td></tr></table>
11	क्षमता निर्माण	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 35 विभागीय एवं गैर–विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। ये प्रशिक्षण केन्द्र विभिन्न विषयों जैसे साबुन एवं डिटर्जेंट बनाना, खाद्य पदार्थ, बेकरी उत्पाद, रेडीमेड परिधान बनाना, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, मोटर रिपेयरिंग, बाइंडिंग आदि के अंतर्गत आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और साथ ही उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करते है। वर्ष 2023–24 के दौरान इन प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 90,152 प्रशिक्षुओं ने कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और साथ ही उद्यमिता कार्यक्रमों में भाग लिया है।

3.2.8. खादी उद्योग में वृद्धि

खादी और ग्रामोद्योग गतिविधियाँ ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत हैं, जिनमें देश भर में बड़ी संख्या में विद्यमान कताईकार, बुनकर और अन्य कारीगर शामिल हैं। वर्ष 2022–23 और 2023–24 (अनंतिम) के दौरान खादी और ग्रामोद्योग का तुलनात्मक प्रदर्शन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है और यह सुदृढ़ वृद्धि दर्शाता है: –

खादी और ग्रामोद्योग का तुलनात्मक कार्य–निष्पादन

(करोड़ रु. में और रोजगार लाख व्यक्तियों में)

क्र. सं.	विवरण	2022 – 23	2023–24 (अनंतिम)
I	**उत्पादन**		
क.	खादी	2503.31	2559.20
ख.	पॉलीवस्त्र	405.42	639.80
ग.	सोलरवस्त्र	7.10	7.00
कुल–खादी, पॉलीवस्त्र और सोलर, वस्त्र, खादी, पॉलीवस्त्र और सोलर वस्त्र		**2915.83**	**3206.00**

क्र. सं.	विवरण	2022 – 23	2023–24 (अनंतिम)
घ	ग्रामोद्योग पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित सूक्ष्म उद्यमों सहित	93040.84	105091.68
	कुल केवीआई उत्पादन	**95956.67**	**108297.68**
II	**बिक्री**		
क.	खादी	5110.92	5255.28
ख.	पॉलीवस्त्र	824.05	1232.72
ग.	सोलरवस्त्र	7.96	8.00
कुल खादी, पॉलीवस्त्र और सोलरवस्त्र		**5942.93**	**6496.00**
घ.	ग्रामोद्योग पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित सूक्ष्म उद्यमों सहित	128686.56	149177.12
	कुल केवीआई बिक्री	**134629.49**	**155673.12**
III	**रोज़गार**		
क.	खादी	4.62	4.62
ख.	पॉलीवस्त्र	0.30	0.30
ग.	सोलरवस्त्र	0.06	0.06
कुल खादी, पॉलीवस्त्र और सोलरवस्त्र		**4.98**	**4.98**
घ.	ग्रामोद्योग पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित सूक्ष्म उद्यमों सहित	172.14	182.31
	कुल केवीआई रोज़गार	**177.12**	**187.29**

3.2.9. केवीआईसी को बजटीय सहायता

3.2.9.1. भारत सरकार खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम को चलाने के लिए ''खादी ग्रामोद्योग विकास स्कीम अनुदान'' के रूप में बजट परिव्यय आबंटित करती है। ''खादी विकास स्कीम अनुदान'' के अंतर्गत बजटीय आबंटन विभिन्न गतिविधियों जैसे संशोधित विपणन विकास सहायता (एमएमडीए), ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईसेक) स्कीम, खादी कारीगरों के लिए वर्क–शेड स्कीम, मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढीकरण और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता, खादी उत्पादों के लिए गुणवत्ता आश्वासन, खादी के लिए डिजाइन हाउस, क्षमता निर्माण (खादी कारीगरों को प्रशिक्षण), विज्ञान और प्रौद्योगिकी (खादी), सर्वेक्षण और अध्ययन, केवीआई कार्यक्रम के लिए विपणन सहायता, आदि के लिए है।

भारत सरकार द्वारा ''ग्रामोद्योग विकास स्कीम अनुदान'' ग्राम उद्योग क्षेत्र की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है जिसमें छह व्यापक समूह शामिल हैं जैसे कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई), खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई), कल्याण और सौंदर्य उद्योग (डब्ल्यूसीआई), हस्तनिर्मित, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग (एचपीएलपीआई), ग्रामीण अभियांत्रिकी और नई प्रौद्योगिकी उद्योग (आरईएनटीआई), और सेवा उद्योग। ग्रामोद्योग विकास स्कीम के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (ग्रामोद्योग), क्षमता निर्माण (कारीगरों को प्रशिक्षण), प्रचार एवं प्रसार, आर्थिक अनुसंधान (ई.सी.आर.), सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.), लेखा परीक्षा, संपदा एवं सेवा तथा अन्य सहायक गतिविधियों के लिए भी बजटीय आबंटन प्रदान किया जाता है।

खादी अनुदान के अंतर्गत बजटीय आबंटन वेतन, परिवहन भत्ता, आकस्मिक व्यय, पेंशन आदि जैसे प्रशासनिक/स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है।

3.2.9.2. विगत दो वर्षों के दौरान बजटीय स्रोतों (खादी ग्रामोद्योग विकास स्कीम एवं अन्य अनुदान तथा खादी अनुदान प्रशासन एवं पुस्तक समायोजन शीर्ष) से प्रदान की गई निधि तथा बजट अनुमान 2023–24 में निर्धारित धनराशि का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:–

केवीआईसी को बजटीय सहायता

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	संशोधित अनुमान (आरई)		मंत्रालय से प्राप्त निधि	
	केजीवीवाई ओर अन्य अनुदान	खादी अनुदान (प्रशा.)	केजीवीवाई ओर अन्य अनुदान	खादी अनुदान (प्रशा.)
2022 - 23	3083.72	335.00	3077.39	332.80
2023-24	3481.16	287.57	3479.84	287.56

3.3 कयर बोर्ड

3.3.1 भूमिका

कयर बोर्ड एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना कयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अंतर्गत कयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसके अधिदेश में कयर और कयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और भारत में इस पारंपरिक उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की जीवन स्थितियों में सुधार करना शामिल हैं।

3.3.2 उद्देश्य

भारत, जो विश्व में सबसे बड़ा कयर उत्पादक देश है, विश्व के कुल कयर उत्पादन के 80 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करता है। भारत का कयर क्षेत्र बहुत विविधतापूर्ण है, जिसमें परिवार, सहकारी संस्थाएँ, गैर सरकारी संगठन, निर्माता और निर्यातक शामिल हैं। नारियल की भूसी अपशिष्ट से सुंदर कलाकृतियाँ, हस्तशिल्प और उपयोगी उत्पाद बनाने का सबसे अच्छा उदाहरण है। कयर उद्योग में 7.40 लाख लोग कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। फ़ाइबर निष्कर्षण और कताई क्षेत्रों में लगभग 80 प्रतिशत रस्सी श्रमिक महिलाएँ हैं। इस पारंपरिक उद्योग में संलग्न श्रमिकों की जीवन परिस्थितियों को सुधारने और कयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी बोर्ड की है।

3.3.3 कार्य

कयर उद्योग के विकास के लिए कयर बोर्ड के कार्यों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- धागों एवं कयर उत्पादों का निर्यात करना तथा इस प्रयोजन के लिए प्रचार कार्य करना;
- केंद्र सरकार के पर्यवेक्षण के अधीन कयर उत्पादों के उत्पादनों हेतु कयर तकलों और करघों का पंजीकरण करके तथा कयर, कयर धागों और कयर उत्पादों के निर्यातकों को लाइसेंस देकर भूसी, कयर धागों और कयर उत्पादों के उत्पादन का विनियमन करना तथा साथ ही ऐसे अन्य कार्य करना जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

- वैज्ञानिक, प्रोद्योगिकी और आर्थिक अनुसंधान का कार्य करना, उसके लिए सहायता या प्रेरणा देना और एक या एकाधिक अनुसंधान संस्थाओं का अनुरक्षण करना तथा उसके अनुरक्षण में सहायता देना ।
- कयर उद्योग से संबंधित किसी भी विषय पर कयर उत्पादों के उत्पादनों और व्यापारियों तथा निर्धारित किए गए अन्य व्यक्तियों से आँकड़े एकत्रित करना, एकत्रित आँकड़ों या उसके अंशों या निष्कर्षों का प्रकाशन करना।
- रेशे, कयर धागे एवं कयर उत्पादों के निरीक्षण हेतु आवशयकता होने पर उसके ग्रेड मानक निर्धारित करना तथा उन्हें व्यवस्थित करना।
- भारत तथा अन्य देशों में नारियल की भूसी, कयर रेशों, कयर धागों और कयर उत्पादों के विपणन में सुधार करना और अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकना।
- कयर उत्पादों के उत्पादकों के लिए ऊर्जा सहायता से कारखाने स्थापित करना या स्थापित करने में मदद करना;
- भूसी, कयर रेशों और कयर धागों के उत्पादकों तथा कयर उत्पादों के निर्माताओं के बीच सहकारी संगठनों को बढ़ावा देना ।
- भूसी, कयर रेशों और कयर धागों के उत्पादकों तथा कयर उत्पादों के निर्माताओं को लाभकारी आय सुनिश्चित करना।
- गलाने के स्थानों और गोदामों का लाइसेंसीकरण करना तथा अन्य प्रकार के देशी बाज़ार और निर्यात के लिए कयर रेशों, कयर धागों और कयर उत्पादों के भंडारण और बिक्री का विनियमन करना ।
- कयर उद्योग के विकास से संबंधी सभी मामलों पर परामर्श देना।
- यथानिर्धारित ऐसे अन्य कार्य।

3.3.4 संगठन

3.3.4.1 बोर्ड का गठन

भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम जैसे कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) के अधीन भारत में कयर उद्योग के विकास और कयर व कयर उत्पादों के स्वदेशी एवं विदेशी बाज़ार के संवर्धन के लिए कयर बोर्ड स्थापित किया गया। कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा (4) केंद्र सरकार को कयर बोर्ड गठित करने का अधिकार देती है। बोर्ड में एक अध्यक्ष और ऐसे सदस्य होंगे, चालीस से अधिक नहीं, जिन्हें केंद्र सरकार विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करना उचित समझे। कयर उद्योग नियमावली, 1954 के उपनियम 4 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक वर्ग से बोर्ड के सदस्य के रूप में जितने लोगों को नियुक्त किया जाना है उनकी संख्या बताई गई है, जो इस प्रकार है :

(क) नारियल उगाने वाले और भूसी तथा कयर धागों के उत्पादक – 3

(ख) भूसी, कयर एवं कयर धागों के उत्पादन में और कयर उत्पादों के निर्माण में लगे हुए लोग 3

(ग) कयर उत्पादों के निर्माता –3

(घ) निर्यातकों और देशी व्यापारियों सहित कयर, कयर धागों और कयर उत्पादों के विक्रेता 3

(ड.) संसद–3 (2 सदस्य लोकसभा द्वारा चुने जाएंगे और एक राज्य सभा द्वारा चुना जाएगा)

(च) नारियल उगाने वाले प्रमुख राज्यों की सरकारें –5

(छ) केंद्र सरकार के मतानुसार जिनका प्रतिनिधित्व अपेक्षित है ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग –19

बोर्ड मुख्यालय

अध्यक्ष

श्री कुप्पुरामु दुरईपांडी को तीन वर्ष की अवधी के लिए कयर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्होंने दिनांक 14.07.2021 को कार्यभार संभाला है।

सचिव

मंत्रालय के आदेश के अनुसरण में तथा कयर बोर्ड के दिनांक 27.09.2022 के आदेश संख्या ए–46/1/2022–प्रशासन (कार्मिक) के अनुसार, श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, आंचलिक निदेशक ग्रेड–I को दिनांक 27.09.2022 से कयर बोर्ड के सचिव के अतिरिक्त प्रभार के रूप में नियुक्त किया गया है और अभी भी इस पद पर बने हुए हैं।

बोर्ड का मुख्यालय कयर हाउस, एम.जी.रोड, कोच्चि, केरल में स्थित है। बोर्ड भारत के विभिन्न भागों में स्थापित 29 शोरूम और बिक्री डिपो सहित 47 संस्थान चल रहा है। बोर्ड के अंतर्गत कुल 246 कर्मचारी कार्यरत हैं।

3.3.5 भारत में कयर उद्योग

कयर नारियल की भूसी से निकाला गया एक प्राकृतिक रेशा है। नारियल के रेशों से बनी रस्सियों और डोरियों का उपयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। सदियों पहले, भारतीय नाविक जो समुद्र के रास्ते मलाया, जावा, चीन और अरब की खाड़ी की यात्रा करते थे, वे अपने जहाज के केबल के रूप में रस्सी का इस्तेमाल करते थे। डेढ़ सौ वर्ष पूर्व, जब वर्ष 1859 में अल्लापुझा में पहली फैक्टरी स्थापित की गई थी, तभी भारत में फैक्टरी के आधार पर मैटिंग और अन्य फर्श कवरिंग की शुरुआत हुई थी।

कयर उद्योग एक कृषि आधारित पारंपरिक उद्योग है, जिसकी उत्पत्ति केरल राज्य में हुई और तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा आदि जैसे अन्य नारियल उत्पादक राज्यों तक विस्तृत हुआ। यह एक निर्यात उन्मुख उद्योग है जिसमें तकनीकी क्रियाकलाप के माध्यम से मूल्य संवर्धन द्वारा निर्यात बढ़ाने की क्षमता है।

3.3.5.1: विगत 5 वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कयर का निर्यात

(मात्रा और मूल्य)

वर्ष	मात्रा (मिट्रिक टन)	मूल्य (लाख रु. में)
2018-19	964,046	272804.59
2019-20	988,996	275790.13
2020-21	1163213	377897.91
2021-22	1234855	434005.00
2022-23	1264784	399217.92
2023-24	1179396	338805.09

3.3.5.2 वर्ष 2023–24 में भारत से कयर आयात करने वाले शीर्ष 5 देश नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं .	देश	मात्रा (टन)	प्रतिशत (%)	मूल्य (लाख रु. में)	प्रतिशत (%)
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	136786	11.59	85182	21.90
2	चीन गणराज्य	498403	42.25	77374	19.90
3	नीदरलैंड	87712	7.43	23544	6.05
4	ब्रिटेन	42720	3.62	17526	4.5
5	स्पेन	54402	4.61	14557	3.74

3.3.5.3. विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कयर और कयर उत्पादों का उत्पादन नीचे दिया गया है (अनंतिम);

मद	2020–21 (मात्रा मिट्रिक टन में)	2021–22 (मात्रा मिट्रिक टन में)	2022–23 (मात्रा मिट्रिक टन में)	2023–24 (मात्रा मिट्रिक टन में)
कयर रेशा	758000	767000	791000	796300
कयर यार्न	456000	461500	474600	477780
कयर उत्पाद	300800	304500	313236	315335
कयर रस्सी	91200	92300	94920	95556
छल्लेदार कयर	90800	92000	94920	95556
रबर युक्त कयर	110400	111800	118650	119445

3.3.6 कयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित स्कीमें

3.3.6.1 कयर विकास योजना (सीवीवाई)

कयर बोर्ड देश में कयर उद्योग की समग्र वृद्धि और विकास के लिए विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है। अंब्रेला स्कीम, कयर विकास स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वित घटक स्कीमें/कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

(i) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी)

कयर बोर्ड, कयर उद्योग के समग्र और सतत विकास के लिए विभिन्न योजना, स्कीमों, कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। सीवीवाई की अंब्रेला स्कीमों के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कीम पारंपरिक उद्योग को आधुनिक बनाने के दृष्टिकोण से अपनाई जाती हैं। आधुनिकीकरण से उत्पादकता में सुधार, गुणवत्ता में वृद्धि, उत्पादों के विविधीकरण और अत्यधिक मेहनत का बचाव होगा। बोर्ड की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित हैं:

1. उत्पादन प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण
2. मशीनरी और उपकरणों का विकास
3. उत्पाद विकास और विविधीकरण

4. पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का विकास

5. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, इनक्यूबेशन, परीक्षण और सेवा सुविधाएँ

1. उत्पादन प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण

क) वॉटरप्रूफ कयर छाते का विकास

व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 4 फीट आकार में एक धातु की सहायता से वॉटरप्रूफ कयर छाता विकसित किया गया है।

ख) कयर पिथ से मच्छर प्रतिरोधी

कयर पिथ के संभावित उपयोग पर, कॉफी पाउडर, लौंग और लेमन ग्रास के संयोजन के साथ मच्छर भगाने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की गई और प्रक्रिया पैरामीटर को मानकीकृत और अनुकूलित किया गया।

2. मशीनरी एवं उपकरणों का विकास

क) ड्राफ्टिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कयर यार्न स्पिनिंग मशीन का विकासः

ड्राफ्टिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके नई कयर यार्न कताई मशीन विकसित की गई है। यार्न में रेशों की संख्या में कमी आई है तथा समरूपता और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है।

ख) घरेलू इकाइयों के लिए कम लागत वाली बागवानी सामान, गमले बनाने की मशीन का विकास

अत्याधुनिक निर्मित मशीन घरेलू और लघु उद्योगों के लिए मैन्युअल रूप से संचालित हाइड्रोलिक समर्थित सस्ती मशीन है। गमले और बगीचे के सामान का उपयोग घरेलू बागवानी, कृषि और बागवानी में किया जा सकता है।

(ग) कयर मैटिंग/कयर जियो–टेक्सटाइल बुनाई के लिए रैपिअर लूम का विकास

मशीन का डिज़ाइन और रेखाचित्र पूरा हो चुका है। परीक्षण और डिज़ाइन अनुकूलन का काम प्रगति पर है और इसकी वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान पूरा होने की संभावना है।

ड) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के अंतर्गत कयर आधारित उत्पाद विकास के लिए उन्नत मशीनरी का डिजाइन, विश्लेषण और विकास

परियोजना में व्यावसायिक डिजाइन दृष्टिकोण का पालन करते हुए रस्सी आधारित उत्पादों के निर्माण के लिए तीन उन्नत मशीनें विकसित करना और प्रत्येक मशीनरी को प्रशिक्षित परियोजना कर्मचारियों की एक टीम के साथ हर साल वितरित करना शामिल है। परियोजना के पहले वर्ष का उद्देश्य 2 मीटर चौड़े कयर जियोटेक्सटाइल के निर्माण के लिए बिजली के कम उपयोग के साथ एक पावरलूम को डिजाइन और विकसित करना है।

3. उत्पाद विकास एवं विविधीकरण

(क) कयर बटन बनाने का उपकरण

इस उपकरण को क्षतिग्रस्त या उपयोग किए गए ड्रिल बिट पर होल सॉ कटर के साथ बनाया गया है। ट्रायल कटिंग एक पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन पर की गई थी और यह उपकरण बटन बनाने की तीन प्रक्रियाओं का संयोजन है, अर्थात् वांछित आकार और साइज़ की कटिंग, बटन के अंदर खांचे बनाना और बाहरी रिम बनाना। अंतिम प्रक्रिया के रूप में एज फिनिश और होल ड्रिल अलग–अलग किए जाते हैं। यह उपकरण उपयोगी है और हर कोई इसका उपयोग कर सकता है।

(ख) कयर छतरी का डिजाइन विकास

कयर की छतरी को एक पारदर्शी सिलपोलिन शीट (जल प्रतिरोधी/प्रूफ) का उपयोग करके विकसित किया गया है, जिसके ऊपर हमें घनी संरचना वाली छप्पर की आवश्यकता होती है, इस डिज़ाइन में 6–7 इंच लंबे रेशा बंडलों की दो लेन होती हैं।

(ग) कोको ग्रीन टाइल का डिज़ाइन संशोधन

डिजाइन में कुछ संशोधन के साथ कोको ग्रीन टाइल विकसित की गई और परीक्षण किया गया।

घ) पैकेजिंग के लिए कयर बॉल्स

पैकेजिंग उद्योग में, नाजुक सामग्रियों या उत्पादों की हैंडलिंग और ट्रांसशिपमेंट के लिए विस्तारित थर्मोकोल बॉल्स और पॉलीस्टाइनिन बॉल्स का उपयोग किया जाता है। पैकेजिंग सामग्री के रूप में कयर थर्मोकोल बॉल्स और पॉलीस्टाइनिन बॉल्स का प्रतिस्थापन हो सकता है।

(ङ) कयर थैच (ब्रश तकनीक के साथ)

छप्पर वाली छत एक पारंपरिक विधि है जिसका उपयोग सूखे रेशों जैसे कि पुआल, ईख, ताड़ के पेड़ और अन्य प्राकृतिक रेशों से छत बनाने के लिए किया जाता है। उम्मीद है कि कयर छप्पर दुनिया भर में पहला फल–आधारित रेशा छप्पर होगा।

(घ) कोको ग्रीन रेस्टोरेशन टाइल्स

कयर जियो टेक्सटाइल्स बिछाने से पहले ढलान पर अच्छी मिट्टी और खाद की परत चढ़ाने के कठिन काम से बचने के लिए कोको ग्रीन रेस्टोरेशन टाइल्स का विकास किया गया।

(च) लेनो पर्दे का कटआउट

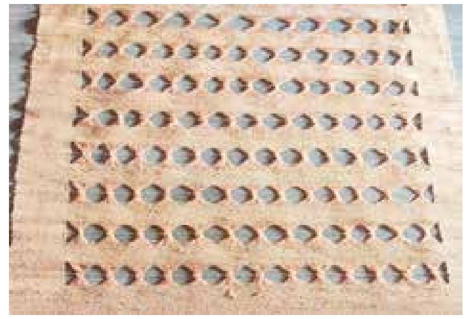

संस्थान ने 2/17 सूती धागे को ताने के रूप में और पतले कयर धागे को बाने के रूप में इस्तेमाल करके एक पर्दा कपड़ा विकसित किया है, जिसमें कटआउट लेनो बाय लेनो और साथ ही सादी बुनाई भी की गई है। इस पर्दे में हमने कपड़े को सीधा करने के लिए बांस की पट्टियों या झाड़ू की छड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया है।

(छ) कयर फ्लो अरोमा डिफ्यूज़र

रीड डिफ्यूज़र लोकप्रिय घरेलू खुशबू वाले उत्पाद हैं जो पूरे कमरे में हवा में लगातार फैलने की अनुमति देते हैं। ऐसा ही एक नवपरिवर्तन पारंपरिक इत्र रीड डिफ्यूज़र के प्रतिस्थापन के रूप में कयर रेशा का उपयोग है। नारियल की भूसी से प्राप्त कयर, विशेष रूप से अपने हाइड्रोफिलिक स्वभाव और उल्लेखनीय केशिका क्रिया के कारण, कई लाभ प्रदान करता है।

4. पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का विकास

(क) कयर से रेल व्हील एक्सल कप का उत्पादन

रेल मंत्रालय, बेंगलुरू के रेल व्हील फैक्ट्री (आरडब्ल्यूएफ) ने मौजूदा एचडीपीई प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री के स्थान पर रेल व्हील एक्सल के लिए पर्यावरण अनुकूल वैकल्पिक पैकेजिंग सामग्री के विकास के लिए अत्यंत रुचि दिखाई है। कयर से रेल व्हील एक्सल कप विकसित किए गए हैं और आरडब्ल्यूएफ से इसके प्रदर्शन मूल्यांकन और फीडबैक के लिए प्रस्तुत किए गए हैं। उत्पादन परीक्षण और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए सीसीआरआई निजी उद्यमियों के साथ जुड़ रहा है।

(ख) ग्लास शीट के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली स्टायरोफोम सामग्री को प्रतिस्थापित करने के लिए कयर आधारित पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग सामग्री के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास परीक्षण शुरू किए गए हैं। निजी उद्यमी मेसर्स देविका कंस्ट्रक्शन कंपनी के अनुरोध के आधार पर परीक्षण शुरू किए गए हैं। विकसित नमूनों को इसके प्रदर्शन मूल्यांकन और यदि आवश्यक हो तो भावी संशोधनों के लिए फीडबैक के लिए प्रस्तुत किया गया है।

5. प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, इनक्यूबेशन, परीक्षण और सेवा सुविधाएं

(क) कयर और कयर उत्पादों का परीक्षण

मद	उत्पादन	विक्रय	प्रयोग/डेमो के लिए प्रयुक्त	मूल्य (रु.)
बायोकेम	20 लीटर	0	20 लीटर	0.00
पिथप्लस	724.4 किलोग्राम	280.80 किलोग्राम	0	36,793.00
परिक्षण	407 सं			21,54,734.00
मानव संसाधन विकास	3 महीने के शोध प्रबंध के लिए 10 एम. एससी प्रोजेक्ट छात्रों को रु.10000/— + 18% जीएसटी 2 एमएससी छात्रों को 2 सप्ताह की इंटर्नशिप के लिए रु.2000/— + 18: जीएसटी			1,22,000.00
कुल अर्जित राजस्व				23,13,527.00

(ख) प्रौद्योगिकी हस्तांतरणः 20

(ग) प्रौद्योगिकी का क्षेत्रीय प्रदर्शन—1077

(ii) कौशल उन्नयन कार्यक्रम एवं महिला कयर योजना

कौशल उन्नयन

उचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कयर उद्योग में कुशल जनशक्ति का विकास कयर बोर्ड की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। बोर्ड उपरोक्त राज्यों में अपने प्रशिक्षण केंद्रों के साथ—साथ क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मूल्य—वर्धित कयर उत्पादों के निर्माण, महिला कयर स्कीम के अंतर्गत कयर यार्न की कताई, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला पर प्रशिक्षण, प्रचार कार्यक्रम प्रदान करता है। ग्रामीण लोगों को कयर इकाइयों के कामकाज के बारे में जागरूक करने के लिए एक्सपोजर टूर और सेमिनार और इस प्रकार लोगों को पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करके अपनी स्वयं की कयर इकाइयां या कयर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करना।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, बोर्ड ने 4197 कयर कारीगरों को कयर यार्न की कताई, मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माण आदि जैसे विभिन्न कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए हैं और मार्च, 2024 तक विभिन्न राज्यों में 122 प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रम वैतनिक प्रकृति में हैं।

महिला कयर योजना (एमसीवाई)

कयर विकास स्कीम के अंतर्गत विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों में से, महिला कयर स्कीम (एमसीवाई) में केवल महिला कारीगरों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। एमसीवाई कयर बोर्ड द्वारा वर्ष 1994 से कयर क्षेत्र में महिला कारीगरों के सशक्तिकरण के लिए क्रियान्वित की जा रही पहली महिला उन्मुख स्व—रोजगार स्कीम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिला कारीगरों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। पिछले दो दशकों में भारत में कयर रेशे का उत्पादन काफी बढ़ गया है। ग्रामीण घरों में यंत्रीकृत राटों पर कयर रेशे को यार्न के रूप में कातने का कार्य बड़े

पैमाने पर रोज़गार के अवसर सृजित करता है, कयर रेशे की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाता है, बेहतर काम परिस्थितियाँ और उच्चतर आय प्रदान करता है। दो महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम वैतनिक प्रकृति में है।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान वर्ष 1967 महिलाओं को एमसीवाई कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से कयर कताई में कौशल प्रशिक्षण दिया गया।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)

कयर क्षेत्र के उद्यमियों के हित के लिए सीधा या क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम या व्यवसायिक एजेंसियों, जो कयर गतिविधियों के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, को शामिल करके किया जाता है। ईडीपी संसाधन प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन, उत्पादकता और लाभप्रदता जैसे प्रमुख पहलुओं की निगरानी करके उद्यमियों को अपने संगठन को सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से चलाने में सक्षम बनाता है। यात्रा व्यय के लिए 50% सहायता के साथ ईडीपी फंड का उपयोग करके निकटतम कयर प्रसंस्करण केंद्र का एक क्षेत्रीय दौरा आयोजित किया जाएगा।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, बोर्ड ने मार्च, 2024 तक बोर्ड के अधीन क्षेत्रीय और उप–क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 40 ईडीपी आयोजित किए हैं। इसके अलावा, मार्च, 2024 तक बोर्ड द्वारा 47 जागरूकता कार्यक्रम, 10 एक्सपोजर टूर, 13 कार्यशालाएं, 12 क्षेत्रीय सेमिनार भी आयोजित किए गए।

नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम

बोर्ड ने स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थानों और दो क्षेत्रीय कार्यालयों से जुड़े प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से दो नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो कि कयर प्रौद्योगिकी में कयर कारीगर का प्रमाणपत्र–पाठ्यक्रम (छह महीने की अवधि) और कयर प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (एक वर्ष की अवधि) आयोजित किए हैं।

1. राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण एवं डिज़ाइन केंद्र (एनसीटी और डीसी), कलावूर, केरल
2. क्षेत्रीय विस्तार केंद्र (आरईसी), तंजावूर, तमिलनाडु
3. क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
4. क्षेत्रीय कार्यालय,राजमुंदरी

बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मार्च, 2024 तक कुल मिलाकर 4197 लाभार्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया।

निर्यात बाजार संवर्धन

निर्यात बाजार संवर्धन के क्षेत्र में बोर्ड की गतिविधियों में कयर निर्यातकों का पंजीकरण, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और क्रेता–विक्रेता बैठकों में कयर एमएसएमई की भागीदारी का आयोजन, भारत में वास्तविक और वर्चुअल तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, कार्यशाला और सेमिनार आयोजित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई इकाइयों को सहायता प्रदान करना, प्रबंधन विकास कार्यक्रम/ कार्यशालाओं का आयोजन, कयर उद्योग पुरस्कार प्रदान करना आदि शामिल हैं, जिनका उद्देश्य छोटे पैमाने के निर्यातकों को वैश्विक बाजार में प्रवेश करने और भारतीय कयर उत्पादों के निर्यात का विस्तार करने के लिए

प्रोत्साहित करना है। बोर्ड, पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक रेशे के रूप में कयर के संदेश को प्रचारित करते हुए मौजूदा तथा नए बाजारों में भारतीय कयर उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास करेगा।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान उपलब्धियां

1. इस अवधि के दौरान एक सौ तैंतालीस निर्यातकों को कयर बोर्ड के अंतर्गत निर्यातक के रूप में पंजीकृत किया गया और पंजीकरण सह–सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) जारी किया गया।

2. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के अंतर्गत बाजार विकास सहायता के रूप में 64 कयर उद्यमियों को 2,70,94,374/– रु. की राशि संवितरित की गई है।

3. कयर बोर्ड ने "निर्यातकों के लिए निर्यात प्रबंधन कौशल" पर छह प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) का आयोजन किया:

   ➢ बेंगलुरू (8 – 10 अगस्त, 2023),

   ➢ हैदराबाद (23–25 अगस्त, 2023)

   ➢ तंजावुर (12 –14 सितंबर, 2023)

   ➢ पोलाची (28–29 दिसंबर, 2023)

   ➢ भुवनेश्वर (15–16 फरवरी, 2024)

   ➢ ईरोड (13–14 मार्च, 2024)

4. कयर बोर्ड ने विदेशों में निम्नलिखित मेलों में भारतीय कयर क्षेत्र की भागीदारी का आयोजन किया:

   ➢ भारतीय एमएसएमई कयर एक्सपो, बैंकॉक, थाईलैंड 15–16 जुलाई, 2023 के दौरान आयोजित किया गया।

   ➢ गार्डेक्स, टोक्यो, जापान, 11–13 अक्टूबर, 2023 के दौरान आयोजित किया जाएगा।

   ➢ आईएफटीएफ (अंतर्राष्ट्रीय पुष्प कृषि व्यापार मेला), हॉलैंड, नीदरलैंड 8–10 नवंबर, 2023 के दौरान आयोजित किया गया।

   ➢ डोमोटेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, हनोवर, जर्मनी 11–14 जनवरी, 2024 के दौरान आयोजित किया गया।

   ➢ आईआईपीएम एसेन, जर्मनी 23–26 जुलाई, 2024 के दौरान आयोजित किया गया।

   ➢ आईईसीए वार्षिक सम्मेलन और एक्सपो, स्पोकेन, वाशिंगटन, यूएसए 25–28 फरवरी, 2024 के दौरान आयोजित किया गया।

   ➢ राष्ट्रीय हार्डवेयर शो, लास वेगास, यूएसए 26–28 मार्च, 2024 के दौरान आयोजित किया गया।

5. निम्नलिखित कार्यक्रमों में भारतीय कयर क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है:

   (i) डोमोटेक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, हनोवर, जर्मनी 11–14 जनवरी, 2024 के दौरान आयोजित किया गया।

   (ii) आईपीएम एसेन, जर्मनी 23 से 26 जनवरी, 2024 के दौरान आयोजित किया गया।

(iii) आईईसीए वार्षिक सम्मेलन और एक्सपो, स्पोकेन, वाशिंगटन, यूएसए 25–28 फरवरी, 2024 के दौरान आयोजित किया।

(iv) नेशनल हार्डवेयर शो, लास वेगास, यूएसए 26–29 मार्च, 2024 के दौरान आयोजित किया।

घरेलू बाजार संवर्धन

भारत और अन्यत्र, कयर व कयर उत्पादों का प्रचार कयर बोर्ड की गतिविधियों के महत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। ''स्वदेशी बाज़ार प्रचार'' में बोर्ड के शोरूमों और बिक्री केन्द्रों के माध्यम से कयर उत्पादों की वर्धित बिक्री और देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शिनियों में भागीदारी आयोजित करके, श्रव्य और दृश्य मीडिया के माध्यम से प्रचार, बिक्री अभियान, ब्रोशर और पैम्फलेट का वितरण, होर्डिंग्स का स्थापन आदि के रूप में कयर व कयर उत्पादों को लोकप्रिय बनाना आदि शामिल है।

I. घरेलू प्रदर्शनियों में भागीदारी

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कयर बोर्ड ने 94 प्रदर्शनियों में सक्रिय रूप से भाग लेकर देश भर में कयर और कयर उत्पादों के प्रसार में अपनी सक्रिय भागीदारी का प्रदर्शन किया। जागरूकता और बाजार में उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए इस ठोस प्रयास में 10.30 करोड रु. का खर्च आया। कयर बोर्ड व्यापक आउटरीच पर गर्व करता है, जिसमें विविध भौगोलिक स्थानों को शामिल किया गया है, कयर–आधारित पेशकशों के लाभों और बहुमुखी प्रतिभा को प्रभावी ढंग से प्रसारित किया गया है। संलग्न अनुबंध–I हमारी पहुंच की सीमा को उजागर करते हुए, राज्य–वार आधार पर इन प्रदर्शनियों का एक व्यावहारिक विवरण प्रदान करता है। इन प्रदर्शनियों ने सामूहिक रूप से कयर उद्योग के साथ संभावनाओं के स्पेक्ट्रम को प्रदर्शित करने के लिए प्रभावशाली मंच के रूप में कार्य किया।

➢ जी20 शिखर सम्मेलन– चौथी ईडब्ल्यूजी बैठक और श्रम एवं रोजगार मंत्री की बैठक

कयर बोर्ड ने 19–21 जुलाई, 2023 के दौरान ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर में आयोजित प्रदर्शनी जी20 शिखर सम्मेलन– चौथी ईडब्ल्यूजी बैठक और श्रम एवं रोजगार मंत्री की बैठक में अपने शोरूम और बिक्री डिपो इंदौर के माध्यम से भाग लिया है। प्रचार सामग्री सहित सभी प्रकार के कयर उत्पादों को मंडप में प्रदर्शित और वितरित भी किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न देशों से आए दर्शकों ने स्टॉल का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में बोर्ड को अच्छा प्रचार और बिक्री मिली।

➢ ''पर्यावरण अनुकूल उत्पाद''

बोर्ड ने 22 सितंबर 2023 को एर्नाकुलम जंक्शन स्टेशन पर दक्षिण रेलवे द्वारा आयोजित ''पर्यावरण अनुकूल उत्पाद'' कार्यक्रम में भाग लिया। कयर बोर्ड के स्टॉल पर आकर्षक कयर डोर मैट, मैटिंग, गार्डन आर्टिकल्स, हस्तशिल्प और कयर पिथ उत्पाद सजे हुए थे। प्रदर्शनी के दौरान बिकने वाली अधिकांश वस्तुएँ हस्तशिल्प और गार्डन आर्टिकल्स हैं

➢ ''कन्नी 20 पेरुन्नाल''

बोर्ड ने दिनांक 25 सितंबर से 6 अक्टूबर 2023 तक कोतमंगलम के मारथोमा चेरिया पल्ली में आयोजित ''कन्नी 20 पेरुन्नल एक्सपो'' में भाग लिया था। कार्यक्रम का उद्घाटन एर्नाकुलम के जिला कलेक्टर श्री एन.एस.के. उमेश और कोतमंगलम के विधायक श्री एंटनी जॉन ने किया था।

3.3.6.2 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

इसके अलावा, वर्ष 2018–19 से, कयर क्षेत्र में पीएमईजीपी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय की ओर से एक ऐजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसका उद्देश्य कयर उद्योग अथवा इकाइयों की स्थापना करने के इच्छुकों को सहायता प्रदान करना है और कयर उद्योग में स्व–रोजगार को बढ़ावा देना है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 31 मार्च 2024 तक, 90 कयर इकाइयां स्थापित करने के लिए 427.53 लाख रु. की निधि जारी की गई है।

3.3.6.3 परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति)

परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाने और उनके सतत विकास को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से, भारत सरकार ने "परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ती)" शीर्षक से एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम की घोषणा की।

कयर बोर्ड इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत नोडल एजेंसियों में से एक है। अब तक, 141.14 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत के साथ 40 कयर क्लस्टर अनुमोदित किए गए हैं, जिसमें से भारत सरकार का अनुदान 117.04 करोड़ रु. है।

40 कयर क्लस्टरों में से 31 क्लस्टर क्रियाशील हो गए हैं और उत्पादन शुरू कर दिया है। शेष क्लस्टरों का कार्यान्वयन तेज गति से आगे बढ़ रहा है और सभी क्लस्टर 31 मार्च 2024 को या उससे पहले पूरा होने की प्रतीक्षा में है।

3.3.7 एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कयर बोर्ड को बजटीय सहायता

भारत सरकार, स्कीम शीर्ष के अंतर्गत कयर बोर्ड को उसकी विभिन्न गतिविधियों के लिए निधि प्रदान करती है। विगत पांच वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कयर बोर्ड को प्रदान की गई बजटीय सहायता का विवरण निम्नानुसार

कयर बोर्ड को बजटीय सहायता

वर्ष	आबंटन (संशोधित अनुमान) (करोड़ रुपए में)	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपए में)
	स्कीम	स्कीम
2018-19	86.23	82.03
2019-20	75.70	73.00
2020-21	80.70	80.69
2021-22	80.00	79.81
2022-23	87.14	87.14
2023-24	92.15	92.15

3.4 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)

3.4.1 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) एमएसएमई मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का आईएसओ 9001–2015 प्रमाणित उद्यम है। एनएसआईसी देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता और विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है।

3.4.2 उद्देश्य

एनएसआईसी का मिशन "विपणन, वित्त, प्रौद्योगिकी और अन्य सेवाओं से युक्त एकीकृत सहायता सेवा मुहैया कराके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना एवं उनकी मदद करना है"।

एनएसआईसी का विज़न "देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को संवर्धित करने वाला अग्रणी संगठन" बनना है।

3.4.3 संगठन

कंपनी के निदेशक मंडल के लिए स्वीकृत पदों में एक अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक; दो कार्यात्मक निदेशक; दो सरकारी नामित निदेशक और तीन गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशक शामिल हैं।

एनएसआईसी देश में कार्यालयों के देशव्यापी नेटवर्क जिनमें 8 (आठ) तकनीकी केंद्र भी शामिल हैं, के माध्यम से संचालित किया जाता है। एनएसआईसी ने प्रशिक्षण–सह–इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किया है और एमएसएमई क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार सेवाओं का पैकेज भी मुहैया कराता है।

3.4.4 परिचालन निष्पादन

क) कच्चे माल का वितरण

एमएसएमई को कच्चे माल की आपूर्ति सुलभ करना एनएसआईसी के महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक रहा है। एनएसआईसी थोक निर्माताओं के साथ समझौता ज्ञापन करता है और लौह और इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबा, पॉलिमर, बिटुमेन और इमल्शन, सीमेंट इत्यादि जैसे प्रमुख कच्चे माल की प्रतिस्पर्धी कीमतों पर एवं एमएसएमई की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त मात्रा की खरीद करता है। एनएसआईसी औद्योगिक क्षेत्रों में कच्चे माल के वितरण केंद्र खोलकर एमएसएमई को सुविधा प्रदान करता है ताकि एमएसएमई को अपने द्वार पर ही कच्चा माल मिल सके, उनकी इन्वेंट्री लागत कम हो सके और उन्हें अपने कार्य–स्थल के निकट सामग्री प्राप्त करने में मदद मिल सके। एमएसएमई, विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यम, कच्चे माल की सहायता प्राप्त करते समय विभिन्न लाभ प्राप्त करते हैं। इन लाभों में अन्य के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं: कमी की स्थिति में भी सामग्री की समय पर और स्थिर उपलब्धता।

1. कमी की स्थिति में भी सामग्री की समय पर और नियमित उपलब्धता।
2. एमएसएमई की आवश्यकता के अनुसार कम मात्रा में सामग्री की उपलब्धता।
3. बिचौलियों के क्रियाकलाप से रहित विनिर्माताओं की कीमतों पर सामग्री की आपूर्ति।
4. थोक मात्रा में खरीद का लाभ मिलना।
5. इन लाभों ने एमएसएमई को कीमतों के संदर्भ में प्रतिस्पर्धी बनाए रखा जिससे वे बाजार के बड़े खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा जारी रख सके।
6. एनएसआईसी ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड (एएमएनएस) से लोहे और इस्पात, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) से एल्युमीनियम, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) से पैराफिन वैक्स, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से कोयला, एसीसी लिमिटेड, डालमिया सीमेंट भारत

लिमिटेड और अंबुजा सीमेंट से सीमेंट, अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एआईसीएल) से बिटुमेन, जिंदल स्टेनलेस स्टीलवे लिमिटेड (जेएसएसएल) स्टेनलेस से स्टील की आपूर्ति करके एमएसएमई की कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा किया। एमएसएमई को और अधिक सुविधा देने और उनके कच्चे माल की आपूर्ति से जुड़ी बाधाओं को कम करने के लिए, एनएसआईसी ने क्षेत्रीय उत्पादकों, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं अर्थात स्टील सेंटर, त्रिवेणी एंटरप्राइजेज, एलाइड रीसाइक्लिंग लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू, अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड, सुगना मेटल्स, मेघालय सीमेंट लिमिटेड आदि और शिवा फेरिक के साथ व्यवस्था या एमओयू निष्पादित किया ताकि एमएसएमई को कच्चे माल की आपूर्ति की जा सके। एनएसआईसी ने उत्तरी क्षेत्र में सीमेंट की आपूर्ति के लिए मैसर्स अंबुजा सीमेंट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान वितरित कच्चे माल की मात्रा 365168 एमटीएस है, जिसकी मूल्य राशि 2774 करोड़ रु. है।

ख) कंसोर्टिया और टेंडर मार्केटिंग

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को बड़े उद्यमों की तुलना में अपनी क्षमता के बल पर निविदा के लिए बोली लगाने पर बड़े ऑर्डर प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस बाधा को कम करने के लिए, एनएसआईसी एक ही उत्पाद बनाने वाली छोटी इकाइयों का संघ बनाता है, जिससे उनकी क्षमता की पूलिंग होती है जो एमएसई को आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों के रूप में सुविधा देती है। निगम एमएसई के संघ की ओर से निविदाओं के लिए आवेदन करता है और बड़ी मात्रा के ऑर्डर प्राप्त करता है। फिर ये ऑर्डर एमएसई के बीच उनकी उत्पादन क्षमता के अनुरूप वितरित किए जाते हैं।

निविदा विपणन स्कीम के अंतर्गत, एनएसआईसी निविदाओं में भागीदारी से लेकर निविदाओं के निष्पादन तक निविदा गतिविधि के हर चरण में एमएसई को सुविधा प्रदान करता है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, एनएसआईसी ने 584 निविदा गतिविधियों में भाग लिया है जिनका निविदा मूल्य 246.00 करोड़ रु. था और 56.63 करोड़ रु. मूल्य की निविदाएं निष्पादित की गईं।

ग) ऋण सहायता

एनएसआईसी कच्चे माल की खरीद के लिए बैंक गारंटी के प्रति कच्चा माल सहायता स्कीम में आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करके ऋण सहायता प्रदान करता है। एनएसआईसी निविदा विपणन स्कीम जैसी स्कीमों के अंतर्गत एमएसएमई को सहायता देकर वित्तपोषण की सुविधा भी देता है।

इसके अलावा, एमएसएमई इकाइयों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एनएसआईसी ने राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन बैंकों के साथ सिंडिकेशन के माध्यम से, एनएसआईसी बैंकों से ऋण सहायता (कोष या गैर–कोष से इतर आधारित सीमा) की व्यवस्था करता है। इसके अलावा, एनएसआईसी ने ऑनलाइन वित्त सुविधा केंद्र शुरू किया है जिसके अंतर्गत एनएसआईसी पोर्टल और बैंक के पोर्टल के बीच वेब लिंकेज के माध्यम से एमएसएमई को ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। एमएसएमई इकाई या सीधे www.nsicffconline.in पर लॉग–इन कर सकती है या ऋण प्रस्ताव के साथ अपने निकटतम एनएसआईसी वित्त सुविधा केंद्र से भी संपर्क कर सकती है। वित्त सुविधा केंद्र एमएसएमई इकाई द्वारा चुने गए किसी भी तीन पसंदीदा बैंकों, जो एनएसआईसी के साथ समझौता ज्ञापन सहमति के अंतर्गत निर्धारित हैं, को ऋण प्रस्ताव

ऑनलाइन जमा करने के लिए दस्तावेज़ीकरण में एमएसएमई इकाई की सहायता करके पथ–प्रदर्शन सहायता देता है। यह पथ–प्रदर्शन सहायता करने के लिए, एनएसआईसी एमएसएमई इकाई से कोई शुल्क नहीं लेता है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, एनएसआईसी द्वारा 2530 से अधिक एमएसएमई को कच्चे माल की सहायता (आरएमए) के अंतर्गत 7307.82 करोड़ रु. (अनऑडिटेड) ऋण सहायता प्रदान की गई थी। बैंक की ओर से ऋण सुविधा स्कीम के अंतर्गत 168 एमएसएमई को 514 करोड़ रु. प्रदान किए गए।

बिल डिस्काउंटिंग स्कीम

इस स्कीम में वास्तविक व्यापार लेनदेन अर्थात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा विनिर्माण और सेवा कार्यकलाप में लगे प्रतिष्ठित सरकारी लिमिटेड कंपनियों और राज्य एवं केंद्र सरकार के विभागों, उपक्रमों या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों (व्यापारी नहीं) को की गई आपूर्ति से उत्पन्न बिलों में बैंक द्वारा डिस्काउंटिंग किया जाना शामिल है। पोर्टफोलियो को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए, एनएसआईसी द्वारा स्कीम के लिए एक वेब एप्लिकेशन तैयार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, बैंक गारंटी के विरुद्ध 40.24 करोड़ रु. (अनऑडिटेड) के कुल बिलों में छूट दी गई।

घ) एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम (एसपीआरएस)

एनएसआईसी सरकारी निविदाओं में सहभागिता और सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में योगदान करने के लिए एमएसई की क्षमता निर्माण हेतु सरकारी खरीद के लिए एकल बिंदु पंजीकरण संचालित करता है। एनएसआईसी की एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयां सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए सरकारी खरीद नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कुल 1839 नई इकाइयाँ जोड़ी गईं और 5554 इकाइयों का नवीनीकरण किया गया।

ड) एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र

एनएसआईसी ओखला (नई दिल्ली), हैदराबाद (तेलंगाना), हावड़ा (पश्चिम बंगाल), राजकोट (गुजरात), चेन्नई (तमिलनाडु), राजपुरा (पंजाब) और अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) और नीमका (हरियाणा) में स्थित अपने आठ "एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र" (एनटीएससी) के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को निम्नलिखित प्रौद्योगिकीय सहायता सेवाएं प्रदान करता है।

i) कौशल विकास (क्षमता विकास)

एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र वर्तमान में उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विषयों में रोजगार–उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। ये केंद्र पारंपरिक विधियों से लेकर हाई–टेक मशीनरी और उपकरणों जैसे एडवांस टूल रूम, सीएनसी मिलिंग और टर्निंग मशीन, ईडीएम, रोबोटिक्स लैब, सौर ऊर्जा अनुप्रयोग लैब, एससीएडीए तथा विभिन्न क्षेत्रों जैसे एसएपी, मल्टीमीडिया, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिजाइन सॉफ्टवेयर, एआर/वीआर आदि में प्रोसेस कंट्रोल लैब और सॉफ्टवेयर लैब से सुसज्जित हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान तकनीकी केंद्रों में 66765 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया और 21.61 करोड़ रु. का राजस्व सृजित हुआ।

केन्द्र में चल रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का विवरण निम्नुसार हैं–

क) **डिजाइनः** सीएडी/सीएएम, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग (सीएई), सीएनसी प्रोग्रामिंग और संचालन, कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स (सीएफडी), मोल्ड डिजाइन, सॉलिड वर्क्स, 3 डी प्रिंटिंग, स्टैड प्रो और रेविट के माध्यम से इंटीरियर डिजाइन और प्रशिक्षण।

ख) **मैकेनिकलः** टूल डिजाइन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण, एचवीएसी डिजाइन, मशीनिस्ट और वेल्डिंग आदि।

ग) **इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्सः** औद्योगिक रोबोटिक्स, पीएलसी–स्काडा के साथ स्वचालन, एंबेडेड सिस्टम, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल सर्किट और सबस्टेशन रखरखाव, मोटर वाइंडिंग और मरम्मत, मेक्ट्रोनिक्स आदि।

घ) **सूचना प्रौद्योगिकीः** एडवांस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग, 'O' लेवल, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं, वेबसाइट डिजाइन और विकास, बिग डेटा और हैडूप, पायथन, एसक्यूएल सर्वर, कोर जावा, एमसीपी–सीसीएनए, एंड्रॉइड एप्लिकेशन, एडवांस्ड जावा, क्लाउड कंप्यूटिंग, सी++ और ओओपीएस, कम्प्यूटरीकृत लेखांकन और टैली ईआरपी आदि।

ड.) **एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग और एनसीवीटी पाठ्यक्रमः** एनटीएससी, नीमका में पांच अलग–अलग विषयों में एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। जबकि छात्रों को व्यावसायिक, शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एनसीवीटी से संबद्ध आईटीआई स्तर के पाठ्यक्रम एनटीएससी, ओखला, राजपुरा और हावड़ा में आयोजित किए जाते हैं।

च) **सामान्य सुविधा सेवाएँः** तकनीकी केंद्र, केंद्र में स्थित एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से परीक्षण सेवाएँ प्रदान करता है। लौह और अलौह सामग्री, पाइप, स्टील के तार, भवन निर्माण सामग्री, लकड़ी और मिट्टी एवं बिटुमेन परीक्षण, डीजल इंजन परीक्षण, पंप परीक्षण, प्लास्टिक परीक्षण, सामग्री परीक्षण, विद्युत कंडक्टर, तार और केबल, इंसुलेटर, विद्युत उपकरण परीक्षण, अंशांकन प्रयोगशाला आदि जैसे उत्पादों के परीक्षण की सेवाएं उद्योग को प्रस्तुत की गई।

वर्ष 2023–24 के दौरान सामान्य सुविधा सेवाओं के अंतर्गत 15891 इकाइयों को सुविधा प्रदान की गई। तकनीकी केंद्र द्वारा 12.39 करोड़ रु. की आय अर्जित की गई।

एनएसआईसी, रैपिड इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से, संभावित उद्यमियों और स्टार्ट–अप कंपनियों को उत्पाद विनिर्माण शुरू करने के लिए सहायता देता है। ये इनक्यूबेशन केंद्र कार्यशील परियोजनाओं पर व्यावहारिक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करते हैं और व्यवसाय के सैद्धांतिक पहलुओं जैसे विपणन, व्यवसाय विकास, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना आदि को भी शामिल करते हैं। एनएसआईसी ने इस मंत्रालय की "नवपरिवर्तन, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर)" के अंतर्गत देवरिया (यूपी), राजकोट (गुजरात), काशीपुर (उत्तराखंड), नैनी (यूपी), नवादा (बिहार), चेन्नई (तमिलनाडु), नीमका (हरियाणा) और राजपुरा (पंजाब) में आठ आजीविका बिजनेस इनक्यूबेटर स्थापित किए हैं।

छ) **एमएसएमई के लिए ई–मार्केटिंग/डिजिटल सेवा सुविधा**

एनएसआईसी एमएसएमई ग्लोबल मार्ट वेब पोर्टल (www.msmemart.com) के माध्यम से ई–मार्केटिंग सेवा की सुविधा भी प्रदान करता है। एनएसआईसी का मार्केटिंग पोर्टल देश भर में एमएसएमई को अपना व्यवसाय बढ़ाने के

लिए ई–मार्केटिंग मंच मुहैया कराता है। पोर्टल पंजीकृत सदस्यों के विशाल डेटाबेस को होस्ट करता है जो सतत साझेदारी, उप–संविदा और सरकारी खरीद में भागीदारी के संदर्भ में व्यावसायिक अवसरों की तलाश में हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 10,340 सदस्यों को सुविधा प्राप्त हुई और 6.31 करोड़ रु. का राजस्व सृजित हुआ।

ज) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच), जो एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की एक स्कीम है, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य एससी–एसटी उद्यमियों की क्षमता वर्धन करना और एससी–एसटी आबादी के बीच "उद्यमिता संस्कृति" को बढ़ावा देना है। एनएसएसएच स्कीम एससी–एसटी आबादी को सरकारी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने और सरकारी खरीद नीति के अंतर्गत मंत्रालयों, विभागों एवं सीपीएसई द्वारा एससी–एसटी उद्यमों से 4% खरीद के अनिवार्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए सशक्त बना रही है। इसे एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत एक सीपीएसई, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

स्कीम की शुरुआत के बाद से, क्षमता निर्माण, वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और एससी–एसटी उद्यमियों के बाजार लिंकेज के लिए विभिन्न हितधारकों के परामर्श से एनएसएसएच के अंतर्गत कई क्रियाकलाप या उप–स्कीमें शुरू की गई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

1. **विशेष ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी स्कीम:** बिना किसी क्षेत्र विशिष्ट सीमाओं के संस्थागत वित्त के माध्यम से संयंत्र और मशीनरी, उपस्कर की खरीद के लिए एससी–एसटी के स्वामित्वाधीन एमएसई को 25% पूंजी सब्सिडी (25 लाख रु. की सब्सिडी सीमा)।

2. **क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम:** देश भर में विभिन्न सरकारी, स्वायत्त संस्थानों के माध्यम से एससी–एसटी के आकांक्षी, मौजूदा उद्यमियों के लिए पूरी तरह से प्रायोजित एनएसक्यूएफ–अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

3. **विशेष विपणन सहायता स्कीम (एसएमएएस):** एससी–एसटी उद्यमों को एक वित्तीय वर्ष में घरेलू और 2 अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों या व्यापार मेलों में उनकी भागीदारी की सुविधा देकर उनके उत्पादों की स्पर्धात्मकता और विपणन क्षमता को बढ़ाने के लिए विपणन सहायता दी जाती है।

4. **एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम (एसपीआरएस):** एनएसआईसी की एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण के लिए 100% सब्सिडी है और आवेदक इकाई को 100 रु. और जीएसटी की टोकन राशि का भुगतान करना अपेक्षित है।

5. **बैंक ऋण प्रोसेसिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति:** एससी–एसटी के एमएसई द्वारा अदा किए गए बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क के 80% या \1,00,000/–, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।

6. **निष्पादन बैंक गारंटी पर बैंक शुल्क की प्रतिपूर्ति:** एससी–एसटी के एमएसई द्वारा अदा किए गए निष्पादन बैंक गारंटी पर बैंक शुल्क के 80% या \ 1,00,000/–, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।

7. **परीक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति:** एक वित्तीय वर्ष में सरकारी प्रयोगशालाओं या एनएबीएल/बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से परीक्षण सेवाओं का लाभ उठाने के लिए परीक्षण शुल्क और बीआईएस से लाइसेंस या

प्रमाणन शुल्क के 80% या \1,00,000/—, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।

8. **निर्यात संवर्धन परिषद की वार्षिक सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्तिः** विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों की वार्षिक सदस्यता शुल्क का 80%, अधिकतम सीमा \ 20,000/— की प्रतिपूर्ति।

9. **सरकार द्वारा संवर्धित ई—कॉमर्स पोर्टलों की वार्षिक सदस्यता/सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्तिः.** एससी—एसटी के एमएसई को सरकार द्वारा संवर्धित ई—कॉमर्स पोर्टल जैसे जेम, ई—खादी, ट्राइफेड, ट्राइब्स इंडिया, एमएसएमई मार्ट आदि की वार्षिक सदस्यता शुल्क के 80% या \ 25,000/— जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति।

10. **शीर्ष 50 एनआईआरएफ रैंक वाले प्रबंधन संस्थानों के अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुल्क प्रतिपूर्ति स्कीमः** शीर्ष 50 एनआईआरएफ रैंक वाले प्रबंधन संस्थानों से 2 अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए 1,00,000/— रु. तक 90% की प्रतिपूर्ति।

इसके अलावा, एससी/एसटी उद्यमियों को उनके व्यावसायिक जीवनचक्र में मार्गदर्शन और सहायता देने के लिए, एनएसआईसी द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों (लुधियाना, आगरा, लखनऊ, मुंबई, पुणे, सिंधुदुर्ग, रांची, चेन्नई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, सूरत, हैदराबाद और जालौन) में 15 राष्ट्रीय एससी—एसटी हब कार्यालय (एनएसएसएचओ) स्थापित किए गए हैं। ये कार्यालय उद्यम पंजीकरण, जेम नामांकन, निविदा भागीदारी, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने, विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम, कॉन्क्लेव आदि की सुविधा देकर एससी—एसटी के एमएसई को सहायता प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त, केवीआईसी, एनएसआईसी, प्रौद्योगिकी केंद्रों, विकास और सुविधा कार्यालयों (विकास कार्यालय) आदि जैसे संगठनों के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय के संस्थागत नेटवर्क का लाभ लक्षित लाभार्थियों को जमीनी सहायता देने के लिए दिया जा रहा है।

एनएसएसएच के अंतर्गत की गई पहल या गतिविधिः दिनांक 30.11.2024 की स्थिति के अनुसार, कुल 1,27,407 मौजूदा और आकांक्षी एससी—एसटी उद्यमियों को राष्ट्रीय एससी—एसटी हब स्कीम की विभिन्न उप—स्कीमों या घटकों के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 01.05.2023 को सोशल मीडिया ट्वीट के जरिए 1 लाख एससी—एसटी लाभार्थियों तक पहुंचने पर एनएसएसएच स्कीम के प्रयासों की सराहना की थी।

इन सतत प्रयासों के साथ, एनएसएसएच स्कीम ने लक्षित लाभार्थियों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, जो एससी/एसटी के एमएसई से हुई खरीद में 14 गुना वृद्धि (मूल्य के संदर्भ में) से स्पष्ट है अर्थात यह एमएसएमई संबंध पोर्टल पर रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015—16 में 99.37 करोड़ (0.07%) से बढ़ते हुए वर्ष 2023—24 में 1406.57 करोड़ (0.67%) हो गया।

एनएसआईसी द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव की संख्याः स्कीम की दृश्यता को और बढ़ाने और अंतिम छोर पर खड़े लाभार्थी तक पहुंचने के लिए, देश के एससी—एसटी बहुल क्षेत्रों में राष्ट्रीय एससी—एसटी हब कॉन्क्लेव आयोजित किए जाते हैं। इन कॉन्क्लेव का उद्देश्य एनएसएसएच और एमएसएमई मंत्रालय की अन्य स्कीमों के बारे में जागरूकता फैलाना है। ये सम्मेलन आकांक्षी और मौजूदा एससी—एसटी उद्यमियों को सीपीएसई, वित्तीय संस्थानों, राज्य सरकार के विभागों आदि के साथ बातचीत करने और सरकारी खरीद में भागीदारी के बारे में प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाने के लिए संपर्क का एक मंच प्रदान करते हैं। दिनांक 31.03.2024 तक, 28965 इच्छुक और मौजूदा एससी/एसटी उद्यमियों ने आयोजित 57 कॉन्क्लेव में भाग लिया है। वित्तीय वर्ष 2023—24 के दौरान आयोजित एनएसएसएच कॉन्क्लेव की सूची निम्नानुसार हैः

क्र.सं	स्थान	राज्य
1.	गुमला	झारखंड
2.	झाबुआ	मध्य प्रदेश
3.	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश
4.	शिलांग	मेघालय
5.	जालौन	उत्तर प्रदेश

इसके अतिरिक्त, उन सीपीएसई को संवेदनशील बनाने, चिन्हित करने और सम्मानित करने के लिए दिल्ली में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 की चौथी तिमाही में लोक–प्रापण–नीति पर एक सीपीएसई कॉन्क्लेव आयोजित की है, जो भारत सरकार की प्रापण नीति के अनुसार अनिवार्य खरीद के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उन सीपीएसई को संवेदनशील बनाने, चिन्हित करने और सम्मानित करने के लिए दिल्ली में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 की चौथी तिमाही में लोक–प्रापण–नीति पर एक सीपीएसई कॉन्क्लेव आयोजित की है, जो भारत सरकार की प्रापण नीति के अनुसार अनिवार्य खरीद के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

एनएसआईसी द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रम और सहभागिता

- एनएसएसएच स्कीम की कार्यान्वयन एजेंसी एनएसआईसी ने 27 जून 2023 को अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर आपसी सहयोग के माध्यम से लक्षित लाभार्थियों की सहायता करने के उद्देश्य से भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री, श्री नारायण राणे की उपस्थिति में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्कीमों के बीच विलय के लिए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यकलाप में स्कीम ब्रोशर, एससी–एसटी लाभार्थियों का डेटाबेस साझा करना और एनएसआईसी और एनएससीएफडीसी द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत लाभ उठाने में उनकी सहायता करना, स्कीमों के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए सहयोगात्मक तरीके से विभिन्न जागरूकता और आउटरीच गतिविधियों का आयोजन करना शामिल है।

- 15 मई 2023 को, आईआईएम–जम्मू ने मौजूदा एससी/एसटी उद्यमियों और उनके वार्डों के लिए नेशनल एससी–एसटी हब के अंतर्गत बिजनेस एक्सेलेरेटर कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम एससी–एसटी अभ्यर्थियों को प्रबंधन अवधारणाओं, वित्तीय समझ, व्यवसाय विश्लेषण आदि सीखने का अवसर प्रदान करता है और सीआईआई/डीआईसीसीआई के माध्यम से 6 महीने का पथ–प्रदर्शन और सहायता भी प्रदान की जाती है। कार्यक्रम के सफल समापन के बाद एनएसएसएच के अंतर्गत प्रति एससी–एसटी उम्मीदवार को 1 लाख रु. प्रदान किए जाएंगे। अब तक, 47 एससी–एसटी उम्मीदवारों ने बिजनेस एक्सेलेरेटर प्रोग्राम पूरा कर लिया है और उन्हें परामर्श और सहायता प्रदान की जा रही है।

  भविष्य में, अन्य आईआईएम से भी इस तरह के कार्यक्रम शुरू करने की उम्मीद है और बिजनेस एक्सेलेरेटर प्रोग्राम का दूसरा बैच 15 जनवरी 2024 को आईआईएम, जम्मू में शुरू होगा।

भव्य समारोहों (एनएसएसएच कॉन्क्लेव) का आयोजन

गुमला, झारखंड – एससी–एसटी आबादी के बीच उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एससी–एसटी हब के बारे में और झारखंड में एमएसएमई मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय), भारत सरकार की अन्य स्कीमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 18 अगस्त, 2023 को जिला टाउन हॉल, गुमला, झारखंड में एक भव्य समारोह (नेशनल एससी–एसटी हब कॉन्क्लेव) का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्रालय के माननीय केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री तथा संयुक्त सचिव–एसएमई सुश्री मर्सी एपाओ; सचिव, उद्योग विभाग, झारखंड सरकार श्री जितेंद्र कुमार (आईएएस) तथा केंद्र और राज्य सरकार एवं उद्योग संघों के अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे ।

इस कार्यक्रम में गुमला और आसपास के क्षेत्र के 748 आकांक्षी और मौजूदा एससी–एसटी प्रतिभागियों ने भाग लिया।

झाबुआ, मध्य प्रदेश – एनएसएसएच स्कीम की व्यापक पहुंच के लिए 27 सितंबर, 2023 को अंबा पैलेस, झाबुआ, मध्य प्रदेश में एक भव्य समारोह (नेशनल एससी–एसटी हब कॉन्क्लेव) आयोजित किया गया था। माननीय केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री ने तथा श्री गुमान सिंह डामोर, माननीय सांसद, लोकसभा, रतलाम, झाबुआ; अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त–एमएसएमई कार्यालय डॉ इशिता गांगुली त्रिपाठी; संयुक्त सचिव–एसएमई, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार सुश्री मर्सी एपाओ; अतिरिक्त सचिव, कुटीर और ग्रामोद्योग, मध्य प्रदेश सरकार श्री ललित दाहिमा और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

इस आयोजन में झाबुआ और आसपास के क्षेत्रों से 625 आकांक्षी और मौजूदा एससी–एसटी उद्यमियों की भागीदारी देखी गई।

जालौन, उत्तर प्रदेश–एनएसएसएच स्कीम की व्यापक पहुंच के लिए 22 नवंबर 2023 को राजकीय मेडिकल कॉलेज सभागार, जालौन, उत्तर प्रदेश में नेशनल एससी–एसटी हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। माननीय केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री, श्री संजीव कुमार गोंड; माननीय विधान सभा सदस्य, उरई, श्री गौरी शंकर; संयुक्त सचिव–एसएमई, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार सुश्री मर्सी एपाओ; दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डीआईसीसीआई) के अध्यक्ष, श्री कुँवर शशांक और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के साथ अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

इस कार्यक्रम में झाबुआ और आसपास के 956 आकांक्षी और मौजूदा एससी–एसटी उद्यमियों की भागीदारी देखी गई।

3.5 राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे)

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, (निम्समे) को मूल रूप से तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन वर्ष 1960 में नई दिल्ली में केन्द्रीय औद्योगिक विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (सीआईईटीआई) के रूप में स्थापित किया गया था। इस संस्थान को लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एसआईईटी) के नाम से एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में वर्ष 1962 में हैदराबाद में स्थानांतरित किया गया था। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अधिनियम के पश्चात, संस्थान ने अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी संगठन संरचना को पुननार्मित किया। नये अधिनियम के अनुरूप, इस संस्थान को राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) के रूप में

नया नाम दिया गया। वर्तमान में यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्व में एसएसआई एवं एआरआई मंत्रालय), भारत सरकार के तत्वावधान में एक संगठन है।

3.5.1 उद्देश्य

3.5.1.1 निम्समे का प्राथमिक उद्देश्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षक तैयार करना है। आज, प्रौद्योगिकीय विकास और सदैव बदलते बाजार परिदृश्य के साथ इस संगठन की सहभागिता में भी परिवर्तन हुआ है। निम्समे ने केवल प्रशिक्षक होने के अपने कार्याकलापों का दायरा बढ़ाकर परामर्श, अनुसंधान, विस्तार और सूचना सेवाओं तक विस्तार किया है। वर्तमान प्रौद्योगिकीय विकास और परिवर्तनशील बाज़ार परिदृश्य में, इस संगठन के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव आए हैं। निम्समें ने केवल प्रशिक्षक भर बने रहने के स्थान पर परामर्श, अनुसंधान, विस्तार और सूचना सेवाओं तक अपने कार्यक्षेत्र को विस्तृत कर लिया है।

3.5.1.2 औद्योगीकरण के जरिए आर्थिक विकास के राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप और उपलब्ध विशेषज्ञता के आधार पर इस संस्थान में ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है जिन पर बल दिए जाने और जिनको उजागर किए जाने की आवश्यकता है। जिसमें स्टार्ट–अप और विकास के लिए नवपरिवर्तन और इंक्यूबेशन, उद्यमिता, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अंतरण, नीतिगत मुद्दे, गैर–सरकारी संगठन नेटवर्किंग, पर्यावरण सरोकार, क्लस्टर विकास, प्रबंधन परामर्श, गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएं, डिजिटल विपणन ब्रांडिंग, वित्तीय सेवाएं और सूचना सेवाएं शामिल हैं।

3.5.1.3 **निम्समे** का दीर्घकालीन मिशन निम्नलिखित को उत्कृष्ट करना हैः

- शिक्षा और शोध प्रकाशनों पर जोर देना।
- नीति निर्माण के लिए नैदानिक और विकास अध्ययन करना।
- सूक्ष्म उद्यम निर्माण के माध्यम से वंचितों को सशक्त करना।
- एमएसएमई शिक्षा कार्यक्रम।
- शोध प्रकाशनों पर जोर देना।
- ग्राहक संचालित दृष्टिकोण और नवपरिवर्तनकारी इंटरवेंशनों की ओर झुकाव।
- उद्यम निर्माण और विकास को सक्षम करना।
- उद्यम विकास के लिए क्षमता निर्माण और विकास को सतत रूप से प्रबंधित करना।
- ज्ञान का सृजन, विकास और प्रसार करना।

3.5.2 कार्य

निम्समे के कार्यों का केंद्र बिंदु उद्यम संवर्धन और उद्यमिता विकास होने की वजह से इस संस्थान की क्षमता निम्नलिखित पहलुओं की ओर अभिसारित हैः–

- सूचना प्रौद्योगिकी में नये आयाम में प्रशिक्षण।
- सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि के जरिए विषयगत मुद्दों को प्रमुखता से दर्शाना।

- आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देना।
- कार्यक्रम मूल्यांकन।
- नीति निर्माण के लिए नैदानिक और विकास अध्ययन; और
- सूक्ष्म उद्यम निर्माण के माध्यम से वंचितों को सशक्त बनाना।

3.5.3 संगठन

3.5.3.1 भारत सरकार द्वारा गठित शासी परिषद के माध्यम से संस्थान के शीर्ष निकाय का प्रबंधन, प्रशासन, निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है। माननीय केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री, निम्समे की शासी परिषद और समिति के अध्यक्ष हैं। सचिव, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार समिति के उपाध्यक्ष और शासी परिषद के उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं। नेमी कार्य और गतिविधियों को संस्थान के महानिदेशक द्वारा प्रशासित किया जाता है।

3.5.3.2 इस संस्थान के कार्यकलाप को उत्कृष्टता के चार विद्यालयों (उद्यम विकास; उद्यम प्रबंधन; उद्यमिता और विस्तार तथा उद्यम सूचना एवं संचार) के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक विद्यालय में विषय संबंधी केंद्रित प्रकोष्ठ है। अकादमिक परिषद केंद्रीय समन्वय निकाय है जो प्रासंगिक विविधताओं का समाधान करते हुए आकलन और मूल्यांकन के लिए एक ढांचा उपलब्ध करके मात्रात्मक और गुणात्मक मानक के साथ अकादमिक कार्यकलाप और कार्यक्रम तैयार करता है।

3.5.4 नई पहलें

- निम्समे की खाली जमीन के चारों ओर कम्पाउंड वॉल का उद्घाटन किया गया।
- फिनराइज़: सतत उद्यमों के लिए वित्तीय अनुसंधान और नवपरिवर्तन हेतु उत्कृष्टता केंद्र।
- बायोचार इकाई: पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति प्रयासों को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
- महिला हैकाथॉन 2.0।
- कृषि विश्वविद्यालयों के संकाय और छात्रों के लिए कृषि उद्यमिता विकास।
- निम्समे परिसर में निम्समे पुस्तकालय सदस्यों की एक टीम द्वारा पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत नोटबुक निर्माण पर एक सामाजिक उद्यम का उद्घाटन।
- निम्समे परिसर में मूल्य–वर्धित सोयाबीन उत्पादों के उत्पादन और विपणन के लिए उद्यमी सहायता।

3.5.5 प्रमुख गतिविधियां और उपलब्धियां

3.5.5.1 वर्ष 2023–24 के दौरान संस्थान द्वारा संचालित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का कार्य–निष्पादन नीचे तालिका में दिया गया है:

वर्ष 2023–24 के दौरान निम्समे का कार्य–निष्पादन

क्र. सं.	गतिविधि	वित्तीय वर्ष 2023–24	
		कार्यक्रम	प्रतिभागी
1	अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	9	167
2	राष्ट्रीय घोषित कार्यक्रम	40	968
3	अन्य मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	181	5860
4	उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)	176	5686
5	सहयोगी कार्यक्रम	3	134
6	अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	2	330
7	राष्ट्रीय सम्मेलन	4	846
8	सेमिनार और कार्यशालाएँ	25	2343
9	परामर्श गतिविधियाँ	10	0
10	शोध और प्रकाशन	5	0
	कुल	**455**	**16334**

3.5.5.2 एटीआई स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों का स्व–रोजगार और वेतन रोजगार

वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक संचालित कार्यक्रमों की संख्या, प्रशिक्षित प्रतिभागियों तथा स्व–रोजगार प्राप्त करने वाले या वेतन–रोजगार पाने में सफल प्रशिक्षुओं की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

वर्ष 2019 से 2024 तक वेतन रोज़गार/स्व–रोज़गार सहित प्रशिक्षुओं का प्रतिशत

वर्ष	कार्यक्रम (अंको में)	प्रशिक्षु (अंको में)	उपलब्धि (सफलता) दर				
			वेतन रोजगार		स्व–रोजगार		समग्र
			संख्या	%	संख्या	%	%
2019-20	53	1590	40	6.36	24	3.81	10.17
2020-21	77	2310	22	5.08	12	2.77	7.85
2021-22	74	2220	515	23.19	32	1.44	24.63
2022-23	64	1920	248	24.89	94	4.89	29.79
2023-24	40	1200	20	1.66	15	1.25	2.91

3.6 महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी)

3.6.1 जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (जेबीसीआरआई), वर्धा को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के

सहयोग से अक्टूबर, 2008 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्वायत्त संस्थान के रूप में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) नाम से पुनर्गठित किया गया।

3.6.2 उद्देश्य

संस्थान के मुख्य उद्देश्य, संस्था के बहिर्नियम में स्पष्ट रूप से दर्शाये गए हैंः–

i. स्थायी और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु ग्रामीण औद्योगीकरण की प्रक्रिया में तेजी एवं सुधार लाना ताकि खादी व ग्रामोद्योग का अस्तित्व मुख्य धारा में स्थापित हो सके।

ii. ग्राम स्वराज के लिए प्रतिष्ठित और विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित करना।

iii. पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाना।

iv. प्रायोगिक अध्ययन/क्षेत्र परीक्षण के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करना।

v. स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान एवं विकास करना।

3.6.3 कार्य

एमगिरी की गतिविधियां इसके छह विभागों द्वारा संचालित की जा रही हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व वरिष्ठ वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद् द्वारा की जाती है।

i. रासायनिक ग्रामोद्योग विभागः इस विभाग का मुख्य ध्येय खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खाद्य पदार्थ और रासायनिक ग्रामोद्योगों के अन्य उत्पादों के क्षेत्र में गुणवत्ता जागरूकता और स्थिरता को बढ़ावा देना है। यह एक व्यापक गुणवत्ता परीक्षण सहायता भी प्रदान करता है और इस क्षेत्र में कुटीर और लघु–स्तरीय इकाइयों की सुविधा के लिए किट, तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है।

ii. खादी एवं वस्त्र विभागः **इ**स विभाग द्वारा मुख्य रूप से की जाने वाली गतिविधियाँ नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करके तथा गुणवत्ता आश्वासन सहायता प्रदान करके खादी संस्थानों में निर्मित उत्पादों की उत्पादकता, मूल्य संवर्धन और गुणवत्ता में सुधार करना है। यह पर्यावरण अनुकूल उत्पादों और विधियों को सुविधाजनक बनाने की दिशा में भी काम करता है।

iii. जैव प्रसंस्करण एवं जड़ी–बूटी विभागः एमगिरी के इस विभाग ने ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए जैविक खाद, जैव–उर्वरक और जैव–कीटनाशकों के उत्पादन और उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज और गुणवत्ता आश्वासन की सरल नीतिया, विधियाँ तैयार की हैं। यह विभाग 'पंचगव्य' और उनकी गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं और सुविधाओं का उपयोग करके नए सूत्रीकरण (फॉर्मूलेशन) विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।

iv. ग्रामीण ऊर्जा एवं अवसंरचना विभागः इस विभाग को ग्रामोद्योग को सुविधाजनक बनाने लिए ऊर्जा के आमतौर से उपलब्ध नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करके उपयोगकर्ता के अनुकूल और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने तथा पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों का लेखा–जोखा करने का दायित्व सौपा गया है, ताकि उन्हें ऊर्जा कुशल बनाया जा सके।

v. ग्रामीण शिल्प एवं अभियांत्रिकी विभागः यह विभाग ग्रामीण कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और उत्पादकता को

उन्नत करने और मूल्य–संवर्धन को प्रोत्साहित करने तथा उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के लिए है।

vi. प्रबंधन एवं व्यवस्थापन विभागः यह विभाग ग्रामोद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित समाधान/सहायता प्रदान करता है।

3.6.4 संगठन

एमगिरी में एक महापरिषद (जी.सी.) है, जिसमें अधिकतम 35 सदस्य होते हैं तथा महापरिषद के अध्यक्ष, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय , भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री होते हैं तथा एक कार्यकारी परिषद (ई.सी.) है, जिसमें 15 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जिसका नेतृत्व सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव करते हैं। संस्थान के निदेशक, महापरिषद और कार्यकारी परिषद दोनों के सदस्य सचिव होते हैं।

3.6.5 वर्ष 2023–24 में प्रमुख गतिविधियां और उपलब्धियां

i. एमगिरी ने भारतीय मानकों के अनुसार उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने और उसे बनाए रखने तथा उत्पादों में पोषक तत्वों के निर्धारण के लिए 49 विभिन्न उत्पाद, मापदंड नमूनों के लिए 45 एजेंसियों जैसे संस्थानों, उद्यमियों, छात्रों, किसानों आदि को गुणवत्ता परीक्षण और मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान की हैं।

ii. पिछले कुछ वर्षों के दौरान, एमगिरी ने कई तकनीकें और उत्पाद विकसित किए हैं, जैसे कि पंचगव्य घृत आधारित क्रीम, पशुपालन के लिए गोमूत्र और तेल आधारित टिक विकर्षक, हर्बल डिकॉन्गेस्टेंट, फलों के गूदे के अर्क से संवर्धित वैनिशिंग क्रीम, जेल फेस–वॉश, सोया ओकरा आधारित मूल्य–वर्धित उत्पाद। समय से पूर्व पकने वाले संतरे के फल उत्पाद (संतरे के छिलके का तेल, पेक्टिन, खाद्य रेशा, हेस्परिडिन, संतरे के रस का पाउडर), आवश्यक तेलों का निष्कर्षण (हल्दी के पत्ते का तेल, नीलगिरी का तेल,) केले का रेशा आधारित पेपर शीट, पैकेजिंग सामग्री, रेशा शिल्प, वन बीज तेलों का उपयोग करके अभिनव हनी क्यूब्स और साबुन निर्माण का विकास, रंग निष्कर्षण, रंगबंधन (मॉर्डेटिंग) और रंगाई मापदंडों को अनुकूलित किया जाना है, खादी कपड़े के गुणवत्ता मापदंडों का अनुकूलन। टेराकोटा शिल्प और सिरेमिक शिल्प पर 179 नए उत्पादों के डिजाइन तैयार कर और उत्पाद विकसित किए गए हैं।

पंचगव्य पॉलीहर्बल माउथवॉश

पंचामृत क्रीम

बाजरा आधारित मूल्य–वर्धित उत्पाद

टेराकोटा और सिरेमिक शिल्प पर नए उत्पादों के डिज़ाइन

असामयिक संतरे के उत्पाद (छिलके का तेल, पेक्टिन, खाद्य रेशा, हेस्परिडिन, संतरे का जूस पाउडर)

केले के रेशा आधारित पेपर शीट, पैकेजिंग सामग्री, रेशा शिल्प, वन बीज तेलों का उपयोग करके साबुन निर्माण का विकास तथा नवीन हनी क्यूब्स

आवश्यक तेल निष्कर्षण (हल्दी पत्ती का तेल, नीलगिरी पत्ती का तेल, नींबू घास का तेल, सिट्रोनेला घास का तेल)

iii. ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए मशीन, उत्पाद और प्रक्रिया विकास पर कार्य, जैसे एफएमडी प्रौद्योगिकी द्वारा सूखे मेवे और सब्जी उत्पाद, ढोकरा शिल्प के लिए संशोधित गैस भट्ठी और मोम धागा (वैक्स थ्रेड) एक्सट्रूडर मशीन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कम ऊंचाई वाले स्पिन व्हील का निर्माण। पंचामृत आधारित मॉइस्चराइजिंग क्रीम, पंचगव्य आधारित पॉली–हर्बल माउथवॉश और बाजरा आधारित उत्पाद, बांस चिप्पर/ पैलेट मशीन, चावल की भूसी बर्नर, बनाना पेपर पल्प मशीन, मिर्च काटने/फ्लेक्स मशीन, कोन मिक्सिंग मशीन, सौर ऊर्जा से चलने वाली चारोली डेकोर्टिकेटिंग मशीन, कॉम्बो सोलर ड्रायर (एयर फोर्स्ड और टनल ड्रायर), सौर ड्रायर के लिए तापमान और आर्द्रता जैसे मापदंडों के ऑनलाइन परीक्षण के लिए कंप्यूटर आधारित इंटरफेस सिस्टम। सूती खादी कपड़े को सप्पन की लकड़ी से निकाले गए रंग से रंगाई की अनुकूलित विधि पर काम चल रहा है।

ढोकरा क्राफ्ट के लिए वैक्स थ्रेड एक्सट्रूडर मशीन

ढोकरा क्राफ्ट के लिए गैस भट्ठी

हस्त संचालित कुम्हार चाक

केले का पेपर बनाने की मशीन

चावल भूसी बर्नर

बांस चिपर मशीन

सौर संचालित चारोली डीकोर्टिकेटिंग मशीन

बफिंग मशीन

कॉम्बो सोलर ड्रायर (एयर फोर्स्ड और टनल ड्रायर)

सौर ड्रायर के लिए तापमान और आर्द्रता जैसे पैरामीटर के ऑनलाइन परीक्षण के लिए कंप्यूटर आधारित इंटरफ़ेस सिस्टम

iv. बाह्य वित्तपोषित परियोजनाएं: –

i. केवीआईसी के सभी छह क्षेत्रों के 101 खादी संस्थानों में बारह क्षेत्रीय प्रसार कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। इस वर्ष संपन्न परियोजना अवधि के दौरान चयनित प्राकृतिक रंगों के साथ सूती खादी कपड़े को रंगाई की अनुकूलित विधि का प्रदर्शन किया गया और इन सभी 101 संस्थानों को प्राकृतिक रंगों का शेड कार्ड वितरित किया गया।

ii. वाणिज्य एवं उद्योग निदेशालय (डीसीआई), शिलांग, मेघालय सरकार द्वारा वित्तपोषित ''मेघालय के पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले के लार्नाई और टायरशांग गांव में काली मिट्टी के बर्तनों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए अध्ययन स्कीम'' नामक परियोजना का क्रियान्वयन ग्रा. शि. एवं अभि. विभाग द्वारा किया जा रहा है। मेघालय के पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले के लार्नाई और टायरशांग में काली मिट्टी के बर्तनों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए अध्ययन स्कीम परियोजना के चरण दूसरे चरण की गतिविधियों के एक भाग के रूप में, मेघालय के पश्चिमी जैंतिया हिल्स जिले के लारनई और टायरशांग गांव के 14 शिल्पकारों के लिए 16 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2023 तक एमगिरी, वर्धा में ग्रा. शि. एवं अभि. विभाग द्वारा काली मिट्टी के बर्तनों पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) आयोजित किया गया है।

iii. ग्रा. शि. एवं अभि. विभाग द्वारा 17 अगस्त, 2023 से 30 सितंबर 2023 तक 45 दिनों के लिए संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल (म.प्र.) द्वारा वित्त पोषित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 24 युवाओं के लिए, मध्य प्रदेश के 13 लोगों के लिए ज़री ज़रदोज़ी शिल्प, 5 लोगों के लिए जूट शिल्प और 6 लोगों के लिए काष्ठ शिल्प पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

जूट शिल्प पर कौशल सीखते प्रतिभागी

ज़री ज़रदोज़ी शिल्प पर अभ्यास करते प्रतिभागी

वुड शिल्प पर अभ्यास करते प्रतिभागी

प्राकृतिक रंगों के साथ रंगाई का अभ्यास करते प्रतिभागी।

iv. ग्रामीण अभियांत्रिकी एवं नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग निदेशालय (आरईएनटीआई), के.वी.आई.सी. द्वारा ग्रामोदय विकास स्कीम के अंतर्गत 200 कारीगरों को पंचगव्य उत्पादों पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 26.40 लाख रु. की वित्तीय सहायता के साथ जैव प्रसंस्करण एवं जड़ी–बूटी विभाग को ''कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम'' स्वीकृत किया गया है।

v. भारत सरकार द्वारा एमगिरी को हर्बल उत्पादों के लिए कुल 4 पेटेंट प्रदान किए गए हैं।

vi. गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठकः–

i. माननीय केंद्रीय एसएसएमई मंत्री ने 27 जुलाई, 2023 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक में एमगिरी की नई वेबसाइट का उद्घाटन किया।

माननीय केंद्रीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, एमगिरी की नई वेबसाइट का उद्घाटन करते हुए

ii. एमगिरी की 18वीं कार्यकारी परिषद की बैठक, 29 मई, 2023 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सचिव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने की।

iii. एमगिरी की 10वीं महापरिषद की बैठक, 25 अक्टूबर, 2023 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय केंद्रीय एसएसएमई राज्य मंत्री ने की।

iv. माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री ने दिनांक 29.10.2023 को एमगिरी का दौरा किया। दौरे के दौरान माननीय एसएसएमई राज्य मंत्री ने एमगिरी के सभी विभागों का भ्रमण किया।

v. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव श्री सुभाष चंद्र लाल दास ने दिनांक 30.10.2023 को एमगिरी के कार्यात्मक पुनरुद्धार की समीक्षा के लिए एमगिरी का दौरा किया।

अन्य गतिविधियां

i. पंचगव्य के क्षेत्र में सहयोगात्मक कार्य के लिए दिनांक 22.04.2023 को एमगिरी और गो–विज्ञान अनुसंधान केंद्र, देवलापार, नागपुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और देवलापार में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए जीवीएके द्वारा एमगिरी खाते में 2.25 लाख रु. की राशि जमा की गई है।

ii. ग्राम पंचायत रालेगांव में ''आजादी का अमृत महोत्सव'' के तत्वावधान में 'हर घर तिरंगा' अभियान कार्यक्रम। दिनांक 14 अगस्त, 2023 को रोथा गाँव, ग्राम पंचायत भूगांव, ग्राम भूगांव, जिला–वर्धा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम मनाया गया।

iii. दिनांक 9 नवंबर, 2023 को एमगिरी, वर्धा में एसएचजी (महिला सशक्तिकरण) के लिए सतर्कता पीआईडीपीआई जागरूकता संगोष्ठी आयोजित किया गया।

iv. एमगिरी के पुनरुद्धार की स्कीम दिनांक 30 मई, 2023 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को प्रस्तुत की गई। इसके अलावा, इस मसौदे पर माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मंत्री द्वारा विचार किया गया और उसे अनुमोदित किया गया।

v. एमगिरी टीम द्वारा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया।

vi. कुल 27 नई प्रौद्योगिगियों/उत्पाद विकसित और प्रयोगशालाओं में परीक्षित किए गए। 14 प्रौद्योगिकियों को क्षेत्र परीक्षणों हेतु भेजा गया और 4 पेटेंटो को एमगिरी नोवल्टी नवपरिर्वतनों के लिए पुस्कृत किया गया। 47 ईडीपी के अंतर्गत 276 आकांक्षी युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और एमगिरी के प्रयासों के माध्यम से 27 एकल उद्यमियों को स्थापित किया गया। एमगिरी द्वारा केवीआईसी, मेघालय सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के प्रायोजन से सात बार वित्तपोषित परियोजनाओं का निष्पादन किया गया।

उद्योग सर्वेक्षण का आयोजन

i. उप निदेशक, प्रबंधन एवं व्यवस्थापन और खादी एवं वस्त्र विभाग द्वारा ''कर्नाटक के हुबली क्लस्टर और तमिलनाडु के कांचीपुरम, तिरुवन्नामलाई और चिन्नालापट्टी में बुनाई क्लस्टर में समस्याओं की पहचान'' पर सर्वेक्षण किया गया।

ii. प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रा. शि. एवं अभि. ने ''आगरा के आसपास सूक्ष्म स्तरीय फुटवियर उद्योग, उनकी समस्याएं और उनकी व्यावसायिक स्थिति'' और ''सहारनपुर में सूक्ष्म स्तरीय फर्नीचर उद्योगों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं'' पर सर्वेक्षण किया।

3.6.6 रेडियो एमगिरी 90.4 एफएम (एमगिरी द्वारा संचालित एक सामुदायिक रेडियो)

रेडियो एमगिरी 90.4 एफएम उद्यमिता, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति तथा एमगिरी की प्रौद्योगिकियों और विकास को बढ़ावा देने से संबंधित विविध कार्यक्रम का प्रसारण करता है। वाह्य विस्तार पहल और विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से सामुदायिक सशक्तीकरण के लिए तैयार की गई आकर्षक सामग्री के साथ, रेडियो एमगिरी एक विश्वसनीय आवाज बनी हुई है, जो उद्यमशीलता, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और एमगिरी की प्रौद्योगिकी और विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

3.6.7 एमगिरी को वित्तीय सहायता

एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार एमगिरी को अपनी विभिन्न गतिविधियों सुचारु रूप से संचालन के लिए धन राशि प्रदान करती है। विगत चार वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान एमगिरी को उपलब्ध कराई गई निधि का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	बजट आवंटन (संशोधित अनुमान)	जारी की गई निधि
2019-20	1000.00	1000.00
2020-21	1100.00	618.60
2021-22	1041.06	1041.06
2022-23	1106.61	1106.61
2023-24	1427.00	1275.72

अध्याय **4**

एमएसएमई मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों की प्रमुख स्कीमें

4.1 एमएसएमई मंत्रालय विभिन्न स्कीमों का संचालन करता है जिनका लक्ष्य निम्नानुसार है:–

(क) ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना,

(ख) कौशल विकास प्रशिक्षण,

(ग) अवसंरचना विकास

(घ) विपणन सहायता,

(ङ) प्रौद्योगिकीय और गुणवत्ता उन्नयन एवं

(च) देश भर में एमएसएमई के लिए अन्य सेवाएं

I. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	
विवरण	इस स्कीम का उद्देश्य नए स्व–रोजगार के उद्यमों, परियोजनाओं और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना है। इसके अतिरिक्त, यह स्कीम देश के परंपरागत तथा भावी कारीगरों और ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े भाग को सतत और निरंतर रोजगार प्रदान करती है ताकि ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोका जा सके। साथ ही, यह स्कीम कारीगरों की अर्जन क्षमता और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार की वृद्धि दर को बढ़ाने में योगदान देती है। यह स्कीम राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्य स्तर पर, इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) और जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) कयर बोर्ड (कयर से संबंधित क्रियाकलापों के लिए) तथा बैंकों के माध्यम से किया जाता है। *विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना या इकाई की अधिकतम लागत 50 लाख रु. और व्यवसाय, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 20 लाख रु. है।*
अभीष्ट लाभार्थी	स्कीम के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक की उम्र का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है। वर्ष 2008–09 में स्कीम की शुरुआत से दिनांक 31.03.2024 तक, 24,964 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ लगभग 9.58 लाख सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है, जिससे अनुमानतः 78.24 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है। पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित कुल इकाइयों में से, लगभग 80% ग्रामीण क्षेत्रों और लगभग 20% शहरी क्षेत्र में हैं। 50% से अधिक इकाइयां महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। लगभग 15% इकाइयां आकांक्षी जिलों में स्थापित की गई है।

I. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	
हाल के विकास	नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत में विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रु. से 50 लाख रु. तथा सेवा क्षेत्र में 10 लाख रु. से 20 लाख रु. की वृद्धि की गई है। उच्चत्तर सब्सिडी के लिए आकांक्षी जिलों की इकाइयों और ट्रांसजेंडरों को विशेष श्रेणी में शामिल किया गया है। इकाइयों द्वारा उत्पादों और सेवाओं का विवरण प्राप्त करने और इनके लिए बाजार संपर्क सृजित करने हेतु पीएमईजीपी इकाइयों की जियो–टैगिंग शुरू की गई है। भावी उद्यमियों को दो दिवसीय निःशुल्क उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित सभी नई इकाइयों को इकाई के वास्तविक सत्यापन और पीएमईजीपी लाभार्थी ऋण खाते में मार्जिन मनी के समायोजन से पहले उद्यम पोर्टल के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाएगा। पीएमईजीपी के अंतर्गत द्वितीय ऋण के लिए आवेदन करने वाली मौजूदा पीएमईजीपी, आरईजीपी, मुद्रा इकाइयों की विगत 03 वर्षों की लाभप्रदता पर विचार करते हुए कोविड वर्षों अर्थात, वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 की छूट।
विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पीएमईजीपी का कार्य–निष्पादन	(नीचे तालिका देखें) वर्ष 2008–09 में शुरुआत से और दिनांक 31.03.2024 तक, 24,964 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ कुल 9.58 लाख सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है और लगभग 78.24 लाख व्यक्तियों को अनुमानित रोजगार प्रदान किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2023 –24 के दौरान आबंटित निधियां	2700.00 करोड़ रु.(बजट अनुमान)
किया गया व्यय (दिनांक 31.03.2024 तक)	3,106.33 करोड़ रु.

वर्ष	संवितरित मार्जिन मनी (करोड़ रु. में)	सहायता–प्राप्त सूक्ष्म इकाइयां (संख्या)	अनुमानित सृजित रोजगार (संख्या)
2020-21	2,188.80	74,415	5,95,320
2021-22	2,977.66	1,03,219	8,25,752
2022-23	2,722.17	85,167	6,81,336
2023-24	3,093.88	89,118	7,12,944

II. मौजूदा पीएमईजीपी, आरईजीपी, मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए द्वितीय ऋण

एमएसएमई मंत्रालय ने वर्ष 2018–19 से विनिर्माण और सेवा या व्यापार इकाइयों के लिए मौजूदा पीएमईजीपी, आरईजीपी और मुद्रा इकाइयों के विस्तार या उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता स्कीम भी शुरू की है। उन्नयन हेतु विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत परियोजना की अधिकतम लागत 1.00 करोड़ रु. तथा सेवा या व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत 25. 00 लाख रु. है। अधिकतम सब्सिडी परियोजना लागत का 15% (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 20%) अर्थात, गैर–पूर्वोत्तर क्षेत्र में 15.00 लाख रु.तथा पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 20.00 लाख रु. होगी। कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी।

पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थियों की श्रेणियाँ	लाभार्थी अंशदान	सब्सिडी दर
विनिर्माण और सेवा या ट्रेडिंग क्षेत्र के अंतर्गत मौजूदा पीएमईजीपी, आरईजीपी और मुद्रा इकाइयों के उन्नयन हेतु	परियोजना लागत का 10%	परियोजना लागत का 15% (पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में 20%)

पीएमईजीपी को बढ़ावा देने के लिए कार्यनीतिक पहलें :

- संभावित लाभार्थियों के लाभ के लिए, पीएमईजीपी ई–पोर्टल पर अलग–अलग केवीआईसी क्रियाकलापों के 1056 मॉडल परियोजनाओं को रखा गया है। इसके अलावा, विभिन्न आदर्श ग्रामोद्योग परियोजनाएं https://www.udyami.org.in/project-reports पर भी उपलब्ध हैं।
- लाभार्थियों के मार्गदर्शन के लिए, सभी कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्यालयों में पीएमईजीपी की प्रक्रिया पर फ्लो चार्ट प्रदर्शित किया गया।
- पीएमईजीपी इकाइयों के निरीक्षण के लिए मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है, जिससे इकाइयों को जियो–पोर्टल पर जियो–टैग किया जा सके; ताकि इकाइयों के अन्य विवरणों सहित उनकी भौगोलिक स्थिति पर पीएमईजीपी इकाइयों की पहचान की जा सके।
- नए और पुराने पीएमईजीपी लाभार्थियों को प्रथ–प्रदर्शन सहायता प्रदान करने, संभावित उद्यमियों को व्यवहार्य परियोजनाएं स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन देने और आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रक्रिया और प्रबंधन पद्धतियों का मार्गदर्शन करने तथा प्रगति की नियमित निगरानी करने के लिए फील्ड स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञों और सेवानिवृत्त/पूर्व बैंक अधिकारियों को लगाया गया है।
- ऑनलाइन ईडीपी पोर्टल से जुड़ने वाले पीएमईजीपी आवेदकों के लिए कॉल सेंटर की शुरुआत की गई। कॉल सेंटर लाभार्थियों को पीएमईजीपी स्कीम से संबंधित प्रश्नों से संबंधित शिकायतों के निवारण की सुविधा भी प्रदान करता है।

III. एमएसई के लिए ऋण गारंटी न्यास निधि (सीजीटीएमएसई)–एमएसएमई के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण का प्रावधान	
विवरण	बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी सहित) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए गारंटी प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, प्रत्येक नई एवं विद्यमान सूक्ष्म और लघु उद्यम ऋण प्राप्तकर्ता इकाई को पात्र ऋणदाता संस्थानों के माध्यम से 5 करोड़ रु. (दिनांक 01.04.2023 से) तक का संपार्श्विक मुक्त ऋण सुविधा (सार्वधित ऋण और/या कार्यशील पूँजी) प्रदान किया जाना शामिल है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए गए गारंटी कवर में ऋण की मात्रा और लाभार्थी के वर्गीकरण के आधार पर 85% तक का अंतर होता है। बकाया ऋण राशि पर संस्वीकृत ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क के रूप में नाममात्र की राशि प्रभारित की जाती है। **स्थिति**: 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, 6.29 लाख करोड़ रु. के गारंटी कवर के लिए संचयी 87.96 लाख प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 2 लाख करोड़ रु. की अतिरिक्त ऋण सुविधा के लिए, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम को नया रूप दिया गया है और बजट घोषणा 2023–24 के बाद, सीजीटीएमएसई के कोष में 9,000 करोड़ रु. का संचार किया गया है।

	कोष में निधियों के संचार को ध्यान में रखते हुए पुनर्निर्मित सीजीटीएमएसई के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए गए हैं: I. गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा में 2.00 करोड़ से रु. 5.00 करोड़ रु. तक वृद्धि। II. वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) को कम करके ऋण की लागत को कम कर दिया गया है। III. कानूनी कार्रवाई से छूट के लिए अधिकतम सीमा में 5.00 लाख रु. से 10.00 तक वृद्धि।
स्कीम के प्रभाव	विगत 23 वर्षों में, इस स्कीम में 87 लाख से अधिक लाभार्थियों को शामिल किया गया है। सीजीटीएमएसई वित्त पोषण के अनुमोदन के अनुवर्ती वर्षों में, लाभार्थियों ने अपने कारोबार तथा रोजगार सृजन में वृद्धि पायी है। सीजीटीएमएसई वित्तपोषण ने एमएसई क्षेत्र जैसे प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल उन्नयन, बाजार विकास, आर्थिक प्रभाव तथा सामाजिक प्रभाव में छह मुख्य क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। यह स्कीम पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिए जाने से देश भर में भौगोलिक दृष्टि से अपने विस्तार में सफल रही है। स्कीम के लाभ 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों तक भी पहुँच गए हैं जहां पर एमएसई प्रचालित हो रहे हैं। लाभार्थी केवल प्रमुख औद्योगिक हबों तक सीमित नहीं हैं परन्तु टियर 3 नगरों में भी फैले हुए हैं। सीजीटीएमएसई दावे निपटाने में बड़ी प्रभावी रही है। पहली किस्त के अद्यतन परिपत्रों सहित स्कीम का ब्यौरा सीजीटीएमएसई की वेबसाइट www.cgtmse.in पर उपलब्ध है।
अभीष्ट लाभार्थी	यह स्कीम सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) पर लागू है।
आबंटित निधियां (वर्ष 2023 –24)	9,000 करोड़ रु. का अनुमोदित संग्रह।
किया गया व्यय (मार्च, 2024 तक)	9,000 करोड़।

ख. कौशल विकास और प्रशिक्षण स्कीम

I. नवपरिवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर)	
विवरण	एस्पायर स्कीम का अनुमोदन 194.87 करोड़ रु. के बजट परिव्यय के साथ वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक जारी रखने के लिए किया गया है। मंत्रालय की इन्क्यूबेशन स्कीम के साथ समानता के कारण टीबीआई घटक को वापस ले लिया गया। दिनांक 28.01.2022 को निम्नलिखित उद्देश्यों और इंटरवेंशनों सहित संशोधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं: स्कीम के उद्देश्य: • नौकरियां सृजित करना और बेरोजगारी मे कमी लाना, • भारत में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना, • एमएसएमई क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का सुदृढ़ीकरण करने के लिए नवपरिवर्तन को बढ़ावा देना। स्कीम के घटक निम्नानुसार हैं: **(i)** **आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर (एलबीआई):** ग्रामीण एवं अल्प सेवित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने सहित कृषि–ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास प्रदान करने और इनक्यूबेशन कार्यक्रमों के लिए एक स्थापित निकाय हैं। **(ii)** **सिड्बी द्वारा प्रबंधित एस्पायर एफओएफ:** नवपरिवर्तन, उद्यमिता, विनिर्माण और कृषि आधारित क्षेत्र में सेवा प्रदाय की विभिन्न मूल्य श्रृंखलाओं के साथ फार्वड और बैकवर्ड लिंकेज विकसित करने वाले क्षेत्रों में, प्रौद्योगिकी और व्यावसाय उद्यम विकसित करने में सफल होने के लिए सहायता और पथ–प्रदर्शन के आकांक्षी नए स्टार्ट अप में, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के माध्यम से निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सृजित किया गया हैं। सिडबी एफओएफ का कुल कोष 310 करोड़ रु. है।

	एलबीआई के उद्देश्य निम्नानुसार हैं : • औपचारिक, मापनीय सूक्ष्म–उद्यम सृजन को आसान बनाने के माध्यम से रोजगार के अवसर उत्पन्न करना। • नवीन प्रौद्योगिकी में कौशल विकास, कौशल उन्नयन, बेरोजगारों के पुर्नकौशल विकास, मौजूदा स्व–रोज़गार और वेतन भोगी। • निकटस्थ औद्योगिक क्लस्टरों में कुशल मानव संसाधन प्रदान करने और एमएसएमई क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के सुदृढ़ीकरण के लिए नवपरिवर्तनों का संवर्धन। • भारत सरकार, राज्य सरकार की कोई एजेंसी या संस्थान अथवा भारत सरकार, राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग, उद्योग संघ, शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत मौजूदा प्रशिक्षण केंद्र। केवल संयंत्र और मशीनरी के प्रापण के लिए पात्र एजेंसियों को 100 लाख रु. तक और प्रचालन व्यय सहायता के रूप में 100 लाख रु. की सहायता । • इनक्यूबेशन और/अथवा कौशल विकास कार्यक्रमों के सफल निष्पादन के अनुभव सहित कोई भी गैर–लाभकारी निजी संस्थान एलबीआई स्थापित करने के लिए पात्र है। केवल संयंत्र और मशीनरी के प्रापण के लिए पात्र एजेंसियों को 75 लाख रु. तक की सहायता और प्रचालन व्यय सहायता के रूप में 100 लाख रु. तक। **स्थितिः** दिनांक 31.03.2024 तक, 109 आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स (एलबीआई) और 22 तकनीकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स (टीबीआई) का अनुमोदन किया गया। • 77 एलबीआई और 14 टीबीआई क्रियाशील हो गए हैं। • 77 क्रियाशील एलबीआई में कुल 1,01,012 भार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 18,044 प्रशिक्षुओं को स्व–रोजगार प्राप्त हुआ है और 12,381 प्रशिक्षुओं को कृषि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, अब तक 451 सूक्ष्म उद्यमों की सहायता या स्थापना की गई है। • एस्पायर एफ़ओएफ़ के अंतर्गत 310 करोड़ रु. के कुल कोष में से 11 एआईएफ को कुल 217.5 करोड़ रु. की प्रतिबद्धता की गई है। • वर्ष 2022–23 में 03 एलबीआई को अनुमोदित किया गया है।
पात्र कार्यान्वयन संस्थाएं	भारत सरकार या राज्य सरकार की कोई एजेंसी या संस्थान अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अन्तर्गत अंतर्गत मौजूदा प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग संघ, शैक्षणिक संस्थान और अलाभकारी निजी संस्थान जिनके इनक्यूबेशन और/अथवा कौशल विकास कार्यक्रम के सफलत निष्पादन का अनुभव है।
आबंटित निधियां (वर्ष 2023 –24)	2.84 करोड़ रु.

II.	उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)
विवरण	कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगों, भूतपूर्व सैनिकों और बीपीएल व्यक्तियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं को स्व–रोजगार या उद्यमिता को करियर विकल्पों में से एक के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इसका अंतिम उद्देश्य नए उद्यमों को बढ़ावा देना, मौजूदा एमएसएमई की क्षमता का निर्माण करना और देश में उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह स्कीम (ईएसडीपी) पूरे देश में कार्यान्वित की गई है। दिनांक 25.03.2022 को स्वीकृत नए ईएसडीपी दिशानिर्देश में पाँच घटक हैं। • **उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी)**–अवधि–एक दिवस, 50–100 प्रतिभागी, लागत 20000 रु. प्रति कार्यक्रम • **उद्यमशीलता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ई–एसडीपी)**– न्यूनतम 6 सप्ताह का कार्यक्रम, 25 प्रतिभागी, लागत– 1,25,000 रु. प्रति कार्यक्रम। • **अग्रिम ई–एसडीपी** – यह घटक नया जोड़ा गया है, जिसकी लागत आईआईटी, आईआईएम, आईसीएआर, बीएआरसी, राज्य या केन्द्र सरकार के कृषि विश्वविद्यालयों जैसे प्रमुख संस्थानों द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 10.00 लाख रु. (अधिकतम) है।
	• **प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)**–न्यूनतम एक सप्ताह, 20–25 प्रतिभागी, लागत– 50,000 रु. प्रति कार्यक्रम। **अग्रिम एमडीपी**– इसे भी 15वें वित्त आयोग के लिए अनुमोदित नए दिशा–निर्देशों में जोड़ा गया है, जिसकी लागत एडवांस ई–एसडीपी घटकों जैसे प्रमुख संस्थानों द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रति कार्यक्रम 10.00 लाख रु. है।
वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आबंटित निधियां	63.96 करोड़
किया गया व्यय (दिनांक 31.03.2024 तक)	62.84 करोड़

किफायती स्वास्थ्य देखभाल के लिए उन्नत सामग्री पर उच्चस्तरीय उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम

एनआईटी, जमशेदपुर द्वारा आयोजित और एमएमएसई, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित
''सामान्य प्रबंधन'' पर उच्चतर प्रबंध विकास कार्यक्रम

ग. अवसंरचना विकास स्कीम – क्लस्टर दृष्टिकोण के माध्यम से सहायता

I. परंपरागत उद्योगों के पुनसृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति)	
विवरण	इस स्कीम का उद्देश्य परंपरागत उद्योगों और कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित करना है ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और उन्हें दीर्घकालीन बनाए रखने, सतत रोजगार, ऐसे क्लस्टरों के उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाने, संबंधित क्लस्टरों के पारंपरिक कारीगरों को बेहतर कौशल से लैस करने, कारीगरों के लिए सामान्य सुविधाओं और बेहतर टूल्स तथा इक्विपमेंट का प्रावधान करने, हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ क्लस्टर शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करना और नवपरिवर्तनकारी उत्पादों, बेहतर प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रक्रियाओं, बाजार आसूचना तथा सार्वजनिक–निजी भागीदारी के नए मॉडल बनाने के लिए सहायता प्रदान करना है। **इस स्कीम में तीन प्रकार के इंटरवेंशन शामिल हैं:** (i) **सूक्ष्म क्रियाकलाप (सॉफ्ट इंटरवेंशन)**–सामान्य जागरूकता सृजित करने, परामर्श, कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए कार्यकलाप, एक्सपोजर दौरे, बाजार विकास पहलें, डिजाइन और उत्पाद विकास, आदि। (ii) **प्रायोगिक क्रियाकलाप (हार्ड इंटरवेंशन)** –सामान्य सुविधा केंद्रों, कच्चे माल के भंडारों का सृजन, उत्पादन अवसंरचना का उन्नयन, भंडारण सुविधा, टूल्स और प्रौद्योगिकी उन्नयन, आदि। (iii) **विषयगत क्रियाकलाप (थिमेटिक इंटरवेंशन)** –ब्रांड निर्माण, नई मीडिया मार्केटिंग, ई–कॉमर्स पहलें, अनुसंधान व विकास आदि के लिए एक क्रॉस कटिंग बेसिस पर क्रियाकलाप।

किसी भी विशेष परियोजना के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता सूक्ष्म, प्रायोजित ओर विषयगत इंटरवेंशन में सहायता करने के लिए अधिकतम 5 (पांच) करोड़ रु. तक के अध्यधीन होगी।

क्लस्टरों का प्रकार	प्रति क्लस्टर बजट सीमा
नियमित क्लस्टर (500 कारीगर)	2.50 करोड़ रु.
प्रमुख क्लस्टर (500 कारीगरों से अधिक)	5.00 करोड़ रु.

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक सर्वोच्च समन्वय तथा निगरानी निकाय रूप में स्कीम संचालन समिति का गठन किया है। स्कीम के कार्यान्वयन हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कयर बोर्ड, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), आईईडी (ओडिशा), आईआईई (गुवाहाटी), आईएमईडीएफ, जम्मू एवं कश्मीर केवीआईबी, एमएसएमई क्लस्टर फाउंडेशन (एफएमसी), राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनसीएचएचडी), हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच), उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (यूपीकेवीआईबी), पूर्वोत्तर हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम (एनईएचएचडीसी) और आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राईफेड) इत्यादि को नोडल एजेंसियों के रूप में पैनलबद्ध किया गया है।

स्थिति: परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) के अंतर्गत, वर्ष 2015 से 10 दिसंबर, 2023 तक, 1335 करोड़ रु. मूल्य के भारत सरकार अनुदान सहित 513 क्लस्टरों को अनुमोदित किया गया है, जिससे लगभग 3.03 लाख कारीगर लाभान्वित होंगे। इनमें से 87 क्लस्टर पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुमोदित किए गए हैं।

दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि के दौरान, 15 स्फूर्ति क्लस्टर प्रस्ताव अनुमोदित किए गए है तथा 50 क्लस्टर कार्यशील हैं।

पात्र कार्यन्यवयन संस्थाएं	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), केंद्र और राज्य सरकारों के संस्थानों और अर्ध–सरकारी संस्थानों, राज्य और केंद्र सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई), क्लस्टर विशिष्ट एसपीवी गठित करने वाले निजी क्षेत्र, क्लस्टर विकास करने में विशेषज्ञता वाले कारपोरेट और कारपोरेट रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) फाउंडेशन।
आबंटित निधियां (2023–24)	2.42 करोड़ रु.

II. सूक्ष्म और लघु उद्यम कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी)	
उद्देश्य	एमएसएमई मंत्रालय क्लस्टरों के विकास के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना के लिए भारत सरकार (जीओआई) अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता का विस्तार करके तथा मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों, सम्पदाओं, फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों का उन्नयन करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना है। एमएसई–सीडीपी एक मांग प्रेरित स्कीम और केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। **i. सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी):** भारत सरकार अनुदान 70% परियोजना लागत (5.00 –10.00 करोड़ रु.) और 60% परियोजना लागत (10.00 –30.00 करोड़ रु.) तक सीमित रहेगा। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों,

	द्वीप क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों और 50% से अधिक सूक्ष्म/ग्रामों अथवा महिलाओं के स्वामित्व वाली या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयों के मामले में, भारत सरकार अनुदान 80% परियोजना लागत (5.00 रु.–10.00 करोड़ रु.) और 70% परियोजना लागत (10.00 – 30.00 करोड़ रु.) रहेगा। 30.00 करोड़ रु. से अधिक की लागत वाली सीएफसी परियोजना पर भी विचार किया जा सकता है लेकिन भारत सरकार की सहायता की गणना 30.00 करोड़ रु. की अधिकतम पात्र परियोजना लागत को ध्यान में रखकर की जाएगी। **ii. अवसंरचना विकास:** नई औद्योगिक संपदा/ फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए भारत सरकार अनुदान 60% परियोजना लागत (5.00–15.00 करोड़ रु.) तक तथा मौजूदा औद्योगिक संपदा/ फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के उन्नयन (अप–ग्रेडेशन) के लिए भारत सरकार अनुदान 50% परियोजना लागत (5.00 – 10.00 करोड़ रु.) तक सीमित रहेगा। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, आकांक्षात्मक जिले, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों और क्लस्टर के मामले में 50% से अधिक सूक्ष्म/गांव अथवा महिलाओं के स्वामित्व वाली या एससी/एसटी स्वामित्व वाली इकाइयों के मामले में, मौजूदा औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए भारत सरकार का अनुदान परियोजना लागत (5.00–15.00 करोड़ रु.) के 70% तथा नई औद्योगिक संपदा/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के उन्नयन के लिए भारत सरकार का अनुदान परियोजना लागत (5.00–10.00 करोड़ रु) के 60% तक रहेगा। 10.00 करोड़/15.00 करोड़ रु. से अधिक लागत के साथ आईडी परियोजना पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन भारत सरकार की सहायता की गणना 10.00 करोड़/15.00 करोड़ की अधिकतम पात्र परियोजना लागत को ध्यान में रखकर की जाएगी।

उपलब्धि–वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2023–24 के दौरान वर्ष–वार आँकड़े

वर्ष	अनुमोदित परियोजनाएं			पूर्ण परियोजनाएं			प्रयुक्त बजट (करोड़ रु. में)		
	सीएफसी	आईडी	कुल	सीएफसी	आईडी	कुल	ब.अ.	सं.अ.	व्यय
2017-18	9	12	21	13	11	24	184.00	157.65	157.11
2018-19	11	26	37	17	11	28	279.00	173.40	172.73
2019-20	38	35	73	11	11	22	227.90	227.90	226.34
2020-21	26	42	68	8	12	20	390.69	116.28	116.28
2021-22	18	13	31	3	13	16	156.50	156.50	135.59
2022-23	9	19	28	1	2	3	262.00	120.00	78.68
2303-24	20	26	46	10	30	40	150.00	178.97	178.96
कुल	**131**	**173**	**304**	**63**	**90**	**153**	**1650.09**	**1130.7**	**1065.69**

ज़री ज़रदोजी क्लस्टर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में सीएफसी

स्टेबर क्लस्टर, कुन्नुर, नीलगिरी, तमिलनाडु में सीएफसी

काजू प्रंस्करण क्लस्टर, देसुर गांव, बेलगामी जिला कर्नाटक में सीएफसी

प्रिंटिंग क्लस्टर, कोकीनाडा, आंध्र प्रदेश में सीएफसी

घ. विपणन सहायता स्कीम

I.	संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए)
विवरण	सरकार ने दिनांक 01.04.2010 से, रियायत की पूर्ववर्ती प्रणाली के स्थान पर लचीली, विकास प्रेरक और कारीगर उन्मुखी बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम शुरू की है। कपास/मलमल, ऊन और पॉलीवस्त्र के लिए वर्तमान में एमएमडीए के अंतर्गत प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता की गणना मुख्य लागत के 35% (कच्चे माल की लागत + ग्रे कपड़े तक रूपांतरण शुल्क + प्रसंस्करण शुल्क) के दर से रहेगी, इसमें मार्जिन [स्थापना व्यय (25%) और व्यापार (3%), बीमा (1%) एवं बैंक ब्याज (4%), शामिल नहीं है और रेशम खादी के लिए मुख्य लागत के 20% (कच्चे माल की लागत + ग्रे कपड़े तक रूपांतरण शुल्क + प्रसंस्करण शुल्क) की दर से रहेगी, इसमें मार्जिन [स्थापना व्यय (25%) और व्यापार (3%), बीमा (1%) और बैंक ब्याज (4%), शामिल नहीं है। कपास/ऊनी खादी एवं पॉलीवस्त्र के खादी संस्थानों को एमएमडीए की मात्रा (i) उत्पादक संस्थान (34%), (ii) बिक्री संस्थान (17%), (iii) कारीगर (35%) और (iv) कार्यकर्ता (14%) के अनुपात में वितरित की जाएगी। यदि खादी संस्था उत्पादन और बिक्री गतिविधियों दोनों में ही शामिल हो, तब सहायता की राशि एमएमडीए का 51% रहेगी तथा रेशम खादी के मामले में खादी संस्थानों को एमएमडीए की मात्रा (i) उत्पादक संस्थानों (40%) (ii) बिक्री संस्थान (20%), (iii) कारीगर (30%) और (iv) कार्यकर्ता (10%)

	के अनुपात में वितरित की जाएगी। यदि खादी संस्था उत्पादन और बिक्री गतिविधियों दोनों में शामिल है, तब सहायता की राशि एमएमडीए का 60% रहेगी। उत्पादक संस्थान औजार एवं उपकरण के प्रापण/प्रौद्योगिकी उन्नयन, मौजूदा डिजाइनों में सुधार के लिए डिजाइनरों और परामर्शदाताओं को नियुक्त करने और नए डिजाइनों की शुरुआत करने, चरखों, करघों और अन्य उपकरण के रखरखाव के लिए वस्त्र तैयार हो जाने के बाद की प्रक्रिया में मूल्य वर्धन और तकनीशियनों को नियुक्त करने के लिए अपनी पात्रता अनुसार एमएमडीए का उपयोग करेंगे। बिक्रीकर्ता संस्थाएं कम्प्यूटरीकरण/बार–कोडिंग/बिलिंग/डेबिट/ऋण कार्ड स्वाइपिंग मशीन, खातों, बिक्री आउटलेटों के नवीकरण, मोबाइल बिक्री वैन की शुरूआत, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियां, बिक्री छूट/स्टॉक की निकासी के लिए पूरी बिक्री पर छूट का विस्तार करने और बिक्री कर्मियों के क्षमता सृजन के माध्यम से सभी बिक्री से संबंधित संवर्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए अपने एमएमडीए का उपयोग करेंगी ।
अभीष्ट लाभार्थी	केवीआईसी से संबद्ध/पंजीकृत खादी संस्थान, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के केवीआईबी, वैध खादी/पॉलीवस्त्र और खादी मार्क प्रमाणपत्र धारक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की केवीआईबी इकाइयां और जिनका वार्षिक बजट केवीआईसी द्वारा विधिवत अनुमोदित है।
आबंटित निधियां (वर्ष 2023 –24)	बजट अनुमानः 269.76 करोड़ रु.
किया गया व्यय (दिनांक 31.03.24) तक)	265.59 करोड़ रु.

ङ. प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा प्रतिस्पर्धात्मकता स्कीम

I. एमएसएमई चैंपियंस स्कीम

एमएसएमई चैंपियंस स्कीम 5 वर्षों अर्थात वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक की अवधि के लिए पूर्ववर्ती प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम (टीयूएस) के सभी 6 घटकों को मिलाकर तैयार की गई है।

यह एक एकल उद्देश्य के साथ विभिन्न स्कीमों और क्रियाकलापों को शामिल करके, तालमेल बनाकर और अभिसारित करने का एक समग्र दृष्टिकोण है। इसका अंतिम उद्देश्य क्लस्टरों और उद्यमों को चुनना और उनकी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, अपव्यय कम करना, व्यवसाय प्रतिस्पर्धात्मकता को तेज करना और उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक पहुंच और उत्कृष्टता को आसान करना है। नई एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के अंतर्गत तीन नए घटक हैं, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

1. एमएसएमई–सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम
2. एमएसएमई–प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम
3. नवपरिवर्तन (इंक्यूबेशन, आईपीआर, डिजाइन के लिए स्कीम

डिजिटल एमएसएमई, एमएसएमई चैपियंस स्कीम के अन्य सभी घटकों के साथ आपस में जुड़ी होगी।

एमएसएमई चैपियंस स्कीम के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान: 52.72 करोड़ रु./88.82 करोड़ रु. (2023–24)

i. एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम	
विवरण	एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन एमएसएमई के बीच जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) पद्धतियों के बारे में जागरुकता सृजित करके उन्हें जेड प्रमाणीकरण के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करके साथ ही उन्हें एमएसएमई चैंपियंस बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक अभियान है। जेड प्रमाणीकरण के माध्यम से, एमएसएमई अपव्यय की बर्बादी को काफी हद तक कम कर सकता है, उत्पादकता बढ़ाना, पर्यावरण जागृति को बढ़ाना, ऊर्जा बचाव, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रयोग और अपने बाजारों का विस्तार आदि कर सकता है। एमएसएमई को उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा और स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य संस्कृति में श्रेष्ठ पद्धतियों को अनुग्रहीत करने, उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणाली आदि के मानकीकरण के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। जेड प्रमाणीकरण का उद्देश्य मूल्यांकन, पथ–प्रदर्शन, प्रबंधन और तकनीकी इंटरवेंशन के माध्यम से एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।
सहायता की प्रकृति	➢ प्रमाणन लागत i. प्रमाणन स्तर 1: कांस्य: 10,000/– रु. ii. प्रमाणन स्तर 2: रजत : 40,000/– रु. iii. प्रमाणन स्तर 3: स्वर्ण: 90,000/– रु. ➢ जेड प्रमाणन की लागत पर सब्सिडी: i. 10,000/– रु. का ज्वाईनिंग पुरस्कार (प्राप्ति की आकांक्षा पर कांस्य) ii. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए क्रमशः 80%–60%–50%। iii. महिलाओं के स्वामित्व वाली एमएसएमई के लिए 100%। ➢ अतिरिक्त सब्सिडी: i. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वामित्व वाली एमएसएमई अथवा पूर्वोत्तर, हिमालयी, वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों, द्वीप क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों के एमएसएमई लिए 10%। ii. ऐसे एमएसएमई के लिए 5% जो मंत्रालय के स्फूर्ति अथवा सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी) का भी हिस्सा हैं। ➢ परीक्षण, गुणवत्ता, उत्पाद प्रमाणन में वित्तीय सहायता: i. 50,000/–रु. की अधिकतम सब्सिडी सीमा के साथ परीक्षण/प्रमाणन की कुल लागत के 75% तक।

	➢ पथ–प्रदर्शन/परामर्श सहायताः i. अगले प्रमाणन स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से पथ–प्रदर्शन/परामर्श के लिए 2 लाख रु. तक की सहायता। ➢ जीरो इफेक्ट सॉल्यूशन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहायता i. जीरो इफेक्ट सॉल्यूशन या प्रदूषण नियंत्रक उपाय या क्लीनर टेक्नोलॉजी हेतु 3 लाख रु. तक।
वर्ष 2023–24 में उपलब्धि/ स्थिति	एमएसएमई– सतत (जेड) स्कीम का शुभारंभ दिनांक 28 अप्रैल 2022 को किया गया था। i. वर्ष 2023–24 में एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम के अंतर्गत 2,52,000 से अधिक एमएसएमई पंजीकृत हैं। ii. वित्तीय वर्ष 2023–24 में एमएसएमई को 1,75,367 कांस्य, 428 रजत और 539 स्वर्ण प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं तथा शेष पंजीकृत एमएसएमई प्रमाणन के लिए प्रक्रियाधीन हैं। iii. 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी संबंधित औद्योगिक नीतियों में जेड को शामिल किया है और जेड प्रमाणित एमएसएमई को अतिरिक्त प्रोत्साहन की पेशकश ही है। iv. 18 बैंक आगे आए हैं तथा जेड प्रमाणित एमएसएमई को प्रसंस्करण शुल्क और ब्याज दर में रियायत के रूप में प्रोत्साहन अधिसूचित किया है। v. महिला स्वामित्व वाली एमएसएमई के लिए प्रमाणन लागत शून्य कर दी गई है।
अभीष्ट लाभार्थी	उद्यम पंजीकृत विनिर्माण एमएसएमई।
कार्यान्वयन	भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय के कार्यालयों के माध्यम से

II. एमएसएमई–नवपरिवर्तन (इंक्यूबेशन, आईपीआर, डिजाइन और डिजिटल एमएसएमई)

एमएसएमई के बीच भारत के इनोवेशन के बारे में जागरूकता सृजित करने तथा उन्हें एमएसएमई चैंपियन बनने के लिए प्रेरित करने हेतु एमएसएमई इनक्यूबेशन, डिजाइन इंटरवेंशन के संयोजन के साथ और सिंगल मोड दृष्टिकोण में आईपीआर की रक्षा करके एमएसएमई के लिए एमएसएमई नवप्रवर्तक एक नई अवधारणा है। यह नवपरिवर्तन गतिविधियों हेतु एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जिससे व्यवहार्य व्यावसायिक अनुपात में विचारों के विकास और मार्गदर्शन को सुगम बनाया जा सकता है तथा समाज को सीधे लाभान्वित कर सकता है और सफलतापूर्वक विपणन किया जा सकता है।

स्कीम के 3 उप–घटक हैं:

क. इनक्यूबेशन

ख. डिजाइन

ग. आईपीआर

II. क– एमएसएमई–नवपरिवर्तन (इंक्यूबेशन)

विवरण	स्कीम का मुख्य उद्देश्य नवपरिवर्तनकारी एमएसएमई और विनिर्माण में नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देना और व्यक्तिगत अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ाना और सहायता देना है।

सहायता की प्रकृति	i. विचारों के विकास और पोषण के लिए एचआई को वित्तीय सहायता– एचआई को प्रति विचार अधिकतम 15 लाख रु. तक प्रदान किए जाएंगे। ii. एचआई को संयंत्र और मशीनरी के लिए 1.00 करोड़ रु. (अधिकतम) तक की वित्तीय सहायता—अनुसंधान और विकास गतिविधियों और बीआई के इन्क्यूबेट के लिए सामान्य सुविधाओं हेतु बीआई में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आदि सहित संबंधित संयंत्र और मशीनों की खरीद और स्थापना के लिए प्रदान किया जाएगा।
वर्ष 2023—24 में उपलब्धि/स्थिति	i. स्वीकृत मेजबान संस्थान (एचआई) : 697। ii. एमएसएमई आइडिया हैकथॉन, 3.0 (महिला) में 397 विचारों का अनुमोदन किया गया है।
अभीष्ट लाभार्थी	उद्यम पंजीकृत विनिर्माण एमएसएमई।
कार्यान्वयन	विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से।
II. ख एमएसएमई—नवपरिवर्तन (डिजाइन)	
विवरण	इस घटक का उद्देश्य भारतीय विनिर्माण क्षेत्र और डिजाइन विशेषज्ञता/डिजाइन बंधुत्व को एक समान मंच पर लाना है। इसका उद्देश्य नए उत्पाद विकास, उनके निरंतर सुधार और मौजूदा अथवा नए उत्पादों में मूल्य संवर्धन के लिए वास्तविक समय की डिजाइन समस्याओं पर विशेषज्ञ परामर्श और लागत प्रभावी उपाय प्रदान करना है।
सहायता की प्रकृति	i. डिजाइन परियोजनाः भारत सरकार द्वारा अधिकतम 40 लाख रु. तक कुल 75% परियोजना लागत का योगदान दिया जाएगा।। ii. छात्र परियोजनाः भारत सरकार द्वारा अधिकतम 2.5 लाख रु. तक कुल 75% परियोजना लागत तक का योगदान दिया जाएगा।
वर्ष 2023/24 में उपलब्धि/स्थिति	i. 1 आईआईएससी, बेंगलुरू के साथ, 7 आईआईटी, 12 एनआईटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ii. स्वीकृत व्यावसायिक डिजाइन/छात्र परियोजनाओं की संख्याः 23 iii. सीटीटीसी, भुवनेश्वर को 77 जागरूकता कार्यक्रम और 6 राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए मंजूरी दी गई।
अभीष्ट लाभार्थी	उद्यम पंजीकृत विनिर्माण एमएसएमई
कार्यान्वयन	एमएसएमई मंत्रालय के विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय के माध्यम से।
II. ग.एमएसएमई—नवपरिवर्तन (आईपीआर)	
विवरण	स्कीम का उद्देश्य निम्नलिखित इंटरवेंशनों के साथ भारत में बौद्धिक संपदा संस्कृति में सुधार करना है: i. एमएसएमई के मध्य से बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) की जागरुकता को बढ़ाना और भारतीय अर्थव्यवस्था में रचनात्मक बौद्धिक प्रयास को बढ़ावा देना है। ii. आईपीआर उपकरणों के व्यवसायीकरण और उनके प्रभावी उपयोग के लिए एमएसएमई द्वारा विकसित विचारों के संरक्षण, प्रौद्योगिकी नव परिवर्तन और ज्ञान आधारित व्यवसाय कार्यनीतियों के लिए उपयुक्त उपाय करना।

सहायता की प्रकृति	➢ माइल–स्टोन आधारित (तीन या अधिक) किश्तों में आईपीएफसी को 1 करोड़ रु. की सहायता प्रदान की जाएगी ➢ पेटेंट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत (जी–आई.), डिजाइन के पंजीकरण के लिए प्रतिपूर्ति: आईपीआर घटक के अंतर्गत पात्र आवेदकों को प्रदान की गई अधिकतम वित्तीय सहायता इस प्रकार है: i. विदेशी पेटेंट: 5.00 लाख रु. तक ii. घरेलू पेटेंट: 1.00 लाख रु. तक iii. जीआई पंजीकरण: 2.00 लाख रु. तक iv. डिजाइन पंजीकरण: 0.15 लाख रु. तक v. ट्रेडमार्क: 0.10 लाख रु. तक
वर्ष 2023/24 में उपलब्धि/स्थिति	i. अनुमोदित किए गए आईपी सुविधा केंद्रों की संख्या: 20 ii. पेटेंट के लिए प्रतिपूर्ति की संख्या–25 iii. ट्रेडमार्क प्रतिपूर्ति की संख्या– 170 iv. डिजाइन प्रतिपूर्ति की संख्या–21 v. अतिरिक्त पहल: आकांक्षी ब्लॉकों में आईपी आउटरीच मिशन, एक जिला एक जीआई कार्यक्रम के अंतर्गत संभावित जीआई उत्पादों की पहचान के लिए जीआई सुविधा, आईपी यात्रा
अभीष्ट लाभार्थी	आवेदक/इकाई/इकाई में एक वैध उद्यम पंजीकरण होना चाहिए।
कार्यान्वयन	विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से।
III. एमएसएमई – प्रतिस्पर्धा (लीन)	
विवरण	एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से लीन टूल्स और तकनीकों के कार्यान्वयन के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए एक व्यापक अभियान है। लीन टूल और तकनीक एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए एक परीक्षित और सिद्ध पद्धति है।
सहायता की प्रकृति	कार्यान्वयन की लागत: ➢ कार्यान्वयन की लागत (अधिकतम प्रति इकाई) • **प्रारंभिक स्तर** –निःशुल्क • **मध्यवर्ती स्तर** – 1,20,000/–रु. + कर • **अग्रिम स्तर** – 2,40,000/– रु. + कर ➢ लाभार्थी अंशदान • **प्रारंभिक स्तर**–लागू नहीं • **मध्यवर्ती स्तर**: कार्यान्वयन की लागत का कुल 10% तक अर्थात 12,000 रु. + कर प्रति इकाई (अधिकतम) • **अग्रिम स्तर**: कार्यान्वयन की लागत का कुल 10% तक अर्थात 24,000 रु. + कर प्रति इकाई (अधिकतम)

	➢ भारत सरकार अंशदान : • **प्रारंभिक स्तर**–लागू नहीं • **मध्यवर्ती स्तर**: एमएसएमई इकाई कार्यान्वयन लागत (कर अतिरिक्त) के लिए 1,08,000 रु. (अधिकतम) तक की हकदार होगी। • **अग्रिम स्तर**: एमएसएमई इकाई कार्यान्वयन लागत (कर अतिरिक्त) के लिए 2,16,000 रु. (अधिकतम) तक की हकदार होगी। ➢ अतिरिक्त लाभ • **प्रारंभिक स्तर**–लागू नहीं • **मध्यवर्ती स्तर और अग्रिम स्तर**: क) स्फूर्ति क्लस्टरों, महिला, एससी/एसटी स्वामित्व वाली, पूर्वोत्तर क्षेत्र स्थित एमएसएमई के भाग के रूप में कार्यरत एमएसएमई के लिए भारत सरकार का अतिरिक्त 5% अंशदान। ख) ओईएम/उद्योग संघ मार्ग ✓ सभी स्तरों को पूरा करने के बाद उद्योग संघ/ओईएम के माध्यम से पंजीकरण करने वाली एमएसएमई को भारत सरकार का अतिरिक्त 5% अंशदान दिया जाएगा। ✓ लीन इंटरवेंशन के सभी चरणों को पूरा करने के बाद ओईएम/एसोसिएशन को प्रति एमएसएमई 5000 रु. दिए जाएंगे।
वर्ष 2023–24 की उपलब्धि/स्थिति	***एमएसएमई–प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम का शुभारंभ दिनांक 10 मार्च, 2023 को किया गया था।*** • स्कीम में पंजीकरण: 10890 • स्कीम में संकल्प: 10847 • लीन बुनियादी प्रमाणन: 5144
अभीष्ट लाभार्थी	उद्यम पंजीकृत विनिर्माण एमएसएमई।
कार्यान्वयन	एमएसएमई मंत्रालय के विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालयों द्वारा भारतीय गुणवत्ता परिषद और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से।

I. यूनिडो एमएसएमई मंत्रालय, 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार परिवर्तन का संवर्धन' पर जीईएफ–5 परियोजना	
विवरण	यूनिडो, 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में ऊर्जा दक्षता के लिए बाजार परिवर्तन का संवर्धन' जीईएफ–5 परियोजना का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के आरंभ से एमएसएमई के लिए बाजार वातावरण को विकसित और संवर्धित करना तथा क्लस्टरों में चिह्नित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना है।

उद्देश्य	परियोजना का उद्देश्य, एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता उपायों के प्रतिरूप को सुनिश्चित करने के लिए एक रिवोलविंग निधि तंत्र सृजित करने और बनाए रखने के लिए तथा ऊर्जा दक्षता उपायों को बढ़ाने के लिए चिह्नित बाधाओं को दूर करके और परिणामस्वरूप भारत में एक स्वच्छ और अधिक प्रतिस्पर्धी एमएसएमई का संवर्धन करना है। यह परियोजना **क्षेत्र विशिष्ट** ऊर्जा दक्षता प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों के आकार वर्धित करती है और इसका उद्देश्य तकनीकी जोखिमों में कमी (प्रौद्योगिकी के मानकीकरण और स्थानीयकरण) और वित्तपोषण के दबाव में कमी (बाजार एकत्रीकरण और नवपरिवर्तन ऊर्जा सेवा–आधारित वित्तपोषण मॉडल के माध्यम से) संयोजन के माध्यम से निवेश की सुविधा प्रदान करना है। परियोजना के निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य हैं; • एमएसएमई क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के कार्यान्वयन का संवर्धन करना; • एक तंत्र का सृजन और उसे बनाए रखना जो क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता उपायों के प्रतिरूप को सुनिश्चित करेगा;
	• समूह ईईएसएल से राजस्व के एक भाग को विभाजित करके एक रिवॉलविंग निधि का सृजन करना, जो इस परियोजना की अवधि से परे गतिविधियों को बनाए रखेगा; और • ऊर्जा दक्षता उपायों को बढाने के लिए चिह्नित की गई बाधाओं को दूर करना और परिणामस्वरूप भारत में एक स्वच्छ और अधिक प्रतिस्पर्धी एमएसएमई उद्योग का संवर्धन करना।
ऊर्जा लक्ष्य	कुल मिलाकर, परियोजना से 956,184 जीजे की प्रत्यक्ष वार्षिक ऊर्जा बचत की उम्मीद है। 10 वर्षों के जीवनभर के निवेश के साथ, जिसका अर्थ है 9,561,838 जीजे में कुल 10 वर्षों की कमी। परियोजना में अंतर्गत, कॉर्बन–डाइ–ऑक्साइड उत्सर्जन में 86,000 टन प्रतिवर्ष की कमी का लक्ष्य है।
उपलब्धि/स्थिति	• 12 क्लस्टरों को चिन्हित किया गया है, जहां 840 सर्वेक्षण किए गए, साथ ही 83 ऊर्जा लेखा परीक्षा की गई तथा चयनित क्लस्टर में डेमो इकाइयों पर 80 बेसलाइन ऊर्जा लेखा परीक्षा पूरी की गई। • इन क्लस्टरों में इस परियोजना के अंतर्गत स्क्रीड आउट तकनीक के लिए 70 एलएसपी को चिन्हित किया गया है और उनमें से 25 पहले से ही बोर्ड पर हैं और कार्यान्वयन प्रगति पर है। • कार्यान्वयन के लिए 36 ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों को चिन्हित किया गया है। • 32 एक्सेल आधारित क्यूईटी तैयार किए गए हैं, 11 क्यूईटी ऑनलाइन उपलब्ध हैं। • 22 प्रौद्योगिकियों के लिए टूलकिट तैयार किया गया है। • 60 डेमो इकाइयों को अंतिम रूप दिया गया है। • 35 एमएसएमई इकाइयों में 20 ईई प्रौद्योगिकियों की स्थापना पूर्ण हो चुकी है। • प्रदर्शन परियोजनाओं के परिणामस्वरूप क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन का काम प्रगति पर है। • उद्योग में ईई के लिए निवेश गतिविधियों का विस्तार जारी है। • सतत और प्रभावी वित्तीय तंत्र की स्थापना प्रक्रिया में है।

अभीष्ट लाभार्थी	यह कार्यक्रम सात क्षेत्रों (लुगदी एवं कागज, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, रसायन एवं रंग, फाउंड्री एवं फोर्जिंग, लोहा एवं इस्पात, मिश्रित क्लस्टर) के 12 क्लस्टरों पर केंद्रित है।
कार्यान्वयन	यह परियोजना भारत में ऊर्जा दक्षता के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधाओं (जीईएफ) के कार्यक्रमिक अवसंरचना के अंतर्गत है और इसमें कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के रूप में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) और प्रमुख निष्पादन एजेंसी (ईए) के रूप में एमएसएमई मंत्रालय शामिल है। इस परियोजना के लिए मुख्य कार्यान्वयन भागीदार एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) है। भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) इस परियोजना के लिए मार्गदर्शक एजेंसियां हैं।
II. यूनिडो एमएसएमई मंत्रालय, सौर ऊर्जा प्रवेश और विस्तार के लिए बिजनेस मॉडल का संवर्धन' पर जीईएफ–5 परियोजना'	
विवरण	इस परियोजना का लक्ष्य संकेन्द्रित सौर तापीय (सीएसटी) प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। सीएसटी सौर विकिरण को पकड़ता है और इसे ऊष्मा (गर्म पानी या हवा, भाप या कोई अन्य ऊष्मा हस्तांतरण माध्यम) में बदल देता है जिसका उपयोग औद्योगिक और अन्य प्रक्रियाओं को गर्म करने या ठंडा करने के लिए किया जा सकता है।
उद्देश्य	यूनिडो –जीईएफ–एमएसएमई परियोजना के अंतर्गत परियोजना का मुख्य उद्देश्य पांच या अधिक क्लस्टरों में हीटिंग और कूलिंग अनुप्रयोगों के लिए कंसंट्रेटिंग सोलर थर्मल (सीएसटी) तकनीक के उपयोग को बढ़ाना है, जो एमएसएमई क्लस्टरों में ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों के लिए बाजार परिवर्तन को बढ़ावा देने पर जीईएफ–5 वित्त पोषित यूएनआईडीओ की परियोजना का हिस्सा हैं और सौर परियोजना के अंतर्गत पांच क्लस्टरों को चिन्हित किया गया है अर्थात रासायनिक उद्योग के लिए अंकलेश्वर, फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए मेडक, कपड़ा उद्योग के लिए सूरत, चावल मिलों के लिए वेल्लोर और चाय प्रसंस्करण के लिए जोरहाट है।
	परियोजना की मुख्य विशेषताएं: • एमएसएमई के साथ प्रत्यक्ष अनुदान की पेशकश करके पहचाने गए 5 एमएसएमई औद्योगिक समूहों में सीएसटी प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। • उद्योगों में सबसे उपयुक्त सीएसटी प्रौद्योगिकी की स्थापना और एकीकरण को सक्षम करने के लिए लाभार्थियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना। • प्रणालियों के संचालन के लिए बेहतर समझ की सुविधा के लिए प्रशिक्षण मैनुअल विकसित करना। • औद्योगिक क्षेत्रों के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधान के रूप में सीएसटी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
उपलब्धि/स्थिति	यह परियोजना छह चिन्हित एवं अनुमोदित क्लस्टरों में क्रियान्वित की गई है।
अभीष्ट लाभार्थी	उद्योग
कार्यान्वयन	संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनीडो) (वैश्विक पर्यावरण सुविधाओं (जीईएफ) कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) (जीईएफ निष्पादन एजेंसी के रूप में) और भारत अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) (वित्तीय मध्यस्थ निष्पादन भागीदार के रूप में) के साथ साझेदारी में कार्य कर रहा है।

च. देश भर में एमएसएमई के लिए अन्य स्कीमें

I.	एमएसएमई कार्य–निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प) स्कीम
स्कीम का विवरण	रैम्प एक विश्व बैंक समर्थित केंद्रीय क्षेत्र स्कीम है जिसका उद्देश्य एमएसएमई मंत्रालय की मौजूदा स्कीमों की पहुंच को बढ़ाकर बाजार, वित्त और प्रौद्योगिकी उन्नयन तक एमएसएमई की पहुंच में सुधार करना करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने एमएसएमई एजेंडे का कार्यान्वयन करने में राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से केंद्र और राज्य स्तर पर संस्थानों को सुदृढ़ करना और केंद्र–राज्य सहयोग को बढ़ावा देना भी है।
	वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक पांच वर्षों के लिए रैम्प की कुल परियोजना लागत 6062.45 करोड़ रु. है, जिसमें से विश्व बैंक सहायता 3750 करोड़ रु. (500 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है। **उद्देश्यः** रैम्प के प्रमुख उद्देश्य और डिलिवरेबल्स निम्नानुसार हैं: • एमएसएमई संवर्धन और विकास में केंद्र–राज्य सहयोग में तेजी लाना। • प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एमएसएमई मंत्रालय की मौजूदा स्कीमों की प्रभावशीलता बढ़ाना। • एमएसएमई के लिए प्राप्य वित्तीय बाजार को सुदृढ़ बनाना। • सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास (सीजीटीएमएई) की प्रभावशीलता बढ़ाना, और एमएसई और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई की पर्यावरण अनुकूल पहलों के लिए गारंटी में वृद्धि करना। • एमएसई की विलंबित भुगतान की घटनाओं को कमी लाना। **मुख्य लाभः** रैम्प स्कीम राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन, नवपरिवर्तन, डिजिटलीकरण, बाजार पहुंच, ऋण आदि के संवर्धन के माध्यम से एमएसएमई के कार्य–निष्पादन में वृद्धि करेगी। **यह स्कीमः** एकल एमएसएमई, मौजूदा एमएसएमई मंत्रालय की स्कीमों और राज्य सरकार/ एजेंसियों के माध्यम से
अभीष्ट लाभार्थी	रैम्प स्कीम में कार्यक्रम अवधि (वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27) के दौरान 5.5 लाख से अधिक एमएसएमई को लाभान्वित करने की परिकल्पना की गई है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य एजेंसियों के माध्यम से होगा।
आवंटित निधियाँ	**बजट अनुमान वर्ष 2022–23:** 723.00 करोड़ रु., संशोधित अनुमान वर्ष 2022–23 : 495.00 करोड़ रु.। **बजट अनुमान वर्ष 23–24:** 1170 करोड़ रु., संशोधित अनुमान वर्ष 23–24: 1320.7903 करोड़ रु.।
उपलब्धियां	• 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एमएसएमई मंत्रालय के साथ वचनपत्र (एनओयू) पर हस्ताक्षर करके रैम्प स्कीम में भाग लेने में रुचि दिखाई है। • 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रणनीतिक निवेश स्कीम (एसआईपी) तैयार करने के लिए 5–5 करोड़ रु. का अनुदान प्रदान किया गया है, जो संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए एक रोडमैप होगा।

	• 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कार्यनीतिक निवेश स्कीमएं (एसआईपी) प्राप्त हुई हैं। इन 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की एसआईपी में चयनित परियोजना प्रस्तावों के लिए कुल 2489.9 करोड़ रु. का अनुदान स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी गई है। • रैम्प कार्यक्रम के तत्वावधान में, मंत्रालय ने तीन उप–स्कीमें शुरू की हैं (i) एमएसई हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्तपोषण (एमएसई–गिफ्ट) जो चयनित हरित प्रौद्योगिकियों के लिए ब्याज अनुदान और गारंटी प्रदान करता है (ii) सर्कुलर इकोनॉमी में निवेश संवर्धन के लिए एमएसई स्कीम (एमएसई–स्पाइस) जो सीई समाधानों का कार्यान्वयन करने के लिए मौजूदा एमएसई को पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है, और (iii) एमएसई–ओडीआर जिसका उद्देश्य एमएसई को विलंबित भुगतानों के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान और कानूनी सेवाओं के लिए सहायता हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करना है। • मंत्रालय ने माननीय एमएसएमई मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद का गठन किया है, जिसमें संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिव, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिव सदस्य हैं। परिषद के कार्यों में अंतर–केंद्रीय मंत्रालयी/विभागीय समन्वय, केंद्र–राज्य तालमेल और रैम्प सहित एमएसएमई क्षेत्र में अनिवार्य सुधारों की प्रगति की निगरानी करना शामिल है। • रैम्प के तत्वावधान में, मंत्रालय ने एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल एमएसएमई पोर्टल का विकास शुरू किया है जो एमएसएमई मंत्रालय के सभी पोर्टलों, अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, डीपीआईआईटी आदि, राज्य सरकारों, उद्योग संघों और अन्य इच्छुक हितधारकों के बीच एकीकरण और अंतर–संचालन प्रदान करेगा। पोर्टल की परिकल्पना एकल लॉगिन के माध्यम से उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव प्रदान करने के लिए की गई है। • मंत्रालय ने अनिवार्य लक्ष्यों का 34% पूरा कर लिया है और 500 मिलियन अमरीकी डालर के कुल ऋण घटक में से विश्व बैंक से 172 मिलियन अमरीकी डालर की राशि का दावा किया है।

अध्याय **5**

पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिलाओं, दिव्यांगजनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए लक्षित गतिविधियां

5.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कार्यकलाप

5.1.1 एमएसएमई मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुल निधियों के 10% निर्धारित करने की सरकार की नीति के अनुपालन में वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान (बीई) में 2051.64 करोड़ रु. का परिव्यय विशेष रूप से असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों के लिए रखा गया था।

वर्ष 2018–19 से 2023–24 (दिनांक 31.03.2024 तक) के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजट परिव्यय और व्यय

(करोड़ रु. में)

वर्ष	बजट आबंटन	पूर्वोत्तर क्षेत्र को 10% बजट आबंटन	पूर्वोत्तर क्षेत्र व्यय
2018-19	6552.61	670.05	671.85
2019-20	7011.29	755.26	720.55
2020-21	7572.20	758.93	482.07
2021-22	15699.65	1608.61	1611.68
2022-23	21422.00	2051.64	2752.88
2023-24	22137.95	2289.7	2341.01

क) पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में एनएसआईसी

वर्ष 2023–24 के दौरान एनएसआईसी (पूर्वोत्तर), गुवाहाटी ने निम्नलिखित गतिविधियां संचालित हैं:

i) 200 प्रतिभागियों ने दिनांक 05.05.2023 को दीमापुर (नागालैंड) में आत्मनिर्भर भारत निधि के लिए जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।

ii) 30 प्रतिभागियों ने दिनांक 27.06.2023 को एनएसआईसी कार्यालय में एमएसएमई दिवस में भाग लिया।

iii) 42 प्रतिभागियों ने दिनांक 26.07.2023 को एनएसआईसी शाखा कार्यालय – गुवाहाटी में फाइनर के साथ एनएसआईसी स्कीमों पर जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया।

iv) 40 प्रतिभागियों ने दिनांक 15.09.2023 को एनएसआईसी कार्यालय और बामुनीमैदान, गुवाहाटी के औद्योगिक क्षेत्र में स्वच्छ भारत अभियान गतिविधियों (विशेष अभियान) में भाग लिया।

v) 23–24 सितंबर, 2023 को गुवाहाटी में आयोजित एग्री एक्सपो में 90 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

vi) 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक गुवाहाटी में आयोजित पूर्वोत्तर एक्सपो 2023 (फाइनर द्वारा आयोजित नॉर्थ ईस्ट वुड एंड बिल्ड एक्सपो) में 110 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

vii) दिनांक 01.10.2023 को गुवाहाटी के बामुनीमैदान के औद्योगिक क्षेत्र में लघु उद्योग भारती (पूर्वोत्तर प्रांत) के साथ श्रमदान के एक तारीख एक घंटा एक साथ में 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

viii) दिनांक 9.11.2023 को शिलांग (मेघालय) में आयोजित एससी/एसटी हब कॉन्क्लेव में 605 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ix) दिनांक 6.10.2023 को ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित एससी/एसटी हब कॉन्क्लेव में 650 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

x) गुवाहाटी में दिनांक 1.11.2023 से 17.11.2023 तक आयोजित 28वें अंतर्राष्ट्रीय गुवाहाटी व्यापार मेले में 53 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

xi) 51 प्रतिभागियों ने दिनांक 18.12.2023 से 22.12.2023 तक आइजोल में आयोजित दूसरे विंटर वंडरलैंड में भाग लिया।

xii) 150 प्रतिभागियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 31 दिसंबर 2023 तक 4 ई–टेंडरिंग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

xiii) 100 प्रतिभागियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 31 दिसंबर 2023 तक विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम में भाग लिया।

xiv) 534 प्रतिभागियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 31 दिसंबर 2023 तक 8 विशेष जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लिया।

ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश – राष्ट्रीय एससी–एसटी हब और एमएसएमई मंत्रालय की अन्य स्कीमों को बढ़ावा देने के लिए 6 अक्टूबर 2023 को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में दोरजी खांडू राज्य सम्मेलन केंद्र में एक मिट्रिक इवेंट (राष्ट्रीय एससी–एसटी हब कॉन्क्लेव) आयोजित किया गया। माननीय केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री ने श्री टुमके बागरा, माननीय उद्योग, वस्त्र एवं हस्तशिल्प, एसडी और ई, व्यापार एवं वाणिज्य, श्रम एवं रोजगार और सहकारिता मंत्री, अरुणाचल प्रदेश सरकार; प्रभारी मुख्य सचिव, श्री शरत चौहान; अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त–एमएसएमई का कार्यालय, डॉ. इशिता गांगुली त्रिपाठी; उद्योग सचिव अरुणाचल प्रदेश सरकार, श्री हेज तारी, (आईएफओएस); संयुक्त सचिव–एसएमई, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार सुश्री मर्सी एपाओ और अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के साथ एनएसएसएच कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया।

इस कार्यक्रम में आकांक्षी और मौजूदा उद्यमियों ने ईटानगर और आसपास के क्षेत्रों से 660 अनुसूचित जाति–जनजाति ने भाग लिया।

शिलांग, मेघालय–एससी–एसटी आबादी के बीच उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय एससी–एसटी हब और एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की अन्य स्कीमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 9 नवंबर 2023 को मेघालय के शिलांग स्थित स्टेट कन्वेंशन सेंटर में एक मिट्रिक इवेंट (राष्ट्रीय एससी–एसटी हब कॉन्क्लेव) का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के माननीय सचिव श्री एस.सी.एल. दास, मेघालय औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) के अध्यक्ष श्री जेम्स पी.के. संगमा, पूर्वोत्तर परिषद के सचिव श्री के मोसेस चालई (आईएएस), वाणिज्य और उद्योग विभाग के आयुक्त और सचिव, मेघालय सरकार श्री प्रवीण बख्शी (आईएएस), प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मेघालय, श्री आर.एस. गिल (आईएफएस), अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त–एमएसएमई डॉ ईशिता गांगुली त्रिपाठी, भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय में संयुक्त सचिव–एसएमई सुश्री मर्सी एपाओ और केंद्र व राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम में शिलांग और आसपास के क्षेत्र से 538 महत्वाकांक्षी और मौजूदा एससी–एसटी प्रतिभागियों ने भाग लिया।

5.1.2. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन

पृष्ठभूमिः इस स्कीम की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी और अगले 5 वर्षों (2021–2026) के लिए 295.00 करोड़ रु. के बजट परिव्यय के साथ जारी रखा गया।

- यह स्कीम प्राकृतिक संसाधनों जैसे फल, मसाले, कृषि, वानिकी, रेशम उत्पादन और बांस आदि के लिए विनिर्माण, परीक्षण, पैकेजिंग, अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद एवं प्रक्रिया नवपरिवर्तनों और प्रशिक्षण को पूरक बनाने के लिए पूर्वोत्तर में एमएसएमई के लिए बुनियादी अवसंरचना और सामान्य सुविधाओं को बनाने या उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

- औद्योगिक संपदाओं और फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों का विकास।
- पर्यटन क्षेत्र में संलग्न एमएसएमई के लिए सामान्य सुविधाएं।

स्कीम के घटकः

1. नए लघु प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा केंद्रों का आधुनिकीकरणः

उद्देश्यः इस स्कीम से नए टूल रूमों/मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह परियोजना पूर्वोत्तर और सिक्किम में उपलब्ध फलों, मसालों, कृषि, वानिकी, रेशम उत्पादन और बांस आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों के लिए विनिर्माण, परीक्षण, पैकेजिंग, अनुसंधान और विकास, उत्पाद एवं नवपरिवर्तन और प्रशिक्षिण की पूर्ति में सहायता के लिए सामान्य सुविधाओं के सृजन के लिए प्राथमिकता प्रदान करेगी। परियोजना की जियो–टैगिंग अनिवार्य है।

वित्तीय सहायताः भारत सरकार की अधिकतम सहायता 13.50 करोड़ रु. अथवा परियोजना लागत की 90% राशि में से जो भी कम हो तक सीमित रहेगी, शेष और किसी अतिरिक्त राशि के भुगतान में राज्य सरकार योगदान करेगी। अवसंरचना के उन्नयन हेतु निर्माण लागत के प्रति भारत सरकार सहायता कुल मान्य भारत सरकार सहायता 1.00 करोड़ तक सीमित होगी। भूमि की लागत के लिए भारत सरकार की वित्तीय सहायता अस्वीकार्य होगी।

2. नए और मौजूदा औद्योगिक एस्टेटों का विकासः

उद्देश्यः नए और मौजूदा औद्योगिक एस्टेटों, फ्लेटेट फैक्ट्री परिसरों के विकास के लिए भारत सरकार सहायता प्रदान की जाएगी। अवसंरचना सुविधाओं में ऊर्जा वितरण प्रणाली, जल, दूरसंचार, जल निकास और प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं, सड़क, भंडार और विपणन केंद्र आदि शामिल हैं। परियोजना की जियो–टैगिंग अनिवार्य है।

वित्तीय सहायताः भारत सरकार से अधिकतम सहायता नए औद्योगिक एस्टेट के विकास के लिए 13.5 करोड़ रु. अथवा मौजूदा औद्योगिक एस्टेट के विकास के लिए 9.00 करोड़ रु. अथवा परियोजना लागत की 90: राशि में से जो भी कम हो, तक सीमित रहेगी, तथा शेष और किसी अतिरिक्त राशि का योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

3. *पर्यटन क्षेत्र का विकासः

उद्देश्यः पूर्वोत्तर और सिक्किम में पर्यटन क्षेत्र में निहित अत्याधिक संभावनाओं को देखते हुए होमस्टे के क्लस्टर में रसोई, बेकरी, लॉड्री और ड्राई क्लीनिंग, रेफ्रीजरेशन और शीतागार, आईटी अवसंरचना पेयजल, स्थानीय उत्पादों के लिए प्रदर्शनी केंद्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम केंद्र आदि जैसे सामान्य सुविधा केंद्रों के सृजन की परियोजनाओं हेतु विचार किया जा सकता है। स्थानीय एमएसई से परियोजनाओं का संपर्क होना चाहिए। पर्यटन विकास हेतु राज्य पर्यटन विकास एजेंसी अथवा केंद्र/राज्य स्वायत्त निकाय की परियोजनाओं को अनुमति दी जाएगी।

अनिवार्य आवश्यकताएं निम्नलिखित होंगी––

क) परियोजना की जियो टैगिंग;

ख) पर्यटन मंत्रालय द्वारा डीपीआर का सत्यापन;

ग) न्यूनतम लाभार्थियों की संख्या– 10 एमएसई (पर्यटन सेवाओं में);

घ) लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से किसी प्रसिद्ध ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाना चाहिए।

वित्तीय सहायताः भारत सरकार की सहायता 4.50 करोड़ रु. अथवा परियोजना लागत की 90% राशि में से जो भी कम हो, तक सीमित रहेगी और शेष और अतिरिक्त राशि का योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

अभीष्ट लाभार्थीः पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी एमएसएमई

निधि आबंटन (2023–24): 49.64 करोड़ रु.

कुल व्यय (2023–24) – 49.35 करोड़ रु.

वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियांः

वर्ष 2016 में स्कीम की शुरूआत के बाद से, कुल 53 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है, जिनमें से 28 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा कुल 225.85 करोड़ रु. भारत सरकार का अनुदान जारी किया गया।

स्कीम के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियां (राज्य–वार)ः

क्र. सं.	राज्य और अन्य गतिविधियां	लघु तकनीकी केंद्र	औद्योगिक एस्टेट/ फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स	अन्य गतिविधियों के अंतर्गत परियोजनाएं*	कुल
1	असम	01	19	01	21
2	नागालैंड	03	00	01	04
3	त्रिपुरा	01	04	00	05
4	सिक्किम	02	03	02	07
5	मिजोरम	00	06	00	06
6	मेघालय	00	03	00	03
7	अरुणाचल प्रदेश	00	01	00	01
8	अध्ययन	00	00	04	04
9	प्रशिक्षण	00	00	02	02
	कुल	**07**	**36**	**10**	**53**

स्कीम के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियां (राज्य–वार)ः

वित्तीय वर्ष	ब.अ./सं.अ.(रुपए करोड़ में)	व्यय (रुपए करोड़ में)
2016-17	02.50	02.50
2017-18	05.00	05.96*
2018-19	20.99	20.60
2019-20	58.93	53.95
2020-21	20.00	22.97*
2021-22	20.00	21.09*
2022-23	50.00	49.43
2023-24	49.64	49.35
कुल	**227.06**	**225.85**
समान उद्देश्य वाली अन्य स्कीमों से अतिरिक्त निधि प्राप्त की गई		

- वित्तीय वर्ष 2023–24 में आयोजित 10वीं पीएएमसी बैठक में 190.11 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत और अनुमोदित 150.43 करोड़ रु. के भारत सरकार अनुदान से कुल 14 (चौदह) औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया।
- परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है: **असम** – कुल आठ (08– पांच नई और तीन उन्नयन) औद्योगिक एस्टेट परियोजनाएं, **मेघालय**– तीन परियोजनाएं (03– दो फ्लैटेड फैक्ट्री और एक औद्योगिक एस्टेट का उन्नयन), **सिक्किम** – सिक्किम फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर में दो (02) और **अरुणाचल प्रदेश**– अरुणाचल प्रदेश में एक (01) फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 में सिक्किम में दो परियोजनाएं पूरी हुई, जिनकी कुल परियोजना लागत 9.49 करोड़ रु. है और भारत सरकार ने 7.39 करोड़ रु. का अनुदान स्वीकृत किया है।
- "पूर्वोत्तर और सिक्किम में एमएसएमई संवर्धन" स्कीम के लिए जियो टैगिंग ऐप शुरू किया गया।

वर्ष 2023–24 के दौरान अनुमोदित परियोजनाएं

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम और स्थान	घटक	राज्य	कुल परियोजना लागत	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित	राज्य का हिस्सा
1	चेंगा, बहारी, बारपेटा, असम में नए औद्योगिक एस्टेट का विकास	औद्योगिक एस्टेट (नया)	असम	12.07	10.86	1.21
2	नंबर दो धेमाजीबारी, बिस्वनाथ चरियाली, असम में एक नए औद्योगिक एस्टेट की स्थापना	औद्योगिक एस्टेट (नया)	असम	31.54	13.50	18.04
3	एकीकृत अवसंरचना विकास केंद्र आईआईडीसी, सिलापाथर, धेमा, असम का उन्नयन	औद्योगिक एस्टेट	असम	11.75	9.00	2.75
4	मैजग्राम, करीमगंज, असम में नए औद्योगिक एस्टेट का विकास	(उन्नयन)	असम	13.30	11.97	1.33
5	एकीकृत अवसंरचना विकास केंद्र, टिटाबोर, जोरहाट, असम का उन्नयन	औद्योगिक एस्टेट (नया)	असम	10.82	9.00	1.82
6	दिघालीचापरी, सोनितपुर, असम में नए औद्योगिक एस्टेट का विकास	औद्योगिक एस्टेट	असम	18.85	13.50	5.35
7	मौजूदा परिसर, मांजा, असम में अवसंरचना विकास सुविधाएं और उन्नयन	(उन्नयन)	असम	10.00	9.0	1.00

क्र. सं.	परियोजना का नाम और स्थान	घटक	राज्य	कुल परियोजना लागत	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित	राज्य का हिस्सा
8	निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, बर्नीहाट, री–भोई, मेघालय में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स	औद्योगिक एस्टेट (नया)	असम	15.00	13.50	1.50
9.	निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, औद्योगिक एस्टेट, माचकोलग्रे, तुरा, पश्चिम गारो हिल्स, मेघालय में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स	फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स (नया)	मेघालय	14.80	13.32	1.48
10.	उमियाम औद्योगिक एस्टेट, री–भोई जिला, किस्मत, अपलैंड रोड, लैतुमखरा, शिलांग–793003 का उन्नयन	औद्योगिक एस्टेट	मेघालय	10.0	9.00	1.00
11	फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, सी–सेक्टर ईटानगर –791111 का निर्माण	(उन्नयन)	अरुणाचल प्रदेश	14.95	13.45	1.50
12	सिक्किम के नामची में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स	फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स (नया)	सिक्किम	14.03	12.63	1.40
13	सिक्किम के सोरेंग में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स	फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स (नया)	सिक्किम	13.00	11.70	1.30
14	धनुभांगा, रोंगजुली, गोलपारा, असम में औद्योगिक एस्टेट	फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स (नया)	असम	14.30	8.00	6.30
	कुल			**204.41**	**158.43**	**45.98**

5.1.3 पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु गतिविधियां

5.1.3.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) का गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय और पूर्वोत्तर राज्यों में अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्र में केवीआई कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य केवीआई बोर्डों, पंजीकृत संस्थानों, सहकारी समितियों और उद्यमियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

5.1.3.2 इन पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे ग्रामोद्योगों में फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, मधुमक्खी पालन, अनाज और दालों का प्रसंस्करण, मिट्टी के बर्तन, रेशा, साबुन, बेंत और बांस, बढ़ईगीरी और लोहार उद्योग; तथा खादी और पॉलीवस्त्र गतिविधियां शामिल हैं।

5.1.3.3 पूर्वोत्तर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग

वर्ष 2023–24 के दौरान पूर्वोत्तर में खादी# का राज्य–वार वास्तविक कार्य–निष्पादन

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन (रु. लाख में)	बिक्री (रु. लाख में)	संचयी रोजगार (संख्या)
1.	अरुणाचल प्रदेश	22.44	71.65	31
2.	असम	1627.00	1892.29	5119
3.	मणिपुर	195.00	185.00	168
4.	मेघालय	44.97	38.14	59
5.	मिजोरम	3.31	6.75	12
6.	नागालैंड	51.96	81.98	295
7.	सिक्किम	12.00	40.00	28
8.	त्रिपुरा	2.51	45.19	25
	कुल	**1959.19**	**2361.00**	**5737**

 # पॉलीवस्त्र और सोलरवस्त्र सहित

5.1.3.5 पीएमईजीपी–पीएमईजीपी के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केवीआईसी द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं।

(i) वर्ष 2023–24 तक पूर्वोत्तर राज्यों में 162.74 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सब्सिडी का उपयोग करके कुल 4852 पीएमईजीपी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2023–24 (दिनांक 31.03.2024 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में पीएमईजीपी का कार्य–निष्पादन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	मार्जिन मनी आबंटन (लाख रु. में)	उपयोग की गई मार्जिन मनी (लाख रु. में)	सहायता–प्राप्त इकाइया (संख्या)	अनुमनित सृजित रोजगार (संख्या)
1	सिक्किम	240.00	449.19	132	1056
2	अरुणाचल प्रदेश	656.80	1,764.81	169	1352
3	नागालैंड	3036.59	2,917.65	517	4136
4	मणिपुर	4589.19	810.73	348	2784
5	मिजोरम	2213.53	1,755.33	401	3208
6	त्रिपुरा	2668.73	1,444.21	588	4704
7	मेघालय	2093.00	725.03	280	2240
8	असम	11162.22	6,406.26	2417	19336
	कुल	**26660.06**	**16,273.21**	**4852**	**38816**

5.1.3.6 वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2023–24 तक पूर्वोत्तर (नई पीएमईजीपी इकाइयों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के लिए दूसरी किस्त हेतु में पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त राज्य–वार सूक्ष्म उद्यम (परियोजनाएं)

राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अरुणाचल प्रदेश	280	211	98	196	158	169
असम	3737	2587	2939	3855	2596	2417
मणिपुर	1291	1173	1556	1139	545	348
मेघालय	390	377	359	699	306	280
मिजोरम	1123	760	810	650	412	401
नागालैंड	1208	1109	740	1241	469	517
सिक्किम	55	79	57	85	57	132
त्रिपुरा	1179	963	842	958	703	588
कुल	**9263**	**7259**	**7401**	**8823**	**5246**	**4852**

5.1.4 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में एनएसआईसी

- एनएसआईसी द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में शुरु की गई गतिविधियां में, आईओसीएल, आरआईएनएल और साथ ही लघु उद्योग भारती आदि सहित विभिन्न संगठनों के साथ फुटपाथ विक्रेता विकास कार्यक्रम और जागरुकता कार्यक्रम शुरु किए गए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब ने 350 प्रतिभागियों के साथ 9 वेबिनारों का आयोजन किया।

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित प्रासंगिक जानकारी** – दिनांक 31.03.2024 तक स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र से कुल 12,493 मौजूदा और महत्वाकांक्षी एससी–एसटी उद्यमियों को लाभान्वित किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र से एससी–एसटी लाभार्थियों का राज्य–वार विवरण निम्नानुसार:

क्र.सं.	पूर्वोत्तर राज्य	एससी–एसटी लाभार्थियों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	845
2	असम	7216
3	मणिपुर	951
4	मेघालय	708
5	मिजोरम	482
6	नागालैंड	1525
7	सिक्किम	156
8	त्रिपुरा	610
	कुल	**12493**

5.2 महिलाओं के कल्याण के लिए लक्षित गतिविधियां

5.2.1. प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को उच्चतर सब्सिडी प्रदान की जाती है। महिला लाभार्थी न्यूनतम व्यक्तिगत अंशदान की हकदार हैं। शुरुआत से (2008–09 से 2023–24 (31.03.2024)), पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला उद्यमियों की कुल 310780 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई। विगत पांच वर्षों (2018–19

से 2022 –23) और वर्तमान वर्ष के 31.03.2024 तक के लिए महिला लाभार्थियों की संख्या पर संचयी आंकड़ें यथा निम्नलिखित हैं:

(सूक्ष्म उद्यम/परियोजनाएं: संख्या)

वर्ष	पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला उद्यमी
2018-19	25434
2019-20	24720
2020-21	27285
2021-22	39,156
2022-23	32,626
2023-24	36,806
कुल	**1,86,027**

5.2.2 मंत्रालय के संगठनों द्वारा संचालित स्कीमों/कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के विकास में तेजी लाने के लिए आवश्यक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला/सुविधा प्रदान करना है। तथापि, कुछ स्कीम/कार्यक्रम व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुखी हैं। कई ऐसी स्कीम हैं जिसमें महिलाओं को अतिरिक्त लाभ, रियायत, सहायता प्रदान की जाती है। महिलाओं के लिए रियायत संबंधी जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.msme.gov.in में यथा उपलब्ध संबंधित स्कीम के दिशानिर्देशों में देखा जा सकता है।

5.2.3 एनएसएसओ के एनएसएस 73वें दौर के अनुसार देश में अनुमानित कुल 1,23,90,523 महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मौजूद हैं। चित्र 5–3 देश में पुरुष स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वितरण के प्रतिशत को दर्शाता है। 20% से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का स्वामित्व महिलाओं के पास है।

स्वामित्व के जेंडर अनुसार द्वारा एमएसएमई स्वामित्व का राज्य–वार वितरण (एनएसएस 73वां दौर)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष स्वामित्व वाली सभी एमएसएमई में राज्य का हिस्सा (%)	महिला स्वामित्व वाली सभी एमएसएमई में राज्य का हिस्सा (%)
1	पश्चिम बंगाल	5583138	2901324	8484462	11.52	23.42
2	तमिलनाडु	3441489	1285263	4726752	7.10	10.37
3	तेलंगाना	1459622	972424	2432046	3.01	7.85
4	कर्नाटक	2684469	936905	3621374	5.54	7.56
5	उत्तर प्रदेश	8010932	862796	8873728	16.53	6.96
6	आंध्र प्रदेश	2160318	838033	2998351	4.46	6.76
7	गुजरात	2375858	826640	3202499	4.90	6.67
8	महाराष्ट्र	3798339	801197	4599536	7.84	6.47
9	केरल	1647853	495962	2143816	3.40	4.00

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष स्वामित्व वाली सभी एमएसएमई में राज्य का हिस्सा (%)	महिला स्वामित्व वाली सभी एमएसएमई में राज्य का हिस्सा (%)
10	राजस्थान	2261127	380007	2641134	4.67	3.07
11	मध्य प्रदेश	2275251	370427	2645678	4.70	2.99
12	झारखंड	1250953	310388	1561341	2.58	2.51
13	ओडिशा	1567395	295460	1862856	3.24	2.38
14	पंजाब	1183871	224185	1408056	2.44	1.81
15	बिहार	3239698	168347	3408044	6.69	1.36
16	हरियाणा	831645	98309	929953	1.72	0.79
17	दिल्ली	827234	86742	913977	1.71	0.70
18	मणिपुर	86383	86604	172987	0.18	0.70
19	जम्मू और कश्मीर	624056	74785	698841	1.29	0.60
20	छत्तीसगढ़	727203	71201	798403	1.50	0.57
21	असम	1128411	66665	1195076	2.33	0.54
22	हिमाचल प्रदेश	329595	50368	379963	0.68	0.41
23	मेघालय	72191	39462	111653	0.15	0.32
24	त्रिपुरा	179169	28042	207212	0.37	0.23
25	पुदुचेरी	65350	27072	92422	0.13	0.22
26	उत्तराखंड	380000	20964	400964	0.78	0.17
27	नागालैंड	65778	20865	86643	0.14	0.17
28	मिजोरम	20439	13698	34137	0.04	0.11
29	गोवा	57133	10815	67948	0.12	0.09
30	अरुणाचल प्रदेश	16153	6274	22427	0.03	0.05
31	चंडीगढ़	44321	5560	49881	0.09	0.04
32	सिक्किम	20880	5036	25916	0.04	0.04
33	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14302	4026	18328	0.03	0.03
34	दादरा और नागर हवेली	12900	2629	15529	0.03	0.02
35	दमण और दीव	5880	1560	7441	0.01	0.01
36	लक्षद्वीप	1384	488	1872	0.00	0.00
	कुल	**48450722**	**12390523**	**60841245**	**100.00**	**100.00**

महिला स्वामित्व वाली एमएसएमई में राज्यों का प्रतिशतता हिस्सा

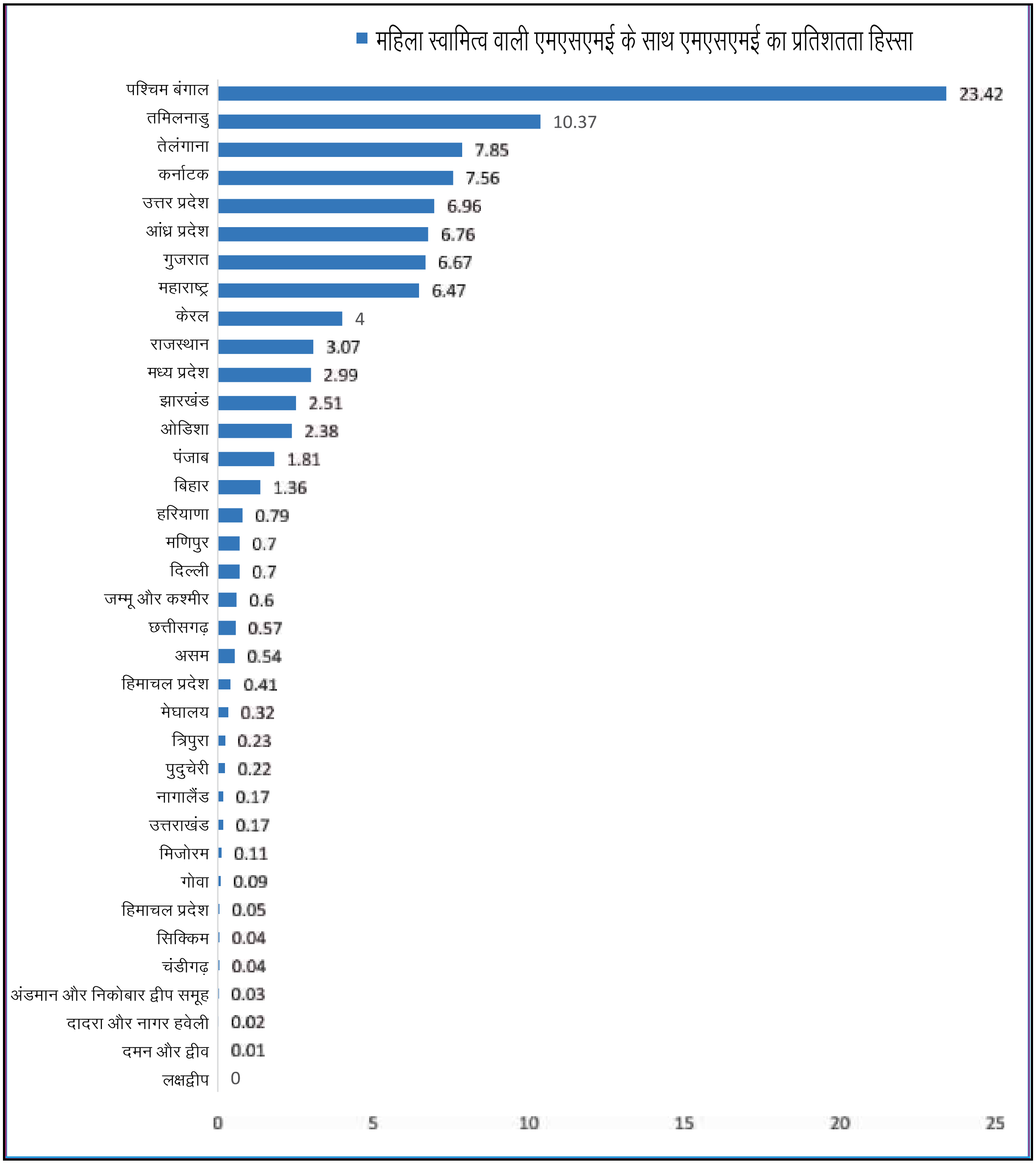

5.3 दिव्यांगजनों का कल्याण

5.3.1 यह मंत्रालय उक्त विषय पर अनुदेशों के अनुसार आरक्षण रोस्टर का अनुरक्षण कर रहा है। मंत्रालय और इसके सम्बद्ध कार्यालय, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के 100 पॉइन्ट रोस्टर से सृजित रिक्तियों को भरने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को नियमित रूप से सूचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अन्य सुविधाएं (जैसे वाहन भत्ता) भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों को भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

5.3.2 एनएसआईसी और निम्समे उद्यमिता विकास के विभिन्न क्षेत्रों और संबंधित प्रशिक्षण मॉड्यूल में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक आरक्षण/वरीयता प्रदान कर रहे हैं।

5.3.3 पीएमईजीपी–पीएमईजीपी के अंतर्गत दिव्यांग लाभार्थियों को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है और ये उच्च दर पर सब्सिडी तथा कम व्यक्तिगत अंशदान की पात्रता रखते हैं। इसके प्रारंभ से (अर्थात् वर्ष 2008–09 से 31.03.2024 तक), पीएमईजीपी के अंतर्गत कुल 5593 परियोजनाओं के माध्यम से दिव्यांग उद्यमियों को सहायता प्रदान की गई है। विगत पांच वर्षों (2018–19 से 2022–23) और वर्तमान वर्ष 31.12.2024 तक के लिए दिव्यांग लाभार्थियों की संख्या पर संचित आंकड़े निम्नलिखित हैं:

वर्ष	पीएमईजीपी के अंतर्गत दिव्यांग उद्यमी (लाभार्थी)
2018-19	495
2019-20	414
2020-21	400
2021-22	484
2022-23	433
2023-24	349
कुल	**2575**

5.4 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम

5.4.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को साम्यिक विकास के संवर्धन के लिए आर्थिक वृद्धि के इंजन के रूप में विश्व–भर में स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार, भारत में भी एमएसएमई ने देश में आर्थिक विकास और निर्यात संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक बाज़ार में बनाए रखने के लिए एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने की आवश्यकता है और उन्हें निरंतर अद्यतन बनाए रखना होगा ताकि ये प्रौद्योगिकी में बदलाव, मांग में उतार–चढ़ाव, नए बाज़ारों के उभरने की चुनौतियां आदि का सामना कर सकें।

5.4.2 एमएसएमई मंत्रालय और उसके संगठन अपनी विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अद्यतन प्रौद्योगिकी, अनुभवों को साझा करके और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के बेहतरीन प्रबंधन परम्पराओं का एक्सपोज देकर भारतीय एमएसएमई क्षेत्र को सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रयास को जारी रखते हुए, एमएसएमई मंत्रालय ने 19 देशों अर्थात ट्यूनिसिया, रोमानिया, रवांडा, मेक्सिको, उजबेकिस्तान, लेसोथो, श्रीलंका, अल्जीरिया, सूडान, कोटे डी आई वरी, मिश्र, दक्षिण कोरिया गणराज्य, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, इंडोनेशिया, वियतनाम, मारीशस, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात के साथ दीर्घ अवधि समझौता, समझौता ज्ञापन या संयुक्त कार्य–स्कीम की व्यवस्था की है।

5.4.3 **आयोजित किए गए महत्वपूर्ण सम्मेलनों, आयोजनों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिनिधिमंडलों के साथ की गई बैठकें:** एमएसएमई मंत्रालय और इसके अधीनस्थ संगठनों जैसे विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय और एनएसआईसी नियमित रूप से दोनों देशों के एमएसएमई के पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठकों का आयोजन करते हैं। आयोजित की गई ऐसी बैठकों या चर्चाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

- एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत एक सीपीएसई, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) और कोरिया गणराज्य के कोरिया एसएमई और स्टार्टअप एजेंसी (केओएसएमई) के बीच एमएसएमई के क्षेत्र में सहयोग के नवीनीकरण के लिए 27 फरवरी 2023 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

- बहरीन के माननीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री, श्री अब्दुल्ला बिन अदेल फाखरो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 15 मार्च, 2023 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में माननीय एमएसएमई मंत्री और उनकी टीम से मुलाकात की। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने एमएसएमई क्षेत्र में देशों के बीच सहभागिता की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की; और एमएसएमई के क्षेत्र में सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचारों का आदान–प्रदान भी किया।

- एमएसएमई मंत्रालय ने इंडिया एसएमई फोरम के साथ मिलकर 19–21 मार्च, 2023 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय एसएमई सम्मेलन 2023 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय मंत्री, एमएसएमई ने किया, साथ ही माननीय एमएसएमई राज्य मंत्री भी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सम्मेलन में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और नई दिल्ली में कई देशों के दूतावासों के गणमान्य व्यक्तियों, अधिकारियों ने भाग लिया। पूर्ण सत्र और बी2बी बैठकों में बड़ी संख्या में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और एमएसएमई के प्रतिभागियों ने भी भाग लिया।

- स्लोवाक गणराज्य के माननीय अर्थव्यवस्था मंत्री श्री कारेल हिरमन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 28 मार्च, 2023 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में माननीय एमएसएमई मंत्री से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने अपने–अपने देशों में एमएसएमई क्षेत्र के महत्व पर चर्चा की और एमएसएमई के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा की।

- इजराइल के माननीय अर्थव्यवस्था और उद्योग मंत्री श्री नीर बरकत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 18 अप्रैल, 2023 को उद्योग भवन, नई दिल्ली में माननीय एमएसएमई मंत्री से मुलाकात की। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने अपने–अपने देशों में एमएसएमई क्षेत्र की स्थिति पर विचारों का आदान–प्रदान किया और दोनों देशों के एमएसएमई को लाभ पहुंचाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर भी चर्चा की।

- भारत–जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता भागीदारी रोडमैप (आईजेआईसीपी) के अंतर्गत गठित एमएसएमई सहयोग पर भारत–जापान संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी) की दूसरी बैठक 13 जुलाई, 2023 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई। भारत की ओर से एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव (एसएमई) सुश्री मर्सी एपाओ तथा जापान की ओर से अर्थव्यवस्था व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई) के दक्षिण–पश्चिम एशिया कार्यालय के निदेशक श्री कात्सुहिको मुरायामा ने बैठक का नेतृत्व किया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने जापान के एसोसिएशन फॉर ओवरसीज टेक्निकल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप (एओटीएस) द्वारा भिवाड़ी और पुदुचेरी में स्थित एमएसएमई मंत्रालय के प्रौद्योगिकी केंद्रों पर 5एस और काइज़ेन में प्रस्तावित कौशल विकास/प्रशिक्षण पर चर्चा की।

- एमएसएमई मंत्रालय तथा जूट उत्पाद विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (जेपीडीईपीसी) के बीच 07 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अंतर्गत जेपीडीईपीसी को आईसी स्कीम के सीबीएफटीई (पहली बार निर्यात करने वालों के लिए क्षमता निर्माण) घटक के पहले

क्रियाकलाप (अर्थात् आरसीएमसी शुल्क की प्रतिपूर्ति) के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक के रूप में नामित किया गया। जेपीडीईपीसी इस क्रियाकलाप के लिए एमएसएमई मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर करने वाली 20वीं ईपीसी है।

- एमएसएमई मंत्रालय, भारत तथा लघु एवं मध्यम उद्यम प्रशासन (एसएमईए), आर्थिक कार्य मंत्रालय (एमओईए), ताइवान के बीच 5 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में दूसरी भारत–ताइवान एसएमई जेडब्लूजी (संयुक्त कार्यकारी समूह) बैठक आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव (एसएमई प्रभाग) सुश्री मर्सी एपाओ ने किया, जबकि ताइवान प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एसएमईए, एमओईए के महानिदेशक डॉ. चिन–त्सांग हो ने किया।

- भारत–ताइवान एसएमई सहयोग मंच की दूसरी बैठक भी 07 सितंबर, 2023 को मुंबई, भारत में आयोजित की गई। इस वर्ष की बैठक का मुख्य जोर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर था। भारतीय पक्ष का नेतृत्व एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव (एसएमई प्रभाग) सुश्री मर्सी एपाओ ने किया, जबकि ताइवान पक्ष का नेतृत्व एसएमईए, एमओईए के महानिदेशक डॉ. चिन–त्सांग हो ने किया। सरकारी अधिकारियों के अलावा, दोनों पक्षों के एमएसएमई प्रतिनिधियों ने भी व्यापारिक गठजोड़, प्रौद्योगिकी सहयोग आदि की संभावनाओं की तलाश के लिए उक्त बैठक में भाग लिया।

- एमएसएमई सहयोग पर भारत–जापान संयुक्त कार्यकारी समूह (जेडब्ल्यूजी) की तीसरी बैठक 06 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व भारत की ओर से एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव (एसएमई) सुश्री मर्सी एपाओ और जापान की ओर से अर्थव्यवस्था व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई) के दक्षिण–पश्चिम एशिया कार्यालय के निदेशक श्री कात्सुहिको मुरायामा ने किया। इस बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने जापान के एसोसिएशन फॉर ओवरसीज टेक्निकल कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबल पार्टनरशिप (एओटीएस) द्वारा भिवाड़ी और पुद्दुचेरी में स्थित एमएसएमई मंत्रालय के प्रौद्योगिकी केंद्रों में 5एस और काइज़ेन में कौशल विकास/प्रशिक्षण में सहयोग की समीक्षा की और सहयोग के लिए अगले वर्ष की स्कीमों पर भी चर्चा की।

- एमएसएमई मंत्रालय ने माननीय एमएसएमई मंत्री के नेतृत्व में 6 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली में विदेश मामलों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री माननीय अल्बर्ट आर. रामदीन के नेतृत्व में सूरीनाम गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। दोनों पक्षों ने भारत और सूरीनाम के सुदृढ़ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को स्वीकार किया तथा आपसी विकास के लिए उद्यम–से–उद्यम सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग को प्राथमिकता देने की इच्छा व्यक्त की।

- एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव (एसएमई) सुश्री मर्सी एपाओ ने ओमान में आयोजित भारत–ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी (सीईपीए) के लिए दूसरे दौर की वार्ता में हिस्सा लिया। उन्होंने 9–11 दिसंबर, 2023 के दौरान ओमान में एसएमई अध्याय पर वार्ता के लिए एसएमई–ट्रैक की बैठकों का नेतृत्व किया।

6 अध्याय

सामान्य सांविधिक दायित्व

6.1 राजभाषा

6.1.1 भारत संघ अपनी राजभाषा के रूप में देवनागरी लिपि में हिंदी का प्रयोग करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। सरकार की नीति का उद्देश्य सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है। राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने, वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के विभिन्न आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय में वर्ष के दौरान प्रभावी कदम उठाए गए।

6.1.2 सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में प्रगति हुई है। मंत्रालय की एक कार्यात्मक हिंदी भाषा वेबसाइट http://msme.gov.in है ।

6.1.3 सभी दस्तावेज जैसे सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्ति, अनुबंध, समझौता, निविदा प्रपत्र और नोटिस, संकल्प, नियम, ज्ञापन/कार्यालय ज्ञापन, प्रशासनिक रिपोर्ट और संसद के सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखे गए आधिकारिक कागजात। राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा 3(3) द्विभाषी अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी की जाती है। विभागीय उपयोग हेतु सामान्य आदेश हिंदी में ही जारी किये जाते थे। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया गया।

6.1.4 वर्ष के दौरान, दिनांक 07.06.2023 को नई दिल्ली में हिंदी सलाहकार समिति की बैठक का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। एमसएमई मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक माननीय मंत्री एमएसएमई की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें महत्वपर्ण निर्णय लिए गए।

6.1.5 संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा दिनांक 06.10.2023 को एमएसएमई मंत्रालय का सफलतापूर्वक राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया।

6.1.6 एमएसएमई मंत्रालय में संयुक्त सचिव (राजभाषा प्रभारी) की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जा चुका है। समिति की त्रैमासिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं तथा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं तथा निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए गए हैं।

6.1.7 **हिंदी में पत्राचार:** राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों को यथासंभव हिंदी में पत्र जारी किए जाते हैं। इसी प्रकार, 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों को वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हिंदी में पत्र भेजे गए। वर्ष 2023 के दौरान क्षेत्र 'क' में लगभग 93%, क्षेत्र 'ख' में 91% और क्षेत्र 'ग' में 86% पत्राचार हिंदी में किया गया।

6.1.8 **निगरानी और निरीक्षण:** राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के माध्यम से निगरानी की जाती है। इसके अनुसरण में, राजभाषा नीति के प्रयोग और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के नियंत्रणाधीन संगठनों के कई अधीनस्थ कार्यालयों के साथ–साथ मंत्रालय के अनुभागों का भी निरीक्षण किया गया।

6.1.9 **हिंदी माह:** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में 14 सितंबर, 2023 से 13 अक्टूबर, 2023 तक हिंदी माह मनाया गया। 14 सितंबर, 2023 को हिंदी दिवस, 2023 के अवसर पर एमएसएमई मंत्रालय के साथ–साथ इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में अनुपालन हेतु माननीय केंद्रीय मंत्री (एमएसएमई) का संदेश प्रसारित किया गया था। हिंदी माह के दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों को सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारियों ने उत्साह के साथ भाग लिया।

6.1.10 हिंदी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का नामांकनः हिंदी शिक्षण स्कीम के अंतर्गत राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया गया। वर्ष 2023–24 के लिए हिंदी टंकण हेतु 07 कर्मचारी, प्रबोध पाठ्यक्रम हेतु 02 अधिकारी तथा प्रवीण पाठ्यक्रम हेतु 04 कर्मचारी नामित किए गए।

6.1.11 हिंदी कार्यशाला का आयोजनः अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में अपना काम यथासंभव हिंदी में करने के लिए प्रेरित करने के लिए तिमाही आधार पर कई कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। जिसमें राजभाषा अधिनियम, नियम और आदेशों के साथ–साथ हिंदी ध्वन्यात्मकता के बारे में जानकारी दी गई। मंत्रालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। उन्हें हिंदी में कार्य करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में भी सहायता प्रदान की गई।

6.1.12 संबद्ध कार्यालयों और सांविधिक निकायों में हिंदी का प्रयोगः

6.1.12.1 विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालयः इस अवधि के दौरान, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय के हिंदी अनुभाग ने संसदीय समिति की सिफारिश पर माननीय राष्ट्रपति के राजभाषा अधिनियम, नियमों और आदेशों का निरंतर और सुचारू रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। मुख्यालय के साथ–साथ इसके अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज, रिपोर्ट, संसदीय प्रश्न और कागजात द्विभाषी रूप में तैयार किए गए ।

उल्लेखनीय है कि संसदीय राजभाषा समिति (सीपीओएल) की तीसरी उप–समिति ने विकास आयुक्त (एमएसएमई) के संबद्ध अपने क्षेत्रीय अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा की प्रगति एवं कार्यान्वयन का निरीक्षण किया, निरीक्षण किए गए कार्यालयों की सूची इस प्रकार हैः

क्र.सं.	निरीक्षण किए गए कार्यालयों के नाम	निरीक्षण की तिथि
1.	एमएसएमई–विकास कार्यालय, लुधियाना	18-04-2023
2.	एमएसएमई–विकास कार्यालय, रायपुर	24-05-2023
3.	एमएसएमई–विकास कार्यालय, वाराणसी	19-06-2023
4.	एमएसएमई–विकास कार्यालय, पटना	15-07-2023
5.	एमएसएमई–विकास कार्यालय, रांची	15-07-2023
6.	एमएसएमई–टीसी, मुंबई प्रौद्योगिकी संस्थान	12-09-2023
7.	एमएसएमई–विकास कार्यालय, गोवा	15-02-2024
8.	एमएसएमई–विकास कार्यालय, आगरा	13-03-2024
9.	एमएसएमई–विकास कार्यालय, ओखला, नई दिल्ली	13-03-2024

उक्त अवधि के दौरान विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय के हिंदी अनुभाग द्वारा निम्नलिखित 3 अधीनस्थ कार्यालयों का भी राजभाषा निरीक्षण किया गया।

क्र.सं.	निरीक्षण किए गए कार्यालयों के नाम	निरीक्षण की तिथि
1.	आईजीटीआर, अहमदाबाद	10-11-2023
2.	आईजीटीआर, औरंगाबाद	12-13-11-2023
3.	एमएसएमई–विकास कार्यालय, सोलन	13-03-2024

हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा का आयोजन

विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय द्वारा हिंदी दिवस (14 सितंबर, 2023) तथा 16 सितंबर, 2023 से 03 अक्टूबर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। आयोजित प्रतियोगिताओं का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	प्रतियोगिताओं का नाम	तिथि
1.	हिंदी नोटिंग/ड्राफ्टिंग	18.09.2023
2.	हिंदी टाइपिंग–अंग्रेजी टंकण के लिए	20.09.2023
3.	हिंदी निबंध लेखन (एमटीएस संवर्ग के लिए)	22.09.2023
4.	हिंदी निबंध लेखन (गैर–हिंदी भाषी के लिए)	25.09.2023
5.	हिंदी निबंध लेखन (हिंदी भाषी के लिए)	25.09.2023
6.	हिंदी श्रुतलेख (एमटीएस संवर्ग के लिए)	26.09.2023
7.	राजभाषा/सामान्य हिंदी ज्ञान	29.09.2023
8.	हिंदी कविता पाठ	03.10.2023

राष्ट्रीय स्तर पर निबंध (गैर–हिंदी भाषी वर्ग) (हिंदी भाषी) प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अलावा विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय के अंतर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी दिवस (16 सितम्बर, 2023 से 03 अक्टूबर, 2023 तक) मनाया गया जिसमें मुख्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। प्रचार–प्रसार एवं विज्ञापन से संबंधित अनुवाद के लिए विशेष सहयोग किया गया।

हिंदी कार्यशाला का आयोजन

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय में अपना कार्य यथासम्भव हिंदी में करने के लिए प्रेरित करने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यशाला का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	तिमाही	कार्यशाला आयोजन की तिथि
1.	अप्रैल–जून, 2023 (पहली तिमाही)	07.07.2023
2.	जुलाई–सितंबर, 2023 (दूसरी तिमाही)	03.10.2023
3.	अक्टूबर–दिसंबर, 2023 (तीसरी तिमाही)	15.01.2024
4.	जनवरी–मार्च, 2024 (चौथी तिमाही)	05.04.2024

इन कार्यशालाओं में, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय के 122 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा नियमों एवं राजभाषा से संबंधित आदेशों आदि की जानकारी प्रदान की गई तथा उन्हें हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उन्हें हिंदी में कार्य करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में भी सहायता प्रदान की गई। यूनिकोड, ई–महाशब्द कोश आदि आईटी उपकरणों का हिंदी में उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसकी जानकारी भी प्रदान की गई।

6.1.12.2 केवीआईसी : खादी और ग्रामोद्योग आयोग (मुख्यालय), मुंबई में एक पूर्ण हिंदी निदेशालय है जो राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी राजभाषा नीति और दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन करने के लिए उत्तरदायी है। 01 सितंबर, 2023 से 30 सितंबर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा 02 अक्टूबर, 2023 को माननीय एमएसएमई मंत्री की अध्यक्षता में मुख्यालय, मुंबई में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। आयोग के अधीनस्थ कार्यालयों और मुख्यालय के निदेशालयों का निरीक्षण किया गया। आयोग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक और हिंदी कार्यशालाओं का नियमित रूप से आयोजन किया गया। आयोग की वेबसाइट द्विभाषी है। आयोग में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा–3(3) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

6.1.12.3 एमगिरी: कार्यालय के गतिविधियों में हिंदी (राजभाषा) के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, प्रासंगिक विषयों पर त्रैमासिक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है, संस्थान की कार्यकारी समिति की त्रैमासिक बैठक में कार्यालयी संचार, द्विभाषी विज्ञापन आदि में हिंदी के प्रयोग की प्रगति की भी समीक्षा की गई और संतोषजनक पाया गया। संस्थान में 14–28 सितंबर, 2022 के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया है जिसमें संस्थान के कर्मचारियों के बीच टिप्पण, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, कविता पाठ, भाषण और हिंदी के ज्ञान पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई है और कार्यालय प्रमुख और प्रतिनिधियों ने नराकास की बैठक में भाग लिया।

6.1.12.4 कयर बोर्ड: कयर बोर्ड अपने सभी प्रतिष्ठानों में संघ की राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। धारा 3(3) के अन्तर्गत सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए और नियम (5) के अन्तर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया गया । राजभाषा कार्यान्वन समिति की त्रैमासिक बैठकें आयोजित की गई। पूरे भारत में कयर बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राजभाषा पर वर्चूअल हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। 14 सितंबर, 2022 से 29 अक्टूबर, 2023 तक विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

कयर बोर्ड और उसके उप–कार्यालयों में राजभाषा गतिविधियां

➢ कयर बोर्ड भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय होने के नाते, अपने सभी प्रतिष्ठानों में संघ की राजभाषा

के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। वर्ष 2022–23 के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कार्यालय आदेश, परिपत्र आदि द्विभाषी रूप में जारी किए गए। राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही देने पर जोर दिया गया।

- विश्व हिंदी दिवस पर दिनांक 10.01.2024 को विशेष वेबिनार भी आयोजित किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान दिनांक 30.06.2023, 14.08.2023 को हिंदी कार्यशालाएं तथा दिनांक 24.11.2023 को संविधान दिवस पर विशेष वेबिनार हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
- प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें राजभाषा हिंदी में हुई प्रगति की समीक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई। वर्ष 2023–24 के दौरान ओएलआईसी की बैठकें क्रमशः दिनांक 27.06.2023, 25.09.2023, 10.11.2023 और 10.01.2024 को आयोजित की गईं।
- कयर बोर्ड में 14 सितम्बर से 29 सितम्बर 2023 तक हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा समारोह 2023–24 का आयोजन किया गया तथा समारोह के दौरान कयर बोर्ड के मुख्यालय, उप–कार्यालयों तथा शोरूम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की 15 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रत्येक प्रतियोगिता में वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी रही। 07 जून 2023 को नई दिल्ली में एमएसएमई के माननीय केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार राजभाषा हिंदी के प्रति सकारात्मक पहल करने के लिए हिंदी में वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- सभी आमंत्रण, बैनर, बैकड्रॉप आदि द्विभाषी रूप में बनाए गए थे। बोर्ड के कयर भवन/उप–कार्यालयों में आंतरिक लेखापरीक्षा निरीक्षण के साथ–साथ राजभाषा निरीक्षण किए गए। उद्योग संबंधी संसदीय समिति के समक्ष निरीक्षण यात्रा के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले सभी पृष्ठभूमि नोट्स, प्रश्नावली और उत्तर आदि द्विभाषी रूप में प्रस्तुत किए गए। संसद में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें, जैसे वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदि द्विभाषी रूप में तैयार की गई थीं।
- कयर बोर्ड ने नगरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोच्चि द्वारा आयोजित सभी सेमिनारों, कार्यशालाओं, बैठकों में भाग लिया तथा नगरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोच्चि द्वारा आयोजित संयुक्त राजभाषा प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया।

संसदीय राजभाषा की तीसरी उप–समिति द्वारा निरीक्षण दौरा

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने दिनांक 19.04.2023 को शोरूम एवं बिक्री केन्द्र, कयर बोर्ड, चंडीगढ़, दिनांक 19.06.2023 को शोरूम एवं बिक्री केन्द्र, कयर बोर्ड, वाराणसी तथा दिनांक 12.09.2023 को शोरूम एवं बिक्री केन्द्र, कयर बोर्ड, मुंबई में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति का निरीक्षण किया।

संसदीय राजभाषा की तीसरी उप समिति द्वारा दिनांक 19.04.2023 को एस.आर.एंड.एस.डी., चंडीगढ़ का निरीक्षण दौरा किया।

हिंदी गृह पत्रिका का विमोचन

दिनांक 12.09.2023 को संसदीय राजभाषा समिति के माननीय सदस्यों द्वारा एस.आर. एवं एस.डी., मुंबई में निरीक्षण यात्रा के अवसर पर बोर्ड की हिंदी गृह पत्रिका "कयर–स्वर्णिम रेशम" 2022–23 का विमोचन किया।

हिंदी सलाहकार समिति की बैठक

दिनांक 07.06.2023 को होटल अशोका, नई दिल्ली में माननीय एमएसएमई मंत्री की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कयर बोर्ड के माननीय अध्यक्ष श्री डी. कुप्पुरामु, सचिव (अतिरिक्त प्रभार) श्री जितेंद्र कुमार शुक्ला और श्रीमती धनलक्ष्मी एन, सहायक निदेशक (रा.भा.) उपस्थित रहे।

हिंदी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण स्कीम के अंतर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित किया गया। जनवरी–मई 2024 के सत्र के लिए पारंगत पाठ्यक्रम के लिए 20 कर्मचारियों तथा प्रबोध पाठ्यक्रम के लिए 09 कर्मचारियों को नामित किया गया।

6.1.12.5 एनएसआईसी: एनएसआईसी सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। एनएसआईसी में नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एवं हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान 14 सितंबर, 2023 से 29 सितंबर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। 06 हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें कुल 194 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप–समिति ने निगम के अधीनस्थ शाखा कार्यालयों अर्थात् 19 जून, 2023 को नैनी, प्रयागराज और 04 अक्टूबर, 2023 को शाखा कार्यालय, जयपुर का सफलतापूर्वक राजभाषा निरीक्षण किया।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित विशिष्ट उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण

1. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2023–24 निगम के सभी अधीनस्थ कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालयों के प्रभागाध्यक्षों को उपलब्ध करा दिया गया है।

2. दिनांक 07 जून, 2023 को आयोजित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में भागीदारी सुनिश्चित की गई।

3. संसदीय राजभाषा समिति की तृतीय उप–समिति द्वारा दिनांक 19 जून, 2023 को निगम के अधीनस्थ शाखा कार्यालय, नैनी, प्रयागराज का सफलतापूर्वक राजभाषायी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान माननीय समिति सदस्यों ने राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन हेतु किए गए कार्यों की सराहना की।

4. 26 जून, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई।

5. संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप–समिति द्वारा 12 सितंबर, 2023 को निगम के अधीनस्थ शाखा कार्यालय, नवी मुंबई का सफलतापूर्वक राजभाषायी निरीक्षण किया गया।

6. 14 सितम्बर, 2023 को हिंदी दिवस के अवसर पर निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं निदेशक (वित्त) श्री गौरव गुलाटी की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई।

7. निगम के मुख्यालय में हिंदी पखवाड़े (14 से 29 सितम्बर, 2023) के दौरान 06 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें लगभग 194 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।

8. सितम्बर माह में निगम के अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा/सप्ताह एवं हिंदी दिवस का भी आयोजन किया गया।

9. संसदीय राजभाषा समिति की तृतीय उप–समिति द्वारा दिनांक 04 अक्टूबर, 2023 को निगम के अधीनस्थ शाखा कार्यालय, जयपुर का सफलतापूर्वक राजभाषा निरीक्षण किया गया।

10. 21 दिसंबर, 2023 को निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई।

01 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि में आयोजित गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

1. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नाराकास) के तत्वावधान में एन.टी.एस.सी., ओखला द्वारा फरवरी, 2024 में एक दिवसीय "राजभाषा सम्मेलन" का आयोजन किया गया।

2. मार्च, 2024 में निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई।

3. 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए मंत्रालय और राजभाषा विभाग को हिंदी प्रगति रिपोर्ट भेजी गई।

4. 01 अक्टूबर, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अर्ध–वार्षिक रिपोर्ट नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नाराकास) उपक्रम–2, नई दिल्ली को भेजी गई।

5. जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक निगम के अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया गया।

6.1.12.6 निम्समे: संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार हिंदी कार्यशाला आयोजित की जाती है। हिंदी दिवस 2023 के अवसर पर संस्थान में दिनांक 14 सितम्बर, 2023 से 29 सितम्बर, 2023 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान विभिन्न हिंदी कार्यक्रम आयोजित किए गए। संस्थानों में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

6.2 सतर्कता

6.2.1 मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग की अध्यक्षता संयुक्त सचिव स्तर के एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा की जाती है, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग और जांच एजेंसियों के परामर्श से सभी सतर्कता मामलों के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है।

6.2.2 मंत्रालय अपनी सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के बीच सतर्कता के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों या निर्देशों को लागू कर रहा है। रिपोर्ट

की अवधि के दौरान, मंत्रालय और मंत्रालय के अधीन इसके संगठनों में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संदर्भ या सतर्कता शिकायतों का उत्तर दिया गया/निपटाया गया।

6.2.3 सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर, 2023 से 5 नवंबर, 2023 तक मनाया गया। इस अवधि के दौरान नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने और ईमानदारी और अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सचिव (एमएसएमई) द्वारा मंत्रालय के अधिकारियों को सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई गई।

6.2.4 सतर्कता प्रभाग मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठनों के कर्मचारियों द्वारा उन पर लगाए गए दंडों के संबंध में की गई अपीलों और इन संगठनों के पदाधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों आदि तथा विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय के अधिकारी और मंत्रालय के अधिकारियों और सहायक निदेशकों और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित कार्य करता है। प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य भी किए जाते हैं:–

(i) स्पैरो https://sparrow.eoffice.gov.in की ऑनलाइन प्रणाली सहित अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक कार्य–निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) का रख–रखाव।

(ii) सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के अंतर्गत कर्मचारियों की वार्षिक संपत्ति विवरणी सहित आने वाले सभी मामले।

(iii) प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए सतर्कता मंजूरी।

6.2.5. प्रतिवेदनाधीन अवधि के दौरान, 44 शिकायतें प्राप्त हुई और केन्द्रीय सतर्कता आयोग, जहां लागू हो, के परामर्श से उनका निपटारा किया गया।

6.2.6 केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिए गए निम्नलिखित विषय (थीम) पर एमएसएमई मंत्रालय ने 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया:

"Say No to Corruption; Commit to the Nation"

''भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें''

बेहतर जागरूकता को बढ़ावा देने के एक भाग के रूप में, एमएसएमई मंत्रालय के सतर्कता विंग ने सुशासन को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में, पूरे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान मंत्रालय स्तर पर और साथ ही इस मंत्रालय के अधीन संगठनों के माध्यम से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण की स्कीम बनाई और आयोजित की, ताकि कर्मचारियों को भ्रष्टाचार मुक्त दर्शन स्थापित करने पारदर्शिता लाने, पूर्ण निष्ठा बनाए रखने और हर समय कर्तव्य के प्रति समर्पण की दिशा में काम करने के लिए शिक्षित किया जा सके।

- 3 नवंबर, 2023 को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के भीम हॉल में सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम 2023 पर एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा एक नाटक के बाद पूर्ण सत्र और तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने एमएसएमई अधिकारियों को सीवीसी द्वारा अनुशंसित फोकस क्षेत्रों में निवारक सतर्कता पर सभी उपाय करने के लिए संबोधित किया।

- दिनांक 27.10.2023 को निम्समे द्वारा विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय के अंतर्गत अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई।
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने दिनांक 19.10.2023 को एनएसआईसी में निवारक सतर्कता पर एक सेमिनार का आयोजन किया जिसमें 344 अधिकारियों ने भाग लिया।
- खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा 20 अक्टूबर, 2023 को नैतिकता एवं शासन पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 100 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों के लगभग 80 अधिकारियों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस संगोष्ठी में भाग लिया।
- इसी प्रकार, एमएसएमई संगठनों जैसे कयर बोर्ड और एमगिरी द्वारा कार्यशालाएं भी आयोजित की।

6.3 नागरिक चार्टर

6.3.1 एमएसएमई मंत्रालय के लिए नागरिक/ग्राहक चार्टर तैयार किया गया है और इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इस चार्टर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और सामान्य रूप से भारत के लोगों के लिए अपने मिशन और प्रतिबद्धता को शामिल करते हुए मंत्रालय की घोषणा शामिल है।

6.3.2 स्व–रोजगार पर वार्षिक रिपोर्ट और पुस्तिका प्रकाशित की गई है और संभावित उद्यमियों, नीति निर्माताओं और अन्य लोगों की जानकारी के लिए उपलब्ध है। मंत्रालय की वेबसाइट, अर्थात, www.msme.gov.in सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करती है और इसके संगठनों के लिए लिंक प्रदान करती है।

6.3.3 मंत्रालय का विस्तृत नागरिक/क्लाइंट चार्टर मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6.3.4. शिकायतेंः प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) में लोक शिकायतों हेतु http://pgportal.gov.in पोर्टल का सृजन किया है। इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। डीएपीआरजी द्वारा प्राप्त सभी शिकायतें, इस पोर्टल/सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय एवं राष्ट्रपति सचिवालय को संबंधित मंत्रालयों को भेजी जाती हैं। अन्य मंत्रालयों/अधीनस्थ संगठनों से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन

स्थानांतरित किया जा सकता है। एमएसएमई मंत्रालय, विकास आयुक्त का कार्याल (एमएसएमई), एनएसआईसी और सभी 24 उत्तरदायित्व केंद्रों को http://pgportal.gov.in से लिंक प्रदान किया गया है। एमएसएमई मंत्रालय और इसके संगठन शिकायतों पर तुरंत ध्यान दे रहे हैं। मंत्रालय ने मंत्रालय में प्राप्त अन्य शिकायतों और सुझावों को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए एमएसएमई इंटरनेट शिकायत निगरानी प्रणाली भी शुरू की है। सूचना और सुविधा काउंटर और शिकायत प्रकोष्ठ का पता, फोन और फैक्स नंबर इस प्रकार हैं:

विवरण	वेबसाइट का पता	संगठन
1. **शिकायत प्रकोष्ठ** अवर सचिव, कमरा सं. 377, एमएमएमई मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011 दूरभाष: 011–2302746 ईमेल: kimjalam.k@gov.in	www.msme.gov.in	एमएसएमई मंत्रालय
	www.dcmsme.gov.in	विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय
	www.nsic.co.in	एनएसआई, नई दिल्ली
	www.nimsme.org	निम्समे, हैदराबाद
	www.kvic.org.in	केवीआईसी, मुम्बई
	www.coirboard.gov.in	कयर बोर्ड, कोच्ची
	www.mgiri.org	एमगिरी, वर्धा

6.4 सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत, नागरिक किसी भी कार्य दिवस पर जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) से संपर्क कर सकते हैं।

मंत्रालय और इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संगठनों के अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में पूरी जानकारी नियमित रूप से मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। सीपीआईओ/अपील प्राधिकरण का विवरण संबंधित कार्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

6.5 यौन उत्पीड़न की रोकथाम

6.5.1 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम और निवारण) अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।

6.5.2 वर्ष 2023–24 अर्थात् (सितंबर, 2023 तक) के दौरान आंतरिक शिकायत समिति में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था और न ही आईसीसी के पास कोई मामला लंबित है।

6.5.3 केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को सीधे शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली–''शी बॉक्स'' (यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक–बॉक्स) का मंत्रालय द्वारा अपने कर्मचारियों और इसके संगठनों के बीच भी इसका व्यापक प्रचार किया गया है।

वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 और 2022–23 और 2023–24 के दौरान स्कीम आबंटन और व्यय

(करोड़ रु. में)

मदें	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
एसएमई प्रभाग					
बजट अनुमान	213.99	223.72	221.10	228.05	162.07
संशोधित अनुमान	174.93	171.54	208.65	202.96	140.01
व्यय	136.08	169.68	177.88	196.30	139.68
एआरआई प्रभाग					
बजट अनुमान	3641.75	4066.94	2927.54	3698.44	4031.23
संशोधित अनुमान	3714.43	2570.98	4202.73	3520.31	3878.90
व्यय	3692.21	2872.76	4094.10	3511.78	3877.41
एएफआई प्रभाग					
बजट अनुमान				723.00	1203.17
संशोधित अनुमान				287.45	1361.97
व्यय				269.38	1353.04
विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय					
बजट अनुमान	3155.55	3281.54	12551.01	16772.51	16741.48
संशोधित अनुमान	3121.93	2921.70	11288.27	19618.01	16757.13
व्यय	2889.35	2605.07	10888.48	19606.43	16724.12
कुल बजट अनुमान	7011.29	7572.20	15699.65	21422.00	22137.95
कुल संशोधित अनुमान	7011.29	5664.22	15699.65	23628.73	22138.01
कुल व्यय	6717.64	5647.50	15160.46	23583.89	22094.25

2. मंत्रालय और उसके संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ में नोडल सीपीआईओ की सूची

क्र. सं.	सीपीआईओ का नाम, पदनाम और दूरभाष	अपीलीय प्राधिकरण का नाम, पदनाम और दूरभाष नंबर	विषय – वस्तु
1.	**सुश्री किमजलम कार्थक** अवर सचिव, एमएसएमई मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011–23063313, kimjalam.k@gov.in	**श्री एच.पी. सिंह** संयुक्त निदेशक, एमएसएमई मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011–23061178, harendrapratap@dcmsme.gov.in	एमएसएमई मंत्रालय से संबंधित सभी आरटीआई आवेदनों, पीजी और आरएंडआई का वितरण। सीपीआईओ की विषय–वार सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2.	**श्री अनिल कुमार सिंह** सहायक निदेशक (ग्रेड–I), विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय–110011 निर्माण भवन, नई दिल्ली ak.singhmsme@gov.in	**श्री आर. के. राय** अपर विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011– 23062561 rk.rai@nic.in	विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय से संबंधित सभी आरटीआई आवेदनों का संबंधित सीपीआईओ के बीच वितरण। सीपीआईओ की विषय–वार सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।
3.	**श्री ओम परिमल गुप्ता** महा प्रबंधक, मुख्यालय एनएसआईसी लिमिटेड, एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020 दूरभाष: 011–26924503 opgupta@nsic.co.in	**श्री नवीन चोपड़ा,** कार्यकारी निदेशक, मुख्यालय एनएसआईसी लिमिटेड, एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020 दूरभाष: 011–26920911 navinchopra@nsic.co.in	मुख्यालय के सभी मामले। विषय–वार सीपीआईओ की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है
4.	**श्री बी. प्रदीप कुमार** सहायक रजिस्ट्रार राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्मसे), यूसुफगुडा, हैदराबाद – 500 045 दूरभाष: 040 23633260 rti@nimsme.org	**श्री के. सूर्या प्रकाश गौड़** संकाय सदस्य दूरभाष: 040 23633221 kspg@nimsme.org	निम्समे से संबंधित सभी मामले। सीपीआईओ का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है।
5.	**श्री कृष्ण पाल** उप निदेशक, केवीआईसी, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम),मुंबई – 400056 दूरभाष: 022–2671 1037 cpio.kvic@gov.in	**श्री एस. एस. सिल** संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी केवीआईसी, केवीआईसी, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई – 400056 दूरभाष: 022–2671 3538 faa@kvic.gov.in	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से संबंधित सभी आरटीआई आवेदनों का संबंधित सीपीआईओ के बीच वितरण। सीपीआईओ की विषय–वार सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है।

क्र. सं.	सीपीआईओ का नाम, पदनाम और दूरभाष	अपीलीय प्राधिकरण का नाम, पदनाम और दूरभाष नंबर	विषय – वस्तु
6.	**श्रीमती वसंथी अम्मा एम के** उप निदेशक (विपणन) कयर बोर्ड, कयर हाऊस, एम.जी. रोड, कोच्चि – 682016 दूरभाष: 0484–2351807 rticoirboard2016@gmail.com	**श्री रघुनंदन वी सी** वरिष्ठ लेखा अधिकारी मुख्यालय, कोच्चि	कयर बोर्ड से संबंधित सभी मामले। सीपीआईओ का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है
7.	**श्री एच.डी सिन्नुर,** पीएसओ के एंड टी महात्मा गाँधी राष्ट्रीय औद्योगीकरण संस्थान, मगनवाड़ी, वर्धा – 442001. दूरभाष: 07152–253152 hdsinnur.gouda@gmail.com	**निदेशक,** महात्मा गाँधी राष्ट्रीय औद्योगीकरण संस्थान, मगनवाड़ी, वर्धा – 442001 दूरभाष: 07152–253152, 13 director.mgiri@gmail.com	एमगिरी से संबंधित सभी मामले। सी.पी.आई.ओ. का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है।

एमएसएमई मंत्रालय और उसके सांविधिक निकायों के कार्यालयों के संपर्क पते

क्र. सं.	संगठन का नाम और पता	वेबसाइट	ईमेल	टेलीफ़ोन	फैक्स
1	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और मध्यम उद्यम, उद्योग भवन , नई दिल्ली–110 107	www.msme.gov.in	min-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-23062315 23061068 23061726
2	विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, 7 वीं मंजिल, ए–विंग, निर्माण भवन , नई दिल्ली–110011	www.dcmsme.gov.in; www.laghu-.com; www.smallindustry.com	dc-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-2306231 2306172 23061068
3	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, (केवीआईसी), ''ग्रामोदय '' 3, इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम),मुंबई – 400056, महाराष्ट्र	www.kvic.org.in	kvichq@bom3.vsnl.net.in ditkvic@bom3.vsnl. net.in, dit@kvic.gov.in	022-26714320 25/ 26716323 26712324 26713527-9 26711073 26713675	022-26711003
4	कयर बोर्ड, ''कयर हाउस'', एमजी रोड, एर्नाकुलम , कोच्चि–682016, केरल	www.coirboard.gov.in	info@coirboard.org coirboard@nic.in	0484-2351900 2351807, 2351788, 2351954, Toll Free - 1800-4259091	0484-2370034 2354397
5	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआइसी), एनएसआईसी भवन , ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली–110 020	www.nsic.co.in	info@nsic.co.in,	011- 26926275 26910910 26926370 Toll Free 1800-111955	011-26932075 26311109
6	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), यूसुफ गौडा, हैदराबाद–500 045	www.nimsme.org	registrar@nimsme.org	040-23608544-46 23608316-19	040-23608547 23608956 23541260
7	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, मगनवाड़ी ,वर्धा–442001	www.mgiri.org	director.mgiri@gmail.com	0752-253512	0752-240328

एमएसएमई मंत्रालय के विभिन्न् संगठनों के अंतर्गत क्षेत्र कार्यालयों की सूची

1. कयर बोर्ड		
1	**कयर बोर्ड – प्रधान कार्यालय** कयर हाउस, कयर बोर्ड, एमजी रोड, कोच्चि, केरल, 682 016	फोन: 0484–2351900 फैक्स: 0484–2370034 ई–मेल : info@coirboard.org
2	**कयर प्रदर्शन एवं सूचना केंद्र** कयर बोर्ड, राजीव गांधी हस्तशिल्प भवन, प्रथम तल, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001	फोन: 011–23341388
3	**हिंदुस्तान कयर** कयर बोर्ड कलावूर पीओ, अल्लेप्पी, केरल, 688522	फोन: 0477–2258267 ई–मेल: hindcoir@gmail.com
अनुसंधान संस्थान		
1	**केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई)** केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई), कयर बोर्ड, कलावूर पीओ, अलेप्पी, केरल–688522	फोन: 0477–2258094/2258480/2258933 दूरभाष/फैक्स: 0477–2258415 ई–मेल: ccri.coirboard@gmail.com
2	**केंद्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईसीटी)** केंद्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईसीटी) कयर बोर्ड, नंबर 3ए, पीन्या औद्योगिक क्षेत्र, टीवीएस क्रॉस बेंगलुरू के पास कर्नाटक–560 058	फोन: 080–28394875 ई–मेल: cictcoirboard@gmail.com
प्रशिक्षण केन्द्र		
1	**राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण एवं डिजाइन केंद्र (एनसीटी एवं डीसी)** राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण एवं डिजाइन केंद्र (एनसीटीडीसी) कयर बोर्ड, कलावूर पीओ, अलेप्पी, केरल–688522	फोन :0477–2258067 ई–मेल: adnctdc@gmail.com
2	**क्षेत्रीय विस्तार केंद्र तंजावुर** क्षेत्रीय विस्तार केंद्र कयर बोर्ड, पिल्लैयारपट्टी वल्लम तंजावुर के माध्यम से तमिलनाडु–613403	फोन :04362–264655 ई–मेल: cbrectnjcoirboard@gmail.com
क्षेत्रीय कार्यालय		
1	**बेंगलुरू** क्षेत्रीय कार्यालय कयर बोर्ड, पीन्या औद्योगिक क्षेत्र, पीन्या, बेंगलुरु, कर्नाटक–560 058	दूरभाष: 080–28375023 ई–मेल: cbrobangalore@gmail.com
2	**भुवनेश्वर** क्षेत्रीय कार्यालय कयर बोर्ड, जगमारा (उद्योगपुरी), पीओ खंडगिरि, भुवनेश्वर,ओडिशा–751030	फोन: 0674–2350078 ई–मेल: robbsrcoirboard@gmail.com
3	**राजमुंदरी** क्षेत्रीय कार्यालय, कयर बोर्ड, स्वराज नगर, ए सी गार्डन, डौलेसरम रोड, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश–533 101	फोन: 0883–2420196 ई–मेल: coirboardrorjy@yahoo.co.in

4	**पोलाची** क्षेत्रीय कार्यालय, कयर बोर्ड, नंबर–41, नेहरू स्ट्रीट, महालिंगा पुरम, राउंडाना के पास, पानी की टंकी के पास, पोलाची, कोयंबटूर, तमिलनाडु–642 002	फोन : 04259–222450 ई–मेल: coirpollachi2@gmail.com
5	**सिंधुदुर्ग** क्षेत्रीय कार्यालय कयर बोर्ड प्रहार बिल्डिंग (जीएफ), कंकावली, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र–416602	ई–मेल: cbro.sindhudurg@gmail.com
6	**कलावूर** क्षेत्रीय कार्यालय कयर बोर्ड कयर बोर्ड कॉम्प्लेक्स, कलावूर पीओ, अल्लेप्पी, केरल–688522	फोन :0477–2258801 फैक्स :0477–2258806 ई–मेल: coirmarkscheme@yahoo.com
7	**बालासोर** कयर बोर्ड विस्तार केंद्र, बालासोर भास्करगंज, होटल सांई कृष्णा के पास, स्टेशन चौक, बालासोर, ओडिशा–756001	फोन :06782–255255 ई–मेल: cbecbls@gmail.com
8	**सिंधुदुर्ग** कयर बोर्ड विस्तार केंद्र, सिंधुदुर्ग कमरा संख्या 204, नया प्रशासनिक भवन, ओरोस, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र – 416 812	फोन : 02362–228092 ई–मेल: cbec.sindhudurg@gmail.com
	उप क्षेत्रीय कार्यालय	
9	**कन्नूर** उप क्षेत्रीय कार्यालय, कयर बोर्ड, माधव अपार्टमेंट, थेजुक्किल पीडिका, मेले चोव्वा, कन्नूर, केरल–670 006	फोन: 0497–2726360 ईमेल: cbsroknr@gmail.com
10	**तेलंगाना** कयर बोर्ड उप क्षेत्रीय कार्यालय, 5–8–328/1, चैपल रोड, तेलंगाना–500 001	फोन: +91–40–23202276 मोबाइल: +91 8985712276 ई–मेल: coirboardsrohyd@gmail.com
11	**गुवाहाटी** कयर बोर्ड उप–क्षेत्रीय कार्यालय, 2जी दिहान आर्केड, तीसरी मंजिल, एबीसी, जीएसरोड, भांगागराह, गुवाहाटी 781005	फोन: 0361–2556828 ई–मेल: cbsroghty@gmail.com
12	**कवरथी** उप क्षेत्रीय कार्यालय, कयर बोर्ड, उद्योग निदेशालय का कार्यालय, कवरथी, केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप, – 682555	फोन: 04896–262026 ई–मेल: srokavaratti@gmail.com
13	**कोलकाता** उप क्षेत्रीय कार्यालय, कयर बोर्ड नया सचिवालय भवन, सी–ब्लॉक, ग्राउंड फ्लोर 1, किरण शंकर रॉय रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700001	फोन: 033–22625735 ई–मेल: cbsrokol@gmail.com
14	**पोर्ट ब्लेयर** उप क्षेत्रीय कार्यालय, कयर बोर्ड एनेक्सी बिल्डिंग, उद्योग परिसर, विभागीय कार्यशाला के सामने, मिडिल पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार–744 101	फोन: 03192–230265 ई–मेल: coirportblair@gmail.com

2. एनएसआईसी कार्यालय

क्रमांक	कार्यालय	पता	संपर्क नंबर एवं ई–मेल
1	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	cmd@nsic.co.in 011-26927172, 26926067
2	निदेशक (स्कीम एवं विपणन) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	dpm@nsic.co.in 011-26927327
3	निदेशक (वित्त) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	dfin@nsic.co.in 011-26920920
4	कार्यकारी निदेशक (कार्य, संपदा प्रभाग एवं प्रौद्योगिकी) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	navinchopra@nsic.co.in 011-26920911
5	मुख्य महाप्रबंधक (बैंक टाईअप, बीजी के विरुद्ध कच्चा माल सहायता, बिल डिस्काउंटिंग, सीएसआर और प्रशासन) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	ravikumar@nsic.co.in 011-26924505
6	मुख्य महाप्रबंधक (कॉपोरेट, विपणन, घरेलू प्रदर्शनियाँ, एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम और निविदा विपणन) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	manojlal@nsic.co.in 011-26926275
7	वरिष्ठ महाप्रबंधक (सीएमडी सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं मानव संसाधन) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	styagi@nsic.co.in 011-26926067
8	वरिष्ठ महाप्रबंधक (एनएसएसएच) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	kksharma@nsic.co.in 011-26926275
9	वरिष्ठ महाप्रबंधक (कॉपोरेट स्कीम,डिजिटल सेवा सुविधा और प्रशिक्षण) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	vidyasagar@nsic.co.in 011-26324401
10	मुख्य सतर्कता अधिकारी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	cvo@nsic.co.in 011-26926513
11	महाप्रबंधक (कानून एवं वसूली एवं सीपीआईओ) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	opgupta@nsic.co.in 011-26924503
12	महाप्रबंधक (आईटी प्रभाग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	sandeepmohan@nsic.co.in 011-26927502
13	महाप्रबंधक (अंतरिक्ष विपणन कक्ष, ईएमसी) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	makhan@nsic.co.in 011-26926275

क्रमांक	कार्यालय	पता	संपर्क नंबर एवं ई–मेल
14	महाप्रबंधक (पीएम विविश्वकर्मा), सीएमआर, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए संपर्क अधिकारी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	rajeshkumar@nsic.co.in 011-26926275
15	महाप्रबंधक (वित्त, एवं लेखा प्रभाग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	pmajhi@nsic.co.in 011-26924502
16	महाप्रबंधक (व्यवसाय विकास आरएमडी) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	akc@nsic.co.in 011-26928023
17	महाप्रबंधक (प्रौद्योगिकी) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	opsingh@nsic.co.in 011-26926315
18	उप महाप्रबंधक (एफएंडए) (आंतरिक लेखा परीक्षा) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	kkagrawal@nsic.co.in 011-26926275
19	उप महाप्रबंधक (एफएंडए) (कंपनी सचिव) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	nishthagoyal@nsic.co.in 011-26926275
20	उप महाप्रबंधक (अनुबंध एवं प्रापण) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	nitikaanand@nsic.co.in 011-26924507
21	उप महाप्रबंधक (ओबीसी के लिए संपर्क अधिकारी) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	sanjayshari@nsic.co.in 011-26826801
22	उप महाप्रबंधक (शिकायत अधिकारी) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	grievance@nsic.co.in 011-26926275

3. केवीआईसी के राज्य और प्रभागीय कार्यालय

क्र.स.	कार्यालय	दूरभाष	फैक्स	ईमेल
	उत्तर क्षेत्र			
1	दिल्ली (निवासी प्रतिनिधि कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, केवीआईसी पैविलियन, गेट नंबर 4, गांधी दर्शन, राजघाट के सामने, नई दिल्ली – 110002	011-23724695, 23724694	011-23724694	rrkvic.kvic@gov.in
2	दिल्ली (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, के–ब्लॉक, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110 001	011-2341 2796, 2341 8620	011-23418620	sodelhi.kvic@gov.in
3	हरियाणा (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 103–ए, द मॉल, पी बी नंबर 34, अंबाला कैंट–133 001	0171-2630 334, 2643 688	0171-264 688	soambala.kvic@gov.in
4	हिमाचल प्रदेश (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, क्लीव लैंड, चौड़ा मैदान, शिमला–171 004	0177-2806 528, 265 2320	0177-265 320	soshimla.kvic@gov.in
5	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 242, शास्त्री नगर, जम्मू–180 004	0191-2458 333, 2433 412	0191-243412	sojammu.kvic@gov.in
6	पंजाब (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, एससीओ – 3003–04, सेक्टर–22 डी, चंडीगढ़–160 022	0172-2701 261, 2702 690	0172-2702 690	sochandigarh.kvic@gov.in
7	राजस्थान (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, झालाना डूंगरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जेएलएन मार्ग, जयपुर–302 004	0141-2707 850	0141-2706 969	sojaipur.kvic@gov.in
8	प्रभागीय कार्यालय, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, किशन भवन, श्रीगंगानगर रोड, बीकानेर–334 004	0151-2250 171	0151-2250 161	dobikan.kvic@gov.in
9	क्षेत्रीय सीमा विकास कार्यालय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, माणिक्यलाल वर्मा भवन, नेहरू नगर, आदर्श स्टेडियम के पास, बाड़मेर–344001	02982-220 061	02982-226966	rbdobarmer.kvic@gov.in
10	कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तनिर्मित कागज संस्थान, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, रामसिंहपुरा, सिकरपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर – 302 029	0141-6556 616	0141-2730 369	knhpi.kvic@gov.in

क्र.स.	कार्यालय	दूरभाष	फैक्स	ईमेल
	पूर्वी क्षेत्र			
1	बिहार (राज्य कार्यालय), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पोस्ट–बीवी कॉलेज परिसर, शेखपुरा, पटना–800 014	0612-2228 010	0612-2228 010	sopatna.kvic@gov.in
2	केंद्रीय स्लिवर प्लांट खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर, जिला–वैशाली–844 101 (बिहार)	06224-273 776, 274 315	06224-274 315	csphajipur.kvic@gov.in
3	झारखंड (राज्य कार्यालय), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 191–सी, विद्यालय मार्ग, एट एंड पोस्ट अशोक नगर, रांची, पिन–834 002	0651-3502400	0651-2213 839	soranchi.kvic@gov.in
4	ओडिशा (राज्य कार्यालय), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, प्लॉट नंबर जे/16, भीमपुर, गंडामुंडा, पीओ खंडगिरि, भुवनेश्वर–751 030	0674-2351 161, 2351 131	0674-2351 161	sobhubaneshwar.kvic@gov.in
5	पश्चिम बंगाल (राज्य कार्यालय), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 33, चितरंजन एवेन्यू, 6ठी और 7वीं मंजिल, कोलकाता–700 012	033-2211 9491, 2211 4345	033-2211 9491	sokolkata.kvic@gov.in
	पश्चिम क्षेत्र			
1	गोवा (राज्य कार्यालय), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सुशीला बिल्डिंग, पहली मंजिल, 'ए–विंग, एलआईसी कार्यालय के सामने, 18 जून रोड, पणजी–403 001	0832-2223 676	0832-2223 676	sogoa.kvic@gov.in
2	महाराष्ट्र (राज्य कार्यालय), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राष्ट्रीय बीमा भवन, चौथी मंजिल, 14, जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई–400 020	022-2281 7449	022-2281 7449	somumbai.kvic@gov.in
3	प्रभागीय कार्यालय, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, प्रथम तल, मैत्री विलो, सर बेजोंजी मेहता रोड, गांधी सागर, नागपुर–440 018	0712-3918 036	0712-2565 151	donagpur.kvic@gov.in

क्र.स.	कार्यालय	दूरभाष	फैक्स	ईमेल
	पूर्वोत्तर क्षेत्र			
1	असम (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, रूपनगर, गुवाहाटी–781 032	0361-2461 023, 2461 126	0361-2461 023	soguwahati.kvic@gov.in
2	अरुणाचल प्रदेश (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, एच–सेक्टर, ईटानगर–791 113	0360-2212 224, 2291 663	0360-2212 224	soitanagar.kvic@gov.in
3	मणिपुर (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पाओना बाजार, इंफाल–795 001	0385-2451 759	0385-2451 759	soimphal.kvic@gov.in
4	मेघालय (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, वार्ड नंबर 8, ओकलैंड, शिलांग–793 001	0364-2227 807	0364-2227 807	soshillong.kvic@gov.in
5	मिजोरम (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, डी–66, सिकुलपुइकॉन, रिपब्लिक रोड, आइजोल–796 001	0389-2316 387	0389-2316 387	soaizwal.kvic@gov.in
6	नागालैंड (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सुपर मार्केट कॉम्प्लेक्स, दीमापुर–797 112	03862-226 546	03862-226 546	sodimapur.kvic@gov.in
7	सिक्किम (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, इंदिरा बाई पास, एसडीएफ भवन के पास, पी. 0.–ताडोंग, गंगटोक, पूर्वी सिक्किम–737 102	03592-280 696	03592-280 696	sosikkim.kvic@gov.in
8	त्रिपुरा (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, असम–अगरतला रोड, कामारपुकुरपार, पीओ अगरतला कॉलेज, जिला पश्चिम त्रिपुरा–799 004 (अगरतला)	0381-2323 735, 2323 735	0381-2323 735	sotripura.kvic@gov.in
	दक्षिण क्षेत्र			
1	आंध्र प्रदेश (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पहली और दूसरी मंजिल, भवन। नंबर 56–3–10ए, रामिनेनी वारी स्ट्रीट, पटामाता, विजयवाड़ा – 520 007	0866-2971725, 2974125, 2973523		sohyderabad.kvic@gov.in
2	तेलंगाना (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, गांधी भवन, एमजे रोड, नामपल्ली, तेलंगाना, हैदराबाद–500 001	040-2460 8465	040-2460 8464	sotelangana.kvic@gov.in

क्र.स.	कार्यालय	दूरभाष	फैक्स	ईमेल
3	प्रभागीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, डी.नं.13–28–8, श्रीहरि प्लाजा, महारानीपेटा, विशाखापत्तनम–530 002	0891-2561 156, 2565 904	0891-2561 156	dovizag.kvic@gov.in
4	कर्नाटक (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पोस्ट–विजिनापुरा, दूरवानी नगर, बेंगलुरू – 560 016	080-2566 5885, 2566 5883	080-2566 5885	sobangalore.kvic@gov.in
5	केरल (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पीबी नं.198, 'ग्रामोदय', एमजी रोड, तिरुवनंतपुरम –695 001	0471-2331 061, 2331 625	0471-2331 061	sotvm.kvic@gov.in
6	तमिलनाडु (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 326, अवाई शनमुगम रोड, गोपालपुरम, चेन्नई–600 086	044-2835 1019	044-2835 1697	sochennai.kvic@gov.in
7	प्रभागीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 10, बाय पास रोड, मदुरै–625 010	0452-2386 792	0452-2386 762	domadurai.kvic@gov.in
8	प्रभागीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त सांगा (फेड) परिसर, बेंगेरी, हुबली – 580 023	0836-2282882	----	dohubli.kvic@gov.in
	मध्य क्षेत्र			
1	छत्तीसगढ़ (राज्य कार्यालय), खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, 817/6–7, अनिल भवन, बिलासपुर रोड, फफाडीहा, रायपुर – 492 001	0771-2886 428, 2885 164	0771-2886 428	soraipur.kvic@gov.in
2	मध्य प्रदेश (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, बी–3/4 विंग, कार्यालय परिसर, गौतम नगर, भोपाल–462 023	0755-2583 668, 2583 667	0755-2583 668	sobhopal.kvic@gov.in
3	उत्तराखंड (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जनरल महादेव सिंह रोड, कंवाली, देहरादून – 248 001	0135-2627 241, 2724 709	0135-2627 241	sodehradun.kvic@gov.in
4	उत्तर प्रदेश (राज्य कार्यालय) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, 'ग्रामोदय', इंदिरा नगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ – 226 016	0522-2354 511, 2311 112	0522-2310 378	solucknow.kvic@gov.in

क्र.स.	कार्यालय	दूरभाष	फैक्स	ईमेल
5	प्रभागीय कार्यालय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, पुरानी चुंगी के पास, गढ़ रोड, मेरठ – 250 001	0121-2653 288, 2647 645	0121-2653 288	domeerut.kvic@gov.in
6	प्रभागीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, संस्कृत विश्वविद्यालय मार्ग, तेलिया बाग, वाराणसी – 221 002	0542-2204 434, 2208 697	0542-2204 434	dovaranasi.kvic@gov.in
7	प्रभागीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, दूसरी मंजिल, साई कॉम्प्लेक्स, सामने। मुंसी प्रेमचंद पार्क, बेतिया हाता, जिला गोरखपुर – 273001	0551-2344 943	0551-2344 943	dogorakhpur.kvic@gov.in

4. विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय के अंतर्गत 18 टूल रूम और तकनीकी संस्थानों की सूची

क्र. सं.	प्रौद्योगिकी केंद्र और उनके प्रभारी का नाम	पता/स्थान	वेबसाइट	ई–मेल एवं संपर्क मो. न.
1.	**श्री आर. डी. पाटिल** महाप्रबंधक, एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद।	पी–31, एमआईडीसी, चिकल. थाना इंडस्ट्रीयल। क्षेत्र, औरंगाबाद 431 006	www.igtr-aur.org	gm@igtr-aur.org 9545877348
2.	**श्री विशाल कुमार** महाप्रबंधक (प्रभारी) एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद	प्लॉट–5003, चरा–IV, जीआईडीसी वटवा, महमदाबाद रोड, अहमदाबाद 382 445 (गुजरात)	www.igtrahd.com	gm@igtrahd.com pstogm@igtrahd.com 9099041992
3.	**श्री डी. वी. रौतेला** महाप्रबंधक, एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर	प्लॉट नं.291/बी, 302/ए, सेक्टर–ई, सांवेर रोड, औद्योगिक क्षेत्र, इंदौर 452 015 (मध्य प्रदेश)	www.igtr-indore.com	patogm@igtr-indore.com igtrindore-mp@nic.in 9229490702
4.	**श्री ए. पी. शर्मा** महाप्रबंधक, एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (सेंट्रल टूलरूम), लुधियाना	ए–5, फोकल प्वाइंट लुधियाना 141 010 (पंजाब)	www.ctrludhiana.org	gmctrludhiana@gmail.com tcludhiana@dcmsme.gov.in 9872320993
5.	**श्री सी.ब्रहेश्वरी** प्रधान निदेशक (प्रभारी), एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिज़ाइन), हैदराबाद	ए–1 से ए–8 , पीआईई, बालानगर, हैदराबाद 500 037 (तेलंगाना)	www.citdindia.org	citdpddcmsme@yahoo.com pstopd@citdindia.org 7093875772
6.	**श्री देबदत्त गुहा** महाप्रबंधक, एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (सेंट्रल टूलरूम एवं प्रशिक्षण केंद्र), कोलकाता	बोनहुगली इंडस्ट्रीज़– क्षेत्र कोलकाता–700 108 (पश्चिम बंगाल)	http://www.ms-metoolroomkolk-ata.com	cttc-msme@gov.in debdutta.guha@msme-toolroomkolkata.com 9871472369
7.	**श्री राजशेखर लिंगम** महाप्रबंधक, एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (केंद्रीय उपकरण कक्ष एवं प्रशिक्षण केंद्र), भुवनेश्वर	बी–36, चंदका औद्योगिक क्षेत्र, डाकार पटिया भुवनेश्वर 751 024 (उड़ीसा)	www.cttc.gov.in	cttc@cttc.gov.in rajasekhar.lingam@gmail.com 9434491950
8.	**श्री आनंद दयाल** प्रबंध निदेशक एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो डेनिश टूल रूम) जमशेदपुर	एम–4 (भाग) चर-I–VI, टाटा कांडा रोड, गम्हरिया जमशेदपुर–832108 (झारखंड)	www.idtr.gov.in	reach@idtrjamshedpur.com ananddayal@idtr.gov.in 7485806806

क्र. सं.	प्रौद्योगिकी केंद्र और उनके प्रभारी का नाम	पता/स्थान	वेबसाइट	ई–मेल एवं संपर्क मो. न.
9.	**श्री काजल कुमार साहा,** परियोजना प्रबंधक, एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र), गुवाहाटी	अमिंगाँव औद्योगिक क्षेत्र, उत्तरी गुवाहाटी रोड, अमिंगाँव, गुवाहाटी–781 031	www.trtcguwahati.org	trtcghy@hotmail.com 9864058962
10.	**श्री सरबजीत सिंह** प्रधान निदेशक (प्रभारी) एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (केंद्रीय हस्त उपकरण संस्थान) जालंधर	जीटी रोड, बाई पास, ऑप. शहीद भगत सिंह कॉलोनी जालंधर–144008 (पंजाब)	www.ciht.in	info@ciht.in cihtjld@gmail.com 9417040457
11.	**श्री राजशेखर लिंगम** प्रधान निदेशक एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (इलैक्ट्रिकल माप उपकरण डिजाइन संस्थान), मुंबई	स्वातंयवीर तात्या टोपे मार्ग, चूनाभट्टी, सायन, मुंबई – 400 022	www.idemi.org	info@idemi.org 9434491950
12.	**श्री संजीव कुमार चेट्टी** प्रधान निदेशक (प्रभारी) एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (इलेक्ट्रॉनिक सेवा एवं प्रशिक्षण केंद्र), रामनगर	ढेला रोड, कनिया, रामनगर जिला. नैनीताल–244715 उत्तराखंड	www.estcindia.com	pd_estc@yahoo.com chetti.sanjeevkumar@gmail.com 9845034047
13.	**श्री सचिन राजपाल** प्रधान निदेशक एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास केंद्र), आगरा	फाउंड्री नगर, आगरा–282006 (उत्तर प्रदेश)	http://www.ppd-cagra.dcmsme.gov.in/	ppdcagra@gmail.com 9667275588
14	**श्री सुनील गुप्ता** प्रधान निदेशक (प्रभारी) एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (प्रक्रिया सह उत्पाद विकास केंद्र),मेरठ	स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्प्लेक्स, दिल्ली रोड, मेरठ–250002 (उत्तर प्रदेश)	https://www.ppd-cmeerut.com/	info@ppdcmeerut.com 7060448744
15	**श्री सनातन साहू निदेशक (प्रभारी),** एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान), आगरा।	सी–41 एवं 42, साइट 'सी'. सिकंदरा रोड, औद्योगिक क्षेत्र आगरा–282007 (उत्तर प्रदेश)	www.cftiagra.org.in	info@cftiagra.org.in sanatansahoo27@gmail.com 8958996611
16	**श्री के. मुरली, निदेशक,** एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान), चेन्नई	1, जीएसटी रोड, गिंडी चेन्नई–600032	www.cftichennai.in	chennaicfti@gmail.com, cfti@cftichennai.in 9840291804
17.	**श्री एस. वी. शुक्ला,** प्रधान निदेशक (प्रभारी), एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (सूगंध एवं स्वाद विकास केंद्र), कन्नौज	इंडस्ट्रिऋयल इस्टेट, जीटी रोड, पीओ मकरंद नगर, कन्नौज –209726 (उत्तर प्रदेश)	www.ffdcindia.org	ffdcknj@gmail.com, shaktiffdc@gmail.com 9415334050
18.	**श्री संजीव चिन्माल्ली** प्रधान निदेशक एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (कांच उद्योग विकास केंद्र), फिरोजाबाद	ए–1/1, औद्योगिक क्षेत्र, जलेसर रोड, पोस्ट ऑफिस मुइमीनपुर फिरोजाबाद–283203 (यूपी)	www.cdgiindia.net	cdgifzbd@gmail.com chinmalli.cdgi@gmail.com 8420015789

5. एमएसएमई–विकास कार्यालय और शाखा एमएसएमई–विकास कार्यालय की राज्य–वार सूची

क्र. सं	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	संस्थान का नाम	कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण, ई–मेल आईडी
1	आंध्र प्रदेश	एमएसएमई–विकास कार्यालय, विशाखापत्तनम	डी चन्द्रशेखर, एडीसी, 9866231970, chandra.dakuri@gov.in	चंद्रमौली, सहायक निदेशक ग्रेड –II, 8123371266	एफ–19 से 22, 'डी' ब्लॉक, ऑटोनगर, विशाखापत्तनम 530012, 0891–2517942, dcdivish@dcmsme.gov.in
2	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	शा एमएसएमई–विकास कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर (ए और एन द्वीप)	श्री योगेश कुमार, सहायक निदेशक, 9691197370, yogeshkumar.2020@dcmsme.gov.in	श्री पी. के. दास, संयुक्त निदेशक, 7003794210, brdcdi-durg@dcmsme.gov.in	शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय, इंडस्ट्रियल एस्टेट, डॉलीगंज, पोस्ट बॉक्स नंबर–547, जंगलीघाट पोस्ट, पोर्ट ब्लेयर–744103; फोन–03192–259305; ई–मेल–brmsmedi.pb@gov.in & brmsmedipb@gmail.com
3	अरुणाचल प्रदेश	शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय, ईटानगर	अरुण डिफो, सहायक निदेशक ग्रेड –II, 7005645703, 9485235167 amit.msmeknp@gmail.com	पी.के. दास, सहायक निदेशक (स्टेट/डीडीओ), 9435340967, das.pranab@gov.in	एपीआईडीएफसी लिमिटेड बिल्डिंग, 'सी' सेक्टर, पिनः 791111 ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश ईमेलः brmsme.itan@gmail.com
4	असम	एमएसएमई–विकास कार्यालय, गुवाहाटी	लोकेश कुमार परगनिघा, उप. निदेशक, ग्रेड I और कार्यालय प्रमुख मोबाइल नंबरः 7869437037, dk.rabha67@dcmsme.gov.in	डी.के राभा, सहायक निदेशक ग्रेड –I, 6001834958	मनीराम दीवान रोड, बामुनिमैदाम, गुवाहाटी–781 021 फोनः (0361) 2970591 ई–मेलः :dcdi-guwahati@dcmsme.gov.in
		शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय, सिलचर	श्री मनबेन्द्र दत्ता, प्रभारी सहायक निदेशक, पीएच.डी. नंबर:94355–65845	फिलहाल कोई अन्य अधिकारी तैनात नहीं है।	लिंक रोड प्वाइंट, एनएसएवेन्यू, सिलचर–788006, जिला–कछार (असम), ईमेल brdcdi-silc@dcmsme.gov.in
		शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय, तेजपुर	आर.के.मोहनानी, सहायक निदेशक ग्रेड II, 9827442574		दर्रांग कॉलेज रोड (पश्चिम), तेजपुर, पिनः 784001 जिला–सोनितपुर, असम दूरभाष नंबरः (03712) 221084 ई–मेलः brdcdi-tezp@dcmsme.gov.in
		शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय, दीफू, (असम)	एम. रवीकान्त, सहायक निदेशक, ग्रेड –II, 9440385967		सिविल अस्पताल के पास, दीफू, पिनः 782460 जिला – कार्बी आंगलोंग, असम –मेलः brmsmediphu@gmail.com, brdcdi-diph@dcmsme.gov.in

क्र. सं	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	संस्थान का नाम	कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण, ई–मेल आईडी
5	बिहार	एमएसएमई–विकास कार्यालय, मुजफ्फरपुर	श्री सी.एस.एस.राव, संयुक्त निदेशक, मोबाइलः 9871291787, ईमेलः cssrao@dcmsme.gov.in	श्री रमेश कुमार यादव, सहायक निदेशक, 7588726076 rk.yadav79@dcmsme.gov.in	एमएसएमई–विकास कार्यालय, गौशाला रोड, रमना, मुजफ्फरपुर, बिहार–842002, dcdi-mzfpur@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–विकास कार्यालय, पटना	श्री सी.एस.एस. राव संयुक्त निदेशक, मोबाइल 9871291787, cssrao@dcmsme.gov.in	संजीव शर्मा, सहायक निदेशक, ग्रेड–I, 9708025677	एमएसएमई–विकास कार्यालय, एमएसएमई–मंत्रालय, भारत सरकार, पाटलीपुत्र इंडस्ट्रियल एस्टेट–800013, 0612-2262186, 2262568,2262208 , dcdi-patna@dcmsme.gov.in
6	चंडीगढ़	विकास कार्यालय, लुधियाना के अंतर्गत आता है			
7	छत्तीसगढ़	एमएसएमई–विकास कार्यालय, रायपुर	राजीव एस., संयुक्त. निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख, 9406377142 rajeevs.nair@gov.in	किशोर बी इरपाटे, सहायक निदेशक, ग्रेड –I, 9423525935	उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास, भानपुरी औद्योगिक क्षेत्र, डाकघर–बिरगांव, रायपुर, पिन– 493221, छत्तीसगढ़, ईमेल आईडी–dcdi-raipur@dcmsme.gov.in
8	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय, सिलवासा (दादर एवं नगर हवेली)	श्री नितिन चावला, सहायक. निदेशक–मो, मो. 9990154888		मसाट इंडस्ट्रियल एस्टेट, सिलवासा, फोन– (0260) 2640933/2966369, ईमेल आईडीः brdcdi-silv@dcmsme.gov.in
9	दिल्ली	एमएसएमई–विकास कार्यालय, नई दिल्ली	डॉ. आर. के. भारती, संयुक्त निदेशक/कार्यालय प्रमुख, 9998879118, rk.bharti69@gov.in	श्री बी. पी. सिंह, सहायक निदेशक, 9811515096	शहीद कैप्टन गौड़ मार्ग, अपो. जिट. ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली–110020, फोन नं. – 26838118/26838068/26847223, ईमेल आईडीः dcdi-ndelhi@dcmsme.gov.in
		शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय, नई दिल्ली	डॉ. आर. के. भारती, संयुक्त निदेशक/कार्यालय प्रमुख, 9998879118, rk.bharti69@gov.in	सुनील कुमार सहायक निदेशक 9896341610	शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय, एल ब्लॉक, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001, फोन नंबर I –23411950/23414364, ईमेल आईडीः br.nd-msmedi@dcmsme.gov.in
10	गोवा	एमएसएमई–विकास कार्यालय, गोवा	मुकेश कुमार मीना संयुक्त निदेशक 6376187404	डी. आर. जौहरी, सहायक निदेशक ग्रेड–I, 8879405522	एमएसएमई–विकास कार्यालय, ओपीपी.कोंकण रेलवे, मडगांव, गोवा, 0832–2705093/94, dcdi-goa@dcmsme.gov.in

क्र. सं	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	संस्थान का नाम	कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण, ई–मेल आईडी
11	गुजरात	एमएसएमई–विकास कार्यालय, अहमदाबाद	प्रदीप ओझा संयुक्त निदेशक और कार्यालय प्रमुख, 9649887496	पी. एन. सोलंकी, उप निदेशक, 8780410904	"एमएसएमई टावर" नं. सीआईएमएस अस्पताल, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद, फोन– (079) 27543147/27544248, ईमेल आईडीः dcdi-ahmbad@ dcmsme.gov.in
		शा– एमएस, मई–विकास कार्यालय, राजकोट (गुजरात)	श्रीमती स्वाति गुप्ता, सहायक निदेशक, मो. 9265056260/ 8826850156	टी. के. सोलंकी, सहायक निदेशक, ग्रेड–I, 9825989839	तीसरी मंजिल, अमृत जसानी बिल्डिंग, एनआर गिरनार सिनेमा, राजकोट, फोनः (0281) 2471045, ईमेल आईडीः brdcdi-rajk@ dcmsm.gov.in
12	हरियाणा	एमएसएमई–विकास कार्यालय, करनाल	संजीव चावला, निदेशक, 9810908426	सतपाल, सहायक निदेशक, ग्रेड–I, 9034266600	11–ए, आईडीसी, आईटीआई के पास, कुंजपुरा रोड, करनाल–132 001, 0184–2208100, 2208113, dcdi-karnal@dcmsme.gov.in
		शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय, भिवानी	रचना त्रिपाठी, सहायक निदेशक, 9017109998, rachna.tripathi@gov.in	निशा बत्रा, सहायक निदेशक, ग्रेड –II, 9968514234	आईटीआई परिसर, हांसी रोड, भिवानी, 127021, 01664–243200, brdcdi-bhiw@dcmsme.gov.in
13	हिमाचल प्रदेश	एमएसएमई–विकास कार्यालय, सोलन	श्री ए. के. गौतम, सहायक निदेशक, ग्रेड–I 9412372661, gvelladurai@dcmsme.gov. in, gvelladurai@gmail.com	शैलेश कुमार सहायक निदेशक ग्रेड –II मो.8273637062	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट, सोलन – 173 213 लैंडलाइन.01792230766 dcdi-solan@dcmsme.gov.in
14	जम्मू और कश्मीर	एमएसएमई–विकास कार्यालय, जम्मू जम्मू–कश्मीर	श्री जी. वेल्लादुराई, संयुक्त निदेशक, 7666125995, gvelladurai@dcmsme.gov. in, gvelladurai@gmail.com	देवेन्द्र के त्यागी, सहायक निदेशक, ग्रेड–II 9419262867	इंडस्ट्रियल एस्टेट, डिगियाना, जम्मू – 180 010 दूरभाष. 01912435425 dcdi-jammu@dcmsme.gov.in
		शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर	श्री जी. वेल्लादुराई, संयुक्त निदेशक, 7666125995, gvelladurai@dcmsme.gov. in, gvelladurai@gmail.com	श्री. शलील, सहायक निदेशक, मो. 9796369757	संत नगर के सामने, औद्योगिक एस्टेट, श्रीनगर–190005 brdcdi-srinagar@dcmsme. gov.in
15	झारखंड	एमएसएमई–विकास कार्यालय, रांची	श्री इंद्रजीत यादव, संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख, 8126248984	श्री सुरेंद्र शर्मा, सहायक निदेशक, 7860950389, dcdi-ranchi@dcmsme. gov.in	इंडस्ट्रियल एस्टेट, कोकर, रांची, 0651–2970163, dcdi-ranchi@dcmsme.gov.in
		शा एमएसएमई–विकास कार्यालय, धनबाद (झारखंड)	इंद्रजीत यादव, संयुक्त निदेशक, मोबा– 8126248984	दीपक कुमार, सहायक निदेशक, मो– 8335884408, brdcdi dhan@dc-msme.gov.in	शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय धनबाद, कतरास रोड, मटकुरिया, धनबाद– 826001

क्र. सं	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	संस्थान का नाम	कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण, ई–मेल आईडी
16	कर्नाटक	एमएसएमई–विकास कार्यालय, बेंगलुरु	डॉ. के. सुकरात, संयुक्त निदेशक मो.9686165245, grakadas@dcmsme.gov.in	आर गोपीनाथ राव, उप निदेशक मो. 9449062473 ईमेल. rgopinathrao@nic.in	राजाजीनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट, बेंगलूरू 560010, ईमेल 080–23151581–82–83 सीधे 080–23151540
		शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय, मैंगलोर	देवराज के., संयुक्त निदेशक, 9343332009 devaraj.k@gov.in	सुंदरा शेरिगरा एम 9481444618 sundar.smala@gov.in	एल –11ए इंडस्ट्रियल एस्टेट, येय्यदी, मैंगलोर –575008, brdc-di-mang@dcmsme.gov.in, Ph. 0824-2217936/2217696
		एमएसएमई–विकास कार्यालय, हुबली	बलभीम जवालगी 9632467868 jawalgi.bs@gov.in	किरण कुमार, सहायक निदेशक, ग्रेड–I	एमएसएमई–विकास कार्यालय, गोकुल रोड पुलिस स्टेशन के बगल में, गोकुल रोड, हुबली। फोन– 0836-2330389/5634, dcdi-hubli@dcmsme.gov.in
		शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय, गुलबर्गा	बलभीम जवालगी 9632467868 jawalgi.bs@gov.in	डी. एस. कंधरे, सहायक निदेशक, ग्रेड–I	सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने पीडीए इंजीनियरिंग कोलाज रोड आई–वीएएन–ई शाही गुलबर्गा–02, फोन 08472–277120 ईमेलः brdcdi-gulb@dcmsme.gov.in
17	केरल	एमएसएमई–विकास कार्यालय, त्रिशूर	जी. एस. प्रकाश, संयुक्त निदेशक, 9447875070 dddi.tcr-msme@gov.in, prakashgs2003@yahoo.com	मार्टिन पी चाको, सहायक निदेशक, ग्रेड–I, 9446355562	एमएसएमई–विकास संस्थान, अय्यनथोल चौकी, कंजानी रोड, त्रिशूर–680003, फोन और फैक्सः निदेशकः 0487–2360216 ई–मेलः dcdi-thrissur@dcmsme.gov.in
18	लद्दाख	एमएमएमई–डीएनसी लेह	श्री जी. वेल्लादुराई, संयुक्त निदेशक, 7666125995, gvelladurai@dcms.gov.in	राजेश कुमार सहायक निदेशक ग्रेड–II 7837309095	लेह के मुख्य द्वार के पास इंक्यूबेशन केंद्र, लेह–194101 0198–2295001 msmednc-leh@gov.in
19	लक्षद्वीप	न्यूक्लियस सेल, लक्षद्वीप	जी.एस.प्रकाश, संयुक्त निदेशक, 9447875070 dddi.tcr-msme@gov.in, prakashgs2003@yahoo.com	मार्टिन पी चाको, सहायक निदेशक, ग्रेड–I, 9446355562	एमएसएमई – विकास न्यूक्लियस सेल, अमिनी – 682 552, केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप, भारत, thrissur@dcmsme@gov.in,brdcdi-laks-dcmsme.gov.in
20	मध्य प्रदेश	शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय, रीवा (एमपी)	श्री डी.गज़बिया, संयुक्त निदेशक ग्रेड–I, मो. नंबर–9425365700, ईमेल आईडी–i.tirkey@dcmsme.gov.in	एम. टिरके, सहायक निदेशक, ग्रेड–I, 9131371217 i.tirkey@dcmsme.gov.in	10–पोलोग्राउंड, इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंदौर–452015 (एमपी) फोन नंबरः 0731–2421659, ई–मेल आईडीः dcdi-indore@dcmsme.gov.in

क्र. सं	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	संस्थान का नाम	कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण, ई–मेल आईडी
		शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय, रीवा (एमपी)	श्री क्रिस्टोफर मिंज, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मोबाइल नंबर:9406668482	शून्य	उद्योग विहार, चोरहटा, रीवा–486006 (एमपी), फोन नंबर:07662.299278, ई–मेल आईडी: dcdirewa.msme@gov.in
		शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय, ग्वालियर (एमपी)	श्री राजीव कुमार, सहायक निदेशक ग्रेड–I मो. नंबर–9761308902, ईमेल आईडी–meena_rajeev@rediffmail.com	आलोक कुमार गोस्वामी, सहायक निदेशक, ग्रेड–II, मोबाइल: 9424337403	7.इंडस्ट्रियल एस्टेट, तानसेन रोड, बिरला नगर, ग्वालियर– 474004 मध्य प्रदेश) फोन 0751.2422590 फैक्स – 0751.2422590 ईमेल: dcdigwl.msme@gov.in
21	महाराष्ट्र	एमएसएमई–विकास कार्यालय, मुंबई	मिलिंद बरपतरे, संयुक्त निदेशक 9341431110	नरेंद्र एन. एस्टोलकर संयुक्त निदेशक; 9768686250 ; nestolkar@yahoo.co.in	एमएसएमई–विकास कार्यालय, मुंबई, कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका, मुंबई 72, 022-28576090/3091/4305 dcdi-mumbai@dcmsme.gov.in
		शा– एमएसएमई–विकास कार्यालय, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	नरेंद्र एन. एस्टोलकर संयुक्त निदेशक; 9768686250 ; nestolkar@yahoo.co.in Abhay Daptardar, AD Gr-I, 9619927453	सुभाष इंगेवार सहायक निदेशक, ग्रेड–I 9572987677 ; subhash468@yahoo.com	पी–83ए एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, नारेगांव रोड, चिकलथाना, औरंगाबाद–431006, msmedi-brauran gabad@gmail.com, brmsmedi.abd@ dcmsme.gov.in, ph. No. 02402954040
		शा–एमएसएमई–विकास कार्यालय, नागपुर (महाराष्ट्र)	श्री पी.एम.पार्लेवार, निदेशक, 9422442490, p45003@gmail.com	डॉ. विजय आर. सिरसथ, संयुक्त निदेशक, 9527944616	सीजीओ, कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक–सी, सेमिनरी हिल्स, नागपुर–440006, 0712–2510046,2510352, dcdi-nagpur@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई– विकास कार्यालय, पुणे	श्री अभय दप्तरदार सहायक निदेशक, ग्रेड–I 9619927453 abhay.daptardar@gmail.com		शाखा एमएसएमई–विकास कार्यालय, पुणे, शंकर सेठ रोड, स्वर्गगेट पीएमटी कार्यशाला के पास, पुणे–411037 (महाराष्ट्र)
22	मणिपुर	एमएसएमई–विकास कार्यालय, इंफाल	लोकेश परगनीहा, उप निदेशक, 7869437037	टी. हौज़ेल, 9366780125 और ईमेल: sangahauzel11@gmail.com	एमएसएमई–विकास कार्यालय, इंडस्ट्रियल एस्टेट तकयेलपत, इंफाल पश्चिम जिला, इंफाल–795001,,dcdi-imphal@dcmsme.gov.in, 7005711045
23	मेघालय	शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय, शिलांग	नीरज शर्मा, सहायक निदेशक, ग्रेड–I, 8285489321		लोअर न्यू कॉलोनी, ऑप. – बीके बाजोरिया स्कूल, पिन.: 793001 शिलांग, मेघालय, दूरभाष फैक्स नंबर: (0364) – 2507586 ई–मेल ddo.msme-meg@gov.in, brdcdi-shil@dcmsme.gov.in

क्र. सं	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	संस्थान का नाम	कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण, ई–मेल आईडी
		शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय, तुरा	नीलेश त्रिवेदी, सहायक निदेशक, 9926681437, 6266981081 nilesh.trivedi.msme@gov.in		टीवी टावर के पास, डाकोपग्रे, तुरा–794101 वेस्ट–गारो हिल्स (मेघालय) ई–मेल आईडी: Br dcdi-tura@turadcmsme.gov.in
24	मिजोरम	शा– एमएसएमई–विकास कार्यालय, आइजवाल (मिजोरम)	श्री दिवाकर, सहायक निदेशक, ग्रेड–II, मो– 8594933517	बेंजामिन टी लालपु, 8787793197, ,btombing79@gmail.com	शाखा एमएसएमई–विकास कार्यालय, एलएचरोसंगा बिल्डिंग, बेसमेंट–1, फुंचावंगकॉवन, त्लांगनुअम पश्चिम, आइजोल–796005, मिजोरम, टी.नंबर– 0389 –2999074, ईमेल आईडी–dcdi-agartala@dcmsme.gov.in
25	नागालैंड	एमएसएमई–विकास कार्यालय, दीमापुर (नागालैंड)	ए. सेल्विन समराज, 9994466768 a.selwin@dcmsme.gov.in		एमएसएमई विकास कार्यालय, छठा माइल, सोविमा, दीमापुर –797115, नागालैंड. फोन–03862248552, ईमेल: brdcdi-dima@dcmsme.gov.in
26	ओडिशा	एमएसएमई–विकास कार्यालय, कटक	श्री पी.के. गुप्ता, संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख, मोबाइल: 8002768669	सुश्री नितिशा मान, उप. निदेशक (ईआई), मोबाइल: 9911888823	एमएसएमई–डीआई, विकास सदन, कॉलेज स्क्वायर, कटक–753003, मोबाइल: 9437095976, ईमेल: dcdi-cuttack@dcmsme.gov.in
		शा–एमएसएमई–विकास कार्यालय, राउरकेला (ओडिशा)	श्री डी.के. नायक, सहायक निदेशक, ग्रेड–I 9366170257	श्री एस.के. पति, सहायक निदेशक, मोबाइल: 8281854564	शा. एमएसएमई – डीआई, सी/9ए इंडस्ट्रियल एस्टेट, जेल रोड, राउरकेला, ओडिशा–769012, संपर्क: 0661.2402492, ईमेल–brdcdi-rour@dcmsme.gov.in
		शा– एमएसएमई–विकास कार्यालय, रायगड़ (ओडिशा)	श्री एन.के. रत्नम, सहायक निदेशक, मोबाइल: 9437268448		शा. एमएसएमई–डीआई, आरके नगर, रायगड़ा, ओडिशा – 765001, संपर्क– 06856 . 235868ए ईमेल brdcdi-raya@dcmsme.gov.in
27	पुदुचेरी	विकास कार्यालय, चेन्नई के अंतर्गत आता है			
28	पंजाब	एमएसएमई–विकास कार्यालय, लुधियाना	संजीव चावला, निदेशक, 9810908426, schawla@dcmsme.gov.in	ईशिता ठमन, ग्रेड–I, 8288017112	एमएसएमई–विकास कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र–बी, संगीत सिनेमा के सामने, लुधियाना, पीएच। 0161–2531733 ईमेल: dcdi-ludhiana@dcmsme.gov.in

क्र. सं	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	संस्थान का नाम	कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण, ई–मेल आईडी
29	राजस्थान	एमएसएमई–विकास कार्यालय, जयपुर	गौरव जोशी, संयुक्त निदेशक, 9711188044	प्रदीप ओझा, संयुक्त निदेशक, 9649887496	22 गोदाम, इंडस्ट्रियल एस्टेट, जयपुर–302006 dcdi-jaipur@dcmsme.gov.in
30	सिक्किम	एमएसएमई–विकास कार्यालय, गंगटोक	निर्मल चौधरी, सहायक निदेशक, ग्रेड–I 9433222137	डी.आर. शर्मा एडी (स्टेट) द्वितीय, 9434485238	केके सिंह बिल्डिंग, ताडोंग बाज़ार, एनएच 310, पीओ ताडोंग गंग. टोक–737102 सिक्किम, dcdi-gangtok@dcmsme.gov.in
31	तमिलनाडु	एमएसएमई–विकास कार्यालय, चेन्नई	एस सुरेश बाबूजी, संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख, 9791164466, dcdi-chennai@dcmsme.gov.in	वी गोविंदराज, संयुक्त निदेशक एवं कार्यालय प्रमुख, 9885486708, एमएसएमई टीसी, चेन्नई	एमएसएमई विकास कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई भवन, नं. 65/1, जीएसटी रोड, गिंडी, चेन्नई –600032, 044-22501785, 044-22501011, 12, 13 dcdi-chennai@dcmsme.gov.in
		शा–एमएसएमई–विकास कार्यालय, कोयंबटूर (तमिलनाडु)	श्री ए. पूर्णानंद प्रभु, सहायक निदेशक, ग्रेड–II, संपर्क सं. 8281623868		न. 386, पटेल रोड, रामनगर, कोयंबटूर – 641009, तमिलनाडु, ईमेलः brdcdi-coim@dcmsme.gov.in
		शा–एमएसएमई–विकास कार्यालय, मदुरई (तमिलनाडु)	जी. सिमियोन 7550168851, simiyon.g@dcmsme.gov.in	आर. उमाचंद्रिका, मोबाइलः9842035441 ईमेलः umachandrika.raju@gov.in	प्लॉट नंबर 11, के. पुदुर, तानसिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट, मदुरै–625007 0452-2918313, brdcdi.mdri@dcmsme.gov.in
32	तेलंगाना	एमएसएमई–विकास कार्यालय, हैदराबाद	श्री डी.चंद्र शेखर, एडीसी, मोबाइलः 9866231970, ईमेलः chandra.dakuri@gov.in	श्री के.सी.चौधरी, सहायक निदेशक ग्रेड I, 9440394661	एमएसएमई विकास कार्यालय, नरसापुर क्रॉस रोड्स, बालानगर, हैदराबाद–500037, तेलंगाना, फोनः 040-23078131-133, 23078857, dcdi-hyd@dc-msme.gov.in
33	त्रिपुरा	एमएसएमई–विकास कार्यालय, अगरतला	लोकेश परगनीहा, उप निदेशक,. 7869437037		इंद्रानगर, आईटीआई प्ले ग्राउंड के पास, पीओ–कुंजबन, अगरतला–799006, फोन - 0381-2352013, 2356570, dcdi-agartala@dcmsme.gov.in

क्र. सं	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	संस्थान का नाम	कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण, ई–मेल आईडी
34	उत्तर प्रदेश	एमएसएमई–विकास कार्यालय, आगरा	डॉ. आर.के.भारती, संयुक्त निदेशक/कार्यालय प्रमुख, मो. नं. 9998879118	श्री अभिषेक सिंह, सहायक निदेशक, 9458433277, 7078594087	34, इंडस्ट्रियल इस्टेट, नुनहाई, आगरा 282006; सिटी ऑफिस – तीसरी मंजिल, सीजीओ, कॉम्प्लेक्स, ए–विंग, संजय प्लेस, आगरा – 282002; ईमेल आईडी dcdi-agra@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–विकास कार्यालय, इलाहाबाद	श्री लाल बहादुर सिंह यादव, संयुक्त निदेशक, मो–9455747578/ 9467902950	श्री वैभव खरे, सहायक निदेशक, मो–9565830901	ई–17/18, इंडस्ट्रियल इस्टेट, नैनी, इलाहाबाद, यूपी फोन– 0532–2696810, ई–मेल– dcdi-allbad@dcmsme.gov.in
		शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय, वाराणसी (उ. प्र)	नामः एलबीएस यादव, पदः संयुक्त निदेशक, मोबाइल नंबरः 9467902950	नामः राजेश कुमार चौधरी, पदः सहायक निदेशक (ग्रेड.II), मोबाइल नंबरः 7044207331	औद्योगिक एस्टेट, चांदपुर, वाराणसी –221106, फोनः 0542–2370621, ईमेलःbrdcdi-vara@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–विकास कार्यालय, कानपुर	श्री विष्णु कुमार वर्मा संयुक्त निदेशक मो. 8808051082 एवं 7355160963	श्री सुनील कुमार पांडे सहायक निदेशक ग्रेड–I मो. 9305005406 एवं 8851451990	एमएसएमई–विकास कार्यालय 107 औद्योगिक संपदा कालपी रोड फजलगंज कानपुर 208012 0512–2240143 और 2295072
35	उत्तराखंड	एमएसएमई–विकास कार्यालय, हल्द्वानी	श्री. आर. के चौधरी, संयुक्त निदेशक/कार्यालय प्रमुख, दूरभाष–9212256205	श्री एस.सी.कांडपाल सहायक निदेशक, मोबाइल–9837 804532	खाम बंगलो कैम्पस कालीढुंगी रोड हलद्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड
		एमएसएमई–विकास कार्यालय, देहरादून	श्री. आर. के चौधरी, संयुक्त निदेशक/कार्यालय प्रमुख, दूरभाष–9212256205	श्री एस.सी.कांडपाल सहायक निदेशक, मोबाइल–9837 804532	थानो रोड, भोपालपुर, देहरादून–246006 0135–2954488 dcd-dehradun@dcmsme.gov.in
36	पश्चिम बंगाल	एमएसएमई–विकास कार्यालय, कोलकाता	पी.के दास, संयुक्त निदेशक, 8851465054	सीतानाथ मुखोपाध्याय, सहायक निदेशक (ग्रेड–I), दूरभाष 7980071162	एमएसएमई–विकास कार्यालय, 111 और 112 बीटी रोड, कोलकाता – 700108, फोन नंबर 033–25770595/98, ई–मेलः dcdi-kolkatta@dcmsme.gov.in
		शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय, दुर्गापुर (पं.बंगाल)	राजर्षि माजी, सहायक निदेशक, ग्रेड –I, 9775072021	एस. नंदी, सहायक निदेशक–I	आरए–39 (ग्रांउड फ्लोर), उर्वशी (चरण –II), बंगाल अंबुजा, ताराशंकर सारणी, सिटी सेंटर, दुर्गापुर (डब्ल्यूबी)– 713216, dcdi-durg@dcmsme.gov.in;

क्र. सं	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	संस्थान का नाम	कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण, ई–मेल आईडी
		शा.एमएसएमई–विकास कार्यालय, सूरी, बीरभूम (पं. बंगाल)	श्री ऋत्विक विश्वास, सहायक प्रभारी निदेशक एवं डीडीओ, 9800115541	निल	शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय, आरएन टैगोर रोड, पुलिस लाइन, सूरी, बीरभूम, brdcdi-birb@dcmsme.gov.in
		शा. एमएसएमई–विकास कार्यालय, सिलीगुड़ी (पं. बंगाल)	टी. सी. लामा, सहायक निदेशक, ग्रेड–I, 9711818684	टी. के. बनर्जी, सहायक निदेशक, ग्रेड–I 9064196923	औद्योगिक क्षेत्र, शेड नंबर– 3 और 4, सेवोके रोड, पश्चिम बंगाल – 734001, 8637826793, brdcdi-sili@dcmsme.gov.in

6. एमएसएमई परीक्षण केंद्रों और एमएसएमई परीक्षण स्टेशनों का संपर्क ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थान का नाम	कार्यालय के प्रभारी का संपर्क ब्यौरा– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क ब्यौरा – नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क ब्यौरा, ईमेल आईडी.
1	दिल्ली	परीक्षण केंद्र, नई दिल्ली	श्री सत्यवीर शर्मा संयुक्त निदेशक 9971854654	श्री एन.के. साहू एडी 9820522583	कैप्टन गौर मार्ग , ओखला फेज III, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली, दिल्ली 110020, dcdi- @dcmsme.gov.in
2	महाराष्ट्र	परीक्षण केंद्र, मुंबई	श्री मनोज कुमार, संयुक्त निदेशक (8587030740)		एमएसएमई–परीक्षण केंद्र, एमएसएमई – विकास कार्यालय परिसर, कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका , मुंबई – 400 072 (महाराष्ट्र) (022) 28570588 / 28576998 dctc-wr@dcmsme.gov.in
3	तमिलनाडु	परीक्षण केंद्र, चेन्नई	वी. गोविंदराज, संयुक्त निदेशक, 9885486708	एस. सतीश कुमार, उप निदेशक, 9443829389	एमएसएमई परीक्षण केंद्र, 65/1, जीएसटी रोड, गिंडी, चेन्नई – 600032 फोन: 044–22500284, dctc-sr@dcmsme.gov.in
4	पश्चिम बंगाल	परीक्षण केंद्र, कोल. काता	पीके दास, संयुक्त निदेशक, 7003794210		111 और 112, बीटी रोड, कोलकाता – 700108, 033–2577–0686, dctc-er@dcmsme.gov.in
			एमएसएमई–परीक्षण स्टेशन		
1	इंदौर	परीक्षण स्टेशन, भोपाल	श्री एमएन गिरामे , सहायक निदेशक, मोबाइल नंबर 7049064028		एमएसएमई–परीक्षण स्टेशन, शेड नं. 36,37 सेक्टर–ई, औद्योगिक क्षेत्र, गोविंदपुरा , भोपाल, ईमेल आईडी– dcts-bhopal@dcmsme.gov.in
2	कर्नाटक	परीक्षण स्टेशन, बेंगलुरु	डॉ. के. सोक्रेटिस, संयुक्त निदेशक, मोबाइल :9480159505	जी नागराजा , सहायक निदेशक ग्रेड II , मोबाइल नंबर: 8088696627	एमएसएमई–विकास कार्यालय कैम्पस, राजाजीनगर औद्योगिक एस्टेट, कॉर्ड रोड के पश्चिम, बेंगलुरु–560010
3	केरल	परीक्षण स्टेशन, एट्टामनुर	श्री.वी.गोविदराज, संयुक्त निदेशक,9885486708	श्री.पी.इबान जयकुमार, सहायक निदेशक–ग्रेड I, 8197298223	एमएसएमई–प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक एस्टेट, एट्टूमनूर, पिन: 686631,0481–2535533,2535563,8197298223, msmeti-ettu@dcmsme.gov.in

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थान का नाम	कार्यालय के प्रभारी का संपर्क ब्यौरा– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क ब्यौरा – नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क ब्यौरा, ईमेल आईडी.
4	महाराष्ट्र	परीक्षण स्टेशन, कोल्हापुर	मिलिंद बारापात्रे, जे.डी., , 9341431110, 9371128504,	शून्य	पी–31, एमआईडीसी, शिरोली , कोल्हापुर, महाराष्ट्र, 0230–2469366, dcts-kolha@dcmsme.gov.in
5	पुदुचेरी	परीक्षण स्टेशन, पुडुचेरी	एस.धर्मसेल्वन , संयुक्त निदेशक, 8248310489	एम. उदयकुमार , सहायक निदेशक, 9488516615	एमएसएमई परीक्षण स्टेशन, 110 कमराजार सलाई , थट्टनचावडी , पुडुचेरी 605 009, dcts-pondy@dcmsme.gov.in
6	तेलंगाना	परीक्षण स्टेशन, हैदराबाद	एस.विजय कुमार, संयुक्त निदेशक, 8971423923	सी. शिवा सुधाकर , सहायक निदेशक, 8056019950	एमएसएमई परीक्षण स्टेशन, ए1, औद्योगिक एस्टेट, सनथ नगर, हैदराबाद–18.040–28704371, 29700415, dcts-hyd@dc-msme.gov.in
7	राजस्थान	परीक्षण स्टेशन, जयपुर	श्री गौरव जोशी, संयुक्त निदेशक, 971118044	श्री जी.एस. खंडेलवाल, एडी–I, 7005132500	एमएसएमई–परीक्षण स्टेशन, जयपुर ग्राउंड फ्लोर एमएसएमई–विकास कार्यालय बिल्डिंग 22 गोदाम इंडस्ट्रियल एस्टेट, जयपुर
एमएसएमई–प्रशिक्षण संस्थान					
1	केरल	प्रशिक्षण संस्थान, एट्टूमनुर	गोविंदराज,संयुक्त निदेशक, मोबाइल नं. 9885486708	श्री.पी.इबान जयकुमार, सहायक निदेशक ग्रेड I, मोबाइलः 8197298223	एमएसएमई–प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक एस्टेट, एट्टूमनूर, पिनः 686631, कोट्टायम जिला, 0481–2535533,2535563, ईमेलः msmeti-ettu@dcmsme.gov.in
		प्रशिक्षण संस्थान, तिरुवल्ला	श्री. वी. गोविंदराज, संयुक्त निदेशक, मोबाइल नं. 9885486708	श्री.पी.इबान जयकुमार, सहायक निदेशक ग्रेड I, मोबाइलः 8197298223	एमएसएमई–प्रशिक्षण संस्थान, मंजाडी पी.ओ., तिरुवल्ला पिनः 689 105, मोबाइलः 9744293717, msmeti@dcmsme.gov.in
2	लक्षद्वीप	केंद्र प्रकोष्ठ, लक्षद्वीप	राकेश दहिया निदेशक 9289055456		एमएसएमई विकास केंद्र प्रकोष्ठ, एमएसएमई मंत्रालय, संघ राज्य क्षेत्र, लक्षद्वीप, कवारत्ती–682555

लघुरूप

एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एआरआई	कृषि एवं ग्रामीण उद्योग
एस्पायर	नवपरिवर्तन, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन स्कीम
बीआई	बिजनेस इनक्यूबेटर
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
सीसीए	कार्बन ऋण एकत्रीकरण केंद्र
सीडीसी	सामान्य प्रदर्शन केंद्र
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीवीवाई	कयर विकास स्कीम
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीसी (एमएसएमई)	विकास आयुक्त (एमएसएमई)
डीआईसी	जिला उद्योग केंद्र
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
चुनाव आयोग	आर्थिक जनगणना
ईईटी	ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियाँ
ईएम–II	उद्यमी ज्ञापन भाग–II
ईएसडीपी	उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईपीएफसी	बौद्धिक संपदा अधिकार सुविधा केंद्र
आईएसईसी	ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र
केवीआईसी	खादी और ग्रामोद्योग आयोग

एमएमडीए	संशोधित बाज़ार विकास सहायता
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्थान
एमजीआईआरआई	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमएसई–सीडीपी	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम स्कीम
एमएसएमई – डीएफओ	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम – विकास एवं सुविधा कार्यालय
एमएसएमईडी एक्ट	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम
एनबीएमएसएमई	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड
एनईआर	उत्तर–पूर्व क्षेत्र
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनआईडी	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान
निम्समे	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनएसआईसी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
पीएमएसी	परियोजना निगरानी एवं सलाहकार समिति
पीएमईजीपी	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पीपीपी	सरकारी निजी कंपनी भागीदारी
पीआरआई	पंचायती राज संस्थाएँ
क्यूसीआई	भारतीय गुणवत्ता परिषद
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरईबीटीआई	ग्रामीण इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी उद्योग
एससी	अनुसूचित जाति
सेबी	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
स्फूर्ति	पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम

एसएमएएस	विशेष विपणन स्कीम
एसएमई	लघु एवं मध्यम उद्यम
एसपीवी	विशेष उद्देश्य वाहन
एसएसपीआरएस	एकल बिंदु पंजीकरण सब्सिडी स्कीम
एसटी	अनुसूचित जनजाति
टेकअप	प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन
ट्रेड	व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता एवं विकास
यूएम	उद्योग आधार ज्ञापन

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

www.msme.gov.in

@minmsme पर हमें फॉलो करें।